अष्टम माला, खंड 21 अंक 4

शुक्रवार, 7 नवम्बर, 1986 / 16 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

आठवीं लोक सभा

(खंड 21 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

पृष्ठ 257, नीचे से पंक्ति 2, तथा पृष्ठ 258, पंक्ति 8 व पृष्ठ 260, पंक्ति 9, 'स्वीकृति हुआ' के स्थान पर 'स्वीकृत हुआ' पढ़िये ।

पृष्ठ 270, प्रथम पंक्ति, '(श्री ललित माखन)' के स्थान पर 'श्री सी0 जां रेड्डी' पढ़िये ।

पृष्ठ 282, नीचे से पंक्ति 12, 'श्री पी0 नापग्याल' के स्थान पर 'श्री पी0 नामग्याल' पढ़िये ।

पृष्ठ 297, अंतिम पंक्ति, 'स्थिगत हुई' के स्थान पर 'स्थगित हुई' पढ़िये ।

पृष्ठ 297, नीचे से पंक्ति 2, 'कार्तिक' के स्थान पर '19 कार्तिक' पढ़िये ।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 21, सातवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 7 नवम्बर, 1986/16 कार्तिक 1908 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61 से 65	1-21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 66 से 73 और 75 से 80	21-43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 570 से 604, 606 से 667 और 669 से 799	44-214
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	215-216
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल) 1986-87 प्रस्तुत की गई	216
रेलों की वित्तीय स्थिति के बारे में वक्तव्य	
श्री माधवराव सिन्धिया	217-221
अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर ध्यानाकर्षण	221-243
दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन	
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	221
श्री संतोषमोहन देव	221-223
डा० चिन्तामोहन	227-229
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	229-230
श्री थम्पन थामस	230-234
श्री इन्द्रजीत गुप्त	234-239
श्री अर्जुन सिंह	239-243
सभा का कार्य	243-248
किशोर न्याय विधेयक [जारी]	249-256
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री के० आर० नटराजन	249-251
श्री सोमनाथ रथ	251-253
डा० दत्ता सामन्त	253-255
श्री राम स्वरूप राम	255-256

*किसी सस्दय के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	
24 वां प्रतिवेदन	256
विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक (धारा 3 में संशोधन)	
श्री रहीम खां	256-257
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
श्री रहीम खां	257
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 310 का लोप, आदि)	
श्री अजय विश्वास	257
(चार) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन)	
श्री शरद दिघे	248
(पांच) लोक उपद्रव पीड़ितों हेतु प्रतिकर विधेयक	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	258
(छ:) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 347 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	258-259
(सात) विदेशवासी भारतीय राष्ट्रजन (संसद में प्रतितिधित्व) विधेयक	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	259
(आठ) बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक (धारा 2 में संशोधन, आदि)	
श्री अजय विश्वास	259
(नौ) राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक (नई धारा 4 का अन्त:स्थापन)	
श्री सैयद शाहबुद्दीन	260
(दस) राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक (धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)	
श्री शान्ताराम नायक	260

विषय	पृष्ठ
विधवा पेंशन विधेयक (जारी)	260-264
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री पी० वी० नर सिंहराव	261
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	262-264
संविधान (संशोधन) विधेयक	264-297
(अनुच्छेद 311 में संशोधन)	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	
श्री सी० जंगा रेड्डी	264-272
डा० गौरी शंकर राजहंस	272-275
श्री वाई० एस० महाजन	275-277
श्री अजय विश्वास	277-281
श्री हरीश रावत	281-282
श्री पी० नामग्याल	282-283
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	285-286
श्री गिरधारी लाल व्यास	287-289
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	290
कुमारी ममता बनर्जी	290-292
श्री मनोज पांडेय	292-293
श्री पी० चिदम्बरम्	293-297

लोक-सभा

शुक्रवार, 7 नवम्बर, 1986/16 कार्तिक, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, ऐसा मालूम पड़ता है कि आज अभी से शुक्रवार शुरू हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : कल शाम को मैं कह रहा था—परसों जो लोग मुझे जिस बात के लिए मजबूर कर रहे थे, उसी बात के ऊपर कल जब डिस्कशन हो रहा था और जवाब हो रहा था, तो कोई भी हाजिर नहीं थे । मुझे इस बात का कष्ट है क्योंकि मुझे तो कह रहे थे कि इस बात के ऊपर यहां डिस्कशन कराओ लेकिन जब मैंने कल यहां डिस्कशन करवाया तो वे हाजिर नहीं थे ।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

बिना गारन्टी के दिए गए ऋण

+

61. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर, 1986 के "पेट्रिआट" में 'बैंक्स गिव रुपीज 18 करोड़ विदाउट गारंटीज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार देखा है जिसमें इण्डोनेशिया में स्थापित मैसर्स

पी० टी० **फाइव** स्टार इंडस्ट्रीज लि०, इण्डोनेशिया नामक संयुक्त क्षेत्र की एक भारतीय कम्पनी को भारतीय बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने में की गई अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

चार भारतीय बैंको के कंसार्शियम ने अपनी विदेशी शाखाओं से मैसर्स पी० टी० फाइव स्टार इंडस्ट्रीज लि० को वित्तीय सहायता दी थी। विभिन्न सुविधाएं मंजूर करते समय बैंकों के कंसार्शियम ने सामान्य प्रथाओं के अनुसार प्राय: प्राप्त की जाने वाली प्रतिभूतियां प्राप्त की थीं। भारतीय प्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी लेने का प्रश्न इसलिए नहीं उठा क्योंकि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत उस समय विदेशों में स्थित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण की भारत में रहने वाले व्यक्तियों से गारंटी देने की अपेक्षा नहीं की जाती थी।

संयुक्त क्षेत्र की इस भारतीय कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, बाजार की समस्याओं, मांग की मंदी, वित्तीय प्रभारों में तेजी से वृद्धि, वसूली योग्य रकम की धीमी वसूली और इंडोनेशियाई रुपये का अवमूल्यन जैसे कई कारणों से आरम्भ से ही हानि होने लगी थी। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, यद्यपि कम्पनी अपनी लगभग पूरी क्षमता से कार्य कर रही है और नकदी के रूप में उसे अधिशेष भी प्राप्त होने लग गए हैं लेकिन आय इतनी नहीं है कि उससे ऋणों का परिशोधन किया जा सके और लाभ दिखाया जा सके। ऐसी कोई जांच नहीं की गई है। लेकिन कम्पनी के कार्य निष्पादन पर, सम्बद्ध बैंकों द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : चूंकि केवल एक विवरण ही सभा पटल पर रखा गया है अत: इससे इसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लग सकता है। अत: मैं माननीय मंत्री द्वारा पेश किए गये तथ्यों के बारे में कुछ प्रश्न पूछूंगी।

क्या यह सच है कि पी० टी० फाइव स्टार इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तीन कम्पनियों से मिलकर बनी है जिनमें से एक बॉम्बे डाइंग एण्ड मन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड है जिसके श्री नूसली वाडिया अध्यक्ष हैं तथा जो चार राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक आफ बड़ोदा सिंडिकेट बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के 18 करोड़ रुपये के देनदार हैं तथा इसकी स्थापना के सात वर्षों के दौरान इसने बैंकों को एक पाई भी वापस नहीं दी है, यही नहीं, ब्याज जो अब लगभग 15 करोड़ रुपये है ... भी नहीं दिया है? यदि ऐसा है, तो सरकार के विवरण में मृदु रूप से कहा गया है कि उस समय विदेश स्थित कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋण पर प्रत्याभूति लेने की कोई पद्धति नहीं थी। क्या मैं जान सकती हूं कि यदि उस समय विदेश स्थित कम्पनियों से प्रत्याभूति लेने की कोई पद्धति नहीं थी तो क्या उस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों के हितों को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्याभूति की कोई पद्धति थी? यदि हां, तो क्या उनका पालन इस कम्पनी ने किया है? और विवरण के अनुसार ऐसी कौन सी जमानतें थीं जो उन्हें लेनी चाहिए थी?

श्री जनार्दन पुजारी : पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस कर्जदार कम्पनी ने 4·5 करोड़ रुपयों से अधिक की राशि का भुगतान कर दिया है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम धारा 26 (6) के अन्तर्गत कम्पनियों को विदेश में लिए गए ऋण की प्रत्याभूति देने की अनुमति नहीं है। इसलिए उनसे वैयक्तिक प्रत्याभूति देने की आशा नहीं की जाती है।

श्री सी० माधव रेड्डी : कम्पनी के प्रवर्तकों को व्यक्तिगत प्रत्याभूति देनी चाहिए न कि स्वयं कम्पनियों को।

श्री जनार्दन पुजारी : हां, इसके कारण भी मुख्य उत्तर में दे दिये गये हैं कि यह इकाई लाभ क्यों नहीं कमा रही है और नुकसान उठा रही है। मुख्य उत्तर में ये सभी कारण दिए गए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कोई कारण नहीं दिए गए हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं आपकी जानकारी के लिए इन्हें अभी पढ़ दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : परन्तु पहली बात यह है कि क्या उन्होंने एक भी पैसा वापस दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : संयुक्त क्षेत्र की इस भारतीय कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, बाजार की समस्याओं, मांग का मंदी, वित्तीय प्रभारों में तेजी से वृद्धि, वसूली योग्य रकम की धीमी वसूली और इंडोनेशियाई रुपये का अवमूल्यन जैसे कई कारणों से आरम्भ से ही हानि होने लगी थी। इंडोनेशिया में तीन बार अवमूल्यन हुआ तथा आखिरी अवमूल्यन वर्ष 1983 में हुआ और एक अमरीकी डालर के लिए वहां की मुद्रा दर विभिन्न कारणों की वजह से 970 रुपये हो गई साथ ही श्रम की लागत भी बढ़ी और इसमें भी वृद्धि हुई है। हमने धन वापस प्राप्त करने के लिए कदम उठाये। यदि आप गत कुछ वर्षों में इस कम्पनी के कार्य निष्पादन पर गौर करें तो देखेंगे कि वर्ष 1981 में उल्लिखित कारणों की बजह से उन्हें 54·77 लाख अमरीकी डालर की हानि हुई। यह हानि घट कर 1985 में 19·15 लाख अमरीकी डालर तक आ गई। नवीनतम रिपोर्ट यह है कि वे लाभ कमाने की स्थिति में हैं। इसलिए वह हमें धन प्राप्त होने जा रहा है। इन परिस्थितियों में यह एक इकाई की हानियों का ही एक प्रश्न है और बैंकों द्वारा इस पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो निश्चित रूप से हम इन सभी पहलुओं की जांच करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक भी इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है और एक निरीक्षण भी तेजी से किया गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मुझे हमारे मंत्री की सम्माननीय वाणी से कम्पनी की आवाज को सुनकर दु:ख हुआ है। खैर मुझे खेद है कि उन्होंने मेरे पहले प्रश्न कि क्या उन्होंने एक पाई भी वापस दी है, उत्तर नहीं दिया है।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क्या मैं इस बात को पूरा कर सकता हूं ? क्या यह जानकारी मैं आपको दे सकता हूं ? जैसे कि प्रतिभूतियों के लिए बैंकों के कंसार्शियम ने सुविधाएं दी थीं, इन कंसार्शियम बैंकों का अचल आस्तियों और अचल मशीनरी पर जिसका मूल्य 31-12-84 को 18·74 करोड़ रुपये आंका गया था पूर्ण स्वामित्व था। भारतीय प्रवर्तकों से व्यक्तिगत गारंटी लेना, चाहे वे देने के भी इच्छुक हों, फिर भी यह 'फेरा' विनिमयों के उल्लंघन के तुल्य होगा। बैंकों ने सूचित किया है कि उन्होंने अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों जैसे संयन्त्र तथा मशीनरी

तथा अचल आस्तियों को बन्धक रखने के मामले में सामान्य बैंककारी मानदण्डों का अनुसरण किया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक भी पैसे का भुगतान नहीं किया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने शुरू में ही कहा है कि उन्होंने 4·5 करोड़ रुपयों से अधिक दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आप कहिये कि उन्होंने इतना भुगतान किया है। आप ऐसे क्यों नहीं कहते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने यह कहा है। आपने नहीं सुना है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने सुना है। आपने यह नहीं कहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने यह पहले वाक्य में ही कहा है कि उन्होंने 4·5 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर दिया है······**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मंत्री महोदय वह बोलते हुये थक गयी हैं न कि उनके कान थके हैं। वह अच्छी प्रकार सुन सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : अब लगता है कि सरकार इस मामले से पूरी तरह से संतुष्ट है और ऐसे ही उत्तर भी दिये गए हैं। क्या मैं जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि एन० आई०-बी० एम० के प्राध्यापक डा० एन० एल० हिंगोरानी, जिन्हें स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया गया था, ने पाया कि :

(क) कम्पनी की सम्पत्ति का व्यक्तिगत रूप से जांच करने पर पता लगा कि यह 60 लाख डालर से कम हैं हालांकि कम्पनी के खातों के मुताबिक यह 140 लाख डालर होनी चाहिए।

(ख) क्या खर्च बहुत अधिक दिखाया गया था और (ग) क्या परियोजना में 31 मार्च 1981 तक कोई भी एक्विटी शेयर नहीं बचा था ? मैं जानना चाहूंगी कि क्या यह डा० एन० एल० हिंगोरानी की जांच के परिणाम थे, और यदि एसा है तो क्या यह एक गंभीर स्थिति नहीं है और इस गंभीर स्थिति को देखते हुए क्या सरकार इस समय देर हो जाने पर भी अपने निर्णय पर पुनः विचार करेगी और जांच आरम्भ करेगी।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह सच है कि डा० हिंगोरानी ने कहा है कि कम्पनी के खातों में दिखाई गई 140 लाख अमरीकी डालर की सम्पत्ति की तुलना में 60 लाख अमरीकी डालर मूल्य की सम्पत्ति ही दिखाई गई है। असल में यह इसलिए हुआ है कि उनके अपने अनुमान उपलब्ध रिकार्ड पर निर्भर हैं। परन्तु कुछ रिकार्ड जो अन्तर्राष्ट्रीय प्राधिकारियों के पास थे उन्हें नहीं मिले। इसलिए उसमें समस्त सम्पत्ति एवं मशीनरी दिखाई गयी है। यही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूल्यांकन कर्त्ता को भेजा गया था। उसने इनका अनुमान लगाया तथा उसने भी कहा

कि सारी सम्पति लगभग 160 लाख डालर मूल्य की है और इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। खैर, रिजर्व बैंक इन सभी पहलुओं की जांच करने जा रहा है—और हम उनसे कुछ भी नहीं छिपायेंगे तथा बैंक को भी कहा गया है कि वह यह पता लगाये। यहां तक कि बैंक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से वहां गये और उन्होंने परिसम्पत्ति का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार इसमें कोई धोखेबाजी नहीं है। रिजर्व बैंक भी इन सभी पहलुओं की जांच कर रहा है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : पिछले सत्र में हमने रुपये के रूप में ऋण मेलों को देखा था, परन्तु इस सत्र में हम विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण मेलों को देख रहे हैं **(व्यवधान)** मैसर्स पी० टी० फाइव स्टार इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लगभग 150 लाख डालर विदेशी मुद्रा के रूप में दिए गए। यहां तक कि आपने अपने विवरण में स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार यद्यपि कम्पनी अपनी लगभग पूरी क्षमता से कार्य कर रही है और नकदी के रूप में उसे अधिशेष भी प्राप्त होने लग गए हैं लेकिन आय इतनी नहीं है कि उससे ऋणों का परिशोधन किया जा सके। और लाभ दिखाया जा सके। मेरा प्रश्न है—कि क्या बैंक, परियोजना रिपोर्ट की जांच करके, उसकी व्यवहार्यता को देखकर ही ऋण दे रहे हैं कि क्या यह लाभकारी हैं या नहीं; क्या बैंकों ने उधार दिया है? क्या आप सभी प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करने के उपरान्त ही ऋण देते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है—कि मैं समझता हूं कि बाम्बे डाइंग के अध्यक्ष श्री नूसली वाडिया को राजनीतिक आशिवाद प्राप्त हैं जहां तक भारतीय राजनीति का सम्बन्ध है उन्हें राजनीतिक आड़ प्राप्त है। क्या वह बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए राजनीतिक छल का सहारा लेते हैं?

श्री जनार्दन पुजारी : मूल्य निर्धारण करते समय कम्पनी की व्यवहार्यता आर्थिक रूप से व्यवहार्यता जैसे सभी पहलुओं की जांच की जाती है तथा जब यह पता कर लिया जाता है कि यह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है तो केवल तभी कम्पनी को ऋण की मंजूरी दी जाती है। जहां तक छल की बात है, किसी को भी चाहे राजनीतिक आड़ या कुछ और प्राप्त हो लेकिन इसको उपयोग की यहां अनुमति नहीं है। जहां तक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है मैं यह एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, और हम इस संबंध में बहुत कठोर रहे हैं तथा हमारी पिछली और हाल की कार्यवाहियों से यह एकदम साफ है कि इस देश में किसी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है।

डा० चिन्ता मोहन : जब मैंने इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया था तो यह वायदा किया गया था कि यदि ऐसा होता है तो इसकी जांच की जाएगी। यह एक सुस्पष्ट मामला है। इसमें 60 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी शामिल है। भारत में लोग बैंक से 10,000 रुपये भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। परन्तु इंडोनेशिया में लोग 60 करोड़ रुपये तक पा लेते हैं—यद्यपि वे छ: वर्षों में 6 लाख रुपये भी वापस नहीं दे सकते हैं। क्या आप इस पर जांच बैठायेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : इसे जांच आयोग अधिनियम के तहत न करें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य द्वारा जाहिर की गयी चिन्ता में शामिल हूं। धन्यवाद।

जहां तक जांच की बात है कड़ाई से छान बीन की जा रही हैं। यदि इस बात का कोई प्रथम दृष्ट या सबूत मिलेगा कि इसमें कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से हम जांच का आदेश देंगे।

श्री सुरेश कुरूप : क्या यह सच है कि चाहे यह स्पष्ट क्यों न हो जाए कि यह उद्योग विशेष काफी हानि उठा रहा है और वे अपने पहले ऋण को चुकाने में भी असमर्थ हैं फिर भी इण्डियन ओवरसीज बैंक ने दो गुणी राशि ऋण के रूप में दी है ? बैंक ने इस प्रकार अप्रत्याशित निर्णय क्यों लिया मजबूर हुआ ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी ? बैंक को पुनः इस तरह ऋण देने की आवश्यकता क्यों हुई वह भी दो गुणा ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैंने कारण बता दिये हैं। बैंकों ने भी कारण दिये है कि क्यों……

श्री सुरेश कुरूप : दूसरे ऋण के लिए।

श्री जनार्दन पुजारी : कुछ कारण दिये जा चुके हैं और अपने मुख्य उत्तर में मैं उन्हें पढ़ भी चुका हूं और अब मैं उन्हें यह बता रहा हूं… (**व्यवधान**) कारणों के लिए, यदि आप उसे पढ़े जो मैं कह चुका हूं, तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है……(**व्यवधान**)।

श्री सुरेश कुरूप : प्रथम ऋण। पुनः ऋण दिये गए थे। उन्हें दो बार ऋण दिया गया था।

श्री जनार्दन पुजारी : हम उसकी जांच करेंगे।

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : हम इसका पता लगायेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप क्या पता लगायेंगे ? (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक मिनट। मैं उनका उत्तर दे रहा हूं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस बात का पता लगाया जाएगा—दूसरा ऋण क्यों दिया गया और किन परिस्थितियों में दिया गया। मैं कह रहा हूं कि हम इसका पता लगायेंगे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को जारी किए गए मार्ग निर्देश

*62. **श्री ओ० एस० बसवराजु** + :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सभी 123 मिलों को जुलाई तथा

सितम्बर में प्रमुख मार्ग निदेश जारी किए कि वह अपने नदक घाटों को अप्रैल, 1987 तक पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कदम उठाए :

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए मार्ग निदेशों का ब्यौरा क्या है।

(ग) उपर्युक्त मिलें अपने घाटों को समाप्त करने में किस सीमा तक सफल रही है :

(घ) क्या इन मार्ग निदेशों को जारी किए जाने के पश्चात् राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में हुए सुधारों का कोई ब्यौरा प्राप्त हुआ है, और

(ङ) उपर्युक्त कपड़ा मिलों में सुधार के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) : एक बितरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) संघ सरकार द्वारा नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की सभी मिलों को कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। तथापि, मंत्रालय में जुलाई, 1986 तथा सितम्बर 1986 में हुई समीक्षा बैठकों में एन टी सी की सहायक निगमों के घाटे कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) : नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि सितम्बर, 1986 में हुए नकद घाटे 2.44 करोड़ रु० थे जो कि मई 1986 के दौरान हुए घाटों की अपेक्षा कम थे। इसी प्रकार, सितम्बर, 1986 में कपड़े तथा बाजार यार्न का उत्पादन क्रमशः 6.66 मिलियन मीटर तथा 12.87 लाख कि०ग्रा० रहा जो कि मई 1986 में कपड़े तथा बाजार यार्न के उत्पादन की अपेक्षा अधिक था।

श्री सी० एस० बसवराजू : मैं माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से सन्तुष्ट नहीं हूं। प्रश्न यह है कि क्या अनेक कपड़ा मिल गत 4 या 5 वर्षों से लगातार घाटे पर चल रही हैं। इसके बारे में मैं यह जानना चाहता हूं राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को कुल कितना घाटा हुआ है, यह घाटा उन्हें कब तक होता रहा, इस घाटे में क्या मुख्य कारण थे और राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उस संदर्भ में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, जैसा कि सभा को पता है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना का उद्देश्य सरकार द्वारा अधिगृहीत रुग्ण मित्रों के मामलों का प्रबंध करना है। अब तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम को लगभग 800 करोड़ रुपये की संचित नकद का घाटा हो चुका हैं। इस संगठन की स्थापना 1968 में की गई थी। नकद घाटे को कम करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किये हैं। स्थिति का जायजा बरावर लिया जाता रहा है और सभा को सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि गत तीन वर्षों के दौरान नकद राशि के घाटे को कम करने में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

छः महीने पहले संगठन में यथा कड़े अनुदेशों का पालन करने, पर्याप्त पर्यवेक्षण और निगरानी करने के परिणाम स्वरूप गत छः महीनों के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये का नकदी घाटा प्रत्येक माह कम होता गया है और यह सुझाव बना हुआ है। सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम का नकदी घाटा करने का सतत प्रयास कर रही है किन्तु सरकार को ऐसे अनेक कारणों का मुकाबला करना पड़ रहा है जिनपर राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कोई नियन्त्रण नहीं है। घाटे के कारण हैं—पुरानी और बेकार मशीनरी, श्रमकों की बहुलता, राज्य सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते आदि की तदर्थ घोषणा किये जाने के कारण वेतन का बढ़ाना, बिजली की कमी और कम बिजली सप्लाई की समस्या, बिजली की दरों में वृद्धि होना, रुई के मूल्य का प्रभाव, कपड़ा उद्योग में बाजार का मंदा होना, हड़ताल तथा अशांत कार्यकारी स्थितियों और मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए धन की कमी होना। हम इन सभी मोर्चों पर कार्यवाही करने पर जुटे हुए हैं।

श्री सी० एस० बसवराजू : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम का भारी भण्डार, लगभग सारा का सारा भण्डार भारत भर की राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों पर पड़ा हुआ है। और क्या इस बात की छान बीन की गई है कि इतना सारा भण्डार शो रूमों में क्यों पड़ा हुआ है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार कपड़ा उद्योग के कार्य निष्पादन का विकास करने के लिए कदम उठाने का है और क्या कपड़ा उद्योग को संकट से उबारने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा किये गये उपायों को पूरा करने के लिए निरंतर प्राप्त होने वाले धन की व्यवस्था कर ली गई है और यदि हां, तो उसके लिये कितना समय अपेक्षित है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों पर लगभग 140 लाख मीटर कपड़े का भण्डार है जिसका मूल्य 19 करोड़ रुपया है। कम्पनी का कार्य संचालन का जो दायरा है उसके आधार पर इतना भण्डार बहुत अधिक नहीं समझा जा सकता है।

भण्डार का निपटारा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं। बिक्री सम्वर्धन, प्रोत्साहन योजनायें, छूट, प्रशिक्षण कार्यक्रम जिससे कि शो रूम के कर्मचारी अधिक कुशलता पूर्वक कार्य कर सकें, व्यापक प्रचार, प्रदर्शनी आदि।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अध्यक्ष का पद बड़ा ही आकर्षक और लाभप्रद है।

अब मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन घाटों के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल की गई थी, क्या कोई व्यक्ति दोषी पाया गया, क्या सरकार ने उन्हें दण्ड दिया है और क्या सरकार ने कुछ श्रमिकों की छटनी की है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार द्वारा कोई निदेश जारी नहीं किए गए हैं। जब इन कम्पनियों को 800 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ है तो कोई निदेश क्यों नहीं जारी किए गए? क्या इसमें मिलों को लाभकारी बनाने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को

जो घाटा हुआ है, वह ढांचे के कारण है और उसका एक लम्बा इतिहास है। निश्चित रूप से उसे रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करने को कहा गया था।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में कुप्रबन्ध और बेइमानी की ओर सरकार ध्यान देती है। अनेक बार अनेक अधिकारियों को बर्खास्त किया गया है, अनेक अधिकारियों की छान-बीन गुप्तचर विभाग द्वारा की जा रही है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। मेरे पास ऐसे अधिकारियों की सूची है जिन्हें या तो निलम्बित कर दिया गया था या उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले या तो सेवा से निकाल दिया गया था और उसके बाद उनके विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा जांच-पड़ताल लम्बित पड़ी है। हमने घाटों के कारण बता दिये हैं। हमने कम्पनी के कार्यकरण में सुधार के लिए अनेक कदम उठाएं हैं। मेरे पास उठाये गए ऐसे 15 प्रमुख कदमों की सूची है। हमने सुलभ जैसा लाभदायक उत्पादन आरम्भ कर दिया हैं। हमने श्रम औचित्य योजना जारी रखी है जिसके अन्तर्गत गत कुछ वर्षों के अन्तर्गत व्यक्ति हथ-करघा अनुपात और व्यक्ति-करघा अनुपात पर्याप्त घटा दिया गया है। हानिकारक गतिविधियां को समाप्त करने पर जोर दिया जा रहा, ईंधन की पर्याप्त बचत करने के लिए पुराने बायलर बदले जा रहे हैं, चुनीदा आधुनीकिकरण प्रस्ताव कार्यान्वित किये जा रहे हैं, रक्षित बिजली पैदा करने वाले यन्त्र लगाये जा रहे हैं, इत्यादि, इत्यादि।

हम लोग इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी हो। यह सच नहीं है कि इससे पहले हमने अनुदेश जारी नहीं किये हैं। अनुदेश हमेशा ही जारी किए जाते रहे हैं और यह प्रवृति जारी है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सरकार द्वारा पैकेज उपाय किए जा रहे हैं, अतः गत तीन वर्षों में विशेषकर गत छः महीनों में कम्पनी को कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है। मेरे पास इस समय वित्तीय और प्रचालन आंकड़े उपलब्ध हैं समय की बचत के लिए मैं उन्हें पढ़ना नहीं चाहता हूं।

डा० गौरीशंकर राजहंस : क्या सरकार को पता है कि इनमें से कुछ मिल ऐसी हैं, जो अपने जीवन काल में कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकती और यदि हां तो क्या सरकार इनके बारे में कोई कठोर निर्णय लेने को तैयार है जिससे ये मिल राष्ट्रीय. मुद्राकोष के लिए परजीवी न बन सकें ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : गत वर्ष जून में संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय कपड़ा नीति में इस सम्बन्ध में सरकार का मन्तव्य स्पष्ट कर दिया गया है। अर्थात् ऐसी मिलें जो लाभ में नहीं चल सकती हैं और जिनसे देश के संसाधनों में निरन्तर घाटा होता है, उन्हें बंद किया जा सकता है जिससे कि वे राजकोष का अपव्यय न कर सकें। राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध में लायी गयी 125 मिलों में से प्रत्येक के चल पाने के बारे में निगम तथा सरकार ने पता लगाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किये हैं। उनके चल पाने की स्थिति के अनुसार उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है। किन्तु किसी मिल को बंद करने के बारे में हमने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया हैं। इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

श्री वासुदेव आचार्य : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम में लगभग 25,000 श्रमिकों की छटनी की जा रही है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं। उन्होंने पहले कहा है कि राष्ट्रीय कपड़ा नीति लागू की जा रही है और कुछ कपड़ा मिलों को बंद किया जा रहा है। यह बात भी कही गई है कि इन मिलों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।

क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार इनमें से किन किन मिलों को बंद करने का है और क्या 25,000 श्रमिकों की छटनी की जाएगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार : राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध में चलने वाले मिलों में 10 से 15 प्रतिशत श्रमिक फालतू हैं। कुल नकद हानि की लगभग 30 प्रतिशत हानि इसी कारण हो रही है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हुए 177 करोड़ रुपये के घाटे में से······ (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : सच तो सच है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : अधिक श्रमकों के कारण 1985-86 में लगभग 25 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। स्वतन्त्र अध्ययन किए जाने पर यह बात सही पाई गई है। समुचित प्रबन्ध करके हम किसी हद तक इन मिलों की कार्य कुशलता सुधार सके हैं। 25,000 श्रमिकों को जो कि कुल संख्या है और यह संख्या उन कमजोर और न-चलने योग्य मिलों के श्रमिकों की संख्या के अनुरूप नहीं है, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा था, तत्काल अलग करने अथवा बर्खास्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सरकार ने किसी भी मिल को बंद करने के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। समय समय पर मिलों में चलते रहने की सम्भावना में परिवर्तन होता रहता है।···(व्यवधान) और इसलिए इस समय ऐसे मिलों की कोई सूची नहीं देना चाहते हैं जिनके चलने की संभावना नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बीच में मत बोलिए।

डॉ० दत्ता सामंत : प्रबंधक शोषण कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया डॉ० दत्ता सामंत को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक को अनुमति नहीं दे सकता हूं। मैं 540 सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

डा० दत्ता सामंत : बम्बई में 26 मिलें हैं। आपने 26,000 श्रमिक निकाल दिये हैं······ (व्यवधान)।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह महसूस करना चाहिए कि मुझे 540 सदस्यों को सन्तुष्ट करना होता है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मैं हर रोज आपसे अनुमति पाने की चेष्टा करता हूं। आप कुछ ही सदस्यों को बोलने की अनुमति देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कह सकते हैं ? आप गलत कह रहे हैं। मेरे विचार में जो सही है, मैं वही कर रहा हूं।

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : सबसे अधिक नुकसान मुझे हो रहा है।

बम्बई में 26 मिलें हैं। 56 प्र०श० राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन है। लगभग 800 करोड़ की हानि है। रुगणता के कारण 15 करोड़ बैंक का धन इनमें अन्तर्ग्रस्त है। कपड़ा मिल मालिक सब कुछ हजम कर चुके हैं और उन्होंने आपको गम्भीर चेतावनी दे दी है। पुनः सरकार पूरे मामले को देख रही है।

इन सब बातों का ध्यान करते हुए क्या आप उन लोगों को जिन्होंने मिलों में रुगण बनाया है अथवा उन लोगों में जो मिलों को सगा बनाने वाले हैं, दण्ड दे रहे हैं। मैं सभा को पूरा ब्यौरा दे चुका हूं। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं। आप उन्हें आसान शर्तों पर 700 करोड़ रुपये का ऋण दे रहे हैं। इस कपड़ा नीति से सरकार पूरे देश की केवल 100 मिलों को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार की इन नीतियों के कारण बम्बई में 60,000 श्रमिक दिल्ली में 1 लाख श्रमिक और हर जगह श्रमिकों में निकाला जा रहा है।

इसलिए मैं सरकार से स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि क्या सरकार यह बात अब सुनिश्चित करेगी कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो जबकि मिल मालिक रुपया पहले ही हजम कर चुके हैं और इस समय प्रबन्ध शिथिल है ? श्रमिकों को न निकाला जाये, जिनका कोई कसूर नहीं है और आधुनिकीकरण से उत्पादन और बढ़ाना चाहिए। क्या आप श्रमिकों के हितों की रक्षा करेंगे ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, मैंने कभी नहीं कहा है कि आई० टी० सी० में घाटा श्रमिकों की गलतियों के कारण हुआ है। मैं केवल आई० टी० सी० में हुए घाटे के प्रतिशत की बात कर रहा था जो कर्मचारियों की अधिकता होने की वजह से हो रहा है। युक्तिसंगत बनाने की योजना के पीछे हमारा यह तर्क है। वस्त्र उद्योग में संयंत्र और मशीनों के लिए बनाए गए आधुनिकी करण कोष' की बजट को सहायता मिलेगी तथा आई० डी० बी० आई० और आई० एफ० सी० आई० द्वारा मिलों को वित्तीय सहायता भी स्वीकृत परियोजना प्रतिवेदनों के आधार पर प्रत्येक मामले को देखते हुए दी जायेगी। इसमें श्रमिकों को भागीदारी कुछ सीमा तक होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस धन का उपयोग ठीक तरह से उस उद्देश्य के लिए हो जिसके लिए यह धन दिया गया है। श्रमिकों के हितों की रक्षा को जायेगी जैसा कि संसद द्वारा स्वीकृत नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है। (व्यवधान)

शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना

+

*63. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** :

श्री शान्ति धारीवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "शहरी निर्धन व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार योजना" नामक एक नई बैंक ऋण योजना शुरू की है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले व्यक्तियों की श्रेणी और उनकी संख्या, वसूली के तरीके तथा इस संबंध में बैंकों को दिए गए मार्ग निर्देश क्या है।

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है।

(घ) उक्त योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और उनमें से कितने प्रार्थियों को सितम्बर, 1986 तक, ऋण मंजूर किए गए ;

(ङ) क्या इस योजना के ऋण आवेदन-फार्मों के वितरण में कालाबाजारी और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं और

(च) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) : सितम्बर 1986 से शहरी गरीबों के लिए एक स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि 600 रुपये प्रति मास से कम आय वाले शहरी परिवारों को उदार शर्तों पर ऋण सहायता दी जा सके। यह कार्यक्रम 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले सभी नगरों और कस्बों तथा उन नगरों और कस्बों पर लागू होगा जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते। इस कार्यक्रम के अधीन, जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, चुने गये हिताधिकारियों को प्रति परिवार 5,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केन्द्रीय सरकार सहायता के 25 प्रतिशत की दर से सब्सिडी की व्यवस्था करेगी। सब्सिडी की राशि वित्तपोषक बैंक के पास सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी जो ऋणकर्ता द्वारा मूलधन के 75 प्रतिशत की वापसी अदायगी (10 प्रतिशत ब्याज सहित) के बाद समायोजित कर दी जाएगी। ऋण की वापसी अदायगी तीन महीनों की प्रारम्भिक रियायती अवधि सहित 36 महीनों में की जाएगी। अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों से इस कार्यक्रम के अधीन 200 करोड़ रुपये के ऋण दिए जाएंगे और इससे 5 लाख हिताधिकारियों को लाभ पहुंचेगा।

(घ) यह योजना सितम्बर, 1986 से शुरू की गयी है इसलिए इसके अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या और सितम्बर 1986 तक मंजूर किये गए ऋणों की संख्या के आंकड़े देना समयपूर्व होगा क्योंकि महानगरीय, शहरी और अर्ध शहरी केन्द्र देशभर में फैले हुए हैं।

(ङ) और (च) : इस कार्यक्रम के संबंध में ऋण आवेदन पत्रों की मांग देश के कुछ हिस्सों में बहुत रही है लेकिन बैंक ऋण फार्मों की कालाबाजारी के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मैं योजना का स्वागत करता हूं। परन्तु मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या योजना को लागू करने में कोई त्रुटियां हैं। सरकार ने इस योजना की दो या तीन दिन पहले 1 सितम्बर को घोषणा की है। सरकार ने आवेदन पत्रों को देने के लिए बहुत कम समय दिया है। क्या सरकार को मालूम है कि इन आवेदन पत्रों को पाने के लिए स्त्री-पुरुषों की भीड़ अभूतपूर्व थी। कई स्थानों पर 'लाठी चार्ज' हुआ था। बेंकों के प्रबन्धकों का घेराव किया गया था। फार्मों की बिक्री में कालाबाजारी हुई थी। मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने ऐसी बातें फिर से न हों इसके लिए क्या कदम उठाये हैं। साथ ही मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इतना कम समय क्यों दिया गया था। निःसन्देह मैं जानता हूँ कि सरकार को योजना को लागू करने की बड़ी तमन्ना थी। लेकिन योजना के लिए केवल दो से तीन दिन का समय ही क्यों दिया गया था। आवेदन पत्र उनको दिया गया जो राशन कार्ड साथ लाये थे। मुझे मालूम है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र, बंगलौर में, बहुत से लोग तथा स्त्रियां भी आधी रात खुले में आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए सोई थीं। क्या सरकार को हमारे अभागे भाइयों और बहनों की जिन्हें ऋण दिया जा रहा है, इस प्रकार से सहायता करनी चाहिए। ऐसी बात भविष्य में फिर से न हो सके इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यह सत्य है कि इस योजना की मांग बहुत अधिक है। वास्तव में जहा इसकी मांग थी सरकार में आवेदन पत्र जारी किये हैं। विशेषकर कुछ केन्द्रों में कोई मांग नहीं थी। उदाहरण के तौर पर बम्बई में व्यवहारिक रूप से कोई मांग नहीं थी। लगभग 26,000 के लक्ष्य के हिसाब से हमें बिल्कुल भी पर्याप्त रूप से आवेदक नहीं मिले दिल्ली में हमें जरूरत से अधिक मिले और बहुत अधिक मांग थी फिर भी इनके लिए जहां कहीं भी मांग होगी हम सुनिश्चित करेंगे कि पर्याप्त मात्रा में आवेदन पत्र जारी किये जायें। यही नहीं। अभी तक आवेदन पत्रों के जारी करने के सम्बन्ध में हमें भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई दृष्टांत हों तो वह उन्हें हमें दे दे। हम अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ऋण जारी करने के लिए राष्ट्रीयकृत बेंकों का क्यों प्रयोग कर रही है। वह ऋणों को शहरी सरकारी बेंकों के माध्यम से क्यों नहीं दिलवाती। आपको मालूम है कि ये लगभग सभी राजधानी शहरों में अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गरीब लोगों को सबसे पहले ऋण देना शुरू किया था। राष्ट्रीयकृत बेंकों से भी पहले इसने इसके बारे में सोचा था तथा गरीबों को ऋण दिया था। एक और बात जो मैं जानना चाहूंगा वह परिवार की परिभाषा के बारे में है। ऋण लेने के लिए सीमा 600 रुपये की है। अगर पिता को 600 रुपये मिलते हैं तो उसका बेरोजगार पुत्र ऋण नहीं ले सकता। अतः 'परिवार' को इस विशेष संदर्भ में परिभाषित करना आवश्यक है। एक बात और भी है अर्थात् आप हिताधिकारियों से मकान मालिक की सहमति प्राप्त करने के लिए कहते हैं। आप जानते हैं कि उनमें से अधिकतर पटरियों, जीनों, तथा प्लेटफार्मों आदि पर रहते हैं। अतः उन्हें ऐसे प्रमाण पत्र के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, केवल राशन कार्ड मांगा जाता है और मकान मालिक की

अनुमति बिल्कुल नहीं मांगी जाती है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। जहां तक आय सीमा का सम्बन्ध है, यह योजना गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए है। योजना आयोग के अनुसार, शहरी क्षेत्र में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की आय 7200/- रुपये प्रति वर्ष निश्चित की गई है। अतः जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं उनको सम्मिलित करने के लिए हमने आय 7200/- रुपये प्रति वर्ष निश्चित की है। देखें यह योजना कैसी चलती है। अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी तो हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल में पूछा गया था कि किन नार्मस पर आदमियों का चयन किया जाएगा। मंत्री महोदय ने मोटे तौर पर बताया कि 600 रुपये से कम की आमदनी वालों को इसमें लोन दिया जाएगा। यह ठीक है कि आप 600 रुपये मासिक से कम आमदनी वालों को लोन देंगे, लेकिन अगर किसी बैंक शाखा के लिए आपने 20 लोगों को लोन देने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया और वहां पर 100 लोगों के आवेदन पत्र आ गये और सभी 600 रुपए से कम की आमदनी वाले हों तो फिर इसके नार्मस क्या होंगे। क्या आप इस बात को बैंक मैनेजरों पर छोड़ देंगे कि वह स्वयं तय करे या जनप्रतिनिधियों की भी इसमें राय ली जाएगी, इसके लिए क्या नार्मस बनाए गए हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : यह सही है कि इस योजना की मांग है और जब अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होंगे तो हमें पहले उन लोगों का पता लगाना होगा जो इस कार्यक्रम के पात्र हैं। यह भी सही है कि हम सारी जनता को एक साथ इस योजना के लिए सम्मिलित नहीं कर सकते। हमें धीरे-धीरे काम करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अधिक लोगों को इसमें शामिल करना होगा। 31-3-1987 तक हमें लगभग 200 करोड़ रुपए देकर पांच लाख लोगों को सम्मिलित करना है। हमें देखना होगा कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आती और हम माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित पहलू पर भी गौर करेंगे।

श्री एम रघुमा रेड्डी : यह एक बहुत ही अच्छी योजना है और इसके लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। लेकिन मुझे संदेह है कि इस योजना को सही मायनों में लागू किया जाएगा। ग्रामोद्योगों की योजना के मामले में, गांवों में बैंक ऋण नहीं दे पा रहे हैं। यही हाल 'मोडिफाइड एरिया डेवलपमेंट एजेन्सी' और 'आई० आर० डी० पी०' का है। सरकारी सहायता की राशि बैंकों में, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा ग्रामीण और वाणिज्यिक बैंकों में जमा करायी जा रही है और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऋण नहीं दिया जा रहा है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कुछ ग्रामीण बैंकों का दौरा किया है और उन्होंने बैंकों के खराब कार्य के कारण ऋण देने से इंकार कर दिया। क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि वह इस बात की गारंटी देंगे कि ये राष्ट्रीयकृत बैंक भावी हितकारियों को ऋण उपलब्ध करायेंगे ? अथवा क्या आप भावी हिताधिकारियों को बैंकों में भटकने देंगे तथा कुछ बिचौलियों को बीच में लाकर स्थिति का लाभ उठाने देंगे ? मंत्री महोदय इन

सब मामलों पर क्या कार्यवाही भरने जा रहे हैं ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : जिस ग्रामोद्योग कार्यक्रम का जिक्र उन्होंने किया है उसके बारे में मुझे नहीं मालूम क्या वह शिक्षित बेरोजगारों की योजना का जिक्र कर रहे हैं। मुझे ग्रामोद्योग योजना के बारे में मालूम नहीं है। क्या उनके राज्य ने शिक्षित बेरोजगारों की योजना को इसी तरह का कोई और नाम दिया है। जहां कहीं कमियां हैं, हम उन्हें ठीक कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत रूप से उन पर निगरानी रख रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक में हमने इस मामले को उठाया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हिताधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह मारा-मारा न फिरना पड़े। यही नहीं, हम यह भी देखेंगे कि बेहतर ग्राहक सेवा, विशेषकर कमजोर वर्गों को, प्रदान की जाए तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यक्रम ठीक प्रकार से तथा शीघ्रता लागू हो।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के भाग (ङ) के बारे में है। आप इस भाग (ङ) को पुनः पढ़ सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है—जो कालाबाजारी से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या उन्होंने बंगलौर से प्रकाशित 21 अक्तूबर के 'इकनामिक्स टाइम्स' समाचार पत्र को पढ़ा है, जिसमें 'लोन मेला एपलिकेशनस आन ब्लैक मार्किट कांग्रेस आइ० मैंन कारनर वन-थर्ड" ("लोन मेला आवेदन पत्रों की कालाबाजारी—कांग्रेस आई के लोगों ने एक तिहाई हथियाये") शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान) यह मैंने नहीं कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। आप ऐसा क्यों कर रहे है ? मंत्री जी उत्तर देंगे। आपको उत्तर देने की क्या जरूरत है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेहरबानी करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मंत्री महोदय को जबाब देने दीजिए, आप ही चर्चा करते रहने का जिम्मा मत लीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रसंगवश मैं आपसे निवेदन कर दूं कि मैं न तो 'इकोनॉमिक टाईम्स' का सम्पादक हूं, न ही मुद्रक और न ही प्रकाशक हूं।

श्री टी० बशीर , आपकी भूमिका क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी भूमिका एक जागरुक पाठक की है।

बंगलौर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र इकोनामिक टाईम्स में छापे इस विशेष समाचार के आधार पर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि 13 करोड़ रुपए के ऋण हेतु 100,000 आवेदन पत्र आये थे जो दो अलग-अलग समारोहों में बांटे जाने थे और ये बहुत पावन समारोह थे और श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूसरी बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित किये गए थे, समझा जाता है कि इन 100,000 आवेदन पत्रों में से 30,000 आवेदन पत्र काले बाजार में बेचे गए। यह भी सूचना मिली है कि यदि आवेदन पत्रों पर बहुत सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अंकित चिन्ह···(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप इसके बारे में इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ? मेहरबानी करके बैठ जाइसे। वे बतायेंगे कि सच्चाई क्या है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय इस विभाग में कोई परिवर्तन किया गया है। या तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या श्री पुजारी को जवाब देना होगा।

कुमारी ममता बनर्जी : हम इस विषय पर पूरी चर्चा चाहते हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं बंगलौर का उल्लेख कर रहा हूं, बंगाल का नहीं।···**व्यवधान**··· अतः इसके बारे में आगे जानकारी यह है कि उन आवेदन पत्रों को जिन पर एक विशेष चिन्ह अंकित था उनको अधिक विश्वसनीय माना गया है और उन पर अधिक सोच विचार किया जाएगा मैं जो बात पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या यह जानकारी सही है।

श्री जनार्दन पुजारी : यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य महोदय का आभारी हूं। देशभर में हमें विभिन्न राज्यों से सूचनायें मिल रही है—कभी पश्चिमी बंगाल से, कभी कांग्रेस शासित प्रदेशों से और कभी विपक्ष शासित राज्यों से। मैं एक उदाहरण देता हूं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में वे कहते हैं कि उनकी पहचान कांग्रेस पार्टी के नाम से करते हैं, पश्चिम बंगाल में लोगों को यह शिकायत है कि उनकी पार्टी के लोग उनकी पहचान···**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमने ऋण मेलों पर आपत्ति की थी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हो रही हैं। राजनैतिक दलों या सामाजिक संगठनों से सम्बन्धित लोगों सहित देश के किसी भी नागरिकों द्वारा बैंक का आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अपराध नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति बैंक को आवेदन पत्र भेज कर लोगों की सेवा करना चाहता हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं हम ऐसे लोगों की सराहना करते हैं चाहे वे कांग्रेस दल के हैं या जनता या कम्युनिस्ट दल के या किसी के भी हों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम इस बात की सराहना करते हैं। मैं जो निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि छंटनी तथा निर्णय लेने का कार्य बैंक वालों का हैं। आवेदन पत्र देना एक जुर्म नहीं है परन्तु अन्ततः उस पर निर्णय बैंक को लेना है तथा यह केवल बैंक वालों द्वारा किया जाना है। इस आरोप पर आते हुए कि लगभग 20 हजार लोगों को आवेदन पत्र दिये गए जब कि एक लाख लोगों को ऋण दिया जाना था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों सहित जनता के लोगों ने आवेदन पत्र दिए परन्तु मुझे अभी तक यह कोई शिकायत नहीं मिली है कि वहां भ्रष्टाचार था। वास्तव में जब सामाजिक कार्यकर्त्ता या मेरे सहित इस देश का कोई भी नागरिक किसी उस गरीब व्यक्ति की सहायता करता है जो अज्ञान है तथा जिसे आवेदन पत्र देने का पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो यह स्वागत योग्य कार्य है। यदि कांग्रेस के कार्य कर्त्ताओं ने उनकी सहायता की है तो मैं इस बात का स्वागत करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उस पर आ रहा हूं । महोदय, पहले जब श्री कृष्ण अय्यर माननीय संसद सदस्य ने जो बंगलौर से आये हैं, मुझे बताया कि वहां कुछ कठिनाई है तो मैंने फौरन बैंक अधिकारियों को फटकारा तथा उनसे कहा यह कार्य दलगत सम्बन्धों से हटकर है चाहे वह जनता पार्टी से है या कांग्रेस पार्टी का सदस्य है । आवेदन पत्रों की छंटनी की जानी है और निर्णय बैंक वालों के हाथ में है ।

अब मैं आरोप पर आता हूं यह सच है कि 31 अक्तूबर, 1986 को हमने निर्देश दिया था कि एक लाख लोगों की पहचान की जानी है तथा ऋण दिया जाना है क्योंकि यह इन्दिरा जी की बरसी थी । उन्होंने कमजोर तबकों के लिए संघर्ष किया था । उस दिन उनको श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए हम कर्नाटक के विशेषतौर पर बंगलौर के कमजोर वर्ग के एक लाख लोगों की सहायता करना चाहते थे । लोगों ने आवेदन पत्र दिये थे तथा बैंक परिसर के आगे ऋण मेला लगा था । मुझे कोई शिकायत नहीं मिली है । जिन लोगों को ऋण मिला है मैंने उनसे पूछताछ की है और स्वतन्त्र रूप से भी जांच पड़ताल की है । सभी ने यह कहा है कि उन्हें किसी भी कार्य के लिए एक भी पैसा नहीं दिया । जनता तथा कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं सहित यह स्वैच्छिक तौर पर की गई सेवा है । यह स्थिति है ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या उन्होंने इस रिपोर्ट का खण्डन किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने रिपोर्ट का खण्डन ही किया है ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मुझे भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं मिली है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इससे अधिक और क्या चाहते हैं ? उनका कहना है कि यह गलत बात है। इस बारे में वे इससे अधिक कुछ नहीं कह सकते ।

प्रो० मधु दंडवते : तो सभा में मेरे द्वारा इस मामले का उठाये जाने से पहले उन्होंने इसका खण्डन क्यों नहीं किया ? क्या सरकार बैंकों की विश्वसनीयता नहीं बनाये रखना चाहती ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है । आप क्या कह रहे हैं, मुझे दोनों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : जब तक मैंने सभा में यह प्रश्न पूछा, उन्होंने इसका खण्डन क्यों नहीं किया ? क्या वे बैंकों की विश्वसनीयता खोना चाहते हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसे नहीं मानता। उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : संसद के बाहर तथा बंगलौर में भी सार्वजनिक सभाओं में मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष शिकायत है तो वे मुझे भेज सकते हैं और मैं कार्यवाही करूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवधान मत डालिए।

प्रो० मधु दंडवते : आप मुझे संरक्षण दें। मैं यह सभापटल पर रखना चाहता हूं······ **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं। यह पहले ही छाप चुका है। इस बारे में आप इससे अधिक क्या कर सकते हैं?···समाचार पत्रों में कई रिपोर्टें आती हैं। आप इन सब बातों पर कैसे लगे रह सकते हैं। वे पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं। श्री भोई।

(व्यवधान)

डा० कृपा सिन्धु भोई : पंचायत और पंचायत समितियों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए लोगों को इसी प्रकार ऋण बांटे जा रहे हैं। और यह ऋण शहरी गरीब लोगों के लिए है जैसा कि उत्तर में इंगित किया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का क्या होगा जहां की जनसंख्या 10,000 से कम है? यह ऋण शहरों तथा कस्बों में रहने वालों के लिए है जहां की जनसंख्या 10 हजार से अधिक है।

श्री जनार्दन पुजारी : ग्रामीण लोगों के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं, जिसके अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारियों अर्थात राज्य सरकार द्वारा निर्धन ग्रामीणों की पहचान की जाती है। हमारा एक अन्य कार्यक्रम विभेदक ब्याज की दर वाला है जिसमें ब्याज की दर चार प्रतिशत है। इसके अन्तर्गत 6500 रुपये का सम्पूर्ण ऋण दिया जाता है और इस पर किसी किस्म की प्रति भूति अथवा जमानत देने की आवश्यकता नहीं है सिवाय पैदा की गई सम्पत्ति पर।

श्री मुरली देवरा : मैं सरकार को पहली बार शहरी निर्धनों के लिए बजट की घोषणा करने पर बधाई देना चाहता हूं। यह बजट पेश करने के छः माह पश्चात सितम्बर से प्रारम्भ किया गया। इसका लक्ष्य 200 करोड़ रुपये से पांच लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने का है और इसकी कसौटी इन शहरी परिवारों के लिए 600 रुपयों की आय है। मंत्री जी ने अभी कहा है कि बम्बई में इस कार्यक्रम से लाभ उठाने के लिए अधिक आवेदन नहीं आए हैं। इसका कारण यह है कि मोचियों, रिक्शा चालकों एवं फेरी वालों आदि को अपनी आय 600 रुपयों से कम सिद्ध करना सम्भव नहीं है। अतः मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि शहरी क्षेत्रों के लिए आय की इस उच्चतम सीमा पर पुनः विचार करें और इसे 900 रुपये अथवा 1000 रुपये तक बढ़ायें।

श्री जनार्दन पुजारी : पहले हम इसमें उन लोगों को शामिल करेंगे जिनकी कुल वार्षिक आय 7200 रुपये से कम है। इसके पश्चात हम इन्हें ले सकते हैं।

ब्रिटेन सरकार का प्रत्यर्पण संधि का प्रारूप

***64. श्री शरद दिघे :**

श्री यशवंत राव गडाख पाटिल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन सरकार ने भारत सरकार को प्रत्यर्पण* सन्धि का एक प्रारूप भेजा है;

(ख) यदि हां तो उस प्रारूप का ब्यौरा क्या है और उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्तिम प्रारूप के कब तक तैयार हो जाने की संभावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (के० नटवर सिंह) : (क) जनवरी, 1986 में यू० के० और भारत के बीच सरकारी स्तर पर हुई बातचीत के पहले दौर में भारतीय पक्ष ने यू० के० पक्ष को प्रत्यर्पण संधि का व्यापक मसौदा प्रस्तुत किया। यू० के० अधिकारियों ने अक्तूबर, 1986 में लंदन में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई वार्ता के दूसरे दौर से कुछ समय पूर्व भारतीय पक्ष को इस संधि के भारतीय मसौदे के उत्तर में अपना मसौदा प्रस्तुत किया।

(ख) और (ग) लंदन में बैठक के दौरान दोनों मसौदों पर विचार विमर्श हुआ था। क्षेत्राधिकार के निर्धारण, अपराधों के स्वरूप और अपराधियों को प्राप्त सुरक्षा के प्रश्न पर इस बातचीत से हुए मौलिक मतभेद सामने आए हैं। दोनों देशों के अधिकारी इन पहलुओं की जांच कर रहे हैं और अभी तक कोई अन्तिम निष्कर्ष नहीं निकला है।

श्री शरद दिघे : मैंने अपने प्रश्न के खंड (ख) में पूछा है कि प्रारूपों का ब्यौरा दिया जाये उसके बारे में माननीय मन्त्री द्वारा दिये गए उत्तर में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटेन की सरकार के प्रारूप में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्यार्पण की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारत को प्रथम दृष्टीय एक मामला तैयार करना होगा और दोषी वापस आने से बचने के लिए भी यह प्रयत्न कर सकते हैं कि उनके मामले पर इस देश में निष्पक्ष रूप से विचार नहीं किया जायेगा।

श्री के० नटवरसिंह : महोदय, हमारे प्रारूप एवं उनके प्रारूप में कुछ मूल अन्तर हैं। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। यदि मैं आपको बिस्तार में बताऊं······

श्री शरद दिघे : मैं उनके प्रारूप के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री के० नटवरसिंह : मैंने आपकी बात सुनी है। मैं इस भाषा को अच्छी तरह समझता हूं। मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चर्चायें निरन्तर चल रही हैं। उन्होंने हमें एक

प्रारूप दिया है। उन्होंने अपने प्रारूप को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया है और न ही हमने अपने प्रारूप को जन साधारण के लिए प्रकट किया है। यही कारण है कि मैं इसका विस्तृत वर्णन करने में असमर्थ हूं। हमने पहले भी चर्चा की है तथा हमारी इस पर चर्चा जारी है। जो कुछ उन्होंने कहा है, हम उस पर सहमत नहीं हैं। हम समझते हैं कि जो कुछ उन्होंने देने की पेशकश की है वह स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

श्री शरद दिघे : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है। क्या आप इस समझौते में एक पूर्वव्यापी खण्ड रखे जाने पर जोर दे रहे हैं? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह काफी समय से चल रहा है।

श्री के० नटवरसिंह : महोदय, हम ऐसा कर सकते हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कुछ हद तक सीमा का उल्लेख किया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं माननीय मंत्री से एक बात यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि मैं समझता हूं दोनों प्रारूपों में से कोई भी सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए नहीं हैं। तथापि हमारी स्थिति और हमारी दण्ड प्रणाली को देखते हुए, पूछ-ताछ के लिए प्रारम्भ में ही अपराधी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ सकती है और फिर उसकी मुकद्दमा प्रारम्भ करते समय भी आवश्यकता पड़ सकती है, फिर उसकी एक भगोड़े व्यक्ति के रूप में भी खोज हो सकती है और अन्ततः उसकी फिर जरूरत होती है यदि उसे दण्ड दे दिया जाता है, तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या हमारे प्रारूप में इन सभी चार स्थितियों को ध्यान में रखा गया है और यदि सम्बन्धित व्यक्ति ब्रिटेन में रह रहा हो तो क्या प्रत्यार्पण के संधि के उपबन्ध उस पर लागू होंगे।

श्री के० नटवरसिंह : सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिछले सहयोगी को जानकारी है कि इस प्रकार के मामलों से किस प्रकार निपटा जाता है। ये सभी पहलू विचाराधीन हैं तथा हम इनका ध्यान रखेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : मुझे यह स्पष्ट करने दें कि वे उनके मन्त्रालय के पिछले सहयोगी हैं न कि दल में उनके कांग्रेस के सहयोगी हैं।

आगे

कराकोरम राजमार्ग का चीन द्वारा सुधार किया गया

***65. श्री मानिक रेड्डी+ :**

श्री टी० बशीर : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि खुंजेरब दर्रे से होकर पाक अधिकृत कश्मीर को जोड़ने वाले कराकोरम राज मार्ग के 420 किलोमीटर भाग को सुधारने के लिए चीन ने 185 मिलियन युवान की परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) चीन की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने 9 अक्तूबर, 1986 को खबर दी थी कि "चीनै पाकिस्तान सीमा" पर झिनजियांग उगुव स्वाय क्षेत्र में काशी से खुंजेरब दर्रे तक सड़क की मरम्मत के लिए 2200 से भी अधिक मजदूरों ने काम शुरू कर दिया है। खबर में कहा गया था कि 420 किलोमीटर लम्बी इस परियोजना पर 5 करोड़ अमरीकी डालर खर्च होंगे और 1988 में जब पूरी हो जाएगी तो इससे चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व के देशों के बीच व्यापार और मैत्रीपूर्ण सम्पर्क बहुत बढ़ जाएगा।

(ग) भारत सरकार ने कराकोरम राजमार्ग के निर्माण तथा खुंजेरब मार्ग के खोले जाने के बारे में चीन और पाकिस्तान की सरकारों के साथ बराबर कड़ा विरोध प्रकट किया है तथा भारतीय क्षेत्र में जिस पर पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है राजमार्ग का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान को चीन की सहायता के सवाल पर भारत की स्थिति बहुत स्पष्ट रूप से बताई है।

[हिन्दी]

श्री मानिक रेड्डी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि 420 किलोमीटर का जो कराकोरम हाई-वे है, उसके बारे में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इस रोड से वह अपने देश को क्या खतरा एक्सपैक्ट कर रहे हैं और मिलैट्री इंटैलिजेंस की रिपोर्ट इस रोड के बारे में क्या है, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

श्री के० नटवर सिंह : जो विदेश मन्त्रालय और डिफेंस मन्त्रालय के महकमें हैं, उनको यह खबर है कि कार्यवाही मरम्मत की शुरू हो गई है और हम आगाह हैं अगर कोई खतरा होगा। एक तो जो सड़क उन्होंने बनाई है, वह हमारे हिस्से में बनाई है, उन्हें इसके बनाने का कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन क्योंकि बना ली है, आज सवेरे ही मैंने नक्शे और आंकड़े देखे थे, हम पूरी तरह आगाह हैं कि वहां क्या हो रहा है। अगर कोई खतरा होगा तो हम संभाल लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कपास का समर्थन मूल्य

*66. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कपास के लिए हाल ही में नया समर्थन मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो नया मूल्य पहले के मूल्य से कितना अधिक है;

(ग) सरकार द्वारा कपास के मूल्य में घोषित वृद्धि के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश में किसानों को लगभग कितना लाभ मिलेगा; और

(घ) मूल्य में इस वृद्धि से फसलों के लिए इस्तेमाल में आने वाले उर्वरक, खाद और पानी आदि के मूल्यों पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार ने 10 अक्तूबर, 1986 को रुई मौसम 1986-87 के लिए उचित औसत किस्म की कपास की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। 1985-86 तथा 1986-87 के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों तथा उसमें हुई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आन्ध्र प्रदेश में किसानों को बढ़ी हुई समर्थन कीमत का उतना लाभ मिलेगा, जिस सीमा तक वे भारतीय रुई निगम को कपास देंगे तथा उस रूप में इस स्तर पर लाभ की मात्रा नहीं आंकी जा सकती।

(घ) न्यूनतम समर्थन कीमत में वृद्धि अन्तर्निविष्ट साधनों जैसे कि उर्वरक, सिंचाई प्रसार कृषि आदि की लागत में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति करने के लिए की गई है। अत: न्यूनतम समर्थन कीमत में वृद्धि का अन्तर्निविष्ट साधनों की लागत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विवरण

न्यूनतम समर्थन कीमतें

कीमत (रु० /क्विंटल)

किस्म	उचित औसत किस्म की कपास के लिए हाजिर		
	1985-86	1986-87	वृद्धि
छोटा रेशा			
1. बंगाल देशी/जी-27	340	345	5
2. बगद	365	370	5
3. कालाजिन	365	365	—
मध्यम रेशा			
4. जे-34/बीकानेरी नरमा	410	415	5
5. जी जे 73	410	410	—
6. एम पी विरनार/197/3	430	435	5
7. वी-797	440	440	—

1	2	3	4
बढ़िया मध्यम रेशा			
8. सुयेधर	410	410	—
9. जयधर	420	420	—
10. गौरानी 22/45	420	425	5
11. एफ-414/एच-777/अगाती	425	430	5
12. जी-काट-12	440	440	—
13. लक्ष्मी	445	445	—
14. खानदेश विरनार/वाई-1	452	452	—
15. ए के-235 तथा 277 ए के एच-4 ज्योति	470	470	—
16. खण्डवा-2	470	475	5
17. ए-51/9 नर्मदा	472	475	3
18. एल-147	495	490	5
19. जी काट-11	512	512	—
20. दिग्विजय 'ए' (गुज०)	520	520	—
21. एल आर ए-5166	505	505	—
22. दिग्विजय 'बी' (महा० एण्ड रा०)	495	495	—
23. एस आर टी-1 बी महाराष्ट्र	495	495	—
24. एस आर टी-1 ए गुजरात	520	520	—
लम्बा रेशा			
25. 1007/डी एच वाई	500	505	5
26. एम सी यू-7	500	505	5
27. 170-सी ए-2 एच	500	505	5
28. देवीराज	505	510	5
29. जे के एच वाई-1	535	540	5
बढ़िया लम्बा रेशा			
30. एच-4	535	540	5
31. शंकर-4 बी सौराष्ट्र	550	555	5
32. शंकर-6	550	555	5
33. शंकर-4 (द० गुजरात)	555	560	5
34. एम सी यू-5 (द० महाराष्ट्र)	555	560	5
35. वरलक्ष्मी (महाराष्ट्र)	492	497	5
36. वरलक्ष्मी (म० प्र०)	487	492	5
37. वरलक्ष्मी (गुजरात)	555	555	—
38. वरलक्ष्मी (द०)	577	577	—
39. एस सी एच-32	600	605	5
40. सुविन	900	900	—

केरल के चाय उत्पादकों से प्राप्त ज्ञापन

*67 प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के चाय उत्पादकों से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों का ब्यौरा दिया है और सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) चाय की कम कीमतों, उत्पादन की ऊंची लागत और केरल से चाय के कम निर्यातों के कारण संकट के बारे में केरल में चाय उद्योग की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। समस्याओं को हल करने के लिए किए गए सुझावों में शामिल हैं दक्षिण भारतीय चाय खरीदने के लिए देशों के साथ द्विपक्षीय करार, दक्षिण भारतीय चाय के लिए व्यापक आधार पर निर्यात बाजार और इस प्रयोजन के लिए चुनिंदा लक्ष्य बाजारों को प्रतिनिधि मण्डलों का दौरा, केरल से टी टी सी आई द्वारा चाय की खरीदारी में वृद्धि किया जाना, चाय (विपणन) निर्यात आदेश 1984 के उपबन्धों का समाप्त किया जाना, केरल में चाय उद्योग को पावर की समुचित सप्लाई और क्षेत्र में चाय उद्योग को उत्पादन शुल्क सम्बन्धी रियायतें।

दक्षिण भारतीय नीलामी केन्द्रों में चाय की कीमतों में कुछ प्रमुख आयातक देशों द्वारा कम खरीदारी किए जाने और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय चाय कीमतों में सामान्य कमी आने के कारण मंदी आई है। दक्षिण भारतीय चाय के प्रमुख आयातकों को यह समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि वे दक्षिण भारत में नीलामी केन्द्रों में सक्रिय रूप से भाग लें। हाल में चाय बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें अन्यों के साथ दक्षिण भारतीय चाय उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे, इस प्रयोजन के लिए इराक का दौरा किया। कोचीन नीलामियों में चाय की कीमतों में मजबूती आनी शुरू हो गई है। जहां तक चाय (विपणन) नियन्त्रण आदेश रद्द करने के सम्बन्ध का अनुरोध है, चाय की नीलामियां बल्कि चाय के व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका है। अनुकूलतम कीमतों की वसूली सुनिश्चित करने के लिए बड़ी संख्या में सक्रिय खरीदारों सहित प्रतियोगिता पूर्ण वातावरण रहता है। नीलामियों में बेची गई चाय का उचित श्रेणीकरण और मूल्यांकन किया जाता है तथा उपलब्ध चाय की मात्रा की ठीक मानीटरिंग की जा सकती है। नीलामियों में चाय की तत्काल उपलब्धि से निर्यातकों को अपने निर्यात की योजना बनाने में मदद मिलती है। इन बातों को देखते हुए आदेश रद्द करने की उद्योग की मांग के लिए सहमत होना सम्भव नहीं है।

केरल में चाय उद्योग के लिए पावर की कमी के उदाहरण सरकार के ध्यान में लाए गए और मामले को राज्य सरकार के पास भेज दिया गया।

सरकार ने हाल ही में बल्क चाय के निर्यात पर 50 पैसे प्रति कि० ग्रा० की छूट की घोषणा की है।। पैकेट चाय के निर्यातों को भी उत्पादन शुल्क से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कपड़ा मिलों को ऋण

*68. **श्री ए० जे० बी० वी० महेश्वर राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में बनाये गये आधुनिकीकरण कोष के अन्तर्गत कपड़ा मिलों को ऋण स्वीकृत करने हेतु कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कपड़ा आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत अर्थक्षम योजनाओं के लिए दिये जाने वाले ऋणों की किस्में नीचे दी गई हैं :

(i) आधुनिकीकरण ऋण,

(ii) कमजोर लेकिन अर्थक्षम एककों के मामले में प्रवर्तकों के अंशदान के एक भाग के रूप में विशेष ऋण ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन दोनों किस्मों के ऋणों की शर्तें नीचे दी गई हैं :

आधुनिकीकरण ऋण

(i) प्रवर्तकों का अंशदान	: 20 प्रतिशत
(ii) ब्याज दर	: प्रति कंपनी 6 करोड़ रुपये तक 11·5 प्रतिशत
(iii) प्रतिबद्धता प्रभार	: 180 दिनों के वास्ते "शून्य" सिवल 365 दिनों के 1/2 प्रतिशत और इसके पश्चात ऋण के न लिए गए हिस्से पर 1/4 प्रतिशत।
(iv) वापसी अदायगी की अवधि	: सामान्यता 10 वर्ष से अधिक नहीं।
(v) ऋण इक्विटी अनुपात	: प्रत्येक मामले में गुण दोषों के आधार पर उदार नीति ।
(vi) प्रतिभूति	: स्थिर परिसम्पत्तियों पर पहला प्रभार। आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत गारंटी।

विशेष ऋण

(i) राशि	: प्रवर्तकों के अंशदान के वास्ते निर्धारित राशि के 80 प्रतिशत तक जो परियोजना लागत का 20 प्रतिशत है ।

(ii)	ब्याज दर	: 6 प्रतिशत साधारण ब्याज।
(iii)	प्रतिबद्धता प्रभार	: कुछ नहीं।
(iv)	वापसी अदायगी की अवधि	: मूलधन और ब्याज की अदायगी पर 6 वर्ष की स्थान अवधि सहित 12 वर्ष तक।
(v)	प्रतिभूति	: प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारन्टी और परिसंपत्तियों पर अवशिष्ट प्रभार।

पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाना

69. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुछ राज्यों और संघ क्षेत्रों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, जहां पर पर्यटन व्यवसाय के लिए क्षमता है जिससे कि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कारणों से पर्यटन काम्पलेक्स बनाने के बजाय उनके विकास की योजना तैयार की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पेपर में जो राष्ट्रीय विकास परिषद (एन० डी० सी०) द्वारा अनुमोदित है, यह सिफारिश की गई है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ततनुसार राज्य सरकारों से पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए अनुरोध किया गया है ताकि जो रियायतें अन्य उद्योगों को उपलब्ध हैं वे पर्यटन सम्बन्धी कार्यकलापों पर भी लागू हो सकें। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, मेघालय, केरल और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है जबकि उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने होटलों को एक उद्योग के रूप में घोषित किया है। अन्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को भी ऐसी ही कार्रवाई करने के लिए राजी किया जा रहा है।

(ग) और (घ) 1982-83 के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों में सर्वाधिक लोकप्रिय पर्यटक गंतव्यों का अभिनिर्धारण करने के लिए एक विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण कराया था। भारत के अलग-अलग स्थानों पर कम से कम एक रात व्यतीत करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों के परामर्श से इन गन्तव्यों पर पर्यटन आधार संरचना का विकास करने के लिए स्कीमें तैयार करते समय इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखा गया है।

विवरण

विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 का परिणाम

भारत में अलग-अलग स्थानों पर कम से कम एक रात व्यतीत करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता नीचे दी गई है।

रात में ठहरने के स्थान	पर्यटकों की प्रतिशतता
दिल्ली	53·45
बम्बई	45·95
मद्रास	17·91
आगरा	17·01
जयपुर	13·75
वाराणसी	10·90
कलकत्ता	9·71
बंगलौर	8·85
श्रीनगर	8·13
गोआ	6·72
मदुरै	5·55
अमृतसर	5·53
त्रिवेन्द्रम-कोवलम	5·05
रामेश्वरम	3·81
हैदराबाद	3·80
उदयपुर	3·65
तिरुचिरापल्ली	3·60
मैसूर	3·46
खजुराहो	3·33
कोचीन	2·71
पुणे	2·60
औरंगाबाद	2·32
पटना	2·13

1	2
अहमदाबाद	1·84
पांडिचेरी	1·62
दार्जिलिंग	1·55
जोधपुर	1·48
उटकमंड	1·40
लेह	1·33
चण्डीगढ़	1·32
जैसलमेर	1·23
लखनऊ	1·04
शिमला	0·99
महाबलीपुरम	0·98
लद्दाख	0·96
हरिद्वार	0·95
कन्याकुमारी	0·91
पुष्कर	0·89
देहरादून	0·87
माउंट आबू	0·87
भुवनेश्वर	0·85
पुरी	0·82
तंजौर	0·81
कोयम्बेटूर	0·79
धर्मशाला	0·76
नागापट्टिनम	0·76
क्विलान	0·74
बड़ोदा	0·73
एल्लेप्पी	0·72
अजमेर	0·71

1	2
गनेशपुरी	0·70
मनाली	0·65
मंगलोर	0·62
कोडईकनाल	0·60
सूरत	0·56
गया-बोधगया	0·54
गोरखपुर	0·52
रांची	0·51
भोपाल	0·50

निर्यात वृद्धि दर में स्थिरता और व्यापार में असन्तुलन

*70. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात वृद्धि दर तीन प्रतिशत पर स्थिर हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्यात में स्थिरता का भुगतान-संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, और

(ग) व्यापार असन्तुलन, जिसके सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 8500 करोड़ रुपये से भी अधिक होने की संभावना है, से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। वर्तमान कीमतों पर भारतीय रुपये के रूप में भारत के समग्र निर्यातों की वृद्धि दर में 1980-81 में 4·6%, 1981-82 में 16·3%, 1982-83 में 12·8%, 1983-84 में 11%, और 1984-85 में 21·3% की वृद्धि हुई।

तथापि, घरेलू परिशोधन क्षमता के विकास के कारण अपरिकृत तेल के निर्यातों के वास्तव में रुक जाने से, 1985-86 में भारत के समग्र निर्यातों में अनन्तिम आधार पर 7·2% की कमी हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) भारत के व्यापार घाटे की स्थिति की बराबर समीक्षा की जाती है। व्यापार घाटे को घटाने की दृष्टि से दो राजकोषीय नीतियों, औद्योगिक लाइसेंसिंग और आयात निर्यात नीतियों के क्षेत्र में तथा निर्यात बढ़ाने के लिए प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने हेतु कई पहल की गई हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान, विशेषतः बल्क वस्तुओं के क्षेत्र में, आयात योग्य

वस्तुओं के क्षेत्र में, आयात योग्य वस्तुओं के हमारे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

व्यापार असन्तुलन

*71. **श्री सरफराज अहमद :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान विदेशी व्यापार में हुए कुल असन्तुलन का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इस असन्तुलन में कितनी वृद्धि हुई है ?

(ग) इस व्यापार असन्तुलन को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और उनके परिणाम क्या रहे;

(घ) क्या वर्ष 1986-87 के पहले छ: महीनों में व्यापार असंतुलन में कोई कमी हुई है;

(ङ) क्या सरकार का विदेशी व्यापार असन्तुलन को कम करने के लिए अपेक्षाकृत कम उपयोगी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) कुछ मुख्य व्यापार भागीदारों के सम्बन्ध में 1984-85 के दौरान भारत के व्यापार शेष घाटे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार शेष घाटा, जो 1984-85 में 5318·10 करोड़ रु० (संशोधित) था, बढ़कर 1985-86 में 8616·36 करोड़ रु० अनन्तिम) हो गया।

(ग) व्यापार शेष की स्थिति का निर्धारण कई भीतरी और बाहरी बातों से किया जाता है। निर्यात योग्य वस्तुओं और माल के उत्पादन आधार में वृद्धि करने, भारतीय उत्पादों की क्वालिटी और प्रतियोगिता क्षमता में सुधार लाने, निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने तथा कार्यक्षम आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिए नीति सम्बन्धी उपाय किए गये हैं।

(घ) वित्तीय वर्ष 1986-87 की प्रथम तिमाही अर्थात् अप्रैल-जून 1986 के लिए उपलब्ध भारत के विदेशी व्यापार के अद्यतन अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार भारत का व्यापार घाटा 1623 96 करोड़ रु० बैठता है, जो गत वर्ष की उसी अवधि से कम है, जबकि वह 2109·10 करोड़ रु० था। वित्तीय वर्ष 1986-87 के अन्त में हमारा व्यापार घाटा कितना होगा इसका ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन है, किन्तु स्पष्ट संभावना यह है कि घाटा कम होगा।

(ङ) और (च) हमारी बदलती हुई घरेलू आवश्यकताओं, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति और भुगतान शेष सम्बन्धी हमारी बाध्यताओं को देखते हुए, जहां कहीं आवश्यक होता है, आयात-निर्यात नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

1984-85 के दौरान 100 करोड़ रु० से ऊपर व्यापार घाटे वाले देशों को दर्शाने वाली तालिका

क्रमांक	देश	व्यापार शेष * (अनिन्तम)
(1)	(2)	(3)
1.	सऊदी अरब	1004·48
2.	जर्मन संघीय गणराज्य	826·80
3.	इराक	631·37
4.	बेल्जियम	607·38
5.	मलेयशिया	477·51
6.	ईरान	376·13
7.	कनाडा	373·70
8.	सिंगापुर	350·84
9.	ब्रिटेन	348·78
10.	ब्राजील	292·62
11.	कुवैत	252·23
12.	नीदरलण्ड	181 94
13.	जापान	179·44
14.	फ्रांस	149·27
15.	सोवियत संघ	148·79
16.	ओमान	108·80

स्रोत : वाणिज्यक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय, कलकत्ता।

*बम्बई हाईक्रूड के निर्यातों को निकालकर।

[अनुवाद]

पूंजीगत माल के आयात सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

*72. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री सोडे रमैया : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पूंजीगत माल के आयात सम्बन्धी नीति में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) आयात नीति का मूल उद्देश्य उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए आवश्यक अन्तर्निविष्ट साधनों को सुगमता से उपलब्ध कराना तथा साथ ही साथ आत्म निर्भरता बढ़ाना और घरेलू उद्योग के समुचित हितों की रक्षा करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस नीति की सतत समीक्षा की जाती है और आयात नीति में समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं।

नई वस्त्र नीति का पुनरीक्षण

*73. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में नई कपड़ा नीति की समीक्षा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए विश्व बैंक से सहायता

*75 **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्तमंत्री वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठक में भारत के भाग लेने के बारे में 2 मई, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए सहायता हेतु विश्व बैंक समूह (अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक) के विचारार्थ परियोजनाओं के प्रस्ताव भेजें हैं;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु भेजी गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक समूह ने प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ग) पहले स्वीकृत किए गए 2066 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि के विश्व बैंक समूह के ऋणों/उधार का परियोजनावार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) : भारत सरकार समय-समय पर विश्व बैंक सहायता के लिए परियोजनाओं की सूची प्रस्तुत करती है। उन परियोजनाओं की एक सूची विवरण के साथ संलग्न है जिन्हें विश्व बैंक समूह को इस समय प्रस्तुत किया है तथा जो उसके विचाराधीन हैं।

2. जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है उनकी भारत सरकार तथा विश्व बैंक दोनों के द्वारा जांच की जा रही है। भारत में जांच का कार्य, आर्थिक कार्य विभाग, योजना आयोग, सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय तथा राज्य सरकार/क्रियान्वयन अभिकरण के बीच परस्पर परामर्श के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। इन परामर्शों के दौरान परियोजना के क्षेत्र, अलग-अलग परियोजनाओं के संघटकों, संस्थागत तथा धनराशियों की व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे तय किए जाते हैं। इन सभी मुद्दों को क्षेत्रीय तथा प्रान्तीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में अन्तिम रूप दिया जाता है और विचार विमर्शों की प्रक्रिया के दौरान परियोजनाओं को प्रायः छोड़ दिया जाता है या उन्हें स्थगित कर दिया जाता है। इसके पश्चात् परियोजना को विश्व बैंक को प्रस्तुत कर दिया जाता है जो स्वयं उसका विस्तृत मूल्यांकन और जांच-पड़ताल करता है। इन प्रक्रियाओं के दौरान भी परियोजना को छोड़ा जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है अथवा उन्हें काफी संशोधित किया जा सकता है, ताकि बातचीत के अन्तिम चरण तक उसे अन्तिम नहीं समझा जा सके।

3. विश्व बैंक समूह से सहायता की राशि के बारे में अलग-अलग परियोजना के सम्बन्ध में विचार-विमर्शों के दौरान ही अन्तिम रूप दिया जाता है।

4. राजकोषीय वर्ष 1986 अर्थात् 1 जुलाई, 1985 से 30 जुन, 1986 तक विश्व बैंक ग्रुप द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(राशि करोड़ अमरीकी डालरों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ
1.	जनसंख्या परियोजना—IV	—	5.1
2.	केरल जल आपूर्ति	—	4.1
3.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई परियोजना	—	9.9
4.	महाराष्ट्र सिंचाई—III परियोजना	—	1.60

1	2	3	4
5.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना	—	7.21
6.	औद्योगिक निर्यात (इन्जीनियरी) परियोजना	25.0	—
7.	गुजरात शहरी	—	6.2
8.	कृषि और ग्रामीण विकास परियोजना के लिए राष्ट्रीय बैंक	37.5	—
9.	सीमेंट के लिए ऊर्जा बचत परियोजना	20.0	—
10.	आन्ध्र प्रदेश सिंचाई परियोजना	13.1	14.0
11.	कम्बाईन साइकिल पावर परियोजना	48.5	—
12.	आंऊला उर्वरक परियोजना	30.22	—
		174.32	62.51

विश्व बैंक ग्रुप द्वारा उधार/ऋण के लिए विचाराधीन परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	परियोजना का नाम
1.	नेशनल कैपीटल पावर
2.	बम्बई जल आपूर्ति—III
3.	गेवरा तथा सोनपुर—बाजारी तापीय कोयला
4.	आयल इण्डिया लि० पैट्रोलियम
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एन०ए०ई०पी०-III)
6.	गुजरात ग्रामीण सड़कें
7.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास
8.	तालचर तापीय बिजली
9.	दूरसंचार—9
10.	राष्ट्रीय विद्युत प्रबन्ध

1	2
11.	पश्चिमी गैस विकास
12.	कर्नाटक पावर
13.	मद्रास जल आपूर्ति
14.	नर्मदा (मध्य प्रदेश) पुनर्वास
15.	नर्मदा (मध्य प्रदेश) बांध
16.	अपर कृष्णा सिंचाई-II
17.	उर्वरक वितरण
18.	राष्ट्रीय बीज III
19.	राष्ट्रीय डेरी
20.	तमिलनाडु शहरी विकास
21.	वनपालन अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण
22.	नाथपा झाखड़ी पन बिजली
23.	बम्बई/मद्रास जनसंख्या
24.	रेल आधुनिकीकरण—III
25.	इस्पात क्षेत्र आधुनिकीकरण/पुनः संरचना
26.	इलैक्ट्रोनिक्स
27.	स्वचल मोटर यांत्रिक उद्योग
28.	केरल शहरी विकास
29.	विद्युत वित्त निगम
30.	उत्तर प्रदेश बिजली (श्रीनगर)
31.	औद्योगिक क्षेत्र ऋण
32.	आवास विकास वित्त निगम
33.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—IV
34.	कर्नाटक पावर II
35.	कावेरी डेल्टा सिंचाई

चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में घुसपैठ

***76. श्री सी० जंगा रेड्डी :**

श्री तेजा सिंह दर्दी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा, अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में घुसपैठ के बारे में लोगों के मस्तिष्क में निरन्तर गंभीर अंदेशों की जानकारी है ;

(ख) भारत सरकार ने इन मामलों को चीन के अधिकारियों के साथ किस स्तर पर उठाया है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हाल में हुई बैठक में इन मामलों को विशेष रूप से उठाया गया था और यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या सब अपनाया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) (क) से (ग) : सरकार अरुणाचल प्रदेश के वांगडुंग क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के फलस्वरूप उत्पन्न चिंता के प्रति सजग है । इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में सरकार वे संसद को 18 जुलाई को और फिर 1 अगस्त तथा 8 अगस्त, 1986 को बताया था । तब इस मामले को विदेश सचिव से चीन के कार्यवाहक प्रधान मंत्री श्री वावती तथा विदेश मंत्री ज्यूकीव के साथ वीजिंग में अधिकारी स्तर की बातचीत के सातवें दौर में (21-23-जुलाई, 1986) उठाया था ।

उसके वाद तत्कालिक विदेश मंत्री ने इस मामले को 18 सितम्बर, 1986 को न्यूयार्क में चीन के विदेश मंत्री के साथ उठाया था । उस समय चीन के विदेश मंत्री ने इस बात को दोहराया था कि उनकी सरकार दोनों देशों के वीच सभी अब सुलझे यसलों पर विचार विमर्श करते तथा सीमा के सवात का शांतिपूर्ण समाधान खोजने के लिए तैयार हैं ।

रिलायन्स इण्डस्ट्रीज को दिए गए ऋणों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

***77. श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री एस० जसपाल रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बेंकों द्वारा रिलायन्स इण्डस्ट्रीज से सम्बन्ध अनेक कम्पनियो को इस कंपनी के शेयरों और डिबेन्चरों पर दिए गए बड़ी राशि के ऋणों के सम्बन्ध में जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है, और इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रति आज सभापटल पर रखी जा रही हैं । समिति के निष्कर्षों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है ।

उक्त समिति के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप भारतीय रिजर्व बैंक ने सम्बन्ध बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को निदेश दिया है कि वे ऋणों को वापिस मांगने के लिए तत्काल उपाय करें जब तक कि वे इस बात से सन्तुष्ट न हों कि किसी विशेष ऋण कर्त्ता कम्पनी द्वारा लिया गया अग्रिम पूर्णत: उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए वह दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शेयरों डिबेंचरों की जमानत पर दिए जाने वाले बैंक अग्रिमों का विनियन करने के वास्ते समेकित मार्ग निर्देश जारी किए हैं।

विवरण

1. ऋण मंजूर करने में बैंक आर आई एल द्वारा बड़ी मात्रा में जमाराशियां रख जाने की संभावरा, जमानत के तौर पर गिरवी रखे गए शेयरों की विक्रेयता और लाभप्रदता से प्रभावित हुए। जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों निर्देशों का सम्बन्ध जमानत के तौर पर लिए गए शेयरों की विक्रयता, बनाए रखे गए मार्जिन शेयरों के बैंकों के नाम में अंतरण, उनके बारे में मताधिकार के बैंकों में निहित किए जाने और वापसी अदायगी के कार्यक्रम तय किए जाने है, बैंकों ने उनका पालन किया है।

(2) इन विचाराधीन ऋणों की विशेष बात यह है कि यह ऋण मंजूर करने के मामले पर आर आई एल और बैंकों के बीच वरिष्ठ स्तर पर चर्चा हुई है और उच्च प्रबन्ध स्तर पर ये ऋण मंजूर करने का निर्णय किया गया है। जमाराशियां रखने और ऋण मंजूर किए जाने को एक संयुक्त योजना का अंश माना गया है।

(3) ऋण मंजूर करने में बैंकों ने उस प्रयोजन की सावधानी पूर्वक जांच नहीं की है जिसके लिए वे ऋण मांगे गए हैं। धागे और वस्त्र के व्यापार के कारोबार या पूंजी निवेश के प्रयोजन के लिए ऋणकर्त्ता कम्पनियों की आवश्यकता आधारित अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य सूचना और आंकड़े प्राप्त नहीं किए गए हैं। ऋणों की सुरक्षा के बारे में सन्तोष हो जाने के बाद बैंकों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया कि या तो स्वतन्त्र मूल्यांकन द्वारा इन कम्पनियों की आवश्यकताओं का निर्धारण करें या इस बात की जांच करें कि वे निधियां किस प्रकार से उपयोग में लायी जाएगी। सम्बन्ध आंकड़ों की जांच से बैंकों को यह ज्ञात होता कि यदि कार्यकारी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कोई वित्त उपलब्ध करना था तो इन कम्पनियों के वित्तपोषण का उपयुक्त माध्यम बिलों की खरीद उन्हें भुनाना होता और एक निश्चित अवधि के दौरान वापस अदा किये जाने वाले सार्वाधिक ऋण देना इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि ये ऋण पूंजी निवेश प्रयोजनों के लिए दिए जाने थे तो सम्बन्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है। इन कम्पनियों को मंजूर किए जाने वाले ऋण या तो इन कम्पनियों द्वारा की गयी पिछली खरीदों के लिए प्राप्त की गयी निधियों की वापसी अदायगी के लिए काम में लाए जाएंगे अथवा नये पूंजी निवेश में काम लाए जायेंगे जिन से इन कम्पनियों की आर आई एल शेयरों की पहले ही से बहुत बड़ी मात्रा वाली धारित और बढ़ जाएगी। यदि यह माना जाए कि बैंक इन ऋण कर्त्ता कम्पनियों की पूंजी निवेश कम्पनियां समझते थे तो वे इन्हें पूरक ऋण दे सकते थे; लेकिन ऐसे ऋण स्वयं

उनके पंजी-निवेश और दीर्घावधि निधियों की प्राप्ति के बीच के अंतराल की सीमा तक ही हो सकते थे। बैंकों ने इन कम्पनियों के बारे में उक्त अंतराल अथवा दीर्घावधि निधियों के स्रोतों के बारे में कोई मूल्यांकन नहीं किया है। इस प्रकार बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं जिनमें ये अपेक्षित है कि "बैंकों को उस प्रयोजन की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए जिसके लिए शेयरों की जमानत पर अग्रिम मांगा जाता है"।

(4) क्योंकि शाखाओं के प्रबन्धक ये जानते थे कि इन कम्पनियों का वित्तपोषण करने का निर्णय उच्चतम स्तर पर किया गया है उन्होंने आवेदन पत्रों को प्राप्त करने उन पर विचार करने आदि की केवल औपचारिकताएँ पूरी कीं। कम्पनियों द्वारा वापसी अदायगी के जो प्रस्ताव किए गए उन्हें प्राय: बिना किसी जांच के स्वीकार कर लिया गया ; अलबत्ता, ऋणों की मंजूरी बोर्ड या अध्यक्ष या अपने में निहित शक्तियों के अनुरूप उपयुक्त अधिकारियों द्वारा की गयी है।

(5) बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि इन 43 कम्पनियों द्वारा प्राप्त किए गए ऋणों का उपयोग आर आई एल "एफ" सीरीज के डिबेंचरों में अभियान के लिए नहीं किया गया है। जैसाकि ऋणकर्त्ता कम्पनियों ने बैंकों को सूचना दी है, 32 45 करोड़ रुपए की राशि धागे और वस्त्रों की खरीद के काम में लायी गयी है। पहले से की गयी शेयरों की खरीद विषयक ऋण और बाजार के ऋणों की अदायगी के लिए काम में लायी गयी कुल राशियां क्रमश: 9.85 करोड़ रुपए और 7.95 करोड़ रुपए हैं। 6·75 करोड़ रुपए के ऋणों के उपयोग के बारे में बैंकों ने पता लगाया है। आर आई एल के प्रतिवेदन के मुताबिक शेयरों को पिछली खरीदों के सम्बन्ध उधारों ऋणों की अदायगी करने के लिए 14.88 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जबकि 43 17 करोड़ रुपए का उपयोग धाने और वस्त्र की खरीद (पिछली और वर्तमान खरीदों के लिए ऋण) के वास्ते किया गया। ऋणकर्त्ता कम्पनियों द्वारा बैंकों को उपलब्ध कराये गए आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कुछ ऋणकर्त्ता कम्पनियों के ऋण 30 जून 1985 को (उक्त ऋण प्राप्त होने से पहले) 38 करोड़ रुपए थे जो 31 दिसम्बर, 1985 को घटकर 0.50 करोड़ रुपए हो गए। इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि बैंकों से प्राप्त उक्त ऋणों की एक परीक्षात्मक जांच से भी यह पता चलता है कि ये निधियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरों ब्रोकरों के खातों को अंतरित कर दी गयी। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि बैंक ऋण से प्रतिस्थापित करके, शेयरों को पिछली खरीद को बनाए रखने के लिए काम में लाया गया।

(6) संक्षेप में, बैंकों की दृष्टि से ये मंजूर किए गए ऋण सुरक्षित और लाभदायक थे। इन ऋणों की वापसी अदायगी भी अब तक सामान्यत: नियमित रही है। किन्तु बैंक ऋणों का प्रयोजन और मात्रा निर्धारित करने विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग प्रणाली से ऋणों का एक काफी बड़ा हिस्सा कम्पनियों के एक समूह को चला गया जबकि तथ्य यह है कि यदि समुचित रूप से जांच की जाती तो यह ज्ञात होता है कि इतने बड़े ऋणों का कोई औचित्य नहीं है।

पी० टी० ए० पर आयात शुल्क

*78. श्री गंगाराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या एक वर्ष से कम अवधि के दौरान पी० टी० ए० पर आयात शुल्क में दो बार वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं जबकि सामान्यत: सरकार इतनी जल्दी-जल्दी आयात शुल्क का समायोजन नहीं करती है और जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सभी पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्य भी गिर गए हैं ।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) पी० टी० ए० पर आयात शुल्क की प्रभावी पर दिनांक 30-9-1985 की अधिसूचना सं० 305 सीमा शुल्क द्वारा 140 प्रतिशत से बढ़ाकर 190 प्रतिशत मूल्यानुसार और दिनांक 16-4-86 की अधिसूचना सं० 250 सीमा शुल्क द्वारा 3 रु० प्रति किलोग्राम बढ़ा दी गयी थी ।

(ग) डी०एम०टी और पी०टी०ए० का प्रयोग पोलिएस्टर फाइबर तथा सूत के निर्माण में किया जाता है । डी०एम०टी० का उत्पादन देश में ही किया जाता है जबकि पी०टी०ए० का उत्पादन अभी शुरू किया जाना है । देश में डी०एम०टी० के स्वदेशी उत्पादन के हितों की रक्षा के लिए पी०टी०ए० और डी०एम०टी० दोनों हर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया था ।

शेयरों, डिबेंचरों और बिक्री हो सकने वाली निगमित प्रतिभूतियों पर ऋण दिए जाने के बारे में मार्ग-निर्देश

*79. डा० डी० एम० रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को शेयरों, डिबेंचरों और बिक्री हो सकने वाली निगमित प्रतिभूतियों पर ऋण दिए जाने के बारे में कोई नए मार्ग निर्देश अथवा अनुदेश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने 24 अक्टूबर, 1986 को शेयरों/डिबेंचरों के बदले ऋण देने के सम्बन्ध में बैंकों द्वारा अनुपालन के लिए व्यापक संशोधित मार्ग-निर्देश जारी किए हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

शेयरों डिबेंचरों के बदले अग्रिम देने के मामले में बैंकों द्वारा अनुपालन के लिए मार्ग निर्देश

1. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) और (3) तथा 20 (1) (क) में निहित शेयरों के बदले ऋण देने के सम्बन्ध में सांविधिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

2. बैंको को शेयरों और डिबेंचरों के बदले उधार देने में उचित सावधानी और सतर्कता बरतनी चाहिए। शेयरों और डिबेंचरों के बदले अग्रिम देने के प्रस्तावों पर विचार करते समय उन्हें मुख्य रूप से ऐसे अग्रिमों के स्वरूप, प्रयोजन और आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बैंकों की धनराशियों का सट्टे के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल न किया जाए। बैंकों को इस बात की अधिक चिन्ता करनी चाहिए कि ये अग्रिम किस काम के लिए जा रहे हैं बजाय इसके कि ये किसके बदले लिए जा रहे हैं। शेयरों और डिबेंचरों के बदले अग्रिम प्रदान करने पर विचार करते समय, बैंकों को स्वीकृतपूर्व मूल्यांकन और स्वीकृत उत्तर अनुवर्ती कार्रवाई की सामान्य प्रक्रियाओं का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए।

(3) मुख्य रूप से शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर दिए जाने वाले किसी अग्रिम को अलग रखना चाहिए और उसे किसी अन्य अग्रिम के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

4. बैंकों को शेयरों/डिबेंचरों के विक्रेयता और शुद्ध मूल्य तथा उस कम्पनी के कार्यकरण के बारे में तसल्ली कर लेनी चाहिए, जिसके शेयर/डिबेंचर प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत किए गए हों।

5. शेयरों/डिबेंचरों की कीमत पिछले 12 महीनों के अन्त में बाजार भावों के औसत या चालू बाजार भाव, इनमें से जो भी कम हो, के अनुसार लगाई जानी चाहिए। अग्रिम देते समय पर्याप्त तथा उचित मार्जिन रखा जाना चाहिए।

6. आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों की जमानत पर कोई अग्रिम नहीं दिया जाना चाहिए।

7. बैंकों को उस समय खास तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए, जब किसी ऋण कर्त्ता द्वारा या ऋणकर्त्ताओं के किसी समूह द्वारा बहुत बड़ी संख्या में शेयरों के बदले अग्रिम मांगे गए हों। यह सावधानी ऋणकर्त्ता की ऐसे अग्रिम चुकाने की क्षमता और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए बरतनी चाहिए कि ऐसे अग्रिमों का इस्तेमाल अल्पकालीन उत्पादक प्रयोजनों के अलावा किसी अन्य प्रयोजनों के लिए न किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शेयरों के बदले दिए गए अग्रिमों का इस्तेमाल ऋणकर्त्ता द्वारा किसी कम्पनी/कम्पनियों में नियंत्रक हित प्राप्त करने या ऐसे हित बनाए रखने के लिए न किया जाए।

8. शेयरों/डिबेंचरों के बदले अग्रिम प्रदान करते समय ऋणकर्त्ताओं से ऐसी घोषणा प्राप्त करना उचित होगा जिसमें उनके द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए ऋणों की राशि बताई गयी हो। इस

बात की भी सावधानी बरती जानी चाहिए कि कोई ऋणकर्त्ता या ऋणकर्ताओं का समूह विभिन्न बैंकों से शेयरों/डिबेंचरों के बदले बड़ी राशि का ऋण न लेने पाए। ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि किसी एक कम्पनी अथवा कम्पनी के एक समूह के शेयरों के बदले विभिन्न बैंकों से ऐसे अग्रिम न लिए जाएं।

9. जब कभी शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर किसी ऋणकर्त्ता को दिए गए अग्रिमों की सीमा/सीमाएं 1,00,000/- रुपए से बढ़ जाए, तब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उक्त शेयर/डिबेंचर बैंक के नाम अंतरित कर दिए जाए और बैंक को इन शेयरों के सम्बन्ध में अनन्य और बिना शर्त मताधिकार प्राप्त हो जाए। इस प्रयोजन के लिए, किसी बैंक द्वारा किसी एक ऋणकर्त्ता को उसके सभी कार्यालयों द्वारा शयरों/डिबेंचरों के बदले दी गयी कुल ऋण सीमाओं को हिसाब में लेना चाहिए।

10. बैंक, प्रतिभूति के रूप में, उनके द्वारा धारित शेयरों के सम्बन्ध में मताधिकारों का प्रयोग, केवल भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुसार करेंगे।

11. मताधिकारों के साथ शेयरों के अंतरण के सम्बन्ध में उपयुक्त पद 9 में उल्लिखित शर्तें शेयर और स्टाक दलालों को दिए गए अग्रिमों के सम्बन्ध लागू नहीं होगी, बशर्ते कि प्रतिभूति के रूप में ये शेयर 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं रखे गए हों।

12. शेयरों और डिबेंचरों के बदले 5 लाख रुपए के अधिक के अग्रिमों की मंजूरी बोर्ड/निदेशकों की समिति द्वारा दी जाएगी। कम राशियों के अग्रिमों की मंजूरी देने के लिए मुख्य कार्यपालकों और अन्यों को उचित अधिकार दिया जा सकता है।

13. शेयरों/डिबेंचरों की मुख्य जमानत पर अग्रिम केवल (i) व्यक्तियों (ii) निवेश कम्पनियों (iii) स्टाक और शेयर दलालों और (iv) न्यासों तथा धर्मस्वों को निम्नलिखित मार्ग-निर्देशों के अनुसार दिए जा सकते हैं :

(i) व्यक्ति

प्रति ऋणकर्त्ता अधिक से अधिक 2 लाख रुपए के ऋण, उचित वापसी अदायगी कार्यक्रम के साथ, आकस्मिक खर्चों और व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या केवल शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अधिकार शेयरों या शेयरों/डिबेंचरों के नए निर्गमों में अभिदान करने के लिए दिए जा सकते हैं।

(ii) निवेश कम्पनियां :

निवेश कम्पनियों से अपने निवेश परिचालनों को मुख्यत: उनके द्वारा जुटाई गई दीर्घावधिक धनराशियों अर्थात् पूंजी और प्रारक्षित निधियों, डिबेंचरों और जमाराशियों से पूरा करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी दीर्घावधिक धनराशियों के जुटाए जाने तक, बैंक निवेश कम्पनियों को अधिक से अधिक 9 महीने के लिए पूरक किस्म के ऋण देने पर विचार कर सकते हैं ताकि उन कम्पनियों के पास वर्तमान में उपलब्ध साधनों और शेयरों/डिबेंचरों में उनके वर्तमान तथा प्रस्तावित निवेशों के बीच अंतर को पूरा किया जा सके। बैंकों को ऋणकर्त्ता कम्पनियों की वित्तीय स्थिति और उनके कार्यकरण के बारे में तथा उनके द्वारा दीर्घावधिक धनराशियां जुटाने के प्रबन्धों के बारे में तसल्ली कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी ऋणकर्त्ता निवेश कम्पनी की कुल बाहरी देनदारियां (प्रस्तावित बैंक ऋणों सहित) उस कम्पनी की अपनी धनराशियों के 10 गुणा से अधिक नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह तसल्ली कर लेनी चाहिए कि ऋणकर्त्ता कम्पनी वास्तव में निवेश कम्पनी है जिसने विभिन्न प्रकार के शेयरों में निवेश किया है और उसके द्वारा किए गए निवेश केवल एक कम्पनी या कम्पनियों के एक समूह तक सीमित नहीं हैं।

(iii) शेयर और स्टाक दलाल :

शेयर और स्टाक दलालों को विक्रेय स्टाक (स्टाक-इन-ट्रेड) के रूप में रखे गए शेयरों और डिबेंचरों के बदले युक्त ओवर ड्राफ्ट सुविधाएं दी जा सकती हैं। ऐसी वित्तीय आवश्यकताओं का सावधानी से मूल्यांकन करना चाहिए और ऐसा करते समय ऋणकर्त्ता की वित्तीय स्थिति, उसके खाते के परिचालनों और ग्राहकों की ओर से किए जाने वाले परिचालनों, अर्जित आय, स्टाक और शेयरों के क्रय-विक्रय की औसत अवधि तथा उस समय सीमा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिस सीमा तक दलाल की धनराशियों के उसके व्यापारिक परिचालनों में अन्तर्ग्रस्त रहने की अपेक्षा हो। स्टाक और शेयर दलालों द्वारा बैंक की धनराशियों से उनके अपने नाम पर शेयरों और डिबेंचरों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में रखे गए शेयरों/डिबेंचरों का नियमित रूप से क्रय-विक्रय होना चाहिए। यदि ऐसे शेयर/डिबेंचर 3 महीने से अधिक समय के लिए रखे जाएं तो पैरा 9 में निर्दिष्ट शर्त का अवश्य पालन किया जाना चाहिए।

(iv) न्यास और धर्मस्व :

बैंक, न्यासों और धर्मस्वों को अधिकार निर्गमों में निवेश/अभिदान करने के प्रयोजन के लिए शेयरों/डिबेंचरों की जमानत पर अधिक से अधिक 9 महीने के लिए अल्पावधिक पूरक ऋण दे सकते हैं। प्रति ऋणकर्त्ता यह अग्रिम 5 लाख रुपए से अधिक के नहीं होने चाहिएं।

14. औद्योगिक ऋणकर्त्ताओं अथवा कम्पनी ऋणकर्त्ताओं को शेयरों और डिबेंचरों की मुख्य जमानत पर अग्रिम देने का प्रश्न प्राय: उठना ही नहीं चाहिए। नई परियोजनाओं की स्थापना

या वर्तमान कारवार के विस्तार के दौरान अथवा अपेक्षित अतिरिक्त कार्यशील पूंजी जुटाने के प्रयोजन के लिए ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जब ऋणकर्त्ताओं को दीर्घावधिक साधन जुटाने तक मार्जिन के लिए अपेक्षित धनराशियां न मिल सकें। ऐसे मामलों में मार्जिन के रूप में शेयरों और डिबेंचरों की सांपश्विक प्रतिभूति लेने पर बैंकों को कोई मनाही नहीं है। ऐसे प्रबन्ध अस्थायी किस्म के होंगे और यह एक वर्ष से अधिक नहीं चलेंगे। बैंकों को अपेक्षित धनराशियां जुटाने में ऋणकर्त्ता की क्षमता तथा परिकल्पित अवधि के अन्दर-अन्दर अग्रिमों की रकम चुकाने के बारे में तसल्ली करनी होगी।

15. विभिन्न अनिवासी जमा और निवेश योजनाओं का उद्देश्य अनिवार्यतः अनिवासी भारतीयों की वास्तविक बचतों को आकर्षित करना है और सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन योजनाओं के अन्तर्गत केवल इसी प्रकार की स्थायी धनराशियां जुटाई जाएं। भारत में कार्यरत कोई भी बैंक ऐसे लेन देनों का सहभागी नहीं होना चाहिए। जैसे अन्य बैंकों की कुछ विदेशी शाखाओं द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के ग्राहकों को ऋण देने के लिए उन बैंकों के पक्ष में समर्थनकारी (बैंक-अप) गारंटियां जारी करना अथवा अग्रिम देना जिससे ऋणकर्त्ता (i) विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाह्य योजनाओं में भारत में धनराशियां जमा करवा सकें और (ii) भारतीय कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश कर सकें।

आस्ट्रेलिया द्वारा आर्थिक सहायता का बन्द किया जाना

*80. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने आर्थिक कठिनाइयों के कारण भारत को दी जाने वाली अपनी सहायता बन्द कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो आस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष भारत को कितनी आर्थिक सहायता और किन प्रयोजनों के लिए देता था ; और

(ग) इस आर्थिक सहायता के बन्द किए जाने से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) हाल ही के वर्षों में भारत को 20 से 30 लाख आस्ट्रेलियाई डालर की सहायता प्रतिवर्ष मिली है। यह सहायता, पशुपालन तथा ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों की कई एक परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता के रूप में प्राप्त हुई हैं।

हाल ही में आस्ट्रेलिया की सरकार ने, उनकी अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण, इस सहायता की उपलब्धि को धीरे-धीरे समाप्त कर देने का अपना इरादा प्रकट किया है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा भारत की दूरसंचार विस्तार योजना के लिए धन दिया जाना

570. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत की दूर-संचार विस्तार योजना के लिए धन देने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारत की दूर संचार विस्तार आयोजना के लिए अमरीकी पक्ष की ओर से अभी तक कोई औपचारिक निधिकरण का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण जूट मिल का राष्ट्रीयकरण

571. **डा० सुधीर राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में जूट की मिलें दिन प्रतिदिन रुग्ण होती जा रही हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार रुग्ण जूट मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कोई उपाय सोच रही है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) पश्चिम बंगाल में कई पटसन मिलों में रुग्णता के प्रकोप का मुख्य कारण है उत्पादन की बढ़ती हुई लागत और पटसन उत्पादन की मंद मांग के कारण बिक्री से अलाभप्रद के बीच असमानता। इससे उनकी वित्तीय अर्थ-क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पटसन उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीयकरण उचित समाधान नहीं समझा जाता। दूसरी ओर पटसन उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाने हैं ताकि उसके उत्पादों की उत्पादकता और प्रतियोगिता क्षमता में वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने पटसन उद्योग के पुनरुद्धार, फिर से खोले जाने और

पुन: संरचना के लिए 100 करोड़ रु० की विशेष विकास निधि के अलावा 150 करोड़ रु० की पटसन आधुनिकीकरण निधि स्थापित की है।

बन्दरगाहों पर अनियंत्रित तस्करों संबंधी गतिविधियों के बारे में शिकायतें

572. **श्री भरत कुमार ओडेदरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बंदरगाहों पर तट रक्षक सीमाशुल्क और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में तस्कर और समाज विरोधी तत्व निषिद्ध मदों को जहाजों से ट्रकों में और बंदरगाह क्षेत्रों में निडर होकर लादते रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री· जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है है कि पत्तन क्षेत्रों सहित हमारे देश को सम्पूर्ण तटीय सीमा तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। तथापि पत्तनों सहित तटीय क्षेत्रों के जरिए से होने वाली तस्करी को रोक-थाम करने के लिए सीमा शुल्क विभाग का निवारक तथा आसूचना तंत्र सतर्क रहता है।

तस्करी रोधी अभियान सामान्य रूप से समग्र देश में तेज कर दिया गया है और हमारे समुद्री तटों के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में इस पर विशेष जोर दिया गया है जैसा कि पश्चिमी और पूर्वीतटीय क्षेत्रों से किए गए अभिग्रहणों के सम्बन्ध में नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	पश्चिमी तट से किए अभिग्रहण	पूर्वी तट से किए गए अभिग्रहण
1984	60	21
1985	109	39
*1986	86	31

(सितम्बर तक)

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल से उपयुक्त तस्करी निवारण उपाय भी किए जाते हैं।

औषधियों की अवैध बिक्री

573. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नशीली औषधियों की अवैध बिक्री के बारे में बढ़ते हुए अपराधों को भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच प्रत्यर्पण संधि के अन्तर्गत लाने के प्रयास किए गए हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका के "ब्यूरो फार इन्टरनेशनल नारकोटिक्स मैटर्स" के श्री जे० एन० डिओन के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमरीका के 12 सदस्यीय शिष्ट मंडल ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था और भारत सरकार के साथ बैठकें की थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उनके साथ हुए विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : नई दिल्ली में दिनांक 19, 20 सितम्बर, 1986 को आयोजित नार्कोटिक विषयक भारत अमरीकी कार्यकारी दल की पहली बैठक में अमरीकी प्रतिनिधि दल का नेतृत्व श्री जेराल्ड मार्क डिऑन, उप सहायक सचिव, ब्यूरो फार इंटरनेशनल नार्कोटिक्स मैटर्स, डिपार्टमेंट आफ स्टेट, यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट, ने किया था । इस बैठक में निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया था :

(क) नशीले औषध-द्रव्यों में गैर कानूनी धन्धे के तरीकों के सम्बन्ध में जानकारी का आदान-प्रदान ।

(ख) पुनर्वास और शिक्षा कार्यक्रम ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों के जरिए भारतीय नोर्कोटिक्स नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयासों के लिए अमरीकी तकनीकी सहायता ।

(घ) नशीले औषध-द्रव्य के दुरुपयोग/गैर कानूनी धन्धे को रोकने के लिए प्रशिक्षण ।

(ङ) अवैध नशीले औषध-द्रव्यों की सप्लाई और मांग को कम करने के लिए क्षेत्रीय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ निकायों में संयुक्त कारंवाई ।

(च) चिकित्सीय इस्तेमाल के लिए अमरीका द्वारा भारत से अनुमत अफीम का आयात बढ़ाना ।

(छ) प्रत्यर्पण संधि ।

पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की खरीद

574. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पटसन

निगम द्वारा पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष के दौरान जिलावार खरीदे गए पटसन का ब्यौरा तथा इसकी मात्रा क्या है ।

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : चालू पटसन वर्ष के दौरान 27 अक्तूबर, 1986 तक भारतीय पटसन निगम (जे० सी० आई०) द्वारा पश्चिमी बंगाल में जिलावार खरीदी गई पटसन की मात्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं।

(180 कि० ग्रा० की गांठों में)

जिला	जे० सी० आई०	सहकारी समितियां	कुल
कूचबिहार	82,222	26,111	1,08,333
जलपयगुढी	72,222	33,333	1,05,555
दार्जिलिंग	12,222	—	12,222
प० दिनाजपुर	43,333	28,889	72,222
माल्दा	15,556	8,333	23,889
मुर्शीदाबाद	61,111	31,557	92,668
नादिया	55,556	44,444	1,00,000
बर्दवान	22,223	20,000	42,223
हुगली	24,444	12,223	36,667
हावड़ा	1,944	2,556	4,500
बांकुरा	2,500	3,000	5,500
मिदनापुर	10,000	4,444	14,444
पूर्व 24-परगना	82,222	23,333	1,05,555
योग :	4,85,555	2,37,223	7,22,778

पान का निर्यात

575. **श्री जैनल अबेदिन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, पान के निर्यात का अनंतिम अनुमान कितना है ; और

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय और मध्य पूर्व देशों में पान की बिक्री को लोकप्रिय बनाने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) अनन्तिम अनुमानों

के अनुसार 1985-86 के दौरान पान के निर्यात 61 लाख रु० मूल्य के हुए। भावी निर्यात के लिए अनुमान नहीं लगाए गए हैं।

(ख) पान के निर्यात की संभाव्यता सीमित हैं। निर्यात मुख्य रूप से मध्य-पूर्व देशों को किए जा रहे हैं, जहां काफी संख्या में इथनिक समुदाय है, जो कि इस मद का उपयोग करता है। पान की खपत सीमित होने से इसके निर्यात बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

निकरागुआ के राष्ट्रपति की यात्रा

576. **श्री सोमनाथ रथ :**

श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या निकरागुआ के राष्ट्रपति सितम्बर, 1986 में भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने आपसी सहयोग के सम्बन्ध में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके साथ हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) बातचीत दिपक्षीय सम्बन्धों और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर हुई थी। इस यात्रा के दौरान तीन दिपक्षीय करारों—सांस्कृतिक करार, समझौता ज्ञापन, जिसमें आर्थिक सहयोग शामिल है और ऋण करार पर हस्ताक्षर हुए।

बैंकों द्वारा यूनियन के क्रियाकलापों में शामिल व्यक्तियों पर खर्च की गई राशि

577. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत के बैंक में यूनियन के क्रियाकलापों में शामिल कर्मचारियों पर वेतन, यात्रा, टेलीफोन सुविधा के रूप में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीय बैंक में वर्ष 1983-84 में यूनियन के कार्यों के लिए "छोड़ गए" कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान यूनियन गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों पर प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा वेतन, यातायात, फोन सुविधाओं आदि पर किए गए खर्चे की राशि और यूनियन

गतिविधियों के लिए "छोड़े गए" कर्मचारियों की संख्या दिखाने वाला विवरण

(आंकड़े अनन्तिम)

क्र० सं०	बैंक का नाम	वर्ष 1983-84 में यूनियन गतिविधियों पर उनके वेतन, यातायात, फोन सुविधा आदि के रूप में खर्च की गई राशि (लाख रुपये)	वर्ष 1983-84 में यूनियन गतिविधियों के वास्ते छोड़े गए कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4
1.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	1.19	1
2.	बैंक आफ इंडिया	उ० न०	शून्य
3.	पंजाब नेशनल बैंक	शून्य	शून्य
4.	बैंक आफ बड़ौदा	उ०न०	शून्य
5.	यूको बैंक	1.53	शून्य
6.	केनरा बैंक	उ०न०	उ०न०
7.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	उ०न०	उ०न०
8.	देना बैंक	7.80	शून्य
9.	सिंडकेट बैंक	1.43	शून्य
10.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	शून्य	शून्य
11.	इलाहाबाद बैंक	0·20	शून्य
12.	इंडियन बैंक	0.90	4
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	उ०न०	उ०न०
14.	इंडियन ओवरसीज बैंक	2.62	9
15.	आंध्रा बैंक	0.80	शून्य
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	शून्य	शून्य
17.	न्यू बैंक आफ इंडिया	0.80	शून्य
18.	विजया बैंक	शून्य	शून्य
19.	कारपोरेशन बैंक	0.43	शून्य
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	0.59	शून्य
	जोड़ :	18.29	14

पाद टिप्पणी : कुछ बैंकों ने सूचित किया है कि वार्ता समिति की बैंकों और संयुक्त बैठकों में भाग लेने के लिए यूनियनों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को विशेष छुट्टी दी गई थी।

हथकरघा वस्तुओं पर छूट दिवसों में कटौती

578. **श्री गदाधर साहा :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा वस्तुओं पर छूट अब 30 दिन की अवधि के लिए दी जा रही है जबकि पहले यह 60 दिन के लिए दी जाती थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विद्यमान योजना के अन्तर्गत मूल रूप में व्यवस्था किए गए रूप में हथकरघा उत्पादों पर 20% छूट की अनुमति एक वर्ष में 30 दिन के लिए होती हैं और इसके अलावा हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित व अनुमोदित प्रदर्शनियों के दौरान भी दी जाती हैं। केवल 1983-84 और 1984-85 के दौरान नीति में परिवर्तन किया गया जबकि सामान्य छूट अथवा प्रदर्शनियों पर छूट के लिए राज्यों के स्वविवेक पर उपयोग किए जाने के लिए एक वर्ष में 60 दिन के लिए 20 प्रतिशत छूट आफर की गई थी तथा 1985-86 में अनुमति एक वर्ष में 45 दिन के लिए दी गई थी और इसके अलावा राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपोस० में भी यह छूट दी गई। अब सरकार मूल नीति पर आ गई है क्योंकि कुछ राज्य सरकार ने अभ्यावेदन किया कि पहले योजना अधिक न्यायसंगत थी तथा इसलिए भी कि हथकरघा के सम्बन्ध में उपसमूह ने, जो छूट योजना सहित हथकरघा क्षेत्र के विकास सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 7वीं योजना के लिए बनाया गया था, सिफारिश की थी कि इस योजना को क्रमबद्ध रूप में समाप्त कर चाहिए।

हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की योजना

579. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और हथकरघा बुनकरों के हितों की रक्षा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन-सी योजनाएं आरम्भ की है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : केन्द्रीय सरकार हथकरघा क्षेत्र की सहायता तथा विकास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती है। ऐसी योजनाएं जिन्हें अधिकांशत: राज्य सरकारों से बराबर की सहायता से कार्यान्वित किया जाता है, निम्नोक्त प्रकार है :

(1) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता;

(2) एपैक्स बुनकर सहकारी समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों को उनके विपणन कार्यों के लिए शेयर पूंजी सहायता;

(3) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता;

(4) करघों के आधुनिकीकरण और अधिक उत्पादक करघे लगाने के लिए सहायता;

(5) करघा-पूर्व और करघा पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता;

(6) हथकरघा बुनकर सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मार्फत राज्य सरकारों को सहायता;

(7) जनता कपड़ा योजना;

(8) हथकरघा कपड़े के जमा स्टाकों के निपटान तथा मांग के सृजन के लिए विशेष छूट; और

(9) हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा हथकरघा क्षेत्र में हुए प्रौद्योगिकीय सुधारों से लोगों को अवगत कराने के लिए देश के विभिन्न भागो में हथकरघा प्रदर्शिनियों का आयोजन।

मिलों में हड़ताल और उनके बंद होने के कारण बेरोजगार हुए बम्बई कपड़ा श्रमिकों को फिर से रोजगार देना

580. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में कपड़ा श्रमिकों की लम्बे समय तक हड़ताल रहने के कारण मिलों के बन्द होने के परिणामस्वरूप बम्बई से कुल कितने कपड़ा श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) कपड़ा मिलों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए इन श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उनमें से कितने लोगों को राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही मिलों में खपाया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) सितम्बर 1986 को विद्यमान स्थिति के अनुसार बम्बई में 60 सूती वस्त्र मिलों में से 57 ने कार्य करना आरम्भ कर दिया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इन तीन बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के हाजिरी रजिस्टर में कामगारों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :

1. ब्राडवरी मिल्स	3093
2. मुकेश टैक्सटाइल मिल्स	1656
3. श्रीनिवास काटन मिल्स	5322
योग :	10071

(ख) देश में सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के पुनरुद्धार के लिए समुचित वित्तीय पैकेज तैयार करने तथा उसकी व्यवस्था करने के लिए एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया गया है।

सरकार के पास इस समय इन 3 मिलों को पुनः चालू करने के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। उनके पुनरुद्धार के सम्बन्ध में किसी भी सुझाव पर संभाव्य अर्थक्षमता के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा।

(ग) इन 3 बन्द पड़ी वस्त्र मिलों के कामगारों को नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा संचालित यूनिटों में खपाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उन 13 मिलों में, जिन्हें 1983 में एन० टी० सी० द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था, नियोजित कर्मचारियों की संख्या 23,300 से अधिक है।

पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बैंकों का ऋण जमा

581. **श्री रेणुपद दास** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उडीसा में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के अन्त में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि और उनमें जमा कराई गई राशि के सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सम्बन्ध में वर्ष 1983, 1984 और 1985 के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाराशियां तथा अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(राशि करोड़ रुपए में)

	जमा राशियां			अग्रिम		
	1983	1984	1985	1983	1984	1985
पश्चिम बंगाल	5802	6641	7822	3331	3717	3753
बिहार	2592	3112	3600	1033	1199	1343
उड़ीसा	715	819	969	525	642	774

अफ्रीका विधि की कार्य व्यवस्था

582. श्री डा० वी० एल० शैलेश : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अग्रिम पंक्ति के देशों को दक्षिण अफ्रीका पर निर्भरता कम करने में सहायता देने हेतु हरारे गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता में स्थापित "अफ्रीका विधि की कार्य व्यवस्था के सम्बन्ध में सितम्बर, 1986 में अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित विधि का प्रस्तावित स्वरूप क्या है; और

(ग) इस बात चीत के क्या परिणाम निकले और यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुम्राडों फलीरो : (क) हाल ही में हरारे में संपन्न हुए गुट निरपेक्ष आन्दोलन के आठवें शिखर सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया कि आक्रमण, उपनिवेशबाद तथा जातीय पृथग्वासन को रोकने के लिए कार्रवाई कोष 'अफ्रीका" स्थापित किया जाए.। 9 सदस्यों की इस कोष समिति के अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने कोष की स्थापना के तौर तरीकों तथा अग्ररेखी राज्यों और दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में मुक्ति आंदोलनों की प्राथमिक आवश्यकताओं का जायजा लेने पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के अग्ररेखी राज्यों यानी जिम्बाब्वे, जाम्बिया, अंगोला, तंजानिया, बोत्स्वाना तथा मोजाम्बिक के साथ "अफ्रीका" कोष के चार्टर की शर्तों के अनुसार विचार विमर्श किया। भारत इस मसले पर कोष समिति के अन्य सदस्य देशों तथा गुट निरपेक्ष आन्दोलन के अन्य देशों के साथ भी विचार-विमर्श कर रहा है।

(ख) "अफ्रीका" कोष समिति को अग्ररेखी राज्यों तथा दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों की सहायता के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करती है। इस कोष समिति को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक संसाधन निर्धारित करने होंगे। कोष के लिए अभी तक कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया गया है।

(ग) अग्ररेखी राज्यों के साथ जो बातचीत हुई है वह दक्षिण अफ्रीका पर इन राज्यों की निर्भरता को कम करने के लिए उनकी सहायता के प्राथमिक क्षेत्रों का पता लगाने में उपयोगी सिद्ध हुई है। उम्मीद है कि कोष समिति के सदस्य देशों के अधिकारियों की बैठक शीघ्र होगी ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके।

भारत स्वीडन व्यापार समझौता

583. **श्री अनन्त प्रसाद** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और स्वीडन ने हाल ही में एक ऐसे समझौते (प्रोटोकाल) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अन्तर्गत स्वीडन को भारत से बड़े पैमाने पर निर्यात करने की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो स्वीडन को निर्यात किए जाने वाले भारतीय उत्पादों के बारे में लिये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) : भारत स्वीडिश संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में 3 से 7 अक्तूबर, 1986 तक हुई। आयोग ने तीन उप-आयोगों, जिनमें व्यापार सम्बन्धी उप-आयोग भी शामिल हैं, के माध्यम से विचार विमर्श किया।

व्यापार सम्बन्धी उप-आयोग की बैठक के दौरान यह बात नोट की गई कि दोनों देशों के

बीच व्यापार अपनी पूरी सम्भाव्यता तक नहीं पहुंच पाया। भारत से स्वीडन को निर्यात वृद्धि हेतु वस्त्र, परिधान, अभ्रक, भारतीय टाल्क, कम्प्यूटर साफ्टवेयर जैसी मदें अभिज्ञात की गईं। भारतीय पक्ष ने इस बात का प्रस्ताव किया कि व्यापार संबर्धन हेतु भविष्य में स्वीडिश सहायता एक ऐसे सुपरिभाषित कार्यक्रम के आधार पर हो जो समुद्री खाद्यों, सूती फैब्रिकों, बेड लिनन, साज-सज्जा सामग्री, मेड-अप्स, परिधानों, कालीनों, फर्नीचर, खेल सामग्री और मूल्यवान तथा नकली आभूषणों जैसे कुछ चुनिन्दा उत्पादों पर संकेन्द्रित हो।

सिले सिलाये वस्त्रों पर निर्यात करने वाली जाली फर्में

584. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 सितम्बर, 1986 को डेक्कन हेराल्ड में "70 परसैन्ट गारमेंट एक्सपोर्टिंग फर्मस आर बोगस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार निर्यात आयुक्त ने ऐसा कहा है कि देश में सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात करने वाली 70 प्रतिशत फर्में जाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों पर नियन्त्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) निर्यात आयुक्त ने शुल्क मुक्त आयात योजना के पहलुओं पर चर्चा करते समय परिधान क्षेत्र की सहयोगी फर्मों की समस्या का उल्लेख किया था। सरकार ने, निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत शपथ-पत्रों के सम्बन्ध में आग्रह करते हुए सहयोगी फर्मों को निरुत्साहित करने के लिए उपाय किए हैं। सरकार ने हाल ही में यह शर्त रखी है कि हकदारियों के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए फर्म को आयकर निर्धारिती होना चाहिए।

पश्चिम बंगाल में करेंसी नोट मुद्रणालय

585. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पानागढ़ अथवा किसी अन्य स्थान पर करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के बारे में अन्तिम तौर से निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यद्यपि, देश में बैंक नोट प्रेस क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जा चुका है, फिर भी, प्रति एकक इष्टतम क्षमता, प्रौद्योगिकी, मांग वितरण आदि जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है और एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

इन्जीनियरी के सामान के निर्यात में गिरावट

586. **श्री अमरसिंह राठवा :**

श्री मोहन भाई पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी के सामान के निर्यात में गिरावट आई है और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एसोसिएशन आफ इण्डियन इन्जीनियरिंग इंडस्ट्री (ए० आई०-ई० आई०) ने इस सम्बन्ध में सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ग) एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इस उद्योग को बढ़ावा देने और चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां, इंजीनियरी माल के निर्यात में गिरावट के कारण अन्य बातों के साथ-साथ ये है -- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा, कुछ विकसित देशों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियां, एशिया तथा अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में भुगतान शेष समस्याएं तथा विकासात्मक क्रियाकलापों में मन्दी, पश्चिम एशिया में सतत अस्थिरता, स्वदेशी अन्तर्निविष्ट साधनों की ऊंची लागत और भारत में कुछ इंजीनियरी उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अपर्याप्त उत्पादन आधार आदि।

(ख) जी हां।

(ग) ए० आई० ई० आई०। अब इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ (सी० ई० आई०) ने सुझाव दिया था कि वह खण्डीय तथा कम्पनी स्तरीय योजनाएं तैयार कर रहा है और इच्छा व्यक्त की कि मशीनी औजारों, इस्पात की ढली हुई वस्तुओं, साफ्टवेयर आदि के निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लिए जाएं।

(2) एक ऐसे राष्ट्रीय निर्यात प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए जो निर्यातकों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न स्वीकृतियों और क्लीयरेंसों के लिए एकल शीर्ष अभिकरण के रूप में कार्य करे।

(3) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालयों और साथ ही श्रम, विद्युत, इस्पात, ऊर्जा आदि से सम्बन्धित मन्त्रालयों में परस्पर घनिष्ठ समन्वय होना चाहिए; और

(4) अण्डमान में एक मुक्त पत्तन की स्थापना ।

(घ) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपायों का प्रस्ताव करके अधिकतम निर्यात सम्भाव्यता वाले कुछ अभिज्ञात ग्रस्ट उद्योगों के लिए निर्यात नीति संबंधी पैकेज बनाना पहले ही आरम्भ कर दिया है।

सरकार ने निर्यात क्षेत्र की समस्याओं के शीघ्र समाधान की व्यवस्था के करने के उद्देश्य से निर्यात सम्बन्धी अधिकार प्राप्त सचिव समिति और निर्यात सम्बन्धी मंत्रि मंडल समिति गठित की है। ये समितियां निर्यात प्रयासों में अन्तर्ग्रस्त विभिन्न मंत्रालयों में उच्चस्तरीय पारस्परिक कार्य के लिए मंच भी प्रस्तुत करती है।

अण्डमान में एक मुक्त पत्तन स्थापित किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर बिचार अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए समग्र विकास योजनाओं के भाग के रूप में किया जाएगा।

(ङ) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) औद्योगिक नीति और लाइसेंसिंग तथा सहयोग प्रक्रियाएं उदार बनाना ।

(2) एक स्थिर नीति सम्बन्धी ढांचा प्रदान करने के लिए तीन वर्षीय आयात निर्यात नीति आरम्भ करना ।

(3) 1-1-1985 से निर्या उत्पादन के लिए आयातित अन्तर्निविष्ट साधनों के सम्बन्ध में कर मुक्त व्यवस्था हेतु आयात-निर्यात पासबुक योजना आरम्भ करना ।

(4) आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी सम्बन्धी आयात नीति उदार बनाना ।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पुनर्भुगतान योजना के अधीन निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर कच्चा लोहा और इस्पात सम्बन्धी कच्चे माल की व्यवस्था ।

(6) इंजीनियरी निर्यातकों को स्वदेशी अल्युमीनियम की सप्लाइयों पर अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पुनर्भुगतान योजना लागू का निर्णय ।

(7) घरेलू करारोपण के क्रम-प्रपाती प्रभाव के मुआवजे के लिए 1-7-86 से एक नयी नकद मुआवजा सहायता प्रणाली आरम्भ करना ।

(8) सभी प्रकार के निर्यात माल के लिए 180 दिनों तक 9·5 प्रतिशत की ब्याज दर पर लदान पूर्व तथा लदान ऋण की व्यवस्था ।

(9) टर्नकी/निर्माण परियोजनाओं और परामर्शी सेवाओं के निर्यात के सम्बन्ध में कम्पनियों द्वारा दी गयी बोली की लागत के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान करने के लिए बाजार विकास निधि से सहायता दी जाने की व्यवस्था।

(10) टर्नकी तथा सिविल निर्माण परियोजनाओं संबंधी संविदा के सविस भाग और परामर्शी सेवाओं के निर्यात के लिए निवल विदेशी मुद्रा आय के 10 प्रतिशत की दर से परियोजना सहायता।

(11) विदेशों में कार्यालय खोलने के लिए परामर्शी संगठनों को बाजार विकास सहायता देने की व्यवस्था।

(12) निर्यातकों को आयकर के प्रयोजन के लिए निवल विदेशी मुद्रा आय के एफ०ओ०बी० मूल्य के 4 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करने और व्यवसाय प्रयोजन के लिए निर्यातों के लिए दिए जाने वाले लाभ का 50 प्रतिशत भाग अपने पास रखने की अनुमति की गई है।

(13) चुनिन्दा ग्रस्ट उद्योगों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दीर्घावधि एवं अल्पावधि उपायों का प्रस्ताव करके निर्यात करके निर्यात नीति पैकेज तैयार करना।

(14) ऐसा समिन्वित विपणन अभियान तैयार करना जिसमें व्यापार मेला सहभागिता और चुनिन्दा उत्पादों तथा बाजारों के लिए माध्यम विज्ञापन शामिल हो। ई० ई० पी० सी० को इंजीनियरी उत्पादों के लिए रोटरडम में गोदाम स्थापित करने के सम्बन्ध में स्वीकृति दे दी गई है।

(15) निर्यातकों को अद्यतन बाजार जानकारी प्रदान करने के लिए ई० ई० पी० सी० में एक कम्प्यूटकीकृत आँकड़ा आधार स्थापित करने के लिए परियोजना आरम्भ करना।

इसके अलावा सरकार ने सिद्धान्त रूप में निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है:

(i) निर्यातकों को विशिष्ट निर्यात संवर्धन क्रियाकलापों के लिए अपनी विदेशी मुद्रा आय का 5 से 10 प्रतिशत भाग का उपयोग करने की अनुमति।

(ii) निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत माल का आयात करने की अनुमति, चाहे वह कर मुक्त हो अथवा कम मूल्य का हो, बशर्ते कि ऐसी मशीनरी का स्वदेशी उत्पादन न हो रहा हो।

(iii) निर्यात के लिए फर्मों को चुनिन्दा उत्पादों के विनिर्माण हेतु अनुमति प्रदान करना बशर्ते कि वे फर्में अपने कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग निर्यात करने की इच्छुक हों।

उपरोक्त निर्णयों को सिद्धांत रूप में क्रियान्वयन करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

विदेशी मुद्रा विनियमन सम्बन्धी खोज समिति

587. **श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन सम्बन्धी एक घोष समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई उन प्रमुख सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ग) क्या भारत में किसी व्यवसाय में लगी एक अनिवासी भारतीय की आस्तियों को दूसरे अनिवासी को अन्तरित करने पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्तमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सँलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा स्वीकार की गई घोष समिति की सिफारिशें निम्नलिखित हैं।

विदेश में विशेष/व्यावहारिक तकनीकी प्रशिक्षण

(i) पहले महीने के लिए 85 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन की दर को बढ़ाकर 100 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन कर दिया जाए और शेष अवधि के लिए यह दर 60 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर से बढ़ाकर 75 संयुक्त राज्य अतरीकी डालर कर दी जाए।

(ii) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए, विदेशी मुद्रा की कुल राशि 600 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर से बढ़ा कर 900 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर कर दी जाए।

(iii) प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम शुल्क को वास्तविक आधार पर 1000 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर तक विदेशी मुद्रा विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मंजूर किया जाए और इससे अधिक सीमा तक की मंजूरी विदेशी मुद्रा विभाग के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा दी जाए।

(iv) विदेश में विख्यात संस्थाओं में उच्च विशेष चिकित्सा क्षेत्र (जैसे हृदय शाल्य चिकित्सा, न्यरोलाजी सिटोलार्जी आदि) में प्रशिक्षण लेने के लिए जाने वाले चिकित्सकों/विशेषज्ञों को 6 महीने तक के लिए विदेशी मुद्रा जारी की जाए।

(v) 6 महीनों से अधिक की अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आवेदन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार के साथ विचार विमर्श से कार्रवाई करें।

(vi) स्वीकृत किए गए मामलों में, विशेष प्रशिक्षणं के लिए लागू दरों पर विदेशी मुद्रा दी जाए।

आकस्मिक खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा का दिया जाना (पूर्ण मेजबानी, छात्रवृत्तियों आदि के मामले में)

आकस्मिक खर्चों के लिए विदेशी मुद्रा देने की दर को जो कि 10 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन है और जिसके लिए न्यूनतम राशि 100 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर और अधिकतम राशि 600 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर है, को बढ़ाकर 15 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन कर दिया जाए और इसके लिए क्रमश: न्यूनतम राशि 150 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर और अधिकतम राशि 900 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर रखी जाए।

विदेश में डाक्टरी इलाज

(i) सशस्त्र सेना स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक और भारतीय स्वास्थ्य परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त सभी मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्याओं द्वारा अनुप्रमाणित किए गए प्रमाण पत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकार कर लिए।

(ii) किसी प्रकार के अनुमान की अनुपस्थिति में वर्तमान लागू 5000 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की सीमा के स्थान पर रोगियों को 7500 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर तक की विदेशी मुद्रा दे दी जाए।

(iii) बाह्य रोगियों के लिए देखभाल भत्ता की दर और अंतरग रोगियों के लिए स्वास्थ्य लाभ की दर को 85 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर से बढ़ाकर 100 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन कर दिया जाए।

(iv) परिचरों के भत्ते की दर को 50 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर से बढ़ा कर 75 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर प्रतिदिन कर दिया जाए।

विशेष भ्रमण योजना (विदेश भ्रमण योजना और पड़ोसी देश भ्रमण योजना)

(i) विदेश भ्रमण योजना और पड़ोसी देश भ्रमण योजना के अधीन विदेश भ्रमण को दो कैलेण्डर वर्षों में एक बार भ्रमण से हटा कर तीन कैलेण्डर वर्षों में एक बार तक सीमित किया जाए।

(ii) विदेशी भ्रमण योजना और पड़ोसी देश भ्रमण योजना के अधीन 12 वर्षों तक की आयु वाले बच्चों के लिए विदेशी मुद्रा की राशि उन वयस्कों के लिए निर्धारित राशि से आधी दी जाए।

(iii) विदेशी भ्रमण योजना और पड़ोसी देश भ्रमण योजना दोनों अलग-अलग होगी अर्थात पड़ोसी देश में यात्रा करने पर भ्रमणकर्त्ता को केवल पड़ोसी देश भ्रमण योजना में मिलने वाली विदेशी मुद्रा मिलेगी; उसे विदेशी भ्रमण योजना के अनुसार मिलने वाली विदेशी मुद्रा नहीं मिलेगी।

(iv) विदेशी मुद्रा देमे के प्रयोजन से विदेशी भ्रमण योजना और और पड़ोसी देश भ्रमण योजना की सुविधाओं को एक साथ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दीं जाएगी।

(v) विदेशी भ्रमण योजना का मुद्रा घटक घटाकर 100 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर कर देना चाहिए और पड़ोसी देश भ्रमण योजना के अधीन इसे घटाकर 50 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर कर दिया जाए।

"सहायक निर्माताओं" के लिए एक मुश्त परमिट (ब्लेंकिट परमिट) सुविधा

(i) सहायक निर्माताओं को यह अनुमति दे दी जाए कि वे व्यापारिक घरानों/निर्यात घरानों ब्लेंकिट परमिट धारण करने वाले केनिलाइजिंग अभिकरणों की शर्तों के अनुसार अपने प्रतिनिधियों को आयात बढ़ाने के लिए विदेशों में भेज सकें।

(ii) सहायक निर्माताओं के प्रतिनिधियों द्वारा आयात को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र रूप से विदेश जाने पर उन्हें मुख्य निर्यात कर्ता के ब्लेंकिट परमिट पर विदेशी मुद्रा लेने की अनुमति दी जाए।

द्विपक्षीय समूह देशों में यात्रा करने के लिए विदेशी मुद्रा की सुविधा :

किसी भी द्विपक्षीय समूह देश में यात्रा करने के लिए जाने वाले भ्रमणकर्ता की मुश्त विदेशी मुद्रा की राशि की मात्रा को उनकी विदेशी मुद्रा पात्रता के 20 प्रतिशत या 100 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर, जो भी अधिक हो, कर दिया जाय।

भा० रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा परमिट के धारकों को अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड जारी करना

भारतीय रिजर्व बैंक के ब्लेंकिट विदेशी मुद्रा परमिट के धारकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई शर्तों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी जाए।

विदेश से भारत लौटने पर भारतीय निवासियों द्वारा न खर्च की गई विदेशी मुद्रा का लौटाया जाना

भारतीय रिजर्व बैंक विदेश में कारबार/सरकारी कार्य से संबंधित यात्रा करके भारत लौटने वाले व्यक्तियों को एक आम अनुमति देगा जिसके अनुसार वे भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किए बिना 100 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर तक या उसके समतुल्य खर्च न की गई विदेशी मुद्रा अपने पास रख सकते हैं और भारत में लौट कर आने के 14 दिनों के अन्दर-अन्दर सूचित करके 500 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर या उसके समतुल्य विदेशी मुद्रा अपने पास रख सकते हैं।

भारत में धारित निधियों/परिसम्पत्तियों में से प्रत्यावर्तन (जिसमें वसीयत सम्पत्ति, वसीयत, उत्तराधिकार शामिल है)

(i) निश्चित तिथि से पहले (प्री-जीरो) के मामले—अनिवासी भारतीयों को भारत में उत्तराधिकार से प्राप्त और अन्य परिसम्पत्तियों में से 10 लाख रुपए तक की एक मुश्त प्रेषणाओं की सुविधा दी जाए। सामान्य अनिवासी खाताओं सहित सभी परिसम्पत्तियों को इस प्रयोजन के लिए स्वीकार किया जाए।

(ii) निश्चित तिथि के बाद (पोस्ट-जीरो) के मामले—1-1-70 से पहले विदेशों में जाकर

बसे भारतीयों को विशेष स्वीकृत प्रयोजनों के लिए 2·5 लाख रुपए तक की परिसम्पत्तियों की प्रेषणाओं के लिए पात्र मान लिया जाए।

(iii) "विपत्ति की अवस्था में" भारतीय उत्प्रवासियों को प्रेषणाओं की सुविधा।

(क) एक लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति/परिवार कर दिया जाए।

(ख) भारतीत रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा दिए जाने की राशि के वार्षिक आबंटन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाए।

निवासी भारतीयों द्वारा अनिवासी सम्बन्धियों के लिए विशेष मौकों पर उपहार वस्तुओं का निर्यात

निवासी भारतीयों द्वारा अपने अनिवासी निकट के सम्बन्धियों को विशेष मौकों पर नकद और वस्तु रूप में उपहार की 1500 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर की बढ़ाई हुई समस्त सीमा में निम्नलिखित उप-सीमा निर्धारित की जाए।

सोने की वस्तुओं का मूल्य 300 संयुक्त राज्य अमरीकी डालर से अधिक का नहीं होना चाहिए।

विदेशों से भारत लौटने वाले भारतीयों से सम्बन्धित विदेशी मुद्रा पात्रता योजना (आर० आई० एफ० ई० ई० एस०)

आर० आई० एफ० ई० ई० एस० योजना के अधीन पात्रता की प्रतिशतता को 25 प्रतिशतता को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर भारत में स्थाई रूप से बसने के लिए आते समय प्रार्थी द्वारा भारत में लाई गई विदेशी मुद्रा की राशि के 50% के बराबर कर दिया जाए।

विदेशी मुद्रा बीमा पालिसियां

वर्तमान व्यवस्था में यह प्रावधान है कि निवासी भारतीय विदेश में रहते हुए ली गई जीवन बीमा पालिसी का प्रीमियम तभी देने के पात्र हैं यदि भारत में बसने के लिए आने से कम से कम 7 वर्ष पूर्व पालिसी प्रभावी रही हो। इस व्यवस्था में दी गई अवधि को उदार बनाकर घटा कर तीन वर्ष कर दिया जाए।

विदेशी राष्ट्रीकों के लिए सेवा निवृत्ति सुविधाएं

(i) विदेशी राष्ट्रीकों द्वारा भारत में छोड़ी गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों में से सेवा निवृति सुविधाओं के अधीन प्रारम्भिक कोटा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए।

(ii) सेवा निवृत होने वाले विदेशी राष्ट्रीकों द्वारा भारत में छोड़ी गई शेष पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मूल्य से संबंधित प्रेषणाओं की सीमा को 50,000 रुपए प्रति वर्ष से बढ़ा कर 2·5 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

भारतीय राष्ट्रीकों की विधवाओं को (जिनका जन्म विदेश में हुआ) प्रेषण सुविधाएं

ऊपर बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निवासी भारतीयों की विदेश में जन्मी पत्नियों को उनके संयुक्त चालू और पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध में, प्रेषण सुविधाएं दे दी जाएं। यह सुविधा उन मामलों में दी जाएगी। जहां कोई स्त्री अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने जन्म स्थान वाले देश में जाकर बसने की इच्छुक हो।

वसीयत संपदा और वसीयत के सम्बन्ध में प्रेषणाएं

(i) इन प्रेषणा सुविधाओं को सेवानिवृत्ति सुविधाओं से अलग कर दिया जाए अर्थात वसीयत सम्पदा और वसीयत के सम्बन्ध में प्रेषणाओं को विदेशी राष्ट्रीक लाभ प्राप्तकर्त्ताओं के मामले में सामान्य सेवानिवृत्ति सुविधाओं के अतिरिक्त कर दिया जाए।

(ii) प्रारम्भिक प्रेषण की सीमा को बढ़ा कर 5 लाख रुपए कर दिया जाए और परवर्ती प्रेषणाओं को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

वस्तुओं का नगद भुगतान के आधार पर निर्यात

(i) "गैर-चुनींदा" सूची की वस्तुओं के आयात पर एजेंसी कमीशन की दर की सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर निर्यात मूल्य का 7.5 प्रतिशत कर दिया जाए। इसी प्रकार "चुनींदा सूची" की वस्तुओं के सम्बन्ध में एजेंसी कमीशन की दर को बढ़ाकर निर्यात मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर दिया जाए।

(ii) एजेंसी कमीशन की संशोधित सीमा दर सभी देशों को आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लागू होगी। चुनींदा सूची और गैर चुनींदा सूची की वस्तुओं के सम्बन्ध में 2.5 प्रतिशत के अन्तर की राशि भारतीय रिजर्व बैंक को उपलब्ध होगी। इसका प्रयोग केवल केन्द्रीय कार्यालय द्वारा ही किया जाना चाहिए न कि विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा। इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मन्त्रालय के परामर्श से उपयुक्त दिशा – निर्देश तैयार करेगा। इन सीमाओं से अधिक के एजेंसी कमीशन से सम्बन्धित मामलों पर सरकार के परामर्श से विचार किया जाए।

आस्थगित भुगतान शर्तों पर इन्जीनियरी वस्तुओं का निर्यात

परियोजना निर्यात के वित्तीय संस्थानों के कार्यकारी दल द्वारा बोली देने वाले को संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक एजेंसी कमीशन देने की स्वीकृति दी जा सकती है।

एजेन्सी कमीशन की आवधिक प्रेषणाएं

प्राधिकृत डीलरों (आयातकों द्वारा नामित) की नामजद शाखाओं को यह शक्तियां प्रदत्त की जाएं कि वे परियोजना निर्यात के वित्तीय संस्थानों के कार्यकारी दल या भारतीय रिजर्व बैंक जैसा भी मामला हो, के द्वारा जारी किए गए आरम्भिक स्वीकृति पत्र के आधार पर एजेंसी कमीशन से संबंधित आवधिक प्रेषणाएं प्रभावी कर सकें।

जहाजरानी कंपनियों की समस्याएं

अधिशेष भाड़ा पैसेज कलेक्शन :

भारतीय रिजर्व बैंक साधारण बीमा निगम और महानिदेशक आपूर्ति के मशविरे से साधारण बीमा निगम द्वारा अनुमोदत पोतों पर निर्यात/आयात माल बुक करने से सम्बन्धित भारतीय पोतवणिकों के लिए व्यापक दिशानिदेश बनाएगा ताकि मार्ग में या गहरे समुद्र में माल या जहाज नष्ट होने के कारण नुकसान/खर्चों को बचाया जा सके।

पत्तन भीड़-भाड़ (पोर्ट कन्जेशन) और निरुद्धता (डिटेन्शन) प्रभार

ट्रैम्प पोत प्रचालकों द्वारा दायर दावों की रकम कांफ्रेंस लाइन पोत के सम्बन्ध में दायर रकमों से अधिक नहीं होनी चाहिए। संदिग्ध मामले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महानिदेशक आपूर्ति के परामर्श से निपटाए जाए।

विदेश में प्रचालनात्मक खर्चों और शुष्क गोदी की लागत, मरम्मत. फालतू पुर्जों के क्रय आदि से सम्बन्धित प्रेषणाएं

भारतीय जहाजरानी कंपनियों के शुष्क गोदी, विदेश में मरम्मत और फालतू पुर्जों की खरीद से संबंधित आवेदन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महानिदेशक आपूर्ति के मशविरे से कार्यवाही की जाए।

अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रेषणाएं

जहाजरानी कंपनियों द्वारा विदेश में अतिरिक्त खर्चों के लिए की गई प्रेषणाओं से संबंधित आवेदन-पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा महानिदेशक आपूर्ति की सलाह से विचार किया जाएगा।

कांउन्टर व्यापार तथा लिंक सौदे

जैसा कि पटवर्धन समिति द्वारा सिफारिश की गई है जब तक भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त आंकड़े प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो जाता और उसे अपेक्षित अनुभव प्राप्त नहीं हो जाता तथा भारत सरकार आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार नहीं कर पाती तब तक भारतीय रिजर्व बैंक इन आवेदन-पत्रों पर भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) की सलाह से कार्यवाही करता रहे।

भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशी शेयर होल्डरों को लाभांश का प्रेषण

(i) प्राधिकृत डीलरों को यह शक्ति प्रदत्त कर दी जाए कि वे सभी गैर-फेरा कंपनियों के विदेशी शेयर होल्डरों के लाभांश प्रेषण से सम्बन्धित आवेदन-पत्रों पर कार्यवाही कर सकें।

(ii) अनिवासी शेयर होल्डरों को लाभांश प्रेषण के लिए फेरा कंपनियों के आवेदन पत्र केन्द्रीय विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा केन्द्रीय रूप से निपटाए जाते रहें।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक धारा 9 (1) (घ) के अधीन एक अधिसूचना जारी करे ताकि भारत में आने वाले अनिवासी भारतीयों पर निवासी भारतीयों द्वारा मेजबानी की सुविधा दी जा सके बशर्ते कि प्रत्येक मौके पर इस सम्बन्ध में किया गया खर्च 2000 रुपए से अधिक न हो।

गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर उधार :

निवासी भारतीयों को यह अनुमति दी जाए कि वे अपने अनिवासी निकट के सम्बन्धियों और मित्रों से व्यक्तिगत कार्य के लिए और कुछ कारबार कार्यकलाप के लिए गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर आसानी से कर्ज ले सकें, बशर्ते कि मूलधन अदायगी और ब्याज की वापसी के लिए निर्धारित शर्तें पूरी की जाती हों।

विदेशी तकनीशियों/विशेषज्ञों का भारत में आना और जाना तथा दैनिक शुल्क की दर

भारतीय रिजर्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) के क्षेत्रीय कार्यालय विदेशी तकनीशियनों विशेषज्ञों के लिए प्रतिदिन के शुल्क हेतु 500 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर तक विदेशी मुद्रा जारी कर सकते हैं। 500 संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर से अधिक के आवेदन पत्रों पर विदेशी मुद्रा विभाग के केन्द्रीय कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जाए।

फेरा/फेरा—भिन्न कम्पनियों में अनिवासी निदेशकों की नियुक्ति

(i) भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय कम्पनियों को इस बात के लिए एक सामान्य अनुमति दे सकता है कि वे बोर्ड की बैठकों में और मेकवान कम्पनी के अन्य शासकीय कारोबार के प्रयोजन से आने वाले अपने अनिवासी निदेशकों की यात्रा के लिए आने-जाने के मार्गों की भारत में भारतीय रुपयों में बुकिंग करें।

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय कम्पनियों को इस बात के लिए सामान्य अनुमति दी जाए कि वे बोर्ड की बैठकों और अन्य शासकीय प्रयोजनों से यात्रा करने वाले अपने अनिवासी निदेशकों के स्थानीय खर्चों को पूरा करे जिसकी दर प्रतिदिन 1500 रुपये से अधिक नहीं होगी और जिसकी अधिकतम अवधि एक बार में 5 दिन होगी।

समाचार पत्रों/समाचार एजेन्सियों द्वारा विदेशों में नियुक्त किए गए संवाददाताओं के लिए विदेशी मुद्रा सुविधाएं

(i) यू० के०/यू० एस० ए०/जापान/यूरोपीय/खाड़ी देशों और अन्य देशों के लिए दरों को 20,000/-रुपए प्रति माह और 16,000/-रुपए प्रति माह के मौजूदा दरों से बढ़ाकर क्रमशः 2500 अमरीकी डालर और 2000 अमरीकी डालर कर दिया जाए।

(ii) विभिन्न प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों के साथ समरूपता लाने की दृष्टि से दरों की भारतीय रुपयों के स्थान पर अमेरिकी डालरों में व्यक्त किया जाए।

(iii) भारतीय रिजर्व बेंक, समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों को ब्लेंकिट मुद्रा परमिट जारी करने के लिए सरकार के साथ विचार विमर्श करके एक स्कीम तैयार कर सकता है जिससे कि वे विदेशों से प्राप्त की गई प्रकाशन सामग्री यात्रा लागत और विदेशों में संवाददाताओं के होटल के खर्च एवं डाक, तार/टेलिफोन प्रभार जैसे कार्यालय के खर्च का भुगतान किया जा सके ।

भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बेंक को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करना

आस्थगित अदायगी शर्तों पर इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात और टर्न-की/निर्माण कार्य/सेवा संविदा (परियोजना निर्यात)

अग्रिम और नकद अदायगी

परियोजन निर्यात कार्यकारी दल को इस बात के लिए अधिकार दिया जाए कि वह आपवादिक मामलों में उसके गुण अवगुण के आधार पर, इस बात से सन्तुष्ट होने के पश्चात् कि विदेशी खरीदकर्ता से अग्रिम/नकद अदायगी प्राप्त करने को कोई सम्भावना नहीं है बल्कि संविदा से अन्तत: उपयुक्त लाभ होगा, बोली की कीमत की 5 प्रतिशत अग्रिम/नकद अदायगी की न्यूनतम अपेक्षा को हटा सके ।

भारतीय संविदाकर्ताओं द्वारा अस्थायी अधिशेष राशियों का विदेशों में निवेश

विदेशों में टर्न-की/निर्माण कार्य/सेवा संविदा निष्पादित करने वाले भारतीय संविदाकारों द्वारा भारतीय रिजर्व बेंक को अनुमति से लघु आवधिक बैंक जमा-राशियों में अस्थायी अधिशेष राशियों के निवेश करने से अर्जित ब्याज की राशि की उसी परियोजना के व्यय को पूरा करने के लिए विदेश में ही रखने की अनुमति दी जाये ।

द्विपक्षीय समूह वाले देशों से निर्यात के आर्डरों को पूरा करने के लिए विदेशी समूह स्रोतों से प्राप्त किए गए पुर्जों/संघटकों के वास्ते मुक्त विदेशी मुद्रा में अदायगी

भारतीय रिजर्व बेंक को इस बात के लिए अधिकार दिया जाए कि वह द्विपक्षीय समूह देशों से प्राप्त किये गये निर्यात आर्डरों की पूर्ति के लिए संतुलन उपस्कर छोटे संघटकों की खरीद के वास्ते मुक्त विदेशी मुद्रा में की गई प्रेषणाओं वाले मामलों में अपनी अनुमति प्रदान कर सके । मुक्त विदेशी मुद्रा में पूरा किया जाने वाला व्यय पूरे निर्यात आर्डर की कीमत के 25 प्रतिशत के भीतर होना चाहिए ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में होटलों का निर्माण

568. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में होटल स्थापित करने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है ; और

(ग) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र द्वारा होटलों के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक आधार संरचना के विकास की जो योजनाएं भारत सरकार के विचारधीन हैं उनमें गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा होटलों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। अत: अनेक उद्यमियो ने पोर्ट ब्लेयर में और अंडमान समूह के निकटवर्ती द्वीपों पर होटलों का निर्माण करने की रूचि दिखाई है। अभी तक तीन गैर-सरकारी पार्टियों यथा (i) मैसर्स स्टर्लिंग हालिडे रिसार्टस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड मद्रास ; (ii) ट्रैवफ कार्पोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेट बम्बई (iii) श्री नरेन आर भुटा बम्बई ने इन द्वीपसमूहों में होटलों का निर्माण करने के लिए अपने विशिष्ट इरादों को व्यक्त किया है।

(ग) पर्यटन विभाग ने एक गैर-सरकारी पार्टी की पोर्ट ब्लेयर में 48 कमरों वाली एक 3 स्टार होटल परियोजना को पर्यटकों के लिए इसकी उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पहले ही अनुमोदित कर दिया है परन्तु पार्टी से इस परियोजना के निर्माण में हुई प्रगति के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम, अंडमान में 300 बैड वाली एक होटल परियोजना के निर्माण की योजना बना रहा है।

विदेशों में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की योजना

589. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कौन सी योजनाएं आरम्भ की है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : सरकार ने विदेशों में हथकरघा निर्यात परिषद की स्थापना की है। परिषद विदेशों में हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नोक्त कार्य-कलाप कर रही है :

(1) व्यापार मेलों में भाग लेना

(2) क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना

(3) विक्री-सह-अध्ययन दल भेजना

(4) भारतीय हथकरघा उत्पादों के बारे में विदेशों में विज्ञापन

(5) विदेशों क्रेता दलों और डिजाइनरों को आमन्त्रित करना ।

सरकार उपर्युक्त निर्यात संवर्धन कार्य-कलापों में परिषद को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं ।

आंध्र प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार युवकों को ऋण

590. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में कितने बेरोजगार युवकों को ऋण मंजूर किया गया ; और

(ख) बेरोजगार युवकों को ऋण के रूप में बैंक-वार और वर्ष-बार कुल कितनी धनराशि दी गयी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है । बैंकों को वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है । अलबत्ता, उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्रमश: 14, 781 मामलों में 29.36 करोड़ रुपये, 13,084 मामलों में 27.34 करोड़ रुपये तथा 16, 518 मामलों में 34.74 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे ।

कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना

591. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मन्त्री कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के मामलों की देखभाल करने के लिए पैनल की स्थापना के बारे में 18 जनवरी, 1986 के के अतारांकित प्रश्न संख्या 187 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का अब तक गठन कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां, कृषि एव साधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन हो गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम कीमती पत्थर पर शुल्क में छूट

592. **श्री जगन्नाथ पाठक** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टूटे/टुकड़े/टूटे-फूटे/बरबाद रूप में कम कीमती पत्थरों पर शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की रियायतों सम्बन्धी ब्योरा क्या है और जवाहरात क्षेत्र में निर्यात की दूसरी सर्वाधिक मद के रूप में अपने स्तर को पुनः प्राप्त करने के लिए कीमती और कम कीमती पत्थरों को इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) राजस्व विभाग ने दिनांक 2 सितम्बर, 1986 की अपनी अधिसूचना संख्या 355/130/85-कस-1 में स्पष्टतः उल्लेख किया है कि टूटे, टुकड़े, टूटे-फूटे तथा बरबाद अर्धमूल्यवान पत्थरों को शीर्ष संख्या 7103.10 के अंतर्गत अनगढ़े या सामान्यतः चिरे हुए या खुरदरे किस्म के पत्थरों की दामावली में शामिल किया जाएगा जिन पर पहले से ही सीमा शुल्क से छूट दी गई है। ऐसी आशा है कि इससे कच्चे माल की सप्लाइयां बढ़ेंगी और संसाधित अर्धमूल्यवान पत्थरों के हमारे निर्यातों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

मध्य-पूर्व क्षेत्र की स्थिति

593. **श्री थम्पन थामस** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-पूर्व क्षेत्र में चल रही है स्थिति के बारे में सरकार का क्या विचार है ; और

(ख) इस क्षेत्र में शांति को खतरा उत्पन्न करने वाले विभिन्न मसलों के समापन में सहायता देने हेतु भारत ने हाल ही में क्या कार्यवाही की है वथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) सरकार समझती है कि परिचय एशिया की स्थिति अभी भी विस्फोटक बनी हुई है क्योंकि इजराइल अरब क्षेत्रों पर बराबर कब्जा किए हुए हैं तथा फिलीस्तिनियों को आज निर्णय और अपना एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। लवनान पर इजराइल के आक्रमण तथा उसके भागों पर बरावर कब्जा करने से स्थिति और भी बिगड़ गई है।

(ख) भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष का हमेशा समर्थन किया है और अब भी करता है। भारत पश्चिम एशिया के सम्बन्ध में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने का भी समर्थन करता है। इस प्रस्ताव को गुट निरपेक्ष आन्दोलन का तथा संघर्ष के अधिकांश पक्षा का समर्थन भी प्राप्त है। भारत फिलीस्तीन सम्बन्धी गुट निरपेक्ष आन्दोलन 9 सदस्यों की समिति का भी सदस्य है। भारत बराबर अपना दबाव डालता रहेगा तथा सभी देशों के साथ सम्पर्क बनाए रहेगा ताकि पश्चिम एशियाई संघर्ष का संगत और सम्मानजकन समापन टूटा जा सके।

थाइलैंड में संयुक्त उद्यम शुरू किया जाना

594. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय कम्पनियों ने थाइलैंड में संयुक्त उद्यम शुरू करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन भारतीय कम्पनियों के नाम क्या है ; और

(ग) इन कम्पनियों द्वारा शुरू किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) आज तक की स्थिति के अनुसार थाइलैण्ड में एक संयुक्त उद्यम प्रारम्भ करने का केवल एक प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचारधीन है।

(ख) मैं० रेनबेक्सी लेबोरेट्रीज लि०।

(ग) प्रस्ताव शुरू में विपणन के लिए तथा बाद में बल्कि औषधियां तथा ब्रांडशुदा उत्पाद बनाने के लिए है।

केरल में हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए उपाय

595. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में हथकरघा बुनकरों को सहायता देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार को शिकायतों के बारे में बुनकरों से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० कृष्ण कुमार) : (क) भारत सरकार हथकरघा उद्योग तथा उसमें लगे बुनकरों के समग्र विकास करने के लिए तैयार की गई अनेक हथकरघा विकास योजनाएं कार्यान्वित करती रही है। ये केरल सहित सभी राज्यों के लिए लागू हैं तथा इनको राज्य सरकारों के अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। ये योजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित है :

(i) प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों को शेयर पूंजी सहायता।

(ii) राज्य एपैक्स समितियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों को शेयर पूंजी सहायता।

(iii) प्राथमिक समितियों को प्रबन्धकीय सहायता।

(iv) करघों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता।

(v) करघा-पूर्व और करघा-पश्चात प्रोसेसिंग सुविधाओं को स्थापित करने के लिए सहायता।

(vi) विशेष छूट योजना।

(vii) जनता कपड़ा योजना।

(viii) कल्याण योजनाएं जिनमें वर्कशेड-सह-आवास योजना तथा लचत निधि योजना शामिल हैं ।

(ख) भारत सरकार को केरल से बुनकरों की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों से कपड़ा सामग्री की खरीद

596. **श्री प्रतोश चन्द्र सिन्हा** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम (डब्ल्यू० बी० ए० वी० ओ०) लिमिटेड, कलकत्ता ने मान्यता प्राप्त सहाकारी यूनिटों से खरीद करने सम्बन्धी सभी नियमों का उल्लंघन करके बिहार राज्य में स्थिति कुछ प्राथमिक सहकारी समितियों से कतिपय कपड़ा सामग्री की हाल ही में अभी खरीद की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या किसी जांच ऐजेंसी ने इस मामले की जांच पहले ही शुरू कर दी है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और प्रबन्धक मंडल के विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं । एन० टी० सी० (डब्ल्यू० बी० ए० बी० ओ०) लि० की रिपोर्ट दर्शाती है कि बेचे गए यार्न के बदले में बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर आजमाइसी आधार पर पटना स्थित विपणन डिवीजन द्वारा केवल लगभग 43.000 रु० की खरीदारियां की गई ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

आपदाओं से बचने के लिए शरण-स्थलों के निर्माण हेतु केरल का केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध

597. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

श्री के० कुन्जम्बु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में पापदाओं से बचने के लिए शरण स्थलों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो केरल सरकार के अनुरोध पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी हां,

केरल सरकार ने बाढ़ राहत सहायता के लिए जुलाई, 1985 में प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में केन्द्रीय सरकार से राज्य में 300 संकट रोधी शरण गाहों का निर्माण कराने के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है।

(ख) राज्य सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह एक ऐसा मद है जिसके लिए राज्य की योजना में व्यवस्था की जानी चाहिए।

केरल में कप्पड़ और मुझप्पीलगड़ समुद्र तट सैरगाहों को विकसित करने की योजना

598. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल राज्य में समुद्र-तट सैरगाहों को विकसित करने की कोई योजना है ;

(ख) क्या केरल सरकार ने केरल के कालीकट जिले में कप्पड़ समुद्रतट को जहां वास्को-डिगामा उतरा था, विकसित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो विकास के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार की योजना केरल के कन्नोर जिले में मुझप्पीलगड़ समुद्रतट को विकसित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल राज्य सरकार की प्रस्तावित कप्पड़ समुद्रतट बिहार-स्थल पर 4 समुद्रतट कुटीरे, एक रेस्तरा, स्वागत कक्ष, स्वास्थ्य क्लब' तरणताल और कैफेटेरियाओं का निर्माण करने की योजना है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने 1987-88 में कन्नानोर जिले में मुझप्पलीगड़ समुद्रतट को भी एक समुद्रतट बिहार स्थल के रूप में विकास करने के लिए अभिनिर्धारित किया है। तथापि राज्य सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

599. **श्री कटुरी नारायण स्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की और शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर विभिन्न केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोलते हैं। अप्रैल 1985 से मार्च, 1990 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत अग्रणी बैंकों और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार केन्द्रों का पता लगाएं। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे जिला परामर्शदात्री समितियों और राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित इस प्रकार पता लगाए गए केन्द्रों की सूची भारतीय रिजर्व बैंक को भेजें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने के लिए 291 केन्द्रों की सूची भेजी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि इन प्रस्तावों की जांच का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अतः वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक को अभी तक कोई केन्द्र आंबटित नहीं किए गए हैं।

विनिर्माताओं पर बकाया उत्पाद शुल्क

600. **श्री के० रामसूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विनिर्माताओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर 31 अक्तूबर, 1986 को 50 लाख रुपये से अधिक उत्पाद शुल्क के दावे बकाया पड़े थे ;

(ख) इनमें से प्रत्येक विनिर्माता के विरुद्ध गत तीन वर्षों से बकाया दावों और प्रत्येक विनिर्माता द्वारा जमा की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इनमें से कोई विनिर्माता शीर्षस्थ पचास औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके सम्बन्धों का स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : संभव सीमा तक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जनता कपड़े का उत्पादन

601. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता कपड़े का अपेक्षित मात्रा में उत्पादन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अपेक्षित राहत नहीं मिल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत 12 महीनों के दौरान कितनी मात्रा में जनता कपड़े का उत्पादन किया गया और इसका किस प्रकार निपटान किया गया ;

(घ) इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने वेतन भोगी लोगों को अधिक सुविधाएं देने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली के माध्यम से जनता कपड़ा बेचने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम को कोई निर्देश जारी किए है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उपदान के भुगतान की संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों को मद्दे नजरा रखते हुए जनता कपड़े के उत्पादन का आशय कमजोर वर्गों की समूची आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं है।

(ग) 1985-86 के दौरान पूरे देश में 398 मिलियन वर्गमीटर जनता कपड़े का उत्पादन हुआ इसकी खपत अधिकाशतः उन्हीं राज्यों में होती हैं जहां इसका उत्पादन होता है।

(घ) जून, 1985 की नयी वस्त्र नीति में कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन को नेशनल टैक्स-टाइल कार्पोरेशन से हथकरघा क्षेत्र को अन्तरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके फलस्वरूप 1985-86 के 420 मिलियन वर्गमीटर के लक्ष्य की तुलना में 1986-87 में जनता कपड़े का लक्ष्य बढ़ाकर 500 मिलियन बर्ग मीटर कर दिया गया है।

(ङ) नई दिल्ली में जनता कपड़े के वितरण के लिए एन०टी०सी० ने ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

आय कर तथा धन कर का स्वैच्छिक प्रकटीकरण

602. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आयकर तथा धन-कर के स्वैच्छिक प्रकटीकरण की अवधि और बढ़ा दी है ;

(ख) क्या यह अवधि पहले भी बढ़ाई गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिए अब अन्तिम तारीख क्या निर्धारित की गई है तथा यह अवधि बार-बार बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। आयकर और धन-कर अधिनियमों के अन्तर्गत राजसभा की अवधि आगे और बढ़ाई गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अब अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1987 निर्धारित की गई है। तारीख में वृद्धि जनता की मांग पर और करदाताओं से अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए की गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में भारतीय उद्यम बढ़ाने के लिए चल निधि

603. **श्री गुरुदास कामत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चल निधि स्थापित करने । सम्बन्ध सुझाव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि, हां तो इन सुझावों की जांच कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो निकट भविष्य में विदेशों में ऐसे संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) विदेशों में चल रहे संयुक्त उद्यमों के लिए एक चल निधि बनाने के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । तनजानिया में भविष्य में स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यमों के सम्बन्ध में इस प्रकार की एक निधि बनाने लिए भारतीय उच्चा युक्त, दार-ए-सलाम से एक सुझाव प्राप्त हुआ है ।

(ख) उच्चायुक्त, दार-ए-सलाम के इस सुझाव पर इस मंत्रालय में विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अफ्रीका भारतीय परियोजनाओं और परामर्शदायी सेवाओं का निर्यात

604. **श्री मुरलीधर माने** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय परियोजनाओं और परामर्शदायी सेवाओं का अफ्रीका और ऐसे नये बाजारों को, जहां इन क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर होने की संभावना हैं, निर्यात करने के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) पश्चिम एशिया में भारतीय परियोजना निर्यातों के लिए बाजारों के संकुचन को देखते हुए, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे अन्य क्षेत्रों में विविधीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेशों में हमारी मिशनों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न देशों की विकास योजनाएं और परियोजनाओं के लिए उपलब्ध अवसर सरकार के नोटिस में लाएं । भारतीय कम्पनियों के व्यापार अंश को बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यात, आयात बैंक (एग्जिम बैंक) ने बहु-पक्षीय एजेंसियों द्वारा वित्त घोषित परियोजनाएं अभिज्ञात करने हेतु एक ट्रैकिंग प्रणाली तैयार की है । एग्जिम बैंक द्वारा वाशिंगटन और अबिदजान में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, अफ्रीकी विकास बैंक जैसी बहुपक्षीय वित्तपोषक एजसियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के बारे में जानकारी नियमित रूप से इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् और भारतीय विदेश निर्माण परिषद द्वारा अपनी पाक्षिक पत्रिकाओं के माध्यम से दी जाती है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए उल्लंघनों के लिए क्षमादान योजना

606. **श्रीमती पटेल रमाबेन :**

रामजी भाई मावाणि : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19-10-86 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "हरडल्स इन फेरा स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघनों के लिए क्षमादान योजना के बारे में कुछ आपत्तियां की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्षमादान योजना को कब तक अन्तिम रूप दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार वास्तविक रूप से ठीक नहीं हैं।

(ख) और (ग) : वित्त मन्त्री जी द्वारा इस सम्बन्ध में एक विवरण पहले ही 6 नवम्बर, 1986 को दिया जा चुका है।

विस्कोज फाइबर की किस्म गुणाक

607. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में उत्पादित विस्कोज फाइबर की किस्म गुणांक क्या है और उनकी प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) उक्त गुणांक और उत्पादन लागत जापान की सामान्य, लोन बेल और सुपर लोन बेल फाइबर तथा ताइवान, दक्षिण कोरिया, युगोस्लोवाकिया, कोर्टसैल्डस (इंग्लैंड) आदि की तुलना में कितनी है ;

(ग) भारतीय फाइबर की किस्म घटिया होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय फाइबर की किस्म में सुधार करने और उसकी लागत कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पद्धा कर सके ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विस्कोज फाइबर का किस्म गुणांक, प्रयुक्त लकड़ी की लुगदी अर्थात् लुगदी के निर्माण में प्रयुक्त लकड़ी की किस्म पर निर्भर होता है। एक प्रमुख विनिर्माता के अनुसार 1984-85 के दौरान उत्पादन की लागत, विस्कोज स्टेपल फाइबर के लिए 17.90 रु० से 20.74 रु० प्रति किग्रा० के बीच तथा प्रेसीलीन फाइबर के लिए 27.22 रु० प्रति किग्रा० थी। बताया जाता है कि विभिन्न किस्म की लकड़ी से उत्पादित भारतीय विस्कोस स्टेपल फाइबर का किस्म गुणांक, अन्य देशों में उत्पादित फाइबर के समान है। जापान, ताइवन, दक्षिण कोरिया, इंग्लैंड आदि में उत्पादित विस्कोस फाइबर के किस्म गुणांक में अन्तर होगा क्योंकि उनमें निर्दिष्ट किस्में उनके ट्रेड मार्क तथा उनके स्वामित्व उत्पादों के सूचक हैं।

(घ) अनुमानित आवश्यकताओं के लिए प्रतियोगी कीमतों पर फाइबर की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए सरकार ने समय-समय पर नयी क्षमता के लिए आशय पत्र जारी किए हैं।

औद्योगिक विकास के लिए सरकार और अनिवासी भारतीयों के बीच वार्ता

608. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1987 में औद्योगिक विकास के बारे में सरकार और अनिवासी भारतीयों के बीच वार्ता आयोजित की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। कुछ अनिवासी भारतीयों ने जनवरी, 1987 में नई दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन करने का इरादा जाहिर किया है और उन्होंने आई० सी० आई० से सह-प्रायोजन की मांग भी की है। परन्तु यह निर्णय लिया गया है कि किसी सरकारी एजेंसी की तरफ से कोई सह-प्रायोजन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अनिवासी भारतीयों के अनेक संगठन है और किसी संगठन विशेष का एक प्रतिनिधि संगठन के रूप में चयन करना कठिन है। इस सम्मेलन के आयोजकों को सूचित कर दिया गया है कि सम्मेलन का आयोजन करने, उसका संचालन करने और उसका वित्त पोषण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी होगी।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा वस्त्रों का निर्यात

609. **श्री कादम्बुर जनार्दनन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में हथकरघा उद्योग को सुव्यवस्थित बनाने का विचार कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार को पहले आओ पहले आओ के आधार पर कोटा देने की

नवीनतम नीतियों के कारण दक्षिणी राज्यों के हथकरघा निर्यातक अन्य देशों को हथकरघा वस्त्र निर्यात करने में बहुत कठिनाई का सामना कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों के विनिर्माताओं और निर्यातकों की शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार बुनकरों की उत्पादकता और आय बढ़ाने तथा हथकरघा उत्पादकों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिये अनेक कदम उठाती रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा बाजार सर्वेक्षण

610. **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने उपभोक्ताओं की पसंद का पता लगाने के लिए कोई बाजार सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम की उत्पादन योजनाओं में प्राप्त आर्डरों तथा वस्त्र व यार्न दोनों से सम्बन्धित बाजार की संभावित मांग का ध्यान रखा जाता है। बाजार की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन एजेंटों, व्यापारियों, डीलरों आदि तथा एन० टी० सी० की खुदरा दुकानों से प्राप्त फीड बैंक जैसे विभिन्न माध्यमों से किया जाता है। प्रकाशित आंकड़ों का प्रयोग करने के अतिरिक्त एन० टी० सी० विशिष्ट उत्पादों/बाजार खण्डों का बाजार सर्वेक्षण भी करता है। वर्ष 1985 में एन० टी० सी० ने कंट्रोल कपड़े पर एक उपभोक्ता सर्वेक्षण किया तथा औद्योगिक फैब्रिक्स पर एक सीमित सर्वेक्षण किया।

विस्कोस यार्न के उत्पादन के लिए संयन्त्र

611. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विस्कोस यार्न अथवा रेशों की उत्पादन क्षमता पर्याप्त है;

(ख) क्या इसके लिए नये संयंत्र लगाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और नए संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं। कमी को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है।

(ख) और (ग) फिलहाल नए एककों को नए आशय पत्र जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। आशय पत्र धारित कम्पनियों को नए संयंत्रों को स्थापित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न कार्रवाईयां पूरी करनी होती हैं। आशय पत्र धारित एक कम्पनी ने विदेशी सहयोग के अनुमोदन और पूंजीगत माल के आयात के निर्बाधन के लिए उपर्युक्त आशय पत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। नए संयंत्र के लिए आशय पत्र धारित एक और कम्पनी ने विदेशी सहयोग के अनुमोदन के लिए आवेदन दिया है।

इजरायल का परमाणु शक्ति के रूप में उभरना

612. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इजरायल परमाणु बम सहित परमाणु हथियारों का निर्माण करके एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार ने हाल ही में ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जिनमें इस बात के प्रमाण दिए गये कि इजरायल/नाभिकीय हथियार बनाने/ने की क्षमता हासिल कर ली है। इससे केवल अस्थिरता ही बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त सरकार सभी नाभिकीय हथियारों का विरोध करती है। अतः वह इजरायल के गुप्त नाभिकीय हथियारों के कार्यक्रम के बारे में चिंतित हैं और इसकी भर्त्सना करती हैं।

भारत तिब्बत सीमा पर तस्करी

613. **डा० गौरी शंकर राजहंस :**
श्री वी० श्रीनिवास :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :

डा० बी० एल० शैलेश : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्तूबर, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस में "स्मगलिंग आन इन्डो-तिब्बत बार्डर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ लगी पूर्वी सीमा पर नियुक्त सीमा सुरक्षा बल के जवान तस्करी की गतिविधियों का पता लगाने में असफल रहे हैं; और

(ग) भारत-तिब्बत सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार का ध्यान दिनांक 13 अक्तूबर, 1986 को इण्डियन एक्सप्रेस में "भारत-तिब्बत सीमा पर तस्कारी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) जी, नहीं। प्राप्त हुई रिपोर्टें यह नहीं दर्शातीं कि इस क्षेत्र में किसी बड़े पैमाने पर तस्करी सम्बन्धी गतिविधियां की जा रही हैं।

(ग) इस क्षेत्र में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों की रोकथाम के लिए, सरकार ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, सीमाशुल्क अधिकारियों के कतिपय कार्य भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारियों को सौंप दिए हैं। तस्करी के तौर-तरीकों की तथा इस क्षेत्र में किए गए अभिग्रहणों की सख्त समीक्षा की जाती है ताकि इस क्षेत्र में लगायी गई केन्द्रीय और राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

बांग्लादेश का पहला परमाणु अनुसंधान रियेक्टर चालू किया जाना

614. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बांग्ला देश ने 14 सितम्बर, 1986 से अपने पहले परमाणु अनुसंधान रियेक्टर को चालू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को यह पता चला है कि बांग्ला देश प्राधिकारियों के अनुसार इस रिएक्टर को नाभिकीय औषध और अनुप्रयुक्त कृषि अनुसंधान में प्रयोग के लिए रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाएगा।

संसाधित फलों व सब्जियों का निर्यात

615. **श्री शमिन्दर सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व आंकड़ों के अनुसार भारतीय संसाधित फलों और सब्जियों के निर्यात का प्रतिशत कितना है ; और

(ख) इस क्षेत्र में कम निर्यात होने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुंशी) : (क) विश्व व्यापार के रूप में भारतीय संसाधित फलों और सब्जियों का निर्यात 2% से भी कम है।

(ख) निर्यातों की वृद्धि में रुकावट डालने वाली अनेक बातें हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त शामिल हैं :

(1) प्रमुख निर्यातक देशों की उत्पादकता की तुलना में भारत में फलों और सब्जियों की उत्पादकता का स्तर कम है।

(2) चूंकि उद्यान-कृषि का उत्पादन, विशेषत. निर्यात उत्पादन की दृष्टि से संगठित नहीं

किया जाता, इसलिए उपयुक्त किस्म के फलों को विशेष रूप से नहीं उपजाया जाता ।

(3) फलों और सब्जियों को अधिकांशत: लघु उद्योग क्षेत्र में संसाधित किया जाता है जिसमें प्रोसेसिंग की पुरानी प्रौद्योगिकी इस्तेमाल की जाती है जो लागत प्रभावी नहीं है ।

(4) पैकेजिंग सामग्री महंगी है और पैकेजिंग बढ़िया क्वालिटी चाहने वाले उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं होती ।

(5) प्रोसेसिंग उद्योग निर्यातों पर आधारित है । इसे घरेलू बाजार का समर्थन प्राप्त नहीं है क्योंकि संसाधित उत्पादों की ऊंची कीमतों के कारण घरेलू बाजार सीमित है ।

[हिन्दी]

चम्बल में "शनिदेव" मन्दिर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

616. **श्री कमोदीलाल जाटव** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से स्थानों पर इस समय पर्यटन केन्द्रों का विकास किया जा रहा है;

(ख) इनमें से प्रत्येक स्थान पर कितनी राशि व्यय की जा रही है;

(ग) क्या चम्बल डिवीजन में "शनिदेव" मन्दिर को पर्यटन केन्द्र के रूप में शामिल किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के उन स्थानों के नाम जिनके लिए पर्यटन मन्त्रालय ने निधियां स्वीकृत की हैं और साथ ही साथ कुल स्वीकृत राशि और अभी तक रिलीज की गई राशि इस प्रकार हैं :

(लाख रुपए)

स्थानों के नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति वर्ष	रिलीज की गई राशि
1. भोपाल झील के लिए जल क्रीड़ा सुविधाओं की व्यवस्था	7·71	1984-85	3·00
2. सांची में एक कैफेटेरिया का निर्माण	8·32	1985-86	2·00
3. केसकल, जिला बस्तर में मार्गस्थ सुविधाएं	4·90	1985-86	2·00

1	2	3	4
4. दिओरी गांव में आवास सहित मार्गस्थ सुविधाएं	13·71	1985-86	2·00
5. जगदलपुर में पर्यटक परिसर	31·86	1985-86	5·00
6. मन मन्दिर, ग्वालियर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	28.83	1985-86	5·00
7. बांधवगढ़ में वन-गृह	21·00	1984-85	19.50
8. पन्ना/बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों के लिए मिनी बसें/हाथी	3·21	1984-85	2.89
9. शिवपुरी में पर्यटक गांव	44.04	1985-86	40·00
10. कान्हा/बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यानों के लिए मिनी बसें	2.49		2.[illegible]3
11. सांची, खजुराहों में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था	3.00	1985-86	2.00
12. खजुराहों में चन्देला सांस्कृतिक विरासत केन्द्र का निर्माण	22.00	1985-86	5.00

(ग) और (घ) : मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल डिवीजन में शनिदेव मंदिर के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

कर चोरी करने वालों पर मारे गए छापे

617. **श्री रामभगत पासवान :**

श्री मूल चन्द डागा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योग पतियों और अन्य व्यक्तियों की संख्या तथा उनके नाम क्या है जिनके गृह परिसरों में कर चोरी करने के आरोप में वर्ष 1984 से 1986 (आज तक) छापे मारे गए थे और उनके क्या परिणाम निकले है;

(ख) इन छापों के दौरान कितनी मात्रा में सोना, चांदी और नकदी आदि पकड़ी गई है;

(ग) कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है; और

(घ) कितने व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया गया है/अपराध से मुक्त कर दिया है और उनकी अलग-अलग संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

डी० एम० टी० और पी० टी० ए० पर उत्पादन शुल्क

618. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० टी० ए० जो डी० एम० टी० का एक वैकल्पिक कच्चा माल है, पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है, जबकि डी० एम० टी० पर इस प्रकार के शुल्क से छूट दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन शुल्क लगाने के मामले में उक्त भेदभाव के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पी० टी० ए० पर उत्पादन शुल्क लगता है, लेकिन डी० एम० टी० पर उत्पादन शुल्क से छूट है। कुछ अंश तक पी० टी० ए० तथा डी० एम० टी० को एक ही अन्त्य उत्पाद के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

(ख) पी० टी० ए० के उत्पादन को अभी देश में स्थापित किया जाना है। जब ऐसा हो जाएगा तो सरकार इसके लागत आंकड़ों पर और डी० एम० टी० की तुलना में इस पर कितना उत्पादन शुल्क लगाया जा सकता है, इस संबंध में समीक्षा करेगी, ताकि किसी किस्म का भेद-भाव नहीं रहे।

निर्धनता उन्मूलन परियोजना के लिए विश्व बैंक निधि

619. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर, 1986 के अन्तिम सप्ताह में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट, श्री बार्बर कोनावल द्वारा दिए गए इस बयान की जानकारी है कि विश्व बैंक के पास कुछेक बिलियन डालरों की धनराशि पड़ी है और वे विकासशील देशों में निर्धनता को दूर करने के लिए मदद करने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में निर्धनता उन्मूलन परियोजना के लिए और अकाल-पीड़ित तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों का विकास करने के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन करने के लिए पर्याप्त धनराशि का नियतन करने हेतु विश्व बैंक से आग्रह करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में दिए गए अपने भाषण में श्री कोनाबल ने कहा है कि विश्व बैंक के सामने सबसे बड़ी चुनौती गरीबी के विरुद्ध विश्व-व्यापी लड़ाई के लिए सम्पन्न तथा पीड़ित दोनों ही प्रकार के राष्ट्रों के साधनों और इच्छाशक्ति को जुटाना है।

भारत सरकार ने विगत में भी विश्व बैंक ग्रुप से गरीबी को दूर करने से संबद्ध परियोजनाओं के लिए सहायता मांगी तथा प्राप्त की है और भविष्य में भी ऐसा ही किया जाएगा ।

[हिन्दी]

गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि

620. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1986 में हरारे में हुए गुट निरपेक्ष देशों में आठवें सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किन मुद्दों पर बल दिया और भारत के दृष्टिकोण के संदर्भ में अन्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ग) सम्मेलन में निर्णीत प्रत्येक मसले के सम्बन्ध में भारत का दृष्टिकोण क्या था, और

(घ) सम्मेलन में कौन-कौन से मसले हल नहीं किये जा सके ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) एक बिवरण संलग्न है ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हरारे सम्मेलन की कार्रवाई में सक्रिय भाग लिया और इसने अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक राय कायम करयाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें नाभिकीय अस्त्रों की दौड़, दक्षिणी अफ्रीका की स्थिति और विकासशील देशों की आर्थिक समस्या शामिल है जिन पर शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से ध्यान दिया गया था ।

(ग) और (घ) गुट-निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर भारत की स्थिति सुविदित है । आन्दोलन में अपनी सक्रिय भूमिका को ध्यान में रखते हुए भारत आन्दोलन के संकल्प से निरन्तर जुड़ा रहेगा और आन्दोलन की एकता को मजबूत करने में सहयोग देता रहेगा ।

विवरण

हरारे में आयोजित गुट-निरपेक्ष देशों में आठवें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ।

1. श्री राजीव गांधी, प्रधानमन्त्री ।
2. श्री पी. शिव शंकर, विदेश और वाणिज्य मंत्री ।
3. श्री के० आर० नारायणन, विदेश राज्य मंत्री ।
4. श्री के० नटवर सिंह, राज्य मन्त्री और 7वें गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के महासचिव ।
5. श्री मोहम्मद युनुस, अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ।
6. श्री ए० पी० वेंकटेश्वरन, विदेश सचिव ।
7. श्री एन० कृष्णन, संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी प्रतिनिधि ।

8. श्री एन०. पी० जैन, सचिव (ई० आर०) विदेश मंत्रालय।

9. श्री एच० वाई० शारदा प्रसाद, प्रधान मंत्री के सूचना सलाहकार।

10. श्री जी० के० अरोड़ा, अमर सचिव (प्रधानमंत्री कार्यालय)

11. श्री एम० दूबे, अपर सचिव, विदेश मंत्रालय।

12. श्री सी० आर० गारेसां, संयुक्त राष्ट्र को नागित स्थायी प्रतिनिधि।

13. श्री के० के० भार्गव, भारत का हाई कमीशन, हरारे।

14. श्री प्रकाश शाह, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।

15. श्री मणिशंकर अय्यर, संयुक्त सचिव (प्रधान मंत्री कार्यालय)।

16. श्री आर० सेन, संयुक्त सचिव (प्रधान मंत्री कार्यालय)।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों के विकास का प्रस्ताव

621. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू योजनावधि में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से कुछ नये स्थान चुने हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य में किन्हीं नए स्थानों को विकसित किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं और यह किन-किन जिलों में स्थित हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू योजनावधि के दौरान रत्नगिरि जिले में गणपतिपुले, रायगढ़ जिले में खोपोली और रत्नगिरि जिले में वल्लेश्वर में पर्यटक केन्द्रों पर विकास प्रारम्भ किया जा रहा है।

नई वस्त्र नीति की घोषणा के पश्चात् कपड़े के मूल्य में वृद्धि

622. **श्री आर० एस० माने** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वस्त्र नीति की घोषणा के बाद कपड़े के मूल्यों में असाधारण वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विद्युत-करघा क्षेत्र में धोती, रंगीन साड़ियों आदि के उत्पादन पर प्रतिबन्ध हटाने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विद्युत-करघा क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने पर विचार

करने और संघटक मिलों विद्युत करघा क्षेत्र और हथकरघा क्षेत्र को तीन स्वतन्त्र क्षेत्रों के रूप में मान्यता देने का है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वस्त्र नीति घोषित किए जाने के बाद कपड़े की क़ीमतों में असामान्य वृद्धि का ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग का और अधिक एकीकृत दृष्टिकोण की व्यवस्था है । उसका विचार उद्योग को उसकी विनिर्माण प्रक्रियाओं अर्थात कताई, बुनाई और संसाधन की अवस्थाओं के रूप में देखना है ।

अफ्रीका कोष

623. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सितम्बर, 1986 में हरारे में हुए निर्गुट सम्मेलन में, दक्षिण "अफ्रीका" का सामना करने और रंगभेद को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से संघर्ष करने के लिये भी प्रमुख अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए स्थापित अफ्रीका कोष का अध्यक्ष है;

(ख) क्या कोष की राशि निर्धारित कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो कोष का किन-किन कार्यों के लिए उपयोग किया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां ।

(ख) इस कोष के लिए कोई निश्चित लक्ष्य तय नहीं किया गया है। अफ्रीका कोष समिति को अग्ररेखी राज्यों तथा दक्षिण अफ्रीकी मुक्ति आंदोलनों की सहायता के लिए उपयुक्त कार्य योजना तैयार करती है । इस कोष समिति को इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित संसाधनों का निर्धारण करना होगा ।

(ग) हरारे में हाल ही में हुए गुट निरपेक्ष आन्दोलनों के आठवें शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव के अनुसार यह कोष अनिवार्य पुण्यों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से एक सामरिक सहायता रिजर्व स्थापित करने के लिए, अग्ररेखी राज्यों में परिवहन तथा संचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए, आधारित प्रतिष्ठानों और संबंधित व्यवस्थाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, नकारात्मक व्यापारिक प्रभावों को निष्प्रभ बनाने के लिए, प्रशिक्षित मानव शक्ति संसाधन विकसित करने के लिए जातीय पृथग्वासन के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय जनमत को और तेजी से तैयार करने के लिए और दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया में मुक्ति आंदोलनों को समर्थन देने के लिए, स्थापित किया जा रहा है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में समेकित हथकरघा विकास

624. **श्री हरीश रावत** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए समेकित हथकरघा विकास के सम्बन्ध में कोई योजना स्वीकृत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजनों में उन्हीं हथकरघों के लिए एक पर्वतीय क्षेत्र विकास परियोजना अनुमोदित की गयी है जिस पर 5 वर्ष की अवधि में 798-73 लाख रु० व्यय होंगे। इसमें 8 प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केन्द्रों, 46 उत्पादन केन्द्रों (जो कि वास्तव में कच्चे माल और डिजाइनों आदि जैसी निविष्टयों के सप्लाई केन्द्र होंगे) एक सुसज्जित डिजाइन केन्द्र एक प्रोसेस सदन और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम के, जो कि इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है, विपणन नेट वर्क का विस्तार करने/सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था है। इस परियोजना में कुल मिला कर के 1184 हथकरघा होंगे। परियोजना की लागत राज्य और केन्द्रीय सरकार समान रूप से वहन करेंगी। परियोजना की लागत का 50% भाग अनुदान से और 50% ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यापार असन्तुलन

625. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय इन्जीनियरिंग क्षेत्र में व्यापार असन्तुलन है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) विदेश व्यापार में असन्तुलन के लिए इन्जीनियरिंग उद्योग किस सीमा तक उत्तरदायी है;

(घ) कौन-कौन से अन्य क्षेत्र विदेश व्यापार में असन्तुलन के लिए उत्तरदायी हैं और इसमें उनका कितना-कितना हिस्सा है; और

(ङ) 1986-87 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए आयात और निर्यात के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) (क, से (घ) व्यापार घाटे के क्षेत्रवार आंकड़े संकलित नहीं किए जाते।

(ङ) आयातों के लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। तथापि, 1986-87 के दौरान निर्यातों के लिये समग्र लक्ष्य 12203 करोड़ रु० निर्धारित है।

निर्यात की तुलना में आयात

626. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में हुए निर्यात आयात तथा व्यापार-असन्तुलन का नवीनतम अनुमान क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 में पिछले वर्ष की तुलना में किन किन मुख्य मदों का निर्यात कम हुआ अथवा किन-किन मदों के आयात मूल्यों में वृद्धि हुई;

(ग) वर्ष 1985-86 में पिछले वर्ष की तुलना में किन-किन मुख्य देशों ने भारत से कम आयात किया अथवा उन्होंने भारत को अधिक मात्रा में निर्यात किया; और

(घ) क्या विपक्षीय व्यापार अन्तर को कम करने की दृष्टि से कोई मदवार और देशवार समीक्षा की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री प्रियरंजन दास मुन्शी) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1985-86 के दौरान भारत के निर्यात, आयात और व्यापार शेष घाटा क्रमश: 110005·91 करोड़ रु० 19622·27 करोड़ रु० और 8616·36 करोड़ रु० के थे।

(ख) 1984-85 की तुलना में 1985-86 में जिन कुछ मुख्य वस्तुओं के निर्यात घटे हैं उनमें शामिल हैं कच्चा तेल, चाय, रासायनिक एवं सम्बद्ध उत्पाद, पटसन विनिर्माण, सूती कपड़े, अविनिर्मित तम्बाकू, धातु विनिर्माण (लोहा और इस्पात को छोड़कर), चीनी एवं खलियां। दूसरी ओर 1984-85 की तुलना में 1985-86 के दौरान जिन प्रमुख वस्तुओं के आयात बढ़े हैं उनमें शामिल हैं मशीनरी एवं परिवहन उपस्कर, लोहा एव इस्पात, लौह धात्विक अयस्क तथा मेटल स्क्रैप, अलौह धातुएं, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री आदि रसायन (कार्बनिक और अकार्बनिक) व्यावसायिक वैज्ञानिक नियन्त्रक उपकरण आदि तथा पल्प एवं रद्दी कागज।

(ग) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ो के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में 1985-86 के दौरान जिन कुछ प्रमुख व्यापारी देशों को हमारे निर्यात कम हुये हैं और अथवा जहां से हमारे आयात बढ़े हैं उनमें शामिल हैं बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, आस्ट्रेलिया, ईरान, जापान, नेपाल, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र का अरब, गणराज्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा एवं ब्राजील।

(घ) भारत की विदेश व्यापार स्थिति निरन्तर समीक्षाधीन है। निर्यात बढ़ाने और कार्यक्रम आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा बराबर प्रयास किये जा रहे हैं।

डी० एम० टी०/पी० टी० ए० आयात नीति में परिवर्तन

627. **श्री गंगाराम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य आयात और निर्यात नियन्त्रक ने अप्रैल/मई 1985 में डी० एम० टी०/पी० टी० एस० की आयात नीति में परिवर्तन की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या बोंगई गांव रिफाइनरीज और पैट्रो कैमिकल्स लिमिटेड और बाम्बे डाइंग उस समय अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर रहे थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मदों के सम्बन्ध में आयात नीति में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 12 अप्रैल, 1985 को घोषित, 1985-88 के लिए आयात नीति के अधीन डी० एम० टी० मद सीमित अनुज्ञेय सूची में थी और टी० पी० ए० मद खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन थी। 29-5-1985 को टी० पी० ए० को भी सीमित अनुज्ञेय सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया। सीमिति अनुज्ञेय सूची में दर्शायी गई मदों के आयात की अनुमति प्रयोजक प्राधिकारी के अत्यावश्यकता प्रमाण पत्र और स्वदेशी दृष्टिकोण से क्लियरेन्स के आधार पर अनुपूरक लाइसेंस प्रक्रिया के अधीन दी जाती है।

(ख) और (ग) टी० पी० ए० को सीमित अनुज्ञेय सूची में स्थानांतरित इसलिए किया गया जिससे स्वदेश में उत्पादित डी० एम० टी० के पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके, जो कि पोलिएस्टर रेशे, फिलामेंट यार्न, आदि के उत्पादक के लिए वैकल्पिक कच्चा माल है।

केरल में यूथ होस्टलों का निर्माण

628. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान पर्यटकों की सहायता के लिये कितने यूथ होस्टल प्रारम्भ करने का विचार है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) क्या कोचीन में एक यूथ होस्टल खोला जायेगा;

(घ) क्या कोचीन और अन्य पर्यटक केन्द्रों में पर्यटकों के लिये नावों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(ङ) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर कितने होटल खोले जायेंगे ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एर्णाकुलम और कालीकट में यूथ होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। युवा कार्य और खेल विभाग ने 22,71,000रु० + कालीकट यूथ होस्टल के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को $11\frac{1}{2}\%$ की दर से देय विभागीय प्रभार के अनुमान पहले ही स्वीकृति किये हैं और 22,57,110 रु० + एर्णाकुलम (कोचीन) में एक यूथ होस्टल का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को $11\frac{1}{2}\%$ की दर से देय विभागीय प्रभार रिलीज़ किये हैं।

(घ) कोचीन, कुमारकम, विवलान और थेक्कड़ी में प्रयोग के लिये नौकाओं की खरीद

करने के वास्ते केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने 50·78 लाख रु० की एक राशि मंजूर की है। इस राशि में से 1985-86 के दौरान 25·00 लाख रु० रिलीज किये गये थे।

(ङ) केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों पर होटलों का निर्माण करने के बारे में इस विभाग में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

लकड़ी लुगदी का निर्यात

629. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति आवश्यकता के एक तिहाई भाग तक लकड़ी की लुगदी का आयात करने की अनुमति देने की है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में कितना आयात करने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि रेयन उद्योग की एसोसिएशन ने आयात में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) विस्कोस फिलामेंट यार्न/स्टेपल फाइबर के विनिर्माताओं को 1985-86 के दौरान स्वदेशी उत्पादकों से उनके द्वारा खरीदी गई रेयन ग्रेड लकड़ी की लुगदी की मात्रा के 50 प्रतिशत तक अनुमति रेयन ग्रेड लकड़ी की लुगदी के आयात की है। इस आधार पर 14,240 मे० टन की कुल मात्रा के आयात की अनुमति दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) इसकी जांच की जा रही है।

स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

630. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट बैंक आफ इन्दौर के कर्मचारियों को बैंक की बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली स्थित शाखाओं में लगातार अधिक से अधिक कितनी अवधि तक तैनात किया जा सकता है;

(ख) क्या उनके स्थानांतरण सम्बन्धी नियमों का दिल्ली स्थित शाखाओं में पालन किया जा रहा है; और

(ग) 5 वर्षों से भी अधिक समय तक एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

1986 के दौरान निर्यात

631. श्री दिनेश सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में अमरीकी डालर में कितने सामान का निर्यात किया गया; और

(ख) गत वर्ष इसी अवधि के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में यह कितना है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) भारतीय रुपयों में भारत के विदेश व्यापार के अद्यतन अनन्तिम आंकड़े चालू वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल-जून, 1986 की प्रथम तिमाही के लिए तत्काल उपलब्ध हैं। अप्रैल-जून, 1986 के लिए। अमरीकी डालर=12·4864 रु० की औसत विनिमय दर को देखते हुए, अप्रैल-जून, 1986 के दौरान भारत के निर्यात 2234·62 मिलियन अमरीकी डालर के बैठते हैं, जबकि अप्रैल-जून, 1985 के दौरान 1797.86 मिलियन अमरीकी डालर के थे, जिसका अर्थ है 24·3 प्रतिशत की वृद्धि दर।

अखबारी कागज आयातकों पर आय कर छापे

632. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में देश के विभिन्न भागों में अखबारी कागज आयातकों पर देश व्यापी आयकर छापे मारे गए थे,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके पास क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी हां, आयकर विभाग ने हाल ही में अखबारी कागज के आयातकों के 76 परिसरों की तलाशियां लीं। तलाशी के परिणाम स्वरूप प्रथम दृष्टया लगभग 21·60 लाख रुपये की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थीं। मामलों पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

निर्गुट देशों के हरारे शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष

633. श्री उत्तम राठौड़ :

श्री ई० अय्यप रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हरारे में हुए निर्गुट देशों के शिखर सम्मेलन में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई ;

(ख) इन चर्चाओं के क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) उपर्युक्त शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या भूमिका अदा की ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) हमारे शिखर सम्मेलन ने विश्वव्यापी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत रूप में मूल्यांकन किया। सम्मेलन ने विशेष रूप से ध्यान नाभिकीय शस्त्रों की होड़, जातिवाद, उपनिवेशवाद तथा दक्षिणी अफ्रीका में आक्रमण की ओर और विश्व की अर्थव्यवस्था की स्थिति, विशेषकर गुट-निरपेक्ष और विकासशील देशों की दुर्दशा की ओर दिया। सम्मेलन ने विश्व के कुछ क्षेत्रों में चल रहे संघर्ष और तनाव पर भी विचार किया और उनके समाधान के लिए आंदोलन की आधारभूत स्थिति का निर्धारण किया।

सम्मेलन के अन्तिम दस्तावेजों में गुट-निरपेक्ष देशों के मूलभूति सिद्धांतों और उद्देश्यों की पुनः पुष्टि की गई है और उनको विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में कार्यरूप देने के लिए आंदोलन की कार्य योजना अभिव्यक्त की गई है। हरारे में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में से, विशेष रूप से अफ्रीका कोष (आक्रमण, उपनिवेशवाद और पृथक्वासन को रोकने के लिए कार्रवाई) की स्थापना किए जाने और विश्वव्यापी आर्थिक मामलों पर गुट-निरपेक्ष देशों के बीच सम्बन्धी और मैत्रीपूर्ण कार्रवाई किए जाने के लिए एक स्थायी मंत्री स्तरीय समिति का गठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

(ग) गुट-निरपेक्ष आंदोलन के निवर्तमान अध्यक्ष की हैसियत से हरारे के विचार विमर्श में भारत को विशेष सम्मान मिला और उसकी बात आदर के साथ सुनी गई। अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर आम राय कायम करने के दिशा में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रमुख योगदान दिया। इस प्रक्रिया में स्वयं प्रधान मंत्री ने प्रमुख भूमिका निभाई। खासतौर पर दक्षिण अफ्रीमा में जातिवाद, उपनिवेशवाद और अस्थिरता से मुकावला करने की दिशा में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की नीति के सम्बन्ध में शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णयों के सन्दर्भ में।

लक्षद्वीप में पर्यटन का विकास

634. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई निजी होटल के प्रतिनिधियों ने पर्यटन के उद्देश्य से उन महाद्वीपों के विकास की कोशिश में लक्षद्वीप का दौरा किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या टिप्पणियां की हैं और क्या सरकार को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और यदि नहीं ; तो उनके द्वारा इसे कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या गैर सरकारी उद्यमियों ने कुछ सुविधाएं देने के लिए सरकार से कोई मांगें रखी हैं, और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : उपकरण तथा अन्य मदों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति, 10 वर्षों के लिए कर छूट, उच्चतर, इक्विटी ऋण अनुपात, ब्याज की अत्यधिक इमदादी दर और चाटर उड़ानों के पनिचालन की सम्भावना के बारे में कुछ सुझाव दिए गए हैं ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता

635. **श्री मुरली देवरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता को दुगना करने के लिए योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या इस सहायता का प्रयोजन रूग्ण एककों को सक्षम बनाना है; और

(ग) रूग्ण एककों को सक्षम बनाने और उनमें फंसी धनराशि निकालने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लघु उद्योग क्षेत्र को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का समन्वय करने और उसकी व्यवस्था करने तथा रूग्ण लघु एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में लघु औद्योगिक विकास निधि (एस० आई० डी० एफ०) बनाई गई है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया हैं कि इस निधि के अन्तर्गत कई नई योजनाओं के कार्यान्वयन से 1981-86 के वर्षों के मुकाबले 1986-91 के दौरान सहायता की राशि के दुगना हो जाने की संभावना है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राज्य वित्तीय निगमों और बैंकों के माध्यम से रूग्ण लघु एककों के पुनरुत्थान के वास्ते रियायती शर्तों पर एक पुनर्वित्त योजना भी चलाता है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आशा है कि पुनरुत्थान सहायता से रूग्ण लघु एककों में फंसी राशि को वसूल करने में मदद मिलेगी ।

बैंकों में कम्प्यूटर लगाए जाने से रोजगार के अवसरों पर उसका प्रभाव

636. **श्री महेन्द्र सिंह** :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में कम्प्यूटर लगाए जाने पर रोजगार अवसरों पर पड़ने वाले उसके सम्भावित प्रभाव के प्रति अपनी आशंका व्यक्त करने के लिए विभिन्न बैंक कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि 29 अगस्त, 1986 को आप से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अपने अभ्यावेदन में क्या कहा था ; और

(ग) उनके डर को दूर करने के लिए उन्हें क्या आश्वासन दिया गया था और उसे देखते हुए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बैंकिंग उद्योग में मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ और भारतीय राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी कांग्रेस के प्रतिनिधि दिनांक 28 अगस्त, 1986 को वित्त मंत्री जी से मिले थे। विचार-विमर्श के दौरान यूनियनों के कुछ प्रतिनिधियों ने आशंकाएं जाहिर की थीं कि बैंकिंग उद्योग के मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और इससे छंटनी की सम्भावना हो सकती है।

वित्त मंत्री जी ने यूनियनों के प्रतिनिधियों का ध्यान, सितम्बर, 1983 में बैंकों के प्रबन्धकों और यूनियनों के बीच हुए समझौते की ओर दिलाया जिसमें यह कहा गया है कि मशीनीकरण के परिणामस्वरूप कोई छंटनी नहीं होगी और यदि स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ा तो वह कम से कम होगा और इस प्रकार भेजे गए कर्मचारियों को उसी शहर/कस्बे मे रखा जायेगा वित्त मंत्री जी ने रोजगार के अवसरों की कम् संभावना के बारे में उनकी आशंकाओं का निराकरम् किया।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के लिए अधिक केन्द्रीय धनराशि

637. **श्री आर० पी० सुमन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई और इस वर्ष के अन्त तक कितनी राशि जारी की गई है ?

(ख) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के क्षेत्र और जनसंख्या को देखते हुए और अधिक राशि स्वीकृत करने पर विचार करेगी ताकि राज्य का तेजी से विकास हो सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) एक विवरण संलग्न है। जिसमें राज्यों को आबंटित केन्द्रीय निधियां—पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष के अन्त तक जारी की गई राशियाँ दिखाई गई हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय करों और सांविधिक अनुदानों में राज्यों के हिस्से आबंटित करती है और जारी करती है। राज्यीय योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित गाडगिल फार्मूले के अनुसार आबंटित की जा रही है जो आबादी को 60% भारांश प्रदान करती है। इन मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों को पूर्णतः ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य के विकास के लिए भी निधियां आबंटित करती है।

विवरण

(करोड़ रुपए)

	राज्य	1983-84		1984-85		1985-86	
		आबंटित बजट अनुमान	जारी की गई वास्तविक	आबंटित बजट अनुमान	जारी की गई संशोधित अनुमान	आबंटित बजट अनुमान	जारी की गई×
	1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	904.00	924.98	956.20	1367.27	1279.20	1322.91
2.	असम	691.67	631.65	768.90	807.57	929.05	985.02
3.	बिहार	1190.25	1323.51	1355.14	1434.58	1553.43	1722.28
4.	गुजरात	677.35	661.17	781.75	798.64	794.30	837.60
5	हरियाणा	202.87	260.00	266.43	304.18	291.92	401.81
6.	हिमाचल प्रदेश	235.50	246.09	295.89	329.78	408.69	39205
7.	जम्मू-कश्मीर	398.63	421.26	489.23	508.01	679.86	599.29
8.	कर्णाटक	543.69	591.85	672.55	745.06	806.35	993.42
9.	केरल	379.13	513.44	444.30	462.98	559.73	948.50
10.	मध्य प्रदेश	910.07	948.61	1047.07	1108.83	1324.75	1191.98
11.	महाराष्ट्र	1069.24	1229.67	1321.45	1468.05	1474.32	1513.09

	1	2	3	4	5	6	7
12.	मणिपुर	113.60	130.97	166.32	158.91	156.95	212.94
13.	मेघालय	112.16	118.13	137.56	138.49	172.89	148.98
14.	नागालैंड	144.98	149.59	189.90	189.90	245.59	252.31
15.	उड़ीसा	607.17	669.83	667.48	629.72	858.96	747.18
16.	पंजाब	281.51	483.56	350.83	839.67	592.37	913.09
17.	राजस्थान	561.10	677.31	639.15	686.37	840.97	814.73
18.	सिक्किम	47.56	52.11	55.84	62.72	83.46	70.05
19.	तमिलनाडू	694.73	902.83	826.41	909.46	935.12	1028.33
20.	त्रिपुरा	122.89	134.25	171.61	186.24	237.02	215.24
21.	उत्तर प्रदेश	1752.84	1843.62	2086.77	2334.02	2636.04	2876.27
22.	पश्चिम बंगाल	963.30	1055.83	1207.20	981.24	1447.79	1582.73
	जोड़ :	12604.24	13973.26	14897.98	16451.72	18308.76	19769.80

× केन्द्र द्वारा प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियों को छोड़कर ।

[अनुवाद]

चौथे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध प्रदर्शन

638. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने 29 सितम्बर, 1986 को बोट क्लब मैदान में चौथे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के विरुद्ध प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या है ; और

(ग) विवाद ग्रस्त मुद्दों को हल करने के लिए क्या निर्णय किए हैं ?

वित्त मन्त्रालय व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस बारे में सरकार को कोई विशेय जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

कोवलम में जल-खेल

639. **श्री जी० एम० बनातवाला** :

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

प्रो० के० वी० थामस : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोवलम में विभिन्न प्रकार के जल-खेल शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब भेजा गया था ;

(ग) इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ;

(घ) क्या इस प्रस्ताव की जांच कर ली गई है ;

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ; और यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) अक्तूबर 1985 में राज्य सरकार ने केरल में जल क्रीड़ा उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसे अधूरा समझा गया था और इसलिए और अधिक ब्यौरे भिजवाने को कहा गया था। ये ब्यौरे अप्रैल 1986 में भिजवाए गए थे।

(ग) अपेक्षित नौकाओं और अन्य उपकरणों पर लगभग 28.00 लाख रु० खर्च होने की सम्भावना है।

(घ) और (ङ) : इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है और राज्य सरकार से कुछ मदों पर अतिरिक्त सूचना भिजवाने को कहा गया है।

परेषण कर लगाना

640. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परेषण कर लगाने के सम्बन्ध में उपयुक्त कानून बनाने हेतु कोई निर्णय लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवश्यक संवैधानिक उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कानून के कब तक बनाए जाने की आशा है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों की कोई बैठक करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982 के परिणामत: दिनांक 28 मई, 1984 को आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में माल के अन्तर्राज्यीय परेषणों पर कर लगाए जाने हेतु विधान बनाए जाने के लिए विभिन्न पहलुओं की एक मत सिफारिश की गई थी। चूंकि उसमें अन्तर्ग्रस्त कुछ मुद्दों को अभी हल किया जाना बाकी है, इसलिए उसमें अभी तक कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं हुआ है।

वर्ष 1986-87 के दौरान कपास की मांग

641. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

श्री श्रीकांत दत्त नर सिंह राज वाडियर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सूती कपड़ा उद्योग की स्थिति वस्तुत: ज्यों की त्यों बनी रहने के कारण वर्ष 1986-87 के दौरान सूती कपड़े की देश में मांग बढ़ने की आशा नहीं है और वर्ष 1986-87 मौसम में कपास के अनुमान से अधिक उत्पादन होने के कारण उसके जमा हो जाने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 की तुलना में वर्ष 1986-87 के दौरान कपास का देश में कितनी मांग होने की आशा है और देश में कम मांग के कारण भारतीय रुई निगम के पास किस सीमा तक भण्डार में वृद्धि हो जाने की संभावना है ;

(ग) मांग में कमी के कारण महाराष्ट्र में कपास का आधिका अनुमानित भण्डार कितना है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति से निपटने के लिए कपास के निर्यात के लिए दीर्घावधि निर्यात नीति तैयार करने का है यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) : रुई की घरेलू खपत में पिछले वर्ष की खपत की तुलना में 2.4 लाख गांठों की वृद्धि होने की आशा है, जबकि 1986-87 के दौरान उत्पादन पिछले वर्ष के 107 लाख गांठों की तुलना में 102 लाख गांठों का होने की सम्भावना है। जब कभी कीमतें समर्थन कीमतों से नीचे आ जाती है भारतीय रुई निगम न्यूनतम समर्थन कीमतों पर कपास खरीदती है। अतः भारतीय रुई निगम के पास रुई के स्टाक में कितनी वृद्धि होगी इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) इस समय महाराष्ट्र में रुई की लगभग 16.57 लाख गांठे उपलब्ध हैं।

(घ) सरकार ने 24 अक्तूबर, 1986 को दीर्घावधि आधार पर अपनी रुई निर्यात नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार प्रति वर्ष रुई की निम्नोक्त मात्राओं के निर्यात की चालू रुई मौसम 1986-87 से आरम्भ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी।

लम्बे तथा अधिक लम्बे रेशे वाली रुई	5 लाख	
रुई की दिग्विजय किस्म	50,000	गांठे
बंगाल देशी	50,000	

दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध अमरीकी आर्थिक प्रतिबन्ध

642. **श्री ई० अयप्पू रेड्डी** : क्या **विदेश** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीकी कांग्रेस ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रपति के वीटो का अतिक्रमण करने के अमरीकी कांग्रेस के निर्णय के फलस्वरूप अमरीकी प्रशासन ने दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध कुछ प्रतिबन्ध लगाते हुए एक कानून लागू किया है।

(ख) सरकार ने इसे अमरीकी प्रशासन द्वारा किया गया उत्साहवर्धक कार्य आता है हालांकि ये घोषित उपाय उन उपायों से कम है जो सरकार की दृष्टि में पृथग्वासत समाप्त करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जातिवादी शासन पर पर्याप्त दवाब डालने के लिए आवश्यक है।

जूट की वस्तुओं की तुलना में सिंथेटिक के लिए निर्यात नीति

643. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है जिससे कि सिंथेटिक, परम्परागत जूट की वस्तुओं विशेषकर जूट पैकिंग सामग्री का स्थान न ले सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) : पटसन उद्योग को सिंथेटिक वस्तुओं की प्रतिकूल प्रतियोगिता से बचाने के लिए सरकार ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पटसन पैकेजिंग सामग्री का प्रयोग अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में रूप रेखा तैयार करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त एक समिति गठित की गई है।

ब्रिटेन से उग्रवादियों का निष्कासन

644. **श्री कमल नाथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में पांच अरब के और एक स्वीडन के उग्रवादी को ब्रिटेन से निष्कासन के आदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रेट ब्रिटेन में रह रहे भारतीय उग्रवादियों तथा उनके निष्कासन की मांग करने हेतु मामले को ब्रिटेन सरकार के साथ उठाने का है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह : (क) जी, हां।

(ख) सरकार यू० के० में भारत विरोधी-उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के सवाल को, जिसमें उन्हें भारत वापिस भेजने का सवाल भी शामिल हैं, बराबर यू० के० प्राधिकारियों के साथ उठाती रही है किन्तु अभी तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ है।

हथकरघा उद्योग द्वारा निर्मित माल का सर्वेक्षण

645. **श्री सलाहुद्दीन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करके प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिये एक राज सहायता योजना तैयार की है ;

(ख) जनता वस्त्र योजना के लिए विशेष रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योगों द्वारा उत्पादित माल का सर्वेक्षण किया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) करघों की उत्पादकता तथा फैब्रिक्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए तथा अन्ततः बुनकरों की आय बढ़ाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार सहकारी क्षेत्र में हथकरघा के लिए करघों तथा सहायक सामान की खरीद/आधुनिकीकरण/नवीकरण के लिए $\frac{2}{3}$ ऋण तथा $\frac{1}{3}$ अनुदान के रूप में केन्द्र तथा राज्यों के बीच

50-50 की बरावरी के आधार पर 1980-81 से एक योजना कार्यान्वित करती रही है। सहायता की मात्रा साधारण करने के लिए 1000 रु० तथा अर्धस्वचालित करघे/जैकार्ड करघे के लिए 2500 रु० से बढ़ाकर क्रमशः 2000 रु० प्रतिकरघा और 4000 रु० प्रति करघा कर दी गयी है। यह योजना सहकारी क्षेत्र के बाहर के करघों के लिए भी लागू कर दी गई है।

(ख) 1985-86 के दौरान सम्पूर्ण देश के लिए मंजूर किए गए उपदान की राशि 71.34 करोड़ रु० थी जिसमें से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए वह क्रमशः 19.59 करोड़ रु० तथा 8.08 करोड़ रु० थी।

(ग) जी नहीं।

कपड़ा कामगारों को निर्यात आय का लाभ

646. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या कपड़ा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि कपड़ा निर्यात से जिसमें सिले-सिलाये वस्त्र शामिल हैं, रिकार्ड आय हुई है ("इकानोमिक टाइम्स", दिनांक 9 अक्तूबर, 1986) ; और

(ख) क्या सरकार का इस बात के लिए उपाय करने का प्रस्ताव है कि मुनाफे की राशि का अंश निम्न आय वाले कर्मचारियों को आमदनी में भी दिखाया जाये ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) सरकार न्यूनतम मजदूरी, कार्य की शर्तें, भविष्य निधि लाभ कर्मचारी बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में अनेक विधायी कानून बनाकर कामगारों के हितों की रक्षा करती रही है।

[हिन्दी]

इलायची बोर्ड के संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

647. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलायची बोर्ड ने इलायची के उत्पादन को बढ़ाने, किस्म में सुधार करने, खरीद और निर्यात को बढ़ाने हेतु कदम उठाये है ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इलायची की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ; यह निर्यात किन-किन देशों को और किस दर पर किया गया ;

(ग) भारत में इलायची की कितनी मात्रा की बिक्री हुई ;

(घ) देश के बाजारों में उचित दरों पर बढ़िया इलायची उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) देश में जिला स्तर पर व्यापारियों को नियुक्त करने के लिए इलायची बोर्ड की क्या नीति है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) इलायची का उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी क्वालिटी में सुधार लाने के लिए बोर्ड विस्तार सलाह, विभागीय नर्सरी, कापर सल्फेट की इमदादी सप्लाई आदि जैसी विभिन्न उत्पादन अभिमुख विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। बाजार संवर्धन के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम चलाये जाते हैं जैसे कि 10% की दर पर नकद मुआवजा सहायता निदेशक (टी० पी०) बहरीन द्वारा मध्यपूर्व में प्रचार तथा प्रोपेगैण्डा, अभियान, विदेशों में होने वाले मेलों में भाग लेना, मध्यपूर्व में बिक्री-सह-अध्ययन दल योजना, आदि।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारत में बेची गई इलायची की मात्रा निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मात्रा मि० टन में
1984-85	1517
1985-86	1428

(घ) दिल्ली, बम्बई, बंगलौर, मद्रास तथा कोचीन जैसे प्रमुख नगरों में बिक्री संवर्धन केन्द्र खोलकर बोर्ड ने घरेलू बाजार विकास के लिए एक योजना कार्यान्वित की है।

(ङ) इलायची बोर्ड ने जिला स्तरों पर कोई व्यापारी नियुक्त नहीं किया है।

विवरण

देश	1984-85 मात्रा (मे० टन)	1984-85 मूल्य (लाख रु०)	1985-86 मात्रा (मे० टन)	1985-86 मूल्य (लाख रु०)
कुवैत	568	1403	1237	1880
सउदी अरब	752	2154	1164	2123
सोवियत संग	404	1258	318	490
जापान	108	213	134	155
सिंगापुर	17	183	35	33
ब्रिटेन	7	13	7	12
संयुक्त अरब				
अतीरात	72	187	67	126
जतार	156	409	77	150
जोर्डन	56	153	20	29

1	2	3	4	5
इराक	41	99	50	90
एस. आफ ओमान	16	35	56	86
बहरीन	31	81	49	87
मलेयशिया	5	9	—	—
ईरान	88	295	—	—
एस यमन पी.आर.	16	39	—	—
अन्य	46	101	51	79
योग :	2383	6481	3272	5346

1984-85, 1985-86 के दौरान औसत इकाई मूल्य प्राप्ति (प्रति कि०ग्रा०) क्रमश: 271.92 रु० तथा 163.54 रु० थी ।

[अनुवाद]

पूर्वी उत्तर प्रवेश के पिछड़े क्षेत्रों में बैंक ऋण

648. **श्री रामधन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश अर्थात् गोरखपुर और वाराणसी मंडलों के जिलों के पिछड़े क्षेत्र में बैंक ऋण की राशि विभिन्न जमा बचत योजनाओं के माध्यम से जमा की गई राशि की अपेक्षा बहुत कम है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बचत जमाओं के माध्यम से एकत्र की गई और ऋण के रूप में बांटी गई वास्तविक राशि कितनी है ; और

(ग) इस असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : गोरखपुर और वाराणसी के जिलों के सम्बन्ध में 1983, 1984 और 1985 के वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल जमा राशियों और जमा राशियों और सकल बैंक ऋणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है ।

(रकम करोड़ रुपयों में)

	जमा राशि		अग्रिम	
	गोरखपुर	वाराणसी	गोरखपुर	वाराणसी
1983	177	342	69	133
1984	216	405	78	175
1985	259	467	82	197

(ग) स्थानीय रूप से जुटाई गयी जमाराशियों का उपयोग परिवहन और बिजली कच्चे माल के स्रोतों से निकटता, बाजार तक पहुंच, स्थानीय उद्यमवृत्ति आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, स्थानीय सरकारी तंत्र से सहयोग और वसूली की युक्त-युक्त अपेक्षाओं जैसी कई बातों से प्रभावित होता है। इसके अलावा, बैंक राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियों में भी अपने साधनों का निवेश करते हैं, इसलिए बैंकों का ऋण जमा अनुपात राज्य के अन्दर स्थानीय साधनों के उपयोग का पूरा-पूरा निर्देशक नहीं है।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सोना, विदेशी मुद्रा आदि की जब्ती

649. श्री **योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार महीनों के दौरान, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा चौकियों, हवाई अड्डों तथा अन्य स्थानों से सोने, विदेश मुद्रा आदि की की गई जब्ती का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) देश में तस्करों की गति-विधियों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून से सितम्बर, 1986 के महीनों के दौरान पकड़े गए सोने और विदेशी मुद्रा का मूल्य दिखाते हुए, पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :

	(मूल्य करोड़ रुपयों में)
सोना	15.40
विदेशी मुद्रा	1.72
पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मुल्य	73.99
(आंकड़े अनन्तिम है)	

(ख) तस्करी-रोधी अभियान को सामान्य रूप से समग्र देश में तेज कर दिया गया है, और हमारे समुद्री तट/भू सीमा क्षेत्रों के अति संवेदनशील क्षेत्रों में इस पर विशेष जोर दिया गया है। तस्करों को प्रवृत्तियों और की गयी जब्तियों के सम्बन्ध में उपयुक्त उपचारों उपाय करने के लिए केन्द्रीय और राज्यों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाये रखकर लगातार समीक्षा की जाती है।

तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय तौर पर तथा न्यायालयों में मुकद्दमे चलाकर, दोनों तरह से सख्त कार्रवाई की जाता है। ग्रस्त माल को जब्त करने तथा उपयुक्त मामलों में अर्थदण्ड लगाने के अलावा, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निवारक नजरबंदी को भी लागू किया जाता है। स्वापक औषधियों के पकड़े जाने के मामलों को पूरी तरह से जाँच पड़ताल की जाती है। और स्वापक औषध द्रव्य तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है।

बैंकों में बढ़ती हुई अनुशासन हीनता

650. **श्री नित्यानन्द मिश्र :**

श्री सोमनाथ रथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी संघ ने हाल में दिल्ली में हुई अपनी बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता पर चिन्ता व्यक्त की है, जैसा कि 27 सितम्बर, 1986 के "हिन्दुस्तान टाईम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह सच है कि दिनांक 27 सितम्बर, 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ है ।

(ख) हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अनुशासन हीनता में हुई वृद्धि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन सरकार हमेशा इस बात पर जोर देती आ रही है कि जब कभी अनुशासन हीनता का मामला ध्यान में आए तो अनुशासन हीनता के बर्ताव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए । अधिक समय तक चलने वाली अनुशासन हीनता और नीचे मनोबल की जोखिम पर थोड़े समय की शांति को कठोरतापूर्वक हतोत्साहित्त किया जाता है ।

मंहगाई भत्ते को आयकर से छूट देना

651. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मंहगाई वेतन और भत्ते को आयकर से छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या वेतन आयोग ने गत समय में इन दो संघटकों को वेतन के साथ मिला दिया था और इस तरह कर्मचारियों को कोई अधिक लाभ नहीं होगा जब तक कि दोनों को मिलाने से पहले ऐसा नहीं किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को लागू करने से पहले इस पहलु को ध्यान में रखेगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) वेतन आयोग ने मंहगाई वेतन और मंहगाई भत्ते को मौजूदा परिलब्धियों के साथ मिलाने की सिफारिश की थी। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए निर्णय के आधार पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मंहगाई भत्ते पर आयकर से छूट देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और अभी तक इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

सिक्कम में भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा खोला जाना

652. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सिक्किम में भारतीय रिजर्व बैंक की एक शाखा खोलने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सिक्किम में शाखा खोलने का भारतीय रिजर्व बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सिक्किम की करेंसी तथा सिक्कों संबंधी आवश्यकताएं गंगटोक में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के करेंसी चेस्ट तथा लघु सिक्का डिपो द्वारा पूरी की जा रही है । सेन्ट्रल बैंक आफ़ इण्डिया को भी अपनी गंगटोक शाखा में करेंसी चेस्ट तथा सिक्का डिपो खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है । आशा है कि इन उपायों से क्षेत्र की साधनों संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत लोग

653. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे लोगों की कुल संख्या क्या है;

(ख) ये व्यक्ति कितनी अवधि से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च 1986 के अन्त में 193 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 179 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 11057 संदेशवाहक दिहाड़ी पर काम कर रहे थे ।

(ख) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं होती ।

(ग) देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की योजना अक्टूबर 1975 में गरीबों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से की गई थी । इन बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने परिचालन लागत को कम से कम रखेंगे । अलबत्ता इन बैंकों के प्रधान कार्यालयों तथा शाखाओं में हाथ से किए जाने वाले विविध प्रकार के कार्यों के लिए कुछ सहायता देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दिहाड़ी पर संदेश वाहक नियुक्त करने की अनुमति दे दी गई थी ।

इन बैंकों को राज्य सरकार के वर्ग "घ" कर्मचारियों के वेतनमान में संदेशवाहकों के

नियमित पद बनाने की अनुमति दी गई थी। यह भी निर्णय लिया गया कि आवश्यक अर्हताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारों की सेवाओं को नियमित कर दिया जाए।

बैंकों द्वारा कम्प्यूटरों की खरीद

654. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1 जनवरी, 1985 से 30 सितम्बर, 1986 की अवधि के दौरान कितने कम्प्यूटर (ए० एल० पी० एम०) खरीदे गए और इस खरीद में बैंकों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने मशीनें सप्लाई की हैं;

(ग) क्या इन कम्प्यूटरों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी देश में विकसित की गई हैं; और

(घ) क्या मजदूर संघों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मजदूर संघों ने बैंकों में कम्प्यूटरीकरण स्वीकार कर लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1985 से 30 सितम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान, सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा इलैक्ट्रानिक मेमोरी वाली 2998 एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई गई। इन मशीनों पर लगभग कुल 15 करोड़ रुपये से 20 करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश का अनुमान है। निवेश की ठीक-ठीक राशि इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जिन कम्पनियों ने ये मशीनें सप्लाई की हैं उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विभिन्न शाखाओं में लगाई गई एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें भारत में निर्मित डेडी केटिड स्टेंड एलोन मशीनें हैं। इन मशीनों के कुछ हिस्सों का आयात किया गया है। अलबत्ता, इन मशीनों का साफ्टवेयर स्वदेशी है और संबद्ध निर्माताओं द्वारा अलग-अलग बैंकों की आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।

(घ) बैंकिंग उद्योग में मशीनें और कम्प्यूटर लगाने के वास्ते सितम्बर 1983 में भारतीय बैंक संघ और बैंक कर्मचारियों की प्रमुख यूनियनों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अलबत्ता, बैंकों में मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण करने का "भारतीय बैंक कर्मचारी परिसंघ" ने जिसने उपर्युक्त समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और जिसकी अधिकांश सदस्य संख्या पश्चिम बंगाल में है, विरोध किया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एडवांस्ड लेजर पोस्टिंग मशीनें सप्लाई करने वाली कम्पनियों के नाम।

1. ब्लू स्टार लि०, बम्बई।
2. डी० सी० एम० डाटा प्रोडक्ट्स, नई दिल्ली।
3. ईको कम्प्यूटर्स प्रा० लि०, बंगलौर।
4. इलेक्ट्रानिक सिस्टम पंजाब लि०, मोहाली।
5. हिन्डट्रोन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर क० प्रा० लि०, बम्बई।
6. हिन्दुस्तान कंप्यूटर्स लि०, नई दिल्ली।
7. इन्टरनेशनल कम्प्यूटर इण्डिरनं मैन्युफैक्चर लि०, बम्बई।
8. इन्टरनेशनल डाटा मैनेजमेंट प्रा० लि०, बम्बई।
9. माइक्रोनिक्स कार्पोरेशन, हुगली।
10. माइक्रोसिस कंप्यूटर्स लि०, सिकन्दराबाद।
11. मिनीकाप प्रा० लि०, बम्बई।
12. नेशनल रेडियो एण्ड इलैक्ट्रानिक्स कं० लि०, बम्बई।
13. ओ० आर० जी० सिस्टम्स, बम्बई।
14. पी० एस० आई० डाटा सिस्टम्स प्रा० लि०, बंगलौर
15. अपट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
16. उषा माइक्रोप्रोसेस कंट्रोल्स लि०, नई दिल्ली।
17. डब्ल्यू० आई० पी० आर० ओ०, बंगलौर।
18. जेनिथ कंप्यूटर्स लि०, बम्बई।
19. ओ० एम० सी० कम्प्यूटर्स, हैदराबाद।
20. तमिलनाडु इलेक्ट्रानिक कंपोनेंटस प्रा० लि०, मद्रास।
21. डिजिटल इन्नोवेशंस प्रा० लि०, बड़ौदा।
22. इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, हैदराबाद।
23. जुपिटर सिस्टम्स प्रा० लि०, बम्बई।
24. जे इलैक्ट्रानिक्स, बम्बई।

भारत आस्ट्रेलिया व्यापार

655. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच कितने रुपये की वस्तुओं का व्यापार हुआ; और

(ख) दोनों देशों के बीच किन वस्तुओं का आयात और निर्यात हुआ है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार 1985 के दौरान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच लगभग 498·26 करोड़ रु० मूल्य का द्विपक्षीय व्यापार हुआ।

(ख) भारत से निर्यात की कुछ प्रमुख मदें थी—चाय, मसाले, काजू, चमड़ा; फुटवियर, वस्त्र यार्न, फाइबर, तैयार वस्तुएं, क्लोदिंग, मूल्यवान तथा अर्द्धमूल्यवान रत्न, खेलकूद का सामान और इन्जीनियरी माल।

आस्ट्रेलिया से आयातित मदें थी—ग्रीजी ऊन, कोकिंग कोयला, पैट्रोलियम उत्पाद, सीसा तथा सीसा मिश्रण, जिंक तथा जिंक मिश्रण, मशीनरी तथा उपस्कर।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

656. श्री हरिहर सोरन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन का ब्योरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन की उनके प्रायोजक बैंकों द्वारा और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

उड़ीसा में कार्य कर रहे सभी 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यनिष्पादन का ब्योरा नीचे की सारणी में दिया गया है :

सारणी-I

(लाख रुपए)

जून के अंत तक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	शाखाओं की संख्या	जमा राशि	बकाया अग्रिम
1984	9	649	3950·41	8782·53
1985	9	750	4766·26	10583·43
1986	9	771	6195·78	12205·39

सारणी-II

(लाख रुपए)

जून के अन्त तक	जून को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान मांग के मुकाबले वसूली	वर्ष	वर्ष के दौरान लाभ/हानि			
			लाभ		हानि	
			क्षे० ग्रा० बैंकों की संख्या	राशि	क्षे० ग्रा० बैंकों की संख्या	राशि
1983	44·0	1983	3	25·51	6	68·80
1984	39·20	1984	2	21·44	7	140·63
1985	37·10	1985	1	15·30	8	219·82

कालीकट में पर्यटन केन्द्रों का विकास

657. **डा० के० जी० अदियोडी :** क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कालीकट जिले के पुरुवौनामूभी, कोट्टाकल और केप्पाड तथा वयनाद जिले की पूकोट झील जैसे पर्यटन केन्द्रों को पर्यटन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग को कोजीकोड (कालीकट) के निकट कप्पड़ में एक समुद्र-तट विहार-स्थल का विकास करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है। अन्य पर्यटक केन्द्रों के बारे में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि

658. **श्री शांताराम नायक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि की है;

(ख) इन शक्तियों में किस सीमा तक तथा किस प्रकार की वृद्धि की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जहां तक स्कीमों/परियोजनाओं का संबंध है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों की शक्तियों में 1986 के दौरान नीचे दिखाये गये के अनुसार वृद्धि कर दी गई है :

संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	से	वृद्धि	तक
दिल्ली	50 लाख रु०		3 करोड़ रु०
गोआ दमन और द्वीव	50 लाख रु०		3 करोड़ रु०
अरुणाचल प्रदेश	50 लाख रु०		3 करोड़ रु०
पांडीचेरी	50 लाख रु०		2 करोड़ रु०
मिजोरम	50 लाख रु०		2 करोड़ रु०
अण्डमान व नीकोबार द्वीप समूह	50 लाख रु०		2 करोड़ रु०

दिल्ली के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में शक्तियों को और बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

ये शक्तियां संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को प्रत्यायोजित की गई हैं जो इस प्रयोजन के लिए गठित स्थायी समिति की सलाह पर उनका प्रयोग करेंगे।

अग्रिम पंक्ति के अफ्रीका देशों के लिए विकास निधि

659. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद वाली सुरकार के आर्थिक प्रतिबन्ध के प्रभावों का मुकाबला करने की दृष्टि से अग्रिम पंक्ति के अफ्रीकी देशों की सहायता के लिए एक विशेष विकास निधि गठित की गई है।

(ख) इस विधि के लिए गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कौन-कौन से देश योगदान देंगे; और

(ग) इन अग्रिम पंक्ति के अफ्रीकी देशों को किस प्रकार की वित्तीय सहायता देने का विचार है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) गुट निरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों का हरारे में हाल ही में जो आठवां सम्मेलन सम्पन्न हुआ था उसमें यह संकल्प किया गया कि "अफ्रीका" कोष (आक्रमण, उपनिवेशवाद तथा जातीय पृथग्वासन को रोकने के लिए कार्रवाई) की स्थापना की जाए जिसका उद्देश्य अग्ररेखी राज्यों की आर्थिक और वित्तीय क्षमता को मजबूत बनाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीविया में मुक्ति आंदोलनों को समर्थन देना, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रतिबन्ध लागू करने के लिए अग्ररेखी राज्यों की सहायता करना तथा दक्षिण अफ्रीकी शासन द्वारा की गई बदले की किसी भी आर्थिक कार्रवाई का सामना करना है।

(ख) अफ्रीका कोष समिति को कोष बनाने के लिए तथा संसाधन जुटाने के लिए एक कार्य योजना बनानी है। कोष समिति के सदस्यों द्वारा कोष की संगठनात्मक प्रबन्ध व्यवस्था तथा कोष के संचालन के तौर तरीके तय हो जाने के बाद ही कोष के लिए अंशदान मांगा जाएगा। आशा है कि इसके लिए कोष समिति के सदस्यों की शीघ्र ही बैठक होगी।

(ग) आठवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन द्वारा पारित संकल्प के अनुसार, कोष की आवश्यकता एक सामरिक सहायता रिजर्व की स्थापना करने के लिए है ताकि आवश्यक वस्तुओं की कमी को पूरा किया जा सके, अग्ररेखी राज्यों में परिवहन तथा संचार प्रणालियों को मजबूत बनाया जा सके, आधारभूत संरचना के प्रतिष्ठानों तथा संबद्ध संगठनों की सुरक्षा का सुनिश्चय किया जा सके, नकारात्मक व्यापार प्रभावों को निष्प्रभ किया जा सके, प्रशिक्षित जन शक्ति संसाधनों को विकसित किया जा सके और जातीय पृथग्वासन के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया जा सके।

घाटे की वित्त व्यवस्था पर नियन्त्रण

660. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान वित्त व्यवस्था में 4,490 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से अधिक का घाटा होगा।

(ख) क्या इसका अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो घाटे की वित्त व्यवस्था में वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : केन्द्रीय सरकार के 1985-86 के लिए बजटीय घाटे संबंधी आंकड़े महालेखा नियन्त्रक द्वारा उस वर्ष के लेखे अन्तिम रूप में बन्द कर दिए जाने के पश्चात ही ज्ञात हो सकते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्पादन शुल्क और सीमा शुल्क की बकाया राशि वाली कम्पनियों को काली सूची में दर्ज करना

661. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी कम्पनियों को काली सूची में दर्ज किया गया है जिनके पास 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की उत्पादन शुल्क और सीमाशुल्क की राशि बकाया है;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की कार्यवाही उन कम्पनियों के विरुद्ध करने का है; जिनके पास 50 लाख रुपये और उसके अधिक की आयकर की राशि बकाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कदम

662. **श्री आर० अन्नानम्बी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं;

(ख) राज्य में कितने यात्रिका, यात्री निवास, भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटल स्थापित करने का विचार है; और

(ग) सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन का संवर्धन करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

विदेशों में प्रचार तथा संवर्धन, साहित्य का मुद्रण, पर्यटक महत्व के केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का सुधार, मद्रास हवाई अड्डे को पर्यटक चार्टर उड़ानों के लिए खोलना, मद्रास हवाई अड्डे पर एक नए डोमेस्टिक टर्मिनल की स्थापना, इण्डियन एयरलाइन्स और वायुदूत की सेवाओं का विस्तार, मद्रास से दक्षिण भारतीय गन्तव्यों के लिए यात्रा प्रारम्भ करने वाले विदेशियों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स टिकट पर 30% रियायती किराया और गैर सरकारी क्षेत्र द्वारा होटलों के निर्माण को प्रोत्साहन।

(ख) सातवीं योजना के अन्तर्गत एक यात्री निवास के निर्माण का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने तीर्थ केन्द्रों पर यात्रिकाओं के बारे में पांच प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम के किसी नए होटल का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) अभी तक पर्यटन मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित स्कीमें प्रारम्भ की हैं;

(लाख रु० में)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	मुट्टुकाडु में जल क्रीडाओं का विकास	1984-85	6·39	5·75
2.	मामल्लापुरम में भूदृश्यांकन	1984-85	15·32	10.00
3.	कन्याकुमारी में 8 समुद्र तट कुटीरों का निर्माण	1985-86	13·36	10·00

1	2	3	4	5
4.	थिरूकालूकुन्द्रम में मार्गस्थ सुख सुविधाएं	1985-86	3 92	1·96
5.	थिरूयानी में मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	3 92	1·96
6.	रामेश्वरम में आवास सहित पर्यटक स्वागत केन्द्र	1985-86	18·45	7·00
7.	चिदाम्बरम में पर्यटक सुख-सुविधाएं	1985-86	7·86	4·00
8.	ऊटी झील, उधागमंडलम के लिए 26 नौकाओं की व्यवस्था	1985-86	4·14	3·60
9.	पुलीकाट झील में नौकायन सुविधाओं की व्यवस्था	1985-86	2·85	2·50
10.	कांचीपुरम में पल्लवापुर पर्यटक परिसर	1985-86	20·00	5·00
11.	कोर्टाल्लम में रेस्टोरेंट ब्लाक	1985-86	5·44	2·00
12.	पिचवारम में रेस्टोरेंट परिसर	1985-86	5·91	2·00
13.	मामल्लापुरम में टायलेट और पीने के पानी की सुविधाएं	1985-86	1·50	1·00
14.	रॉक फोर्ट, त्रिची पर प्रकाश पुंज व्यवस्था	1985-86	5·25	4·72
15.	मदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण के लिए परिवहन	1985-86	2·52	1·26
16.	पैदल-भ्रमण उपकरणों और ट्रैकर्स हट्स की व्यवस्था	1985-86	4·66	4·19

सातवीं योजना में पर्यटकों के लिए निर्धारित लक्ष्य

663. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अपनी मनोहर प्राकृतिक सौन्दर्यता और सांस्कृतिक भवन होने के बावजूद यह बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में सफल नहीं रही है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में आने वाले पर्यटकों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) भारत को पर्यटन की दृष्टि से आकर्षिक बनाने हेतु सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) 1985 के दौरान 1,259,384 विदेशी पर्यटकों ने भारत की यात्रा की जिनमें पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक भी शामिल हैं। हालांकि कुछ पड़ोसी देशों में आयमनों की तुलना में यह संख्या काफी अधिक है, तथापि भारत और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखता है।

(ख) वर्ष 1990 के लिए 25 लाख पर्यटक आगमनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितम्बर 1986 तक 676,431 पर्यटक आए थे।

(ग) देश के लिए विदेशी पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में शामिल हैं—उपभोक्ता विज्ञापन पर बल देते हुए प्रचार अभियानों का पुनर्विन्यास, विदेशी मीडिया अभिकरणों, यात्रा प्रचालकों और यात्रा अभिकरणों के साथ जन संपर्क बढ़ाना, अन्तर्राष्ट्रीय मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना, आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास और एयरलाइंस क्षमता तथा पर्यटक चार्टर उड़ानों की अनुमति सहित परिवहन प्रणाली में सुधार।

पर्यटन को बढ़ावा देना

664. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग पिछले दो वर्षों के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) पिलले 2 वर्ष के दौरान पर्यटन के संवर्धन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गई धनराशि इस प्रकार है :

(लाख रुपये)

वर्ष	धनराशि
1984-85	186.00
1985-86	515.23

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के खर्च का शीर्षवार संकलन नहीं करती।

(ख) चालू वर्ष में केन्द्रीय सरकार द्वारा 570.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है।

हथकरघा बुनकरों की दशा के बारे में सर्वेक्षण

665. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में हथकरघा बुनकरों की दशा, उनकी मंजूरी उत्पादन आदि के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) देश में हथकरघों की संख्या कितनी है और उनमें काम करने वाले बुनकरों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) देश में हथकरघों की संख्या (राज्यवार) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। तथापि हथकरघा क्षेत्र में रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों का कतिपय रोजगार गुणांकों के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से अनुमान देश में हथकरघा कपड़े के कुल उत्पादन के आधार पर लगाया जाता है जो स्वय. हैंक यार्न की कुल सिविल सुपुर्दगियों से लिया जाता है।

वर्ष 1985-86 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में रोजगार लगभग 78.77 लाख होने का अनुमान है।

विवरण

राज्यवार करघों की संख्या राज्य/संघ सामित क्षेत्र		करघों की संख्या(1000 में)
1.	आंध्र प्रदेश	529
2.	असम	200
3.	बिहार	100
4.	गुजरात	20
5.	हरियाणा	41
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	37
8.	कर्नाटक	103
9.	केरल	95
10.	मध्य प्रदेश	33

	1	2
11.	महाराष्ट्र	80
12.	मणीपुर	100
13.	मेघालय	5
14.	नागालैंड	20
15.	उड़ीसा	105
16.	पंजाब	21
17,	राजस्थान	144
18.	सिक्कम	शून्य
19.	तमिलनाडू	556
20.	त्रिपुरा	100
21.	उत्तर प्रदेश	509
22.	पश्चिम बंगाल	256
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
3.	चण्डीगढ़	शून्य
4.	दादर और नागर हवेली	शून्य
5.	दिल्ली	5
6.	गोवा, दमन और द्वीप	शून्य
7.	मिजोरम	1
8.	लक्ष्यद्वीप	शून्य
9.	पाण्डिचेरि	4
	कुल	3065

ऋण मेले

666. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अक्तूबर, 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली) में "लोन मेला प्लान आइडेंटीफाइड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए अध्ययन के बारे में दी गई रिपोर्ट में बताई गई कमियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऋणों के वितरण में सुधार करने के लिए बैंकों और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे कि पात्र व्यक्ति स्वयं इस सुविधा का लाभ उठा सके ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार प्रकाशित समाचार से सम्बद्ध ऋण शिविर को अध्ययन रिपोर्ट की जांच कर रही है।

सातवीं योजनावधि के दौरान निवासों और यात्रिकाओं का निर्माण

667. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यवार और वर्षवार किन-किन स्थानों में (एक) यात्री निवासों (दो) यात्रिकाओं का निर्माण मंजूर किया गया है;

(ख) इन दोनों में दरों, निर्माण लागत, ठहरने की क्षमता आदि के सम्बन्ध में वस्तुत: क्या अन्तर हैं; और

(ग) प्रत्येक यूनिट के निर्माण में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) अभी तक हमने पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), पणजी (गोआ), कुरूक्षेत्र (हरियाणा), कांचीपुरम (तमिलनाडु), सतप्दा (उड़ीसा), पालम (दिल्ली), डाकोर (गुजरात), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), जालन्धर (पंजाब), पांडिचेरी (पांडिचेरी) में यात्री निवासों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है।

भारतीय यात्री आवास विकास समिति को वृन्दावन, कम्पिल, जोशीमठ (उत्तर प्रदेश), नैना देवी (हिमाचल प्रदेश), श्री सैलम (आंध्र प्रदेश), कराइकल (पांडिचेरी), पुरी (उड़ीसा), रामेश्वरम् (तमिलनाडु) और गंगासागर (पश्चिम बंगाल) में एक-एक यात्रिका के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

(ख) यात्री निवासों का निर्माण संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। धर्मशाला किस्म के आवास वाली यात्रिकाओं का भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत संस्था द्वारा धार्मिक महत्व के स्थानों पर किया जाता है। केन्द्रीय सरकार सहायता अनुदान देती है और राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराती है। यात्रिका में यात्री निवास की अपेक्षा टैरिफ काफी कम होता है।

(ग) सामान्य परिस्थितियों में इन परियोजनाओं के निर्माण में लगभग दो वर्ष लगते हैं।

सिक्कों और एक रुपए के नोटों की कमी

669. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कम मूल्य के सिक्कों और एक रुपए के करेंसी नोट की अभी भी भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस समय ढाले जा रहे सिक्कों की संख्या में वृद्धि करने तथा इस प्रयोजन हेतु एक अन्य टकसाल की स्थापना करने जैसे कोई रचनात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) टकसालों में वृद्धि और अन्य उपायों जैसे कि सिक्कों के आयात, वितरण प्रणाली में सुधार आदि के द्वारा सिक्कों की उपलब्धता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है उत्पादन में वृद्धि से एक रुपए के नोटों की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है :

वर्ष	उत्पादन लाख अदद में
1983-84	2250
1984-85	4850
1985-86	7750
1986-87	
(I) पहले सात महीने	5830
(II) वर्ष के लिए लक्ष्य	10000

(ख) से (घ) जैसाकि नीचे ब्यौरा दिया गया है पिछले पांच वर्षों के दौरान सिक्कों के उत्पादन में चौगुनी वृद्धि हुई है :

वर्ष	उत्पादन लाख अदद में
1981-82	5250
1982-83	6600
1983-84	10640
1984-85	13560
1985-86	22230

वर्ष 1986-87 के लिए लक्ष्य 28500 लाख अदद सिक्कों का है।

नोएडा, उत्तर प्रदेश में 20000 लाख अदद वार्षिक क्षमता वाली एक नई टकसाल स्थापित की जा रही है और वर्ष 1988-89 में इसके चालू होने की आशा है।

ब्रिटेन में विभिन्न बैंकों का भारतीय स्टेट बैंक और बैंक और बैंक आफ बड़ौदा प्रस्तावित विलय

670. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया और यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कार्यसंचालन को भारतीय स्टेट बैंक आफ बड़ौदा के साथ विलय करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के परिचालनों का पुनर्गठन करने, उनका समेकन करने, उन्हें युक्तियुक्त बनाने और सुदृढ़ करने के प्रस्ताव के एक अंग के रूप में उसका यूनाइटेड किंगडम में बैंकों को कुछ शाखाओं के परिचालनों को कुछ अन्य बैंकों में अन्तरित करने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में यूनाइटेड किंगडम में पंजाब ने नेशनल बैंक की शाखाओं के कारोबार को भारतीय स्टेट बैंक में, यूनाइटेड किंगडम में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के कारोबार को बैंक आफ इण्डिया में और यूनाइटेड किंगडम में यूनियन बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के कारोबार को बैंक आफ बड़ौदा को अन्तरित करना शामिल है।

ब्लेंडेड कपड़े का उत्पादन और बिक्री

671. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में ब्लेंडेड कपड़े के उत्पादन और बिक्री के लिए मार्ग निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) हथकरघा क्षेत्र को पालिएस्टर धागे की सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था करने और रियायतें देने का विचार है और निर्यात पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) "सुस्मान कपड़ा योजना" में शुल्क मुक्त पोलिएस्टर फाबर से निर्मित कम मूल्य के पोलिएस्टर ब्लेण्डेड कपड़े के उत्पादन की व्यवस्था है। सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्त में यह व्यवस्था की गई है कि यह योजना राज्य हथकरघा एपेक्स सोसायटियों और राज्य हथकरघा विकास निगमों की मार्फत कार्यान्वित की जाएगी। उत्पाद श्रेणी में विरंजित तथा रंगी हुई पोलिएस्टर ब्लेन्डेड शर्टिंग तथा सूटिंग शामिल होगी जो शर्टिंग के मामले में अधिकतम 25 रु० प्रति वर्ग मीटर और सूटिंग के मामले में अधिकतम 40 रु० प्रति वर्ग मीटर की कीमत बेची जाएगी। ये किस्में केवल क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा सीधे ही चलाई जा रही खुदरा दुकानों के जरिये ही बेची जायेगी।

(ग) ऐसा प्रस्ताव है कि क्रियान्वयन अभिकरणों को शुल्क मुक्त फाइबर युक्त उत्पादित यार्न की सप्लाई राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों की मार्फत किए जाने की व्यवस्था हो। हथकरघा एपेक्स सोसायटियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों द्वारा खरीदे गए ब्लेन्डों की कतिपय किस्मों का पोलिएस्टर ब्लेन्डेड यार्न भी उत्पाद-शुल्क से मुक्त रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत उत्पादित कपड़ा देश के भीतर खपत के लिए है न कि निर्यातों के लिए।

मुख्य नियन्त्रक, आयात और निर्यात के कार्यालय में संगणकीकरण

672. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ निकायों ने मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात के विभिन्न रिकार्डों का संगणकीकरण करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है, और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों के फालतू हो जाने के क्या परिणाम होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) जनवरी, 1985 में एक माइक्रो प्रोसेसर पहले ही लगाया जा चुका है तथा वह कार्य कर रहा है। आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन (आई० एण्ड ई० टी० सी०) के कम्प्यूटरीकरण की और आगे सम्भावना का पता लगाने के लिए एक सलाहकार द्वारा प्रारम्भिक अध्ययन प्रारम्भ किया गया तथा रिपोर्ट में कुछ ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया गया है जो कि कम्प्यूटरीकरण/ओटोमेशन के लिए उपयुक्त हैं। प्रारम्भिक रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप एक अन्य सलाहकार द्वारा विस्तृत प्रणाली अध्ययन किया गया है तथा विस्तृत अध्ययन की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय कर न्यायालय

673. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे न्यायालयों के गठन और कृत्यों से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय कर न्यायालय स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं किया है। तथापि संसद के दोनों सदनों के पटल पर 14 अगस्त, 1986 को रखे गए प्रत्यक्ष कर कानूनों के सरलीकरण और युक्तिकरण सम्बन्धी परिचर्चा दस्तावेज मे एक राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायालय की स्थापना

करने का प्रस्ताव है। सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों को बोनस

674. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एल० आई० सी० मिसलीडिंग पालिसी होल्डर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिसमें यह बताया गया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपनी 30वीं वर्षगांठ पर अपने पालिसीधारकों के लिए "अतिरिक्त बोनस" के लिए हाल ही में की गई घोषणा से बहुत से बीमांककों पर पालिसी-धारकों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो की गई आलोचना ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने "एल० आई० सी० मिसलीडिंग पालिसी होल्डर्स" नामक शीर्षक के उस लेख को देखा है जो 7 सितम्बर, 1986 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था।

उस लेख में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों की चर्चा की गई थी :

(i) जीवन बीमा निगम की जीवन निधि की जाने वाली द्वैवार्षिक बीमांकन सम्बन्धी मूल्यांकन की परम्परा के अनुसार, अगला मूल्यांकन 31 मार्च, 1987 को किया जाना था। 31 मार्च, 1986 की तिथि के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए विशेष मूल्यांकन के फलस्वरूप घोषित किया गया अतिरिक्त बोनस वास्तव में अग्रिम रूप से दिया गया एक आंशिक बोनस है।

(ii) बिना लाभ पालिसियों के अन्तर्गत प्रीमियम दरों में अपर्याप्त कटौती।

(iii) सरकारी कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना की तुलना में रेलवे कुलियों के लिए नई शुरू की गई पालिसी में 9.75 रुपए प्रति हजार की प्रीमियम दर अधिक बैठती है।

(iv) जीवन बीमा निगम की पालिसियों के अन्तर्गत अपर्याप्त लाभ।

उपरोक्त विवरण के संदर्भ में स्थिति क्रमवार निम्न प्रकार है :

(i) 1986 के दौरान पड़ने वाली अपनी 30वीं वर्षगांठ और 1986-87 वर्ष को "पालिसी धारक का वर्ष" के रूप में मनाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार एक विशेष मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। इस विशेष मूल्यांकन के परिणामस्वरूप बोनस दरें आजीवन बीमा

पालिसियों के लिए 65 रुपए प्रति हजार बीमित राशि प्रतिवर्ष तथा बन्दोबस्ती बीमा पालिसियों के लिए 52/-रु० प्रति हजार बीमित राशि प्रतिवर्ष के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है जबकि 31 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार पिछले मूल्यांकन के लिए घोषित की गई ये दरें क्रमश: 55 रुपए और 44 रुपए थीं। इसके अतिरिक्त यह अधिक बोनस, 1 अप्रैल, 1986 से 31 दिसम्बर, 1987 की अवधि के दौरान मृत्यु अथवा परिपक्वता के परिणामस्वरूप किए जाने वाले दावों से सम्बन्धित सभी पालिसियों के लिए भी मान्य होगा। यदि यह विशेष मूल्यांकन न किया गया होता तो पालिसियों को 31 मार्च, 1985 को किए गए मूल्यांकन के आधार पर कम दरों पर केवल "अन्तरिम" बोनस ही प्राप्त होता। कुल मिलाकर, विशेष मूल्यांकन के परिणामस्वरूप, घोषित बोनस की दरों को सभी भागीदार पालिसियों के लिए उचित तथा न्यायोचित समझा जाता है।

(ii) मृत्यु दर, ब्याज तथा खर्च आदि तथ्यों, जिनके आधार पर प्रीमियम दरों का हिसाब लगाया जाता है को ध्यान में रखते हुए, जीवन बीमा निगम विगत में बिना लाभ योजनाओं के अन्तर्गत प्रीमियम दरों को समय-समय पर करता रहा है। हाल ही में, योजना और अवधि के आधार पर ऐसी प्रीमियम दरों में 1% से 38% के बीच कमी गई है और इसे उचित समझा जाता है।

(iii) रेलवे कुलियों के लिए सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत ली जा रही प्रीमियम दरों की तुलना केन्द्रीय सरकार कर्मचारी बीमा योजना की प्रीमियम दरों से नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उत्तरवर्ती योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की मृत्यु दर उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्तियों की मृत्यु दर से भिन्न है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त योजना में प्राकृतिक कारणों के अलावा दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु भी सम्मिलित है, इसलिए इस जोखिम का बीमा करने में अधिक लागत बैठती है।

(iv) बीमा पालिसियों के अन्तर्गत होने वाले लाभ की तुलना बचत के अन्य साधनों से प्राप्त होने वाले लाभ से नहीं की जा सकती क्योंकि उनमें जीवन का जोखिम सम्मिलित नहीं होता। तथापि, पिछले वर्षों के दौरान जीवन बीमा निगम की जीवन निधि के शुद्ध लाभ में लगातार वृद्धि हुई है।

पान के पत्तों का निर्यात

675. **श्री गदाधर साहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पान के निर्यात को बढ़ाने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में पान उगाने वालों के बारे में मौके पर जाकर कोई अध्ययन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन अध्ययनों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पटसन और कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

676. **श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :** क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की किन्हीं कपड़ा और पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन यूनिटों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार के पर्यटन केन्द्रों को पर्यटन गम्य बनाने के लिए रेल लाइनों का विस्तार

677. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य में नालन्दा, पावापुरी, बिहार शरीफ और राजगीर जैसे महत्वपूर्ण केन्द्रों को पर्यटकों के लिए सुगम्य बनाने हेतु बख्तियारपुर-राजगीर रेलवे लाईन को गया तक बढ़ाया जाना आवश्यक समझा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यटन विभाग का इस संबंध में परिवहन विभाग से अनुरोध करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही यह मामला रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है जिन्होंने संसाधनों पर प्रतिबंधों और अत्यधिक वचनबद्धताओं के कारण किसी भी नई परियोजना को प्रारम्भ करने में अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है।

[अनुवाद]

हैदराबाद में पाकिस्तान का वीसा कार्यालय

678. **श्री पी० मानिक रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में पाकिस्तान का वीसा कार्यालय खोलने/आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है, उसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और इस कार्यालय के कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) एक विशेष मामले के रूप में सरकार प्रत्येक माह में दो दिन के लिए हैदरबाद में अस्थायी पाकिस्तान राजदूतावास, जो इस कार्यालय का खर्चा उठाएगा, ने अभी इसे खोलना है।

कुत्ते के काटने के मामले में बीमा दावों के लिए समय सीमा को समाप्त करना

679. **श्री पी० मानिक रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री जीवन बीमा सम्बन्धी दावों के सम्बन्ध में परिवर्तन करने के प्रस्ताव के बारे में 22 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1003 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद में कुत्ते द्वारा काटे जाने वाले व्यक्ति के लिए बीमा दावे के लिए 90 दिन की सीमा को समाप्त करने का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या जीवन बीमा निगम ने तदनुसार अपने नियमों और मार्गनिर्देशों में संशोधन किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी, हां। उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र, अहमदाबाद से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जो कि श्री ए० पी० पटेल जिनकी मृत्यु कुत्ते द्वारा काटने से हो गई थी, की विधवा द्वारा मृत्यु दावा करने के बारे में था। जीवन बीमा निगम ने दावाकर्त्ता को 35,000/- रुपए की मूल राशि का भुगतान कर दिया था लेकिन इतनी ही राशि के दोहरा दुर्घटना हितलाभ के दावे को स्वीकार नहीं किया चूंकि उनकी मृत्यु कुत्ते के काटने की तारीख से 90 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद हुई थी। इस मामले पर बाद में सरकार द्वारा फिर से विचार किया गया और मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया था कि जीवन बीमा निगम को अनुग्रही आधार पर दुर्घटना की 35,000/- रुपए की राशि का भी भुगतान करना चाहिए। चूंकि वह मामला न्यायाधीन था इसलिए जीवन बीमा निगम ने, दावाकर्त्ता द्वारा पूरी राशि को स्वीकार करने तथा दावे के अन्तिम निपटान के लिऐ सहमत होने पर 35,000/- रुपए की राशि 17-9-1986 को न्यायालय में जमा करा दी थी।

उड़ीसा में कमजोर वर्गों को ऋण की मंजूरी

680. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कितने व्यक्तियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 5,000/-रुपये तक के ऋण दिये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछी गई रीति से अलग से सूचना प्राप्त नहीं होती। फिर भी, दिसम्बर, 1983 दिसम्बर, 1984 तथा जून, 1985 के अन्त में उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों से सम्बन्धित ऋणकर्ताओं की कुल संख्या क्रमश: 7,73,000, 12,18,000 और 8,57,000 थी।

ऋण राशियों की शीघ्र वसूली के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करना

681. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन बैंक एसोसिएशन ने ऋण की वसूली से सम्बन्धित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधिकरणों की स्थापना करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की बकाया राशियों की वसूली के लिए अधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सेन्ट्रल काटन मिल्स, हावड़ा के बन्द होने की संभावना

682. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सेंट्रल काटन मिल्स, हावड़ा, सरकार के निर्णय के अनुसार शीघ्र ही बंद कर दी जायेगी,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) उक्त मिल के बंद होने के कारण कितने मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे,

(घ) क्या इन मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने की कोई योजना है,

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अभी तक किसी एन० टी० सी० मिल को बन्द करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

पश्चिम बंगाल में बेलघरिया में मोहिनी मिलों का राष्ट्रीयकरण

683. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बेलघरिया में रुग्ण मोहिनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करेगी जिसका प्रबन्ध राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पास है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) मोहिनी मिल्स, बेलघरिया, पश्चिम बंगाल के प्रबंध का अधिग्रहण 24 अक्टूबर, 1981 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत किया गया है। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि कई मुद्दों पर विचार किया जाना जरूरी है तथा इसलिए इस बारे में निर्णय लेना सम्भव नहीं हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में कमी आना

684. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरक्षित नकदी पर ब्याज की हानि तथा अपेक्षित आरक्षित नकदी स्तर तथा सांविधिक भुगतान साधन अनुपात बनाये रखने में असफल रहने का कारण भारतीय रिजर्व बैंक को जुर्माने का भुगतान किये जाने के कारण अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभ में काफी कमी आ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बुल्गारिया के साथ संयुक्त उद्यम

685. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बुल्गारिया के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारत और बुल्गारिया के बीच संयुक्त उद्यम को बढ़ाने के लिए किन-किन क्षेत्रों को चुना गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) दोनों सरकारें इस विचार पर सहमत हैं कि विशेषतया निर्यातों के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करना व्यापार-संवर्धन के लिए एक वांछनीय कदम होगा और वे तदनुसार, संयुक्त आयोग की बैठकों, व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों के आदान प्रदान आदि के माध्यम से ऐसे संयुक्त उद्यमों की स्थापना के संवर्धन के लिए प्रयत्न कर रही हैं, जबकि बुल्गारिया अथवा तीसरे देशों में अब तक कोई भी भारत बुल्गारिया संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया गया है अत: भारत में निर्यात हेतु अर्थात वस्त्रों तथा चमड़े के फैशन दस्तानों के क्षेत्रों में ऐसे एकक स्थापित किए गए हैं। विगत माह सोफिया में भारत बुल्गारियाई संयुक्त आयोग की हाल में हुई बैठक में दोनों पक्षों ने इस संबंध में और आगे अध्ययन हेतु खाद्य प्रोसेसिंग, रसायनों, इलैक्ट्रानिकी तथा चमड़ा माल उद्योग को उपयुक्त क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया। तथापि, दोनों देशों के उद्यमियों पर निर्भर करेगी कि वे इस सम्बन्ध 8 संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के मामले में वाणिज्यिक निर्णय लें।

पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में खोली गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें

686. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली गयीं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के सरकारी क्षेत्रों के 28 बैंकों द्वारा खोली गई बैंक शाखाओं की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या		
	1983	**1984**	**1985**
पश्चिम बंगाल	46	123	315
बिहार	42	137	429
उड़ीसा	17	70	63

सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात

687. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौराम सिलेसिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है,

(ख) पहली छमाही के दौनान क्या उपलब्धि हुई है;

(ग) शेष अवधि के दौरान सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं,

(घ) क्या सरकार एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्थापित किये जाने तथा कार्य शुरू कर देने की सम्भावना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1986-87 के दौरान सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात के लिए 1200 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान उपलब्धियां अनन्तिम रूप से 614 करोड़ रु० बैठती हैं।

(ग) सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन 22-1-1986 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। इस संस्थान की स्थापना फैशन उद्योग की शिक्षा, अनुसंधान सेवा तथा प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है। संस्थान कार्यक्रम की शुरूआत जनवरी से मई, 1987 तक फैशन डिजाइन के सम्बन्ध में एक कार्यशाला के आयोजन से करेगा।

विवरण

सिलेसिलाए परिधानों के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :

(1) उन आधुनिक परिधान बनाने की मशीनों के ओ० जी० एल० के अन्तर्गत आयात करनें की अनुमति दी गई है, जिनका देश में निर्माण नहीं होता। परिधान विनिर्माण के लिए 114 मशीनों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत रखा गया है, जिनमें से 97 पर आयात शुल्क की छूट है।

(2) नकद मुआवजा सहायता की दरों को 1-7-86 से सुव्यवस्ति कर दिया गया है। इन दरों को सूती परिधानों के लिए 31-12-1988 और अन्य परिधानों के लिए 31-3-1989 तक के लिए। कोटा के अन्तर्गत धीमी गति वाली मदों को, जो पहले सी० सी० एस० की पात्र नहीं थी, भी अब पात्र बनाया गया है। गैर कोटा देशों को निर्यात और मानव निर्मित फाइबर तथा रेशम परिधानों के लिए सी० सी० एस० की ऊंची दरों की घोषणा की गई है।

(3) सी० सी० एस० के मामले में निर्यातकों को निश्चितता प्रदान करने के उद्देश्य से सूती परिधानों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(4) परिधान विनिर्माण के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में एक फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया गया हैं।

(5) सूती परिधानों के लिग शुल्क वापसी दरों को बढ़ाया गया है।

(6) लदान-पूर्व ऋण के दिनों की संख्या को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। ब्याज दर में भी 2·5 प्रतिशत तक की कमी कर दी गई है।

(7) 1985-86 के लिए आयात निर्यात नीति के परिशिष्ट 17 के द्वारा आयात हकदारियों और आर० ई० पी० लाइसेंसों को उदार बनाया गया है।

(8) 1985-86 के लिए आयात-निर्यात नीति में परिशिष्ट 19 के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंसिग योजना और परिशिष्ट 21 के अन्तर्गत शुल्क कर मुक्त आर० ई० योजना के अधीन कच्चे माल/फेब्रिको की बहुत सी मदों के आयात की अनुमति गई है।

(9) विनिर्माता-निर्यातकों के लिए आयात-निर्यात पास बुक योजना भी आरम्भ की गई है।

(10) नये उत्पादों और नए बाजारों के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाती है।

(11) शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार दोनों की योजनाओं के अन्तर्गत अन्य बहुत सी रियायतों के साथ-साथ पूंजी माल और कच्चे माल के उदार आयात के लिए सुविधाएं दी जाती हैं।

(12) सरकार बाजार अध्ययन, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलो/प्रदर्शिनियों में भाग लेने आदि जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को प्रायोजित करने और उन्हें वित्तपोषित करने के लिए उदार सहायता देती रही है।

स्वर्ण आभूषणों का निर्यात

688. श्री मोहन भाई पटेल क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान कितने मूल्य के स्वर्ण आभूषण निर्यात किए गए,

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए स्वर्ण आभूषणों के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान उपलब्धि क्या रहा,

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने स्वर्ण आभूषणों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा हेतु अग्रिम लाइसेंसों पर स्वर्ण आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया है ताकि भारतीय निर्यातक इस उद्योग के संवर्धन में सहायता कर सकें,

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस योजना के आरम्भ किए जाने से अब तक आभूषण निर्माताओं द्वारा स्वर्ण का कितनी मात्रा का आयात किया है, और

(च) क्या इसका देश में स्वर्ण के मूल्य पर कोई प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी) : (क) 86 करोड़ रु० ।

(ख) 100 करोड़ रु० ।

अप्रैल-सितम्बर 86 के दौरान निर्यात—46·48 करोड़ रु० ।

(ग जी हां, । स्वर्ण माउन्टिगस, फाइन्डिग्स, सोकेट्स, फ्रेमों आदि तथा कैरेट और उससे कम के स्वर्ण के आयात की अग्रिम लाइसेंस पर अनुमति होगी ।

(घ) संगत सार्वजनिक सूचना की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 3180/86]

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कोई आयात नहीं किए गए हैं ।

(च) सरकार को स्वर्ण की कीमत पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी नहीं है ।

मध्यम रेशे और लम्बे रेशे की कपास के उत्पादन और खपत में असन्तुलन

689. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्यम रेशे और लम्बे रेशे की कपास के उत्पादन और खपत में काफी अन्तर है जबकि बढ़िया किस्म के लम्बे रेशे की कपास का उत्पादन आवश्यकता से बहुत अधिक है, और

(ख) यदि हां तो इस असन्तुलन को ठीक करने के लिए उठाये गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्णकुमार) : (क) और (ख) लम्बे रेशे की रुई और कुछ सीमा तक मध्यम रेशे की रुई का उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है । असन्तुलन को ठीक करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए है :

1. रुई वर्ष 1985-86 के दौरान लम्बे रेशे की रुई का 00·50 लाख गांठों का निर्यात कोटा जारी किया गया,

2. रुई की खपत बढ़ाने की दृष्टि से सभी प्रकार के यार्न के निर्यातों पर नकद मुआवजा सहायता को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने के अलावा सरकार ने यार्न के उदार निर्यात की अनुमति दी है,

3. सरकार ने हाल ही में चालू रुई वर्ष से आरम्भ करके तीन वर्ष की अवधि के लिए लम्बे और अधिक लम्बे रेशे की रुई की प्रतिवर्ष 5 लाख गांठों के निर्यात की घोषणा की है ।

अल्जीरिया के साथ व्यापार

690. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्जीरिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन कौन से क्षेत्रों को चुना गया है, और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत अल्जीरिया व्यापार के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि दुतरफा व्यापार के विकास के लिए गुंजाइश है। भारत से निर्यातों के लिए अभिज्ञात मुख्य मदें हैं : औषधि तथा भेषजीय पदार्थ, टैक्सटाइल यार्न, पटसन तना पटसन उत्पाद, कृषि उत्पाद तथा इंजीनियरी उत्पाद। अल्जीरिया द्वारा भारत को निर्यात के लिए आफर की गई मुख्य मदें हैं : पारा, सीसा, जस्ता, यूरिया तथा कतिपय पैट्रो-रसायन।

(ग) सातवीं योजनावधि के लिए भारत-अल्जीरियाई व्यापार के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए हैं। दोनों पक्ष दुतरफा व्यापार के स्तरों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने के लिए सहमत हो गये हैं।

उड़ीसा में रेशम विकास परियोजना

691. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में एक रेशम विकास परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए धनराशि निर्धारित कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो रेशम उत्पादन के लिए उड़ीसा में क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है ; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में रेशम की खेती के विकास के लिए क्या विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) सरकार ने एक बाईवोल्टाईन रेशम उत्पादन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन दे दिया है जिसमें 1986-87 से आरम्भ होने वाली 4 वर्षों की अवधि में उड़ीसा के गंजम जिले में 1000 एकड़ भूमि पर 4.27 करोड़ रु० के परिव्यय से मलबरी बागान लगाने की व्यवस्था है।

(घ) उड़ीसा में रेशम की खेती को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही बीज उत्पादन, विस्तार कार्य, अनुसंधान तथा विकास सहायता आदि जैसी चालू योजनाओं के अतिरिक्त सातवीं योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में टसर विकास के लिए एक परियोजना तैयार की गयी है। यह परियोजना स्विज विकास निगम की सहायता से कार्यान्वित की जानी है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा बैंकरों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

692. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बैंकरों के विकास के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर की विकास सम्बन्धी वित्तीय संस्थाओं के कार्मिकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम चलाने के वास्ते हैदराबाद में शीर्षस्थ स्तर पर एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है। विदेशों में ऐसी संस्थाओं के वरिष्ठ स्तर के कार्यकलापों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए भी विचार किया जा सकता है।

हथकरघा निर्मित मदों को दी गई राज सहायता में कटौती

693. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत करघे, हथकरघा उद्योग के लिए, आरक्षित मदों का निर्माण कर रहे है ;

(ख) क्या हथकरघा निर्मित समान का भण्डार काफी मात्रा में जमा हो गया है ;

(ग) क्या हथकरघा मदों को दी गयी राज सहायता में कटौती की गई थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो हथकरघा उद्योग के संरक्षण हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) हथकरघा के लिए आरक्षण अधिक जोरदार ढंग से लागू करने के लिए भारत सरकार ने पहले से ही दिल्ली पुणे और कोयम्बतूर में तीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए हैं जिनमें उपयुक्त तकनीकी कर्मचारियों को लगाया गया

है तथा इनमें कार्य शुरू हो गया है। हथकरघा आरक्षण आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों से पृथक तन्त्र स्थापित करने का अनुरोध भी किया गया है। तथापि, 4 अगस्त, 1986 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना तथा हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 में विद्युत करघों द्वारा आरक्षित मदों का उत्पादन जारी होने की तारीख से 3 महीनों की अवधि के भीतर बन्द करने की व्यवस्था है।

(ख) सरकार को हथकरघा माल के स्टाक के भारी मात्रा में जमा होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जी नहीं। तथापि छूट दिवसों की अवधि, राष्ट्रीय हथकरघा प्रदर्शनी के अतिरिक्त 30 दिन तक सीमित है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादों का भारी भण्डार

694. **श्री एन० डेनिस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के उत्पादकों का भारी भण्डार सारे भारत में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की दुकानों में पड़ा हुआ है ;

(ख) ऐसा कुल कितना भण्डार है और इसकी लागत क्या है ;

(ग) क्या 'शो रूप' में बिना बिक्री के पड़े हुए ऐसे भारी भण्डार की जांच की गई है ; और

(घ) इस भण्डार को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) अगस्त, 1986 के अन्त तक एन० टी०सी० की दुकानों और एन० टी० सी० की सहायक कम्पनियों के डिवीजनल कार्यालयों में पड़े हुए विभिन्न प्रकार किस्म के कपड़े की मात्रा लगभग 14 मिलियन मीटर थी जिसका मूल्य लगभग 19 करोड़ रु० था।

(ग) त्यौहार के मौसम के लिए यह स्टाक बहुत अधिक नहीं समझा गया।

(घ) सहायक कम्पनियां तिमाही आधार पर शो रूमों के समान तथा कार्यकरण की पुनरीक्षा की तानीटरिंग करती है। इसके अतिरिक्य स्टाक का निपटान करने के लिए निम्नोकित कदम उठाए गए हैं :

(1) बिक्री बढ़ाने के लिए विक्रय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है। उनमें संशोधन किया जाता है।

(2) स्टाक के जमाव को कम करने के लिए समय-समय पर उपभोक्ताओ को छूट दी जाती है।

(3) एन० टी० सी० स्टाफ कालेज की मार्फत समय-समय पर शो रूप कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

(4) एन०टी०सी० उत्पादों का अधिक व्यापक प्रचार।

(5) एन०टी०सी० उत्पादों की हाउस कीपिंग। उनके प्रदर्शन में निरन्तर सुधार किया जा रहा है।

बैंक डकैतियां

695. **श्री अमर सिंह राठवां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक डकैतियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 के पहले नौ महीनों के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रवार पड़ी बैंक डकैतियों की संख्या कितनी है;

(ग) इन डकैतियां में कुल कितनी धनराशि लूटी गयी;

(ग) क्या डकैती के किसी मामले को सुलझाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(च) देश में विशेष रूप से छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुरक्षा के लिए अब तक क्या उपाय किए गए है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1986 के पहले नौ महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित उनकी शाखाओं में लूटपाट/डकैती की 83 घटनाएं हुई। इन मामलों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि कुछ राज्यों में बैंक लूटपाट डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार, उपर्युक्त मामलों में से 11 मामलों में पुलिस ने 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(च) यद्यपि बैंकों की सुरक्षा बहुत कुछ सामान्य सुरक्षा के वातावरण पर निर्भर है, फिर भी, बैंकों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने और डकैती/लूटपाट को रोकने के उद्देश्य से जोखिम के आधार पर अपनी शाखाओं में सशस्त्र सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति, उपयुक्त अलार्म प्रणालियों की स्थापना आदि जैसे कदम उठाए हैं। शाखाओं की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से विभिन्न चरणों में किए जाने वाले उपायों में कुछ उपाय ये हैं :—कैशियरों के लिए जाली वाले केबिन बनाना, शाखाओं में इस्पात के कोलेप्सीबल गेट लगाना आदि।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1-1-86 से 30-9-86 की अवधि में बैंक लूटपाट/डकैती के मामलों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि की राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्र-वार सूचना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपये)
आंध्र प्रदेश	1	0.19
असम	3	41.85
बिहार	7	23.87
चण्डीगढ़	1	1.34
दिल्ली	2	9.64
गुजरात	10	13.34
हरियाणा	1	7.96
जम्मू व कश्मीर	1	शून्य
मध्य प्रदेश	2	5.78
महाराष्ट्र	9	20.93
मेघालय	2	2.81
नागालैंड	2	13.51
पंजाब	32	31.19
उत्तर प्रदेश	7	5 33
पश्चिम बंगाल	3	1.55
	83	179.29

(आंकड़े अनन्तिम)

केरल में पर्यटन का विकास

696. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पर्यटन के विकास के लिए केरल को कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) विचारधीन/कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) पर्यटन मन्त्रालय केन्द्रीय बजट में से निधियों का राज्यवार आबंटन नहीं करता । अलग-अलग राज्यों से प्राप्त होने वाली स्कीमों की गुणों के आधार पर और योजना आयोग द्वारा निश्चित परस्पर प्राथमिकताओं के अनुसार जांच की जाती है । तथापि 1986-87 के दौरान पर्यटन मंत्रालय ने केरल में पैदल भ्रमण उपकरणों की खरीद करने के लिए 3.24 लाख रु० मंजूर किए है । इसमें से 2.91 लाख रु० रिलीज कर दिए गए हैं । राज्य सरकार ने विभिन्न फर्मों को पैदल-भ्रमण उपकरणों की आपूर्ति करने के आर्डर दिए हैं जिनमें से ऊनी कम्बल, पीठ-थैले, दरियां और प्राथमिक चिकित्सा किट्स प्राप्त हो गए हैं जिनकी कीमत 1.34 लाख रु० है ।

(ग) जो स्कीमें पहले ही आरम्भ की गई है और जो स्कीमें विचारधीन हैं उनके ब्यौरे इस प्रकार हैं:

कार्यान्वित की जा रही स्वीकृत स्कीमें

लाख रु० में

स्कीम का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृति राशि	रिलीज की गई राशि
1. अलेप्पी में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	10.28	4.00
2. कोट्टाकारा में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	10.28	4.00
3. कन्नानोर में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	10.20	4.00
4. पालघाट में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	10.28	4.00
5. वाईनाद में आवास सहित मार्गस्थ सुख-सुविधाएं	1985-86	10-28	4.00
6. कोचीन, कुमारकोम, क्विलान और थेक्कड़ी में नौकाओं की व्यवस्था	1985-86	50.78	25.00

विचारधीन स्कीमें

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत
1. कोवलम में जल क्रीड़ाएं	18.00
2. मालमपुजा में जल क्रीड़ाएं	7.10
3. समुद्रतट बिहार-स्थल, कप्पड़	55.00
4. वन गृह, परम्बीकुलम	17.19
5. यात्री निवास, क्विलान	38.26
6. यात्री निवास, त्रिवेन्द्रम	32.77
7. परम्बीकुलम और नेययार वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए मिनी बसों की खरीद	14.30

पालघाट में महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों को जोड़ने वाला एक पर्यटक कम्पलैक्स बनाने का प्रस्ताव

697. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के पालघाट जिले में मलमपुजा, नीलीअमपटी, पारामबीकुलम, साइलेन्ट वेली आदि जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने के लिए विशाल पर्यटक कम्पलैक्स बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) मलमपूजा डैम में जल क्रीड़ाओं की व्यवस्था करने, परम्बीकुलम बन्य-जीव अभ्भारण्य में एक वन-गृह का निर्माण और मिनी बसों की व्यवस्था करने के लिए केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ) ये प्रस्ताव वस्तुत: विचारधीन हैं और राज्य सरकार से मांगी गई कुछ अतिरिक्त सूचना के प्राप्त होते ही इन्हें अन्तिम रूप प्रदान किया जाएगा।

आंध्र प्रदेश के कमजोर वर्गों के लोगों को वितरित किए गए ऋण

698. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों, कृषकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों को दिए गए ऋण की धनराशि का ब्योरा क्या है ;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान उनके विकास के लिए कितनी धनराशि दिए जाने की आशा है : और

(ग) उन ऋणों के परिणामस्वरूप बेरोजगारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, कृषकों, आदिवासियों आदि की स्थिति में किस सीमा तक सुधार हुआ है और इसमें किस सीमा तक और सुधार होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । अलबत्ता, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में छोटे और सीमांतिक किसानों, भूमिहीनों मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों समन्वित-ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों, अनुसूचितजातियों/अनुसूचित जनजातियों के हिताधिकारियों आदि सहित कमजोर वर्गों को दिसम्बर 1983 के अन्त तक 362 करोड़ रुपये के अग्रिम दिए गए थे जो जून 1985 के अन्त में बढ़कर 589 करोड़ रुपये के हो गए ।

(ख) और (ग) चूंकि बैंक अग्रिम मुख्यत: वर्षों के दौरान जमाराशियों की वृद्धि की दर पर निर्भर करते हैं, इसलिए बैंक ऋणों का लक्ष्य बताना सम्भव नहीं है । कभी-कभी कुछ योजनाओं के वास्ते लक्ष्य रखे जाते हैं । अलबत्ता, कुल ऋण में कमजोर वर्गों का हिस्सा 10 प्रतिशत से कम नहीं है । अत: प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना देना संभव नहीं है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 1983 में सभी वाणिज्यिक बैंकों के नाम ये निर्देश जारी किए थे कि मार्च 1985 के अन्त तक वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों का हिस्सा बढ़ाकर कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक ले आएं । बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में उप-लक्ष्य दिए गए थे और कहा गया था कि मार्च 1985 के अन्त तक कुल अग्रिमों में कमजोर वर्गों का हिस्सा कुल अग्रिमों के कम से कम 10 प्रतिशत के बराबर होना चाहिए । सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने इस लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है ।

अनिवासी भारतीयों का विश्व संगठन

699. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क में अनिवासी भारतीयों का एक विश्व-संगठन बनाया गया है ; और

(ख) उक्त संस्था और सरकार के बीच सहयोग से भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र में कितनी विदेशी पूंजी लगाई जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार के ध्यान में यह

बात लगाई गई है कि विश्व अनिवासी भारतीय संगठन नामक एक संगठन न्यूयार्क में स्थापित किया गया है।

(ख) इस संगठन और सरकार के बीच कोई औपचारिक सम्बन्ध अथवा सहयोग व्यवस्था नहीं है—अत: यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटक केन्द्रों के विकास सम्बन्धी योजनाएं

700. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने अक्तूबर, 1986 में बिहार में बिहार शरीफ, नालन्दा, राजगीर और अन्य स्थानों का दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इन महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनायें शुरू करने की घोषणा की थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक क्रियान्वित किया जायेगा।

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) मैंने 8 से 10 अक्तूबर, 1986 तक पटना, नालंदा, राजगीर और बोध गया का दौरा किया था।

(ख) और (ग) महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए पहले से चल रही विभिन्न परियोजनाओं तथा बिहार के मुख्य मंत्री द्वारा सुझाए गए अनेक प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ था।

[अनुवाद]

सिओल में भारत के गलत मानचित्र का परिचालन

701. **श्री जी० एस० बसवराजू** :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री श्री सैफुद्दीन चौधरी :
श्रीमती बिभाघोष गोस्वामी :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री हरीश रावत :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिओल में सितम्बर, 1986 में हुए एशियाई खेलों के दौरान दक्षिण कोरियाई अधिकारियों द्वारा औपचारिक रूप से परिचालित मानचित्र में जम्मू और कश्मीर को एक विवाद-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया था ;

(ख) क्या भारतीय दल ने इस गलत मानचित्र पर आपत्ति की थी ;

(ग) क्या दक्षिण कोरिया स्थित हमारे दूतावास से इस मामले को उठाया या नहीं ;

(घ) क्या दक्षिण कोरिया अधिकारियों द्वारा इस बारे में सुधारात्मक उपाय किए गए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या किन्हीं अन्य देशों ने भी अपनी मानचित्रों में जम्मू और कश्मीर को विवादग्रस्त क्षेत्र के रूप में दर्शाया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या भारत सरकार ने इस गलती को उसके साथ उठाया है और क्या उन देशों ने अपने मानचित्रों में तत्पश्चात आवश्यक शुद्ध कर ली है ; और

(च) क्या इस सम्बन्ध में सभी भारतीय दूतावासों को कोई निदेश जारी किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ)· सियोल एशियाई खेल संगठन समिति ने भारत का जो मानचित्र प्रकाशित किया है उसमें भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा सही रूप में नहीं दिखायी गई है, क्योंकि इसमें जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं है।

युवा और खेल राज्य मंत्री, तथा भारतीय सरकारी प्रतिनिधि मंडल की नेता श्रीमती मारग्रेट पल्वा ने तथा सियोल में भारत के राजदूत ने भारत के मानचित्र को गलत चित्र किए जाने के दक्षिणी कोरियाई प्राधिकारियों से कड़ा विरोध प्रकट किया था, इस समिति ने अपनी इस गलती के लिए खेद प्रकट किया, जो कि उनके अनुसार एक तकनीकी स्वरूप की गलती थी और उन्होंने इसे ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाए। इस समिति ने अन्ततः इस स्थिति को सही करने के लिए जो कदम उठाए उनमें से कुछ हैं ;

(i) "सियोल एशियाड न्यूज" के एक मुद्रित संस्करण में भारत के मानचित्र में सुधार ;

(ii) सीमा को गलत प्रदर्शित करने वाले प्रकाशन को वितरण से वापिस लेना ;

(iii) खेलों के समापन समारोह इलैक्ट्रानिकी स्कीन पर चित्रमय करते समय किसी भी देश के मानचित्र को प्रदर्शित न करना।

(ङ) पाकिस्तान, चीन और कुछ अन्य देशों में प्रकाशित मानचित्रों में जम्मू और कश्मीर राज्य से भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को गलत ढंग से दिखाए जाने की बात हमारी जानकारी में आई है। सम्बन्ध देशों को अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाया गया था। इसके परिणाम-स्वरूप कुछ संगठनों/प्राधिकारियों ने, जिन्होंने ऐसे गलत मानचित्र प्रकाशित किए थे, मानचित्रों में

आवश्यक शुद्धि करली है और कुछ अन्य संगठनों ने ऐसे मानचित्रों के भविष्य में छपने वाले संस्करणों में शुद्धि करने का आश्वासन दिया है। अन्य मामलों में इस विषय पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

(घ) विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को यह अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले देशों में छपे मानचित्रों में गलत रूप से दर्शायी गई भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को ध्यान रखें और अगर कहीं ऐसी अशुद्धि पाई जाए तो उसे ठीक करवाने के लिए सम्बन्ध प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त कदम उठाएं।

परमाणु कार्यक्रम के संबंध में चीन-पाक समझौता

702. **श्री जी० एस० बसवराजू :**

श्री विजय कुमार मिश्र :

श्री सोमनाथ रथ : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने परमाणु कार्यक्रम के सम्बन्ध में चीन और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर चिन्ता व्यक्त की है ;

(ख) क्या समझौते से इस उप-महाद्वीप में शांति को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री के० नटवर सिंह : (क) और (ख) : जी, हां।

(ग) सरकार उन सभी गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

हरारे में प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत

703. **श्री जी० एस० बसवराज :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हरारे में गुट निरपेक्ष सम्मेलन के दौरान अनेक बार विचार-विमर्श हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को और सामान्य बनाने हेतु उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया था ;

(ग) क्या दोनों देशों के नेता सम्बन्धों को सामान्य बनाने के बीच आने वाली बाधाओं को दूर करने के बारे में सहमत हो गए ;

(घ) क्या दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में उसके बाद कोई सुधार हुआ है ; और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां । प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जियाःउल-हक गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान हरारे में मिले ।

(ख) से (ङ) प्रधान मंत्री ने कराची में पैन अमरीकन विमान के अपहरण के सम्बन्ध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की । बातचीत के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर चर्चा हुई । प्रधान मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि संबन्धों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया में आगे बाधा नहीं आएगी ।

भारत-पाक सम्बन्ध

704. **श्री वी० एस० बसवराजू** :
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री एच० बी० पाटिल :
श्री मुकुल वासनिक :
श्री आर० एस० माने :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री मूलचन्द डागा :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री भद्टम श्रीराम मूर्ति : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन-चार महीनों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्ध बिगड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों की सहायता करने का रुख अपनाया जाना तथा जम्मू-कश्मीर, पंजाब तथा गुजरात में पाकिस्तानी घुसपैठिए भेजा जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने शिमला समझौते की भावना के विरुद्ध सभी विदेशी मंचों पर कश्मीर का प्रश्न उठाया है ;

(घ) क्या भारत ने इन मामलों के बारे में पाकिस्तान से कोई विरोध प्रकट किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इन मुद्दों के साथ-साथ पाकिस्तान द्वारा की गई कुछ अन्य नाकारात्मक कार्रवाईयों से भारत-पाक संबंध और बिगड़े हैं ।

(ग) पाकिस्तान ने हाल ही में काश्मीर के मामले को शिमला समझौते का उल्लंघन करते हुए गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों में ही उठाया ।

(घ) और (ङ) इन मुद्दों पर भारत सरकार की चिंता से पाकिस्तान की सरकार को अवगत कर दिया गया है लेकिन दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में उनका रुख संतोषजनक नहीं रहा ।

रुग्ण यूनिटों को पूंजीगत लाभ कर से छूट

705. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अपनी देय राशि की वसूली के लिए बेची गई रुग्ण यूनिटों को पूंजीगत लाभ-कर की अदायगी से छूट दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूंजीगत लाभकर से छूट की वही सुविधा उन रुग्ण यूनिटों को भी देने का है जो बैंक की देय राशि के समापन के लिए स्वेच्छा से अपनी यूनिटों को बेच देते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होता है ।

मालदीव की यात्रा पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए पासपोर्ट और वीजा

706. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान कितने भारतीयों ने पर्यटकों के रूप में मालदीव की यात्रा की ;

(ख) क्या एक पर्यटक को मालदीव की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट और वीजा लेना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो मालदीव की यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीजा की आवश्यकता को समाप्त करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवरसिंह) : (क) 4653 ।

(ख) मालदीव की यात्रा पर जाने वाले भारतीय पर्यटकों के पास वैध पासपोर्ट होना

चाहिए। उस देश में पहुंचने पर उन्हें वहां ठहरने के लिए वीजा दिया जाता है जिसकी वैधता अवधि 90 दिन की होती है।

(ख) जी, नहीं।

काफी के न्यूनतम निर्गम मूल्य में वृद्धि

707. श्री वी० कृष्ण अय्यर :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काफी के न्यूनतम निर्गम मूल्य में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में संसद सदस्य काफी उत्पादकों और अन्य लोगों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) 16-10-86 से काफी की न्यूनतम रिलीज कीमत 6·54 रु० प्रति प्वाइन्ट से बढ़ाकर 7·42 रु० प्रति प्वाइन्ट कर दी गई है।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बंगलौर में जारी किए गए पासपोर्ट

708. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से अब तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर से कितने व्यक्तियों ने पासपोर्ट प्राप्त किए हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तिओं ने विदेशों की यात्रा की है;

(ग) क्या वर्तमान प्रक्रिया में कोई व्यवस्था है, जिससे यह पता चलाया जा सके कि क्या पासपोर्ट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का वास्तव में विदेश यात्रा करने का इरादा है;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि कुछ एजेन्ट विदेश यात्रा योजना (एफ० टी० एस०) सुविधाएं प्राप्त करके अथवा अन्य गैर-कानूनी प्रयोजनों के लिए इस पासपोर्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जनवरी, 1986 से सितम्बर 1986 तक की अवधि के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर ने 57828 पासपोर्ट जारी किए थे।

(ख) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं। आवेदनों को पासपोर्ट उनकी विदेश यात्रा के लिए जारी किए जाते हैं जैसा कि वे अपने आवेदन पत्रों में लिखते हैं। तथापि व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्रा के उनके उद्देश्य में परिवर्तन हो सकता है। सरकार के पास यह संदेह करने अथवा देखने का ऐसा कोई कारण नहीं है कि वे अपनी विदेश यात्रा के उद्देश्य में परिवर्तन न करें।

(घ) और (ङ) सरकार को कुछ ऐसे मामलों की जानकारी है जिनमें दलालों/अप्राधिकृत यात्रा एजेण्टों के रूप में कार्यरत व्यक्तियों ने एफ० टी० सी० सुविधा का दुरुपयोग किया है। सरकार की विभिन्न जांच एजेन्सियां अनुवर्ती कार्रवाई के लिए ऐसे मामलों की छानबीन करती है।

गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में व्यय में कटौती

709. **श्री शरद दिघे :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा० बी० एल० शैलेश : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने के लिए गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में व्यय में कटौती करने और साथ ही योजना भिन्न व्यय को नियन्त्रित करने का निर्णय लेने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के गढ़वी) : (क) और (ख) : सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है कि आयोजना भिन्न और गैर-जरूरी मदों के व्यय को न्यूनतम रखा जाए।

सियाचिन ग्लेशियर के सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वक्तव्य

710. **श्री शरद दिघे :**

श्री एच० बी० पाटिल : (क) क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के समाचार पत्र "जंग" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह वक्तव्य दिया गया है कि सियाचिन ग्लेशियर पहले "स्वामित्व-रहित भूमि' की और यह पाकिस्तान का भाग नहीं था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्वीकारोक्ति की राजनयिक स्रोतों से पुष्टि कराई है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सियाचिन जम्मू व कश्मीर का एक अंग है जो भारत का एक अभिन्न भाग है। इस स्थिति को राजनयिक सूत्रों के जरिए दोहराए जाने की जरूरत नहीं है।

कपड़ा क्षेत्र के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के उपाय

711. श्री शरद दिघे : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कपड़ा क्षेत्र के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जून, 1985 में सरकार द्वारा घोषित वस्त्र नीति में वस्त्र उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए कई मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इस नीति के अनुसरण में सरकार ने वस्त्र उद्योग के कार्य निष्पादन को उन्नत करने के लिए कई उपाय किए हैं। सरकार द्वारा किये गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस तरह हैं :

(1) संगठित क्षेत्र में बुनाई क्षमता के विस्तार पर रोक को हटाना।

(2) पूर्ण रेशा लोचशीलता की अनुमति देना।

(3) कुछ मानव निर्मित रेशे/यार्न पर राजकोषीय लेवियों का सुव्यवस्थीकरण।

(4) पावर लूमों का अनिवार्य पंजीकरण।

(5) पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण देने के लिए वस्त्र अनुसंधान ऐसोसिएशनों की सक्रिय मदद से अधिक पावरलूम सेवा केन्द्र स्थापित करने का निर्णय, ताकि उनकी उत्पादकता बढ़ सके और कपड़े की क्वालिटी में सुधार हो सके।

(6) हथकरघों के विकास के लिए कई उपाय।

(7) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार समिति की स्थापना।

(8) सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम रुग्ण मिलों के सम्बन्ध में पुनंस्थापना पैकेज तैयार करने और उसकी व्यवस्था करने के लिए नोडीय एजेंसी की स्थापना।

(9) आधुनिकीकरण निधि का बनाया जाना।

(10) ऐसे कामगारों के लिए पुनर्वास निधि की स्थापना, जो गैर-अर्थक्षम वस्त्र मिलों के स्थायी रूप से बंद होने से विस्थापित हो सकते हों और एकल वस्त्र (नियन्त्रण) आदेश का तैयार किया जाना।

सरकार समय-समय पर वस्त्र उद्योग के कार्य निष्पादन की समीक्षा कर रही है। जब कभी, आवश्यक होगा, वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार द्वारा और उपाय किये जाएंगे।

खाद्य तेल के आयात से बचत

712. **श्री शरद दिघे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को खाद्य तेल के आयात से इस वर्ष कितनी बचत हो जाने की संभावना है;

(ख) तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने से इसमें कितनी बचत हुई है और आयात की मात्रा में कमी करने के कारण कितनी बचत हुई है; और

(ग) देश में मूंगफली की पैदावार पर आयात में की गई कमी का क्या प्रभाव पड़ा है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दासमुन्शी) : (क) से (ग) चूंकि वर्ष 1986-87 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अत: यह बताना संभव नहीं है कि खाद्य तेलों के आयातों पर कितनी धनराशि खर्च की जायेगी। इसके अतिरिक्त, चूंकि भारत खाद्य तेलों का प्रमुख आयातक है, इसलिए आयात-योजनाएं प्रकट करना वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करना

713. **श्री मानिक रेड्डी** :

श्री सुभाष यादव :

श्री एन० रघुमा रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली की सुविधायें शुरू की गई हैं,

(ख) यह सुविधा कब से आरम्भ हुई है; और

(ग) कार्यकुशलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) दिल्ली और मद्रास स्थित पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर लगा दिए गए हैं। बम्बई और कोचीन के पासपोर्ट कार्यालयों में कम्प्यूटर लगाने का कार्य चल रहा है।

(ख) दिल्ली और मद्रास के पासपोर्ट कार्यालयों में सितम्बर, 1986 से कम्प्यूटरों पर कार्य आरम्भ हो गया है।

(ग) शुरूआत में कम्प्यूटरों का उपयोग इंडेक्स कार्ड में दी जा रही जानकारी की पड़ताल के लिए किया जा रहा है। यह काम अब तक आदमी द्वारा किया जाता था। नवम्बर, 1986 के अंत तक परीक्षण जांच पूरी हो जाने के बाद इनका उपयोग क्रमिक रूप में पासपोर्ट सम्बन्धी अन्य कामों

के लिए किया जाएगा। आशा की जाती है कि कम्प्यूटरीकरण से अन्ततः पासपोर्ट शीघ्र जारी किए जा सकेंगे और अभिलेखों का रख-रखाव कुशलतापूर्वक हो सकेगा।

तीन रुपए का नोट चलाना

714. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे सिक्कों और कम मूल्य के नोटों की बढ़ती हुई कमी को दूर करने के लिए देश में तीन रुपये का नोट चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह नोट देश में कब तक चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तीन रुपए का नोट सुविधाजनक मूल्य वर्ग नहीं समझा गया है।

आंध्र प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

715. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्वयं रोजगार विशेष रूप से छोटे सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए आंध्रप्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को कितनी धनराशि के ऋण दिये गये;

(ख) इन शिक्षित बेरोजगारों को कितना लाभ हुआ है; और

(ग) बेरोजगारों की स्थिति सुधारने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान इस प्रकार के ऋणों के लिए कितनी धनराशि दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय वर्ष 1983-84 में शुरू की गई शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना से है। बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती है। अलबत्ता, उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान आंध्र प्रदेश में क्रमशः 14, 781 मामलों में 29·36 करोड़ रुपये, 13,084 मामलों में 27·34 करोड़ रुपये तथा 16,518 मामलों में 34·74 करोड़ रुपये मंजूर किये गये थे।

(ग) सरकार द्वारा अब तक राज्य-वार लक्ष्यों की घोषणा अलग-अलग वर्षों के वास्ते की जाती रही है। चालू वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश में सहायता पाने वाले हिताधिकारियों की कुल संख्या 17,300 है।

आंध्र प्रदेश से कपड़ों का निर्यात

716. श्री बी० तुलसीराम : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 में अप्रैल-जुलाई के दौरान कपड़े के निर्यात से कितनी आय हुई;

(ख) किन-किन देशों को कपड़े का अधिकतम निर्यात किया गया;

(ग) किन-किन राज्यों से इन कपड़ों का निर्यात किया गया और इन निर्यातों में आंध्र प्रदेश का कितना अंश है; और

(घ) चालू वर्ष के अगले चार महीनों के दौरान आंध्र प्रदेश से निर्यात कोटा को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अप्रैल-जुलाई, 1986 के दौरान सूती वस्त्र (मिल निर्मित/विद्युत करघा तथा हथकरघा) और परिधानों के निर्यात क्रमशः 208 करोड़ रु० और 392 करोड़ रु० के हुए।

(ख) जिन देशों को अधिकतम वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यात किए गए वे हैं – सोवियत संघ, ई०ई० सी०, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, स्विटजरलैंड आदि।

(ग) राज्यवार निर्यात-आंकड़े नहीं रखे जाते हैं :

(घ) राज्यवार निर्यात प्रोत्साहन नहीं दिए जाते हैं। आफर किए गए निर्यात प्रोत्साहन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस समय सरकार द्वारा वस्त्रों तथा क्लोदिंग के निर्यातकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :

(1) देश में न बनने वाली आधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों का ओ० जी० एल० पर आयात किये जाने की अनुमति दी जाती है। परिधान बनाने के लिए 114 तक मशीनें, ओ०जी०एल० के अन्तर्गत रखी गयी हैं जिनमें से 97 पर रियायती आयात शुल्क है।

(2) अप्रचलित मशीनों को हटाने के उद्देश्य से और वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिए वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन की सरकार की नीति उदार बनाई गई हैं और चुनिन्दा क्षेत्रों में उच्च टेक्नालाजी मशीनरी का आयात किये जाने की अनुमति निर्यात दायित्व के साथ है।

(3) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए 750 करोड़ रुपये की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई हैं।

(4) 1 जुलाई 1986 से लागू नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गई हैं। ये दरें 3 साल की अवधि के लिए घोषित की गई हैं और सामान्यतः पहले से अधिक हैं। परिधानों की मन्द गति से चलने वाली जिन मदों पर नकद मुआवजा सहायता कोटा देशों को निर्यात किए जाने पर देय नहीं था, वे नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दी गई हैं। सभी काउन्टों के यार्न के निर्यात पर 8% की दर से नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गई है।

(5) नकद मुआवजा सहायता के मामले में निर्यातकों को निश्चितता के तत्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से सूती परिधानों और वस्त्रों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(6) परिधान उत्पादन के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(7) सूती परिधानों के लिए शुल्क वापसी की दरें बढ़ा कर 10% कर दी गयी हैं।

(8) लदान पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। ब्याज की दर भी 2.5% कम की गई है।

(9) कच्चे माल, फैब्रिक्स की कई मदों के अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजना और हाल ही में आरम्भ की गयी आयात निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत आयात किए जाने की अनुमति है।

(10) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों की योजना के अंतर्गत पूंजीगत माल और कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों सहित दी जाती हैं।

(11) सरकार संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसे बाजार अध्ययनों, क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रायोजित करने और उनकी वित्त व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता देती रही है।

इलायची की कीमतों में गिरावट

717. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची की कीमतों में भारी गिरावट के कारण इलायची उद्योग गहरे संकट का सामना कर रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने "मार्कफेड" और राज्य व्यापार निगम को इलायची का निर्यात करने के लिए कहा है;

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक एजेन्सी द्वारा अभी तक कितनी मात्रा में निर्यात किया गया है; और

(घ) इलायची का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजनदास मुंशी) : (क) से (घ) इलायची की कीमतें जो कि सूखे के फलस्वरूप कम सप्लाई होने के कारण तेजी से बढ़ गयी थीं अब घट कर उत्पादन के सामान्य स्तरों के बराबर हो गई हैं। चालू वर्ष के दौरान इलायची प्राप्त करने व निर्यात करने के लिए बोर्ड ने राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन परिसंघ वं राज्य व्यापार निगम से अनुरोध किया है। इलायची आयोर निगम भी अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में प्रवेश करने के लिए योजना बना रहा है। इसके अतिरिक्त बोर्ड उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है तथा इसने कीमतों को स्थिर रखने के लिए तथा उपजकर्ताओं को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए नीलामी प्रणाली को भी सरल तथा कारगर बनाया है।

मुद्रास्फीति की दर

718. **प्रो० पी०जे० कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) मुद्रास्फीति की दर को और कम करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जैसाकि निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट है थोक कीमतों के सूचक अंक (1970-71=100) के अनुसार, बिन्दु प्रति बिन्दु आधार पर, मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में हाल हीं के सप्ताहों में कमी हुई है :

तारीख	मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
27-9-1986	7·0
4-10-1986	6·9
11-10-1986	6·6
18-10-1986	6·3
25-10-1986	6·3

(ग) सरकार कीमतों की स्थिति पर कड़ी नजर रखती है और कीमतों को युक्तियुक्त रूप में नियन्त्रण में रखने के लिए ऐसे उपाय करती है जो आवश्यक होते हैं। सरकार की मुद्रास्फीति-विरोधी नीति में पूर्ति और मांग के प्रभावी प्रबन्ध पर जोर दिया जाना जारी है, जिसमें सार्वजनिक

वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, चीनी और खाद्य तेलों की विनियमित मात्रा जारी करना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नकदी को बटोरना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

719. श्री विजय एन० पाटिल : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने का है;

(ख) यदि हां तो इन द्वीपों के विकास की विशाल परियोजना का पर्यावरण और वहां के आदिवासियों के विस्थापित होने पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) पर्यावरण की रक्षा करने और विकास कार्यों के कारण विस्थापित होने वाले आदिवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन मन्त्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : (क) से (ग) पर्यटकों के लिए पोर्ट ब्लेयर और उसके आस-पास के कुछ द्वीपसमूहों का विकास करने का एक प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों को तैयार करते समय इन बातों को सुनिश्चित करना ध्यान में रखा जाएगा कि पर्यटन विकास का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और स्थानीय आदिवासी विस्थापित न हों।

निरस्त्रीकरण सम्बन्धी शिखर वार्ता

720. श्री ई० अय्यूब रेड्डी :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एस० जी० घोलप :

श्री श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव और राष्ट्रपति रेगन के बीच हाल ही में आइसलैण्ड में हुई बैठक के परिणामों पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : सोवियत संघ के महासचिव श्री गोर्बाचोव और संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री रेगन के बीच हाल ही में आईसलैंड में जो बैठक हुई थी, उसके नतीजे से सरकार को निराशा हुई है। भारत सरकार इस बात का स्वागत करती है कि बैठक में पेश किए गए प्रस्ताव वापस नहीं लिए गए हैं और भारत सरकार को यह उम्मीद है कि दोनों देश शीघ्र ही किसी समझौते पर पहुंच सकेंगे।

प्रचलन में काला धन

721. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अक्तूबर, 1986 तक अनुमानत: कितना काला धन प्रचलन में था; और

(ख) काले धन का प्रचलन समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है और काले ध का प्रचलन कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : देश में प्रचलन काले धन की राशि का कोई सरकारी अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान ने "भारत में काले धन के पहलुओं" पर अपनी रिपोर्ट में 1983-84 के लिए काले धन का अनुमान 31584 करोड़ से 36786 करोड़ रुपये के बीच लगाया है। तथापि लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि उनका अनुमान अनेकों कल्पनाओं और मोटे अनुमानों पर आधारित है, इनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है।

(ख) कर अपवंचन को समाप्त करना एक क्रमिक प्रक्रिया है और सरकार इसके लिए पूर्णत: वचनबद्ध है। काले धन की उत्पत्ति को समाप्त करने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और संस्थागत सभी संभव उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं। उदार वित्तीय नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व की वसूली बढ़ी है। तथापि, संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना का उदारीकरण और प्रत्यक्ष करों की कर दरों में घटोती करना नीति का केवल एक अंग है। दूसरे अंग के रूप में बाकी के मामलों में व्यापक छानबीन करना, तलाशियां लेना और अभिग्रहण करना है ताकि कर-दाताओं के मन में ऐसा कोई संदेह न रहे कि वे अपनी आय की विवरणी में कुछ भी घोषित करके बच जाएंगे। प्रवर्त्तन तन्त्र को मजबूत बनाया जा रहा है और तलाशियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

दक्षिण अफ्रीका से शस्त्रों के आयात पर अनिवार्य रोक लगाने के बारे में भारत का प्रस्ताव

722. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल ही में हुए में राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका से शस्त्रों के आयात पर अनिवार्य रोक लगाने और इसके साथ संघ सम्बन्धी क्षेत्र में समस्त समझौतों अथवा लाइसेंसों को रद्द करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा हेतु 8 सूत्री योजना के एक ... रूप में रखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) नसाऊ, बहामस में अक्तूबर, 1985 में राष्ट्रमंडल देशों के राज्याध्यक्षों की बैठक में राष्ट्र मण्डल देशों के नेताओं में इस बात पर सहमति हुई हुई थी कि वे अन्य बातों के साथ-साथ "दक्षिण अफ्रीका से शस्त्रास्त्र, गोला-

बारुद, सैन्य-वाहन और उप-सैनिक उपकरणों के आयात पर सख्त नियंत्रित प्रतिबंध लगायेंगे और इसका सख्ती से पालन करेंगे।"

जैसाकि सुविदित है, भारत ने दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के साथ किसी प्रकार के व्यापार और सम्पर्क का बायकाट कर रखा है जिसमें उस देश के साथ शस्त्रों का व्यापार भी शामिल है और वह अपनी इस नीति पर अडिग हैं।

छः गैर-परमाणु शक्तियों द्वारा अमरीका और सोवियत संघ से परमाणु परीक्षण स्थगित करने का अनुरोध

723. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 अक्तूबर, 1986 को भारत सहित छः गैर-परमाणु शक्तियों में अमरीका और सोवियत संघ से परमाणु परीक्षण स्थगित करने की अपील की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पहल कदमी करने वाले 6 राष्ट्रों के नेताओं ने 3 अक्तूबर, 1986 को एक संयुक्त प्रैस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने यह आशा व्यक्त की कि सोवियत संघ और अमरीका शीघ्र ही नाभिकीय परीक्षण को रोक देने पर आपस में सहमत हो जाएंगे।

जोर्डन के शाह का दौरा

724. **श्री सुभाष यादव** :

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोर्डन के शाह ने अक्तूबर, 1986 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो जोर्डन के शाह और भारतीय नेताओं के बीच हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों के बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जोर्डन के शाह और भारतीय नेताओं के बातचीत में परस्पर हित के द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलो तथा भारत और जोर्डन के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग गढ़ाने और उसमें विविधता लाने के संबंध में सामान्य समीक्षा की गई।

(ग) और (घ) इस यात्रा के दौरान देशों के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए।

कपास के मूल्य में कटौती

725. श्री सुभाष यादव :

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में कपास के मूल्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या कपास उत्पादक इस मामले में आंदोलन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ द्विपक्षीय कपड़ा समझौता

726. श्री एच० एन० नन्जे गोड़ा :

श्री एस० एम० गुरड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल भारत ही "मल्टी फाइबर एग्रीमेंट" वाला एक ऐसा देश है जिसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ अपने द्विपक्षीय कपड़ा समझौते का नवीकरण नहीं किया है ;

(ख) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने कहा है कि जब तक भारत अधिक सुविधाओं और कोटे की अपनी मांगों में कमी नहीं करता, उन्हें तब तक समझौते की शर्तों के अनुसार पूरा किया जा सकता है।

(ग) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि सदस्य देशों के बीच सूती वस्त्रों के कोटे के पुन: वितरण का भारत का निवेदन यूरोपीय आर्थिक समुदाय को मान्य नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ अपने द्विपक्षीय कपड़ा समझौते के नवीकरण हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ख) भारत तथा यूरोपीय

आर्थिक समुदाय के बीच वस्त्र करार भारतीय एवं समुदाय के प्रतिनिधिमण्डलों के बीच गहने वार्ताओं के दो दौर सम्पन्न होने के बाद 1-1-1987 से प्रभावी पांच वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्तूबर, 1986 को किया गया। तय किए गए करार का आर्थिक अंश उत्पादन क्षेत्र हथकरघा परिधानों सहित बाजार में अधिक पहुंच, समुदाय कोटाओं का अपेक्षाकृत बेहतर पुनर्वितरण और अन्तः क्षेत्रीय अन्तरणों की दृष्टि से चालू द्विपक्षीय करार तथा समुदाय की विगत आफरों की अपेक्षा काफी बेहतर है।

महरौली में हशीश का पकड़ा जाना

727. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई के महीने में महरौली के एक फार्म हाउस में लगभग 30 लाख डालर मूल्य की हशीश पकड़ी गई थी ;

(ख) क्या उनका ध्यान 24, जुलाई, 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस" में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि उस व्यक्ति के, जिसकी इस मामले में तलाश है, अतिविशिष्ट व्यक्तियों से सम्बन्ध है और अब तक यह गिरफ्तारी से बचा हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिनांक 12-7-1986 को निवारक समाहर्तालय, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने एक लारी को रोका जो मशीनरी की मदों को यू० के० और साऊदी अरेबिया को उनका निर्यात किए जाने के वास्ते दिल्ली से कलकत्ता ले जा रही थी। खेप की जांच किए जाने के परिणाम-स्वरूप विभिन्न मशीनरी की मदों में छिपाई गई 767 किलोग्राम हशीश पकड़ी गई। ड्राईवर से पूछ-ताछ करने पर और बाद में गदाईपुर गांव, दिल्ली, स्थित एक फार्म हाउस की राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा तलाशी किए जाने से 1341 किलोग्राम और हशीश पकड़ी गई थी। पकड़े गए नशीले औषधद्रव्य का ठीक-ठीक मूल्य बता पाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इसका गैर कानूनी बाजार मूल्य मुख्यतया स्थान-स्थान पर और समय-समय पर नशीले औषध-द्रव्य की विशुद्धता, स्थानीय मांग और सप्लाई स्थिति मूल स्थान आदि विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करता है। जांच-पड़ताल करने वाले अभिकरण के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त के साथ अति विशिष्ठ व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध है।

अनाथों और विधवाओं के बीमा दावों का शीघ्र निपटान

728. श्री सी० जंगा रेड्डी :

डा० ए० के० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जीवन बीमा निगम और सामान्य बीमा निगम के पास लंबित पड़े दावों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) क्या मानवता आधार पर उन मामलों को, जिनके दावेदार अनाथ हैं अथवा विधवाएं हैं और बहुत कम सहारा है, शीघ्र निपटाने के लिए अनुदेश जारी करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31 मार्च, 1986 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम के पास 77929 परिपक्वता दावे तथा 23884 मृत्यु दावे अनीर्णीत पड़े थे। 31 दिसम्बर, 1985 को साधारण बीमा निगम और उसकी सहायक कम्पनियों के पास 476129 दावे अनीर्णीत पड़े थे।

(ख) जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम दोनों ने ही सभी दावों के शीघ्र निपटान हेतु कई उपाय किए हैं। इस मामले को सरकार द्वारा बराबर समीक्षा की जाती रहती है। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम द्वारा बकाया दावों के निपटान की प्रगति की समय-समय पर बारीकी से जांच और समीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा सभी श्रेणियों के दावों को तेजी से निपटाने के सम्बन्ध में जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को समय-समय पर उचित परामर्श और निर्देश जारी किए जाते हैं। तथापि, सरकार का इस समय केवल अनाथों और विधवाओं के दावों के मामले में अलग से हिदायतें जारी करने का कोई विचार नहीं है।

अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रिकों के लिए वीजा को आवश्यक बनाने के बारे में ब्रिटिश सरकार का निर्णय

729. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री सैयद शाहबुद्दीन :

श्री सी० माधव रेड्डी :

प्रो० रामकृष्ण मोरे :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री एन० डेनिस :

श्री एच० बी० पाटिल :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत सहित पांच अफ्रीकी एशियाई देशों के राष्ट्रिकों के लिए वीजा की आवश्यकता को आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री० के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 15-10-1986 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है कि जो भी भारतीय नागरिक

यूनाइटेड किंगडम जाना चाहें उसे वहां पहुंचने से पहले वीसा लेना होगा और अगर ऐसा न किया गया तो उसें यू० के० में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 240 रु० से लेकर 500 रु० तक का वीसा शुल्क लिया जाएगा।

(ग) नई प्रणाली की प्रभावकारिता का जायजा तो अब तक कुछ समय बाद ही लिया जा सकेगा। भारत सरकार यू० के० की इस कार्रवाई की कड़ी निन्दा करती है क्योंकि इससे यू० के० आने वाले सत्यनिष्ठ भारतीय यात्रियों को अनावश्यक कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ेगा जिससे अन्यथा बचा जा सकता है। भारत और चार अन्य एशियाई तथा अफ्रीकी देशों पर लगाए गए प्रतिबन्ध स्पष्टत: भेदभावपूर्ण और जातीय स्वरूप के हैं।

पटसन उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि प्रदान करना

730. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 150 करोड़ रुपये से एक पटसन आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस निधि का इस्तेमाल किस तरह करने की योजना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने 150 करोड़ रु० की जूट आधुनिकीकरण निधि योजना बनाने सम्बन्धी घोषणा की है जिसे जूट उद्योग हेतु शीर्ष अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में आई० एफ० सी० आई० द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यह योजना 1 नवम्बर, 1986 से दो वर्षों की अवधि के लिए आरम्भ हो गई है। इस अवधि के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

जूट आधुनिकीकरण निधि के अधीन सहायता कमजोर किन्तु संभाव्य रूप से अर्थक्षम जूट एककों सहित सभी वर्तमान जूट मिलों को उपलब्ध होगी।

इस योजना की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि निर्धारित संवर्धनकर्ता अंशदान के 80% भाग तक कमजोर किन्तु सम्भाव्य रूप मे अर्थक्षम एककों को 6% ब्याज की रियायती दर पर विशेष ऋण उपलब्ध होगा।

इस योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा करने के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में एक मानिटरिंग समिति गठित की गई है।

सिन्थेटिक रेशों और 'ग्रेन्यूल्स' के आयात पर प्रतिबंध की मांग

831. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन जूट मिल्स एसोशिएसन, केन्द्रीय श्रमिक संघों और पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों ने सिंथेटिक रेशों और 'ग्रेन्यूल्स' के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) चूंकि पटसन के बोरों की संश्लिष्ट प्रतिस्थापन वस्तुएं विदेशों से सस्ती कीमत वाले ग्रेन्युल्स आयात करके हमारे देश में उत्पादित की जा रही है, अतः ग्रेन्युल्स के आयात पर रोक लगाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। पटसन उद्योग को संश्लिष्ट प्रतिस्थापन वस्तुओं से प्रतिकूल प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पटसन पैकेजिंग सामग्री के अनिवार्य उपयोग का समर्थन किया है। रुपात्मकजाएं तैयार करने के लिए सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है।

सिन्थेटिक कपड़ों की कीमतें कम करने की नीति

732. **श्री गंगा राम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति सिन्थेटिक कपड़ों की कीमतों को कम करने की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जून, 1985 की नई वस्त्र नीति में सूती एवं मानव-निर्मित फाइबर/यार्न के बीच पूर्ण फाइबर लोचशीलता, आयातों की सहायता से यथावश्यक पूर्ति करके अधिक घरेलू उत्पादन से यथोचित कीमतों पर मानव-निर्मित फाइबर/यार्न की पर्याप्त उपलब्धता, नए एककों द्वारा क्षमता-सृजन तथा सिंथेटिक फाइबर/यार्न के उत्पादन के लिए वर्तमान एककों द्वारा क्षमता-वृद्धि और मानव-निर्मित फाइबर/यार्न तथा अधिक घरेलू उत्पादन की खपत सुकर बनाने के लिए ऐसे फाइबर/यार्न उत्पादन हेतु अन्तर्निविष्ट साधनों के रूप में प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं पर वित्तीय लेवियों में उत्तरोत्तर कमी ताकि उपभोक्ता को सिन्थेटिक तथा ब्लेन्डिड फैब्रिकों की कम कीमतों के रूप में लाभ मिले, की व्यवस्था की गई है। इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सूती तथा मानव-निर्मित फाइबर के बीच की तरह पूर्ण फाइबर लोचशीलता की व्यवस्था की गई है।

(2) सिंथेटिक क्षेत्र में नई क्षमता लाइसेंसीकृति की गई है।

(3) सरकार ने कतिपय मानव निर्मित फाईबर/यार्न पर वित्तीय लेवियों में रियायतें दी हैं।

(4) शुल्क मुक्त पोलिएस्टर फाइबर की व्यवस्था करके एन० टी० सी० द्वारा सस्ते ब्लेन्डेड फैब्रिकों के उत्पादन के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। हथकरघा क्षेत्र के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है।

बुने हुए वस्त्रों और कपड़ो सम्बन्धी नीति की समीक्षा

733· डा० डी० एन० रेड्डी : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुने हुए वस्त्रों और कपड़ों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनके निर्यात सम्बन्धी नीति की समीक्षा की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु निर्यायकों को क्या प्रोत्साहन और सुविधा प्रदान की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) परिधानों, निटवियर और फैब्रिक्स के निर्यात की नीति की समीक्षा समय-समय पर बराबर की जाती है।

(ख) इस समय वस्त्र निर्यातकों को दिए जाने वाले निर्यात प्रोत्साहन का विवरण संलग्न है।

विवरण

इस समय सरकार द्वारा वस्त्रों के निर्यातकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं :

(1) देश में न बनने वाली आधुनिक परिधान विनिर्माण मशीनों का ओ० जी० एल० पर आयात किए जाने की अनुमति दी जाती है। परिधान बनाने के लिए 114 तक मशीनों ओ०जी०एल के अन्तर्गत रखी गयी हैं जिनमें से 97 पर रियायती आयात शुल्क है।

(2) अप्रचलित मशीनों को हटाने के उद्देश्य से और वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र मशीनरी के स्वदेशी उत्पादन की सरकार की नीति उदार बनायी गयी है और चुनिन्दा क्षेत्रों में उच्च टेक्नालाजी मशीनरी का आयात किए जाने की अनुमति निर्यात दायित्व के साथ है।

(3) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए 750 करोड़ रुपये की वस्त्र आधुनिकीकरण निधि बनाई गई है।

(4) 1 जुलाई 1986 से लागू नकद मुआवजा सहायता की संशोधित दरें घोषित की गयी हैं। ये दरें 3 साल की अवधि के लिए घोषित की गयी हैं और सामान्यत: पहले से अधिक हैं। परिधानों की मन्द गति से चलने वाली जिन मदों पर नकद मुआवजा सहायता के कोटा वेशों को निर्यात किए जाने पर देय नहीं था, वे नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र बना दी गयी हैं। सभी काउन्टों के यार्न के निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दी गयी है।

(5) नकद मुआवजा सहायता के मामले में निर्यातकों को निश्चितता के तत्व की व्यवस्था करने की दृष्टि से सूती परिधानों और वस्त्रों को संविदा पंजीकरण योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

(6) परिधान उत्पादन के लिए फैशन डिजाइन के क्षेत्रों में शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

(7) सूती परिधानों के लिए शुल्क वापिसी की दरे बढ़ाकर 10% कर दी गयी हैं।

(8) लदान पूर्व ऋण के दिनों की संख्या 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गयी है। ब्याज की दर भी 2·5% कम की गयी है।

(9) कच्चे माल, फैब्रिक्स की कई मदों के अग्रिम लाइसेंसिंग योजना, शुल्क मुक्त आर० ई० पी० योजमा और हाल ही में आरम्भ की गयी आयात निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत आयात किए जाने जी अनुमति है।

(10) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और मुक्त व्यापार जोनों की योजना के अन्तर्गत पूंजीगत माल और कच्चे माल के उदार आयात की सुविधाएं कई अन्य रियायतों सहित दी जाती हैं।

(11) सरकार संवर्धनात्मक कार्यकलापों जैसे बाजार अध्ययनों: क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शिनियों में भाग लेने को प्रयोजित करने और उनकी वित्त व्यवस्था करने के लिए उदार सहायता देती रही है।

पर्यटन विभाग की आय

734. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली पंचवर्षीय योजना में पर्यटक विभाग को कितनी आय हुई ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसका क्या लक्ष्य रखा गया है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) ; (क) पर्यटन विभाग राजस्व अर्जित करने वाला विभाग नहीं है ; यह केवल भारत पर्यटन विकास निगम से लाभांश प्राप्त करता है। भारत पर्यटन निकास निगम से पिछले पांच वर्षों में प्राप्त हुआ लाभांश इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	प्राप्त लाभांश (लाख रुपये)
1981-82	36.36
1982-83	45.28
1983-84	57.24
1984-85	—
1985-86	66.22

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा दिए जाने वाले लाभांश के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

पर्यटक आकर्षण केन्द्र

735. **डा० डी० एन० रेड्डी** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिए कोई उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 में पर्यटकों के केन्द्रों के आकर्षण के लिए कोई नए केन्द्र खोले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) पर्यटक महत्व के स्थानों पर आधार संरचना का विकास करना एक सतत् प्रक्रिया है । एक केन्द्र का चयन करने के लिए जिन सामान्य मानदण्डों का पालन किया जाता है वे हैं—ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक महत्व और खेल तथा साहसिक पर्यटन की दृष्टि से उसकी सम्भाव्यता । पर्यटन विभाग ने राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्रों के परामर्श से केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सैक्टर के लिश्रित संसाधानों से अवस्थाबद्ध तरीके से एकीकृत विकास करने के लिए पर्यटक केन्द्रों का अभिनिर्धारण किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 80-100 केन्द्रों का अवस्थाबद्ध तरीके से विकास करने का प्रस्ताव है ।

वनस्पति तेल और चीनी के आयात पर विदेशी मुद्रा का खर्च

736. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वनस्पति तेलों, चीनी आदि के आयात पर विदेशी मुद्रा का खर्च बढ़ता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और विभिन्न कृषि पदार्थों का कितनी-कितनी मात्रा में आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जबकि पिछले दो वर्षों की तुलना में 1985-86 के दौरान चीनी आयातों में वृद्धि हुई है, पिछले दो वर्षों की तुलना में 1985-86 के दौरान खाद्य तेलों के आयातों में वास्तव में कमी हुई है खाद्य तेलों और चीनी के आयतों की मात्रा और मूल्य सलग्न विवरण I में दिए गए हैं .

(ख) आयतों के वस्तुवार आंकड़े केवल मार्च, 1984 तक से उपलब्ध हैं। 1981-82 से 1983-84 के दौरान मुख्य कृषि वस्तुओं के आयातों को दर्शाने वाला विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

1983-84 से 1985-86 तक के वर्षों के दौरान चीनी और खाद्य तेलों के आयातों के अग्रिम आंकड़े

सी० आई० एफ०/सी० एण्ड एफ०

मूल्य : करोड़ रु० में

क्रम सं०	मदों का ब्यौरा	1983-84		1984-85		1985-86	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	चीनी	—	—	4.96*	113.62*	20.33**	449.29**
2.	खाद्य तेल	14.09	846.00	15.85	1309.00	10.80	769.00

स्रोत: भारतीय राज्य व्यापार निगम लि०

* इसमें चीनी एक कार्गो भार (लगभग 1300 मी० टन) के आंकड़े भी शामिल हैं जो कि गहरे समुद्र में डूब गया था जिसका (2.63 करोड रु० का) कुल मूल्य बीमा कर्त्ताओं से वसूल कर लिया है ।

** इसमें गहरे समुद्र में डूबे चीनी एक कार्गो भार (लगभग 13000 मी० टन) के आंकड़े भी शामिल हैं जिसका (2.45 करोड़ रु० का) मूल्य बीमा कर्त्ताओं से वसूल कर लिया गया है इसमें 31-3-1986 की यथा स्थिति परिवहन के अन्तर्गत माल भी शामिल हैं ।

राज्य व्यापार निगम धारा अप्रैल और मई, 1983 के दौरान खाद्य तेलों के लिए की गयी सुविदाएं सी० एण्ड एफ० पर आधारित थीं और अन्य अवधियों के लिए सी० आई० एफ० के आधार पर थीं ।

विवरण-II

1981-82 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान मुख्य कृषि मदों के आयात

(मूल्य लाख रु०)

क्रम सं०	मदों का ब्यौरा	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	गेहूं	229975.41	35174.34	64337.64
2.	चावल	1468.90	386.51	10034.79
3.	जौ, बिना पिसे	0.32	—	3.08
4.	मक्का (बिना पिसे)	527.93	105.42	67.30
5.	कच्चे काजू	1836.49	140.90	2211.78

1	2	3	4	5
6.	अपकेन्द्री चीनी	—	—	—
7.	गन्ने का गुड़	4696.28	—	—
8.	सीरा	0.03	0.02	0.42
9.	प्राकृतिक शहद	0.15	—	0.13
10.	अन्य चीनी	1128.09	208.41	314.11
11.	काफी, चाय, कोको, मसाले और उससे बनी वस्तुएं	1989.84	2841.19	4122.12
12.	पशुओं के लिए चारा (जिसमें बिना पिसे अनाज शामिल नहीं है)	234.22	256.29	403.05
13.	विविध खाद्य उत्पाद और उससे बनी वस्तुएं	158.22	786.50	540.08
14.	बिना रेशा निकला तम्बाकू	12.02	0.02	7.62
15.	तम्बाकू पूर्णतया अंशतः रेशे वाला	—	3.04	—
16.	तम्बाकू अवशिष्ट	—	—	—
17.	तिलहन और तेल युक्त दाल फल	449.67	140 95	428.67
18.	प्राकृतिक रबड़ लेटेनस, प्राकृतिक रबड़ तथा सदृश प्राकृतिक गोंद	3647.48	2587.28	4267.38
19.	कार्क व लकड़ी	1406.32	392.34	389.45
20.	कच्चा रेशम (बिना बटा हुआ)	1217.61	2021.11	3045.70
21.	रुई	1182.65	6.63	—
22.	पटसन तथा अन्य वस्त्र वास्ट फाइबर जिनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है, कच्चा या संसाधित किन्तु अनबुना, मोटा सन तथा उसके अवशिष्ट (खिंचा हुआ अथवा कृत्रिम टुकड़ों या रस्सियों सहित)	243.03	851.94	648.56

1	2	3	4	5
23.	वनस्पति वस्त्र फाइवर (जिसमें सूती तथा पटसन शामिल नहीं हैं) और इन फाइवरों का अवशिष्ट ।	209.76	215.64	335.80
24.	कच्ची वनस्पति सामग्री जिसका अन्य उल्लेख नहीं है ।	856.52	1444.10	1772.62
25.	जमा हुआ वनस्पति तेल तथा वसा	62527.60	39674.13	73405.16

स्रोत : वाणिज्यिक जानकारी तथा अंकसंकलन महानिदेशालय कलकत्ता द्वारा प्रकाशित मंथली स्टेटिसिटिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इंडिया वाल्यूम-2

टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार का मंत्री स्तरीय सम्मेलन

737. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या पुन्ता डल एस्टे (उरुग्वे) में हाल ही में हुए टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के मन्त्री स्तरीय सम्मेलन में अमरीका ने यह मांग की थी कि सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी बातचीत को टैरिफ और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार में शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत और अन्य विकासशील देशों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अमरीका की इस मांग के सम्बन्ध में सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकला ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) : पन्ता देल एस्ते मंत्रीस्तरीय बैठक में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का नया दौर आरम्भ किया गया।

बैठक में संयुक्त राज्य अमरीका तथा कई विकसित देशों ने गाट के ढांचे के अन्तर्गत बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के भाग के रूप में व्यापार सेवाओं के क्षेत्र में वार्ताएं आरम्भ करने की मांग की। भारत तथा अन्य विकासशील देशों का रुख यह था कि गाट का सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्राधिकार नहीं है और सेवाओं के क्षेत्र के मसलों पर गाट के ढांचे के भीतर बातचीत नहीं की जा सकती। गाट के दृष्टिकोण उसके विविध स्वरूप तथा सामाजिक-आर्थिक शाखाओं की वजह से सेवाओं के क्षेत्र के लिए उचित नहीं रहेंगे। इसके अतिरिक्त इन देशों ने सेवाओं के क्षेत्र में रियायतें प्राप्त करने के लिए वस्तुओं के व्यापार के सम्भावित उपयोग का खतरा महसूस किया। अन्त में वस्तुओं के व्यापार के सम्बन्ध में वार्ताओं के सम्बन्धित भाग-1 तथा सेवाओं के व्यापार से सम्बन्धित भाग-2 दो भागों में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का नया दौर आरम्भ करते हुए घोषणा पत्र पारित करके सर्वसम्मति हुई। जबकि पहला भाग गाट के संविदाकारों पक्षकारों के रूप में मंत्रियों की बैठक द्वारा पारित किया गया, दूसरा भाग सरकारों के प्रतिनिधियों के रूप में

मंत्रियों की बैठक द्वारा पारित किया गया। सेवाओं पर वार्ताएं गाट के ढांचे के बाहर एक अलग मंच पर आयोजित की जाएगी तथा दो विभिन्न दल, एक वस्तुओं के व्यापार के क्षेत्र में वार्ताओं के लिए तथा दूसरा सेवाओं के व्यापार के लिए स्थापित किए गए हैं। ये दोनों दल व्यापार वार्ता समिति को रिपोर्ट करेंगे जिसकी स्थापना भी घोषणापत्र द्वारा की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विशेष निकासी अधिकारों का समाप्त किया जाना

738. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में विशेष निकासी अधिकारों की प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका जिसकी उसमें 20% शेयर धारिता और वीटो करने का अधिकार प्राप्त है, ने विशेष निकासी अधिकार की प्रणाली का विरोध किया है ; और

(ग) विशेष निकासी अधिकार समाप्त करने से विकासशील राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार में भारत का मत

739. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पुन्तादेल एस्टे (उरूग्वे) में हुए आयात-निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के मन्त्री स्तरीय सम्मेलन में विकसित देशों द्वारा अनुसरण किये जा रहे संरक्षण बाद के सिद्धांत सामने आये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में भारत सरकार के विचारों को भी सम्मिलन में प्रकट किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) पुन्टा डेल-एस्टे मंत्रीस्तरीय बैठक के सामने मुख्य विषय बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का नया दौर आरम्भ करने का था। इस संदर्भ में भारत और साथ ही कई अन्य विकासशील देशों ने अपने वक्तव्यों में उनके निर्यातों के सामने आने वाले संरक्षणवादी उपायों का उल्लेख किया और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने और उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय वक्तव्य

में अन्य बातों के साथ-साथ और बताया गया कि द्विपक्षीय और खण्डीय करारों की संख्या में वृद्धि हुई है और विश्व व्यापार की भारी मात्रा अब प्रबन्धों में शामिल कर ली गई है जिससे गाट का उल्लंघन होता है। बैठक में पारित घोषणा में अन्य बातों के साथ-साथ 'स्टेंडस्टिल' और 'रोल बैक' के बारे में वचन बद्धताओं की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में घोषणा से उद्धृत अंश विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

स्टेंडस्टिल और रोल बैक

तत्काल प्रभाव से और वार्ताओं के औपचारिक रूप से पूरे होने तक प्रत्येक भागीदार निम्नलिखित वचनवद्धताओं को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त करता हैं।

स्टेंडस्टिल :

(1) व्यापार में प्रतिबन्ध लगाने वाले या उसको विकृत करने वाले किसी ऐसे उपाय को न करना जो गाट की रूपरेखा के अन्तर्गत या उसके तत्वावधान में किए गए सामान्य, करार या लिखतों के अनुरूप न हो।

(2) इसके गाट अधिकारों का विधिसम्मत प्रयोग करते हुए व्यापार में प्रतिबन्ध लगाने वाले या उसको विकृत करने वाले किसी भी ऐसे उपाय को करना जो उस बात का उल्लंघन करे जो कि उपर्युक्त (1) में निर्दिष्ट सामान्य करार या लिखतों में व्यवस्था किये गए रूप में विशिष्ट परिस्थितियों को सुधारने के लिए आवश्यक हो।

(3) किन्हीं भी व्यापार उपायों को ऐसे रूप में न करना जिससे उसकी वार्ताकारी स्थिति में सुधार हो।

रोल बैक

(1) वार्ताओं के उद्देश्यों के अनुसरण में सुदृढ़ किए गए निममों और पद्धतियों सहित बहुपक्षीय करारों, वचनों और समझौतों को ध्यान में रखते हुए गाट की रूपरेखा के भीतर या उसके तत्वावधान में किए गए सामान्य करार या लिखितों के उपबन्धों से मेल न खाते हुए व्यापार में प्रतिबंध लगाने वाले या उसमें विकृति पैदा करने वाले सभी उपायों की क्रमबद्ध रूप में समाप्त कर लिया जाएगा अथवा वार्ताओं के औपचारिक रूप से पूरा होने की तारीख तक स्वीकृत समय सीमा के अन्तर्गत उनको अनुरूप बनाया जाएगा।

(2) सभी प्रभावित भागीदारों सहित संबंधित भागीदारों के बीच परामर्श करके न्यायोचित आधार पर इस वचनबद्धता का प्रगामी रूप से कार्यान्वयन होगा। इस वचन-

बद्धता में किसी भागीदार के व्यापार हितों पर सीधे प्रभाव डालने वाले उपायों के बारे में उसके द्वारा व्यक्त चिन्ताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) इन उपायों को समाप्त करने के लिए किसी भी गाट की रियायत के लिए अनुरोध नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

बैंकों में लाकर उपलब्ध होना

740. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन बढ़ती हुई शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि बैंक लॉकरों के लिए आवेदन करने वाले ग्राहकों को सावधि जमा कराने के लिए कहते हैं और जो इस शर्त को पूरा नहीं करते उन्हें लॉकर नहीं दिये जाते;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किये गये मार्ग निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको रोकने के लिए क्या कारगर उपाय किए जा रहे हैं/किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लॉकर लेने के लिए सावधि जमा करवाना कोई शर्त नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे कम से कम 80 प्रतिशत लॉकर "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर और अधिक से अधिक 20 प्रतिशत लॉकर कारबार के विचार से दें।

मार्गनिर्देशों का अनुपालन न करने के बारे में अगर कोई खास शिकायत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाई जाती है तो उसकी तुरन्त जांच की जाती है ताकि उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

बैंकों द्वारा कम मूल्य के नोटों का न लिया जाना

741. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में बैंकों के अधिकारी 2,5,10 और 20 रुपये के नोटों में व्यापारियों और ग्राहकों से जमा राशियां स्वीकार नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों और ग्राहकों की इस शिकायत को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व

बैंक द्वारा बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बैंक शाखाएं सभी मूल्य वर्गों के नोटों में जमाराशियां स्वीकार करें। अलबत्ता, समस्या तब खड़ी होती है जब बैंक बन्द होने के समय में छोटे मूल्य वर्ग के नोट अधिक संख्या में प्रस्तुत किए जाते हैं। बैंक यह प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी जमाराशियां स्वीकार की जाये। ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जाती है ताकि उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान

742. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-10-1986 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कितनी किश्तें देय हो गई हैं ;

(ख) विभिन्न श्रेणियों/वेतनमानों में इन किश्तों के भुगतान की दरें क्या हैं और उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन किश्तों का कर्मचारियों को कब तक भुगतान किया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्यमंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) : चौथे वेतन आयोग द्वारा सुझाया गया फार्मूला यह है कि मूल्यवृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति की अदायगी अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक (सामान्य) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के बारह महीने के औसत में सम्पूर्ण अंकों में वृद्धि के प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए 608 के औसत सूचकांक से अधिक वृद्धि होने पर क्रमशः सितम्बर और मार्च के देय वेतन के साथ वर्ष में दो बार की जाए। आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए इस संशोधन के साथ स्वीकार की गई हैं कि मूल्य वृद्धि के लिए प्रतिपूर्ति की अदायगी 1 जुलाई से सितम्बर के वेतन के साथ और 1 जनवरी से मार्च के वेतन के साथ की जाएगी।

जून, 1986 को समाप्त होने वाले महीने के लिए सम्पूर्ण अंकों पर ऐसी प्रतिशत वृद्धि समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए 4 प्रतिशत निकलती है। इस सम्बन्ध में सरकार के आदेश यथासमय जारी कर दिये जायेंगे।

जहां तक समूह 'क' के कर्मचारियों का सम्बन्ध है आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

सिगरेट निर्माता यूनिटों का राष्ट्रीयकरण

743. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू क्षेत्र को मौजूदा संकटग्रस्त स्थिति से उबारने के लिए सिगरेट निर्माता यूनिटों का राष्ट्रीयकरण करने से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) तम्बाकू उद्योग को बचाने के लिए कौन से दीर्घकालिक उपाय करने का विचार है?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां।

(ख) तम्बाकू बोर्ड, जिसकी स्थापना तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत पहले ही की जा चुकी है, उपजकर्ताओं की वर्जीनिया तम्बाकू की क्वालिटी में सुधार करने और उपजकर्ताओं के लिए बेहतर स्थिति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रति एकड़ उपज बढ़ाने में सहायता करता हैं। निर्यात उत्पादन के लिए उपयुक्त किस्मों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कार्य चल रहा है।

टाटा समूह की विदेशों में व्यापारिक गतिविधियां

744. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत टाटा समूह की कितनी कम्पनियों को विदेशों में व्यापारिक गतिविधियां चलाने की अनुमति दी गई हैं;

(ख) उपर्युक्त समूह की विदेशी कम्पनियों के नाम व पते क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक अनुमति लिये बगैर अनेक कम्पनियां उपर्युक्त समूह से व्यापारिक गतिविधियों में संबद्ध है; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

स्टाक एक्सचेंजों के लाभों पर कर

745. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टाक एक्सचेंजों के लाभों पर कर न लगाने का है;

(ख) क्या बम्बई स्टाक एक्सचेंज के प्रेजीडेंट ने सरकार से इन लाभों पर कर न लगाने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) स्टाक एक्सचेंजों को आय को आयकर से छूट देने के विचार से आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई ने अनुरोध किया

था कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग) (iv) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करके आयकर में छूट दी जाए जिस पर 1977-78 से 1981-82 तक के कर-निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृति दी गई थी। छूट की अवधि में आगे वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया गया है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

भारत द्वारा विश्व बैंक से धनराशि न लिया जाना

741. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विश्व बैंक से लगभग 6 से 8 अरब डालर की वचनबद्ध धनराशि लेने में विफल रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह भी सच है कि न ली गई धनराशि पर सरकार को 0·75 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना है ; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक से न ली गई इस धन राशि पर ब्याज के रूप में कितनी धनराशि भुगतान की गई है/की जानी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) विश्व बैंक समूह से सहायता प्राप्त परियोजनाओं का कार्यान्वयन आमतौर पर पांच से सात वर्ष की अवधि के बीच में होता है। प्रतिबद्ध सहायता की राशि का उपयोग परियोजना के पूरे कार्यकाल में किया जाता है। क्योंकि धनराशियों की निकासी विशिष्ट परियोजना संवितरण कार्यक्रमों के अनुसार ही की जाती है, अत: शेष राशियां ठीक संवितरण की समाप्ति की तारीख तक रहेंगी।

31 अगस्त, 1986 को विश्व बैंक समूह से निकाली न गई प्रतिबद्ध निधियों की रकम 8·7 अरब डालर थी (अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक 4·6 अरब डालर और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋण 4·1 अरब डालर)।

यद्यपि निकाली न गई राशियों पर कोई ब्याज नहीं पड़ता है, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय और पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ऋणों के संबंध में क्रमश: 0·75 प्रतिशत और 0·50 प्रतिशत के हिसाब से प्रतिबद्धता प्रभार देने पड़ते हैं। ये प्रभार समस्त बकाया राशि पर पड़ते हैं, न कि केवल संवितरण कार्यक्रमों के आधार पर होने वाली कमी के सम्बन्ध में। अत: भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्धता प्रभारों की अदायगी करने से यह जाहिर नहीं होता है कि प्रतिबद्ध निधियों की निकासी में देरी हुई है अथवा असफलता रही है।

(घ) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान प्रतिबद्ध निधियों पर अदा किए गए प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	जोड़
1984-85	22·47	6·85	29·32
1985-86	32·14	7·31	39·45
1986-87 (30-9-86 तक)	24·53	10·85	35·38

अनुवर्ती वर्षों में अदा किए जाने वाले प्रतिबद्धता प्रभारों की राशि, निकासियों की राशि की मात्रा तथा बैंक के साथ विचार विमर्श के आधार पर तथा उसके द्वारा अनुमोदित नए उधारों/ऋणों की मात्रा पर निर्भर करेगी।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों की समीक्षा

747. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के प्रतिनिधियों के साथ सितम्बर, 1986 में हुई बैठक में इन यूनिटों के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या इस योजना में सुधार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (घ) संचालन सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाने तथा योजना के कार्य संचालन में सुधार लाने की दृष्टि से 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों के प्रतिनिधियों के साथ वाणिज्य मन्त्री ने एक बैठक की थी। इस सम्बन्ध में अन्तर्निविष्ट सहायता, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, राजकोषीय सहायता विविधीकरण, घरेलू टेरिफ क्षेत्र में बिक्री, वेस्ट तथा अस्वीकृत माल के निपटान आदि से सम्बन्धित कई सुझाव रखे गये। इन सुझावों को नोट कर लिया गया है।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के सुझाव

748. **श्री भरत कुमार ओडेदरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ ने विदेशों में भारत के संयुक्त उद्यम को अधिक लचीला बनाने के लिए जिससे कि वे अधिक उत्पादन कर सकें, विदेशी मुद्रा और विनियम अधिनियम 1973 में परिवर्तन के सुझाव दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 में संशोधन के सम्बन्ध में सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं।

नारियल जटा और उसके उत्पादों का निर्यात

749. **श्री टी० बशीर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में नारियल जटा और उसके उत्पादों के निर्यात में भारी कमी हुई है इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में निर्यात सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो इस अकस्मात कमी के कारण क्या है; और

(ग) निर्यात में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान नारियल जटा और उसके उत्पादों के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन में)	मूल्य (करोड़ रु० में)
1983-84	27,949	24·34
1684-85	25,788	26·41
1985-86	24,672	32·85

(स्रोत: कयर बोर्ड)

इस दौरान निर्यातों के मूल्य में वृद्धि हुई है। तथापि, मुख्य रूप से कच्चे माल की कमी, मांग के पैटर्नों में परिवर्तन और सस्ती एवजी वस्तुओं से प्रतियोगिता की वजह से मात्रा की दृष्टि से निर्यातों में कुछ गिरावट का रुख रहा है।

(ग) नारियल जटा के निर्यातों में वृद्धि के लिए सरकार कई कदम उठाती रही है जिनमें अन्यों के साथ-साथ शामिल हैं व्यापार प्रतिनिधि मंडलों को भेजना, बाजार अध्ययन और बाजार अनुसंधान करना, विदेशी व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना प्रचार सामग्री का वितरण करना, प्रमुख बाजारों में मेलों में हिस्सा लेना, क्वालिटी के सुधार और नकद मुआवजा सहायता देन।।

भारत नेपाल संयुक्त समिति

750. **श्री टी० बशीर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में समाप्त हुई भारत-नेपाल वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने का प्रस्ताव किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या होगा ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। भारत और नेपाल एक संयुक्त आयोग की स्थापना पर विचार विमर्श करते रहे हैं, जो भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग के सभी पहलुओं की निगरानी तथा समन्वय करेगा। संयुक्त आयोग के विशिष्ट विचारणीय विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(ख) सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में उप आयोगों की स्थापना करने का प्रस्ताव है, ऐसे उप-आयोगों की संख्या और सहयोग के क्षेत्रों; जिनके सम्बन्ध में ये स्थापित किये जायेंगे, पर अभी नेपाल की सरकार के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।

दिल्ली में प्राइवेट नर्सिग होमों पर छापे मारना

751. **आर० एस० माने** :

श्री कमल प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर परिवर्तन प्राधिकारियों ने राजधानी (दिल्ली) में अनेक बड़े प्राइवेट नर्सिग होमों पर छापे मारे थे और 30 लाख रुपये नकद तथा बैंक दस्तावेज और लगभग 60 बैंक लॉकरों से भारी मात्रा में आभूषण मिले जैसा 20 सितम्बर, 1986 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां। आयकर विभाग ने हाल ही में दिल्ली में तलाशियां लीं जिनमें चिकित्सा व्यवसाय शामिल हैं, इनमें प्रथम दृष्टया नकदी जेवर और अन्य सामान सहित लगभग 77·03 लाख रुपये की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां और बड़ी मात्रा में अपराधी ठहराने वाली सामग्री पकड़ी गई है। तलाशी की तारीख को 66 लॉकर सील किए गये थे जिनमें से 31 अक्तूबर 1986 तक 54 खोले जा चुके हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण का कार्य आरम्भ करने का अनुरोध

752. **श्री जी० जी० स्वैल** :

श्री महेन्द्र सिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सितम्बर 1986 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने भाषण में ब्रिटेन,

फ्रांस और चीन से अनुरोध किया था कि वे इस बात की परवाह किए बिना कि अमरीका और सोवियत संघ चाहे जो करें, वे एक तरफा परमाणु निरस्त्री करण आरम्भ कर दें;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में और उससे बाहर उनके इस आहवान का परमाणु शक्ति वाले देशों पर क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या यह समझौता देश को घोषित परमाणु अस्त्रों का विस्तार रोकने सम्बन्धी संधि के अनुरूप है; और

(घ) क्या यह छः अन्तर-महाद्वीपीय शक्तियों, जिसका भारत भी एक सदस्य है, द्वारा की गई पहल पर किया गया है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) नाभिकीय निरस्त्रीकरण के सम्बन्ध में दोनों महाशक्तियों को उनकी जिम्मेदारी का स्मरण दिलाते हुए विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि "अन्य नाभिकीय शस्त्र वाले देशों को भी अपनी जिम्मेदारी से बचने की हरगिज कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वे नाभिकीय निरस्त्रीकरण करने का निर्णय लेते हैं तो इसका प्रभाव इच्छा ही पड़ेगा। उनको यह नहीं कहना चाहिए कि अगर दोनों महाशक्तियां निरस्त्रीकरण करती हैं तो वे भी कर देंगे।

(ग) और (घ) जी, हां।

गुट निरपेक्ष देशों के हरारे सम्मेलन में आर्थिक मामलों सम्बन्धी घोषणा

753. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में हरारे में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के आठवें शिखर सम्मेलन में आर्थिक मामलों पर एक घोषणा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक मामलों पर की गई घोषणा की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) विकासशील गुट-निरपेक्ष देशों में उसके संसाधनों का एकत्रीकरण करके उनमें परस्पर आत्म-निर्भरता प्राप्त करने तथा परस्पर सहयोग सहायता के लिए उसके अन्तर्गत क्या नीति अपनाने का विचार है; और

(घ) इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या कदम उठा रही है?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां, 1 से 7 सितम्बर, 1986 तक हरारे में हुए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आठवें शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र भी स्वीकार किया गया था।

(ख) इस आर्थिक घोषणा-पत्र में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा वर्तमान विश्व आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है और इसमें अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक बातचीत की नीति निर्धारित की

गई है। इस घोषणा-पत्र में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा, वित्तीय और वाणिज्यिक पद्धति में सुधार के तत्वों का उल्लेख है और विकासशील देशों से यह अनुरोध किया गया है। कि अन्य बातों के साथ-साथ विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्त सम्मेलन बुलाकर और दूसरे तरीकों से सुधारों को लागू करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाने की दिशा में अपेक्षित इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। हरारे सम्मेलन में आर्थिक सहयोग के लिए भी एक मन्त्री स्तरीय स्थायी समिति की स्थापना के लिए भी सहमति हुई ताकि गुट निरपेक्ष देशों के बीच बातचीत का मंच और सुदृढ़ हो सके।

(ग) इस घोषणा पत्र में गुट-निरपेक्ष आंदोलन के आर्थिक सहयोग के सक्रिय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की है। इस कार्यक्रम का आशय गुट-निरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों के संसाधनों एकत्रित करके उनकी सामूहिक आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ करना है। हरारे सम्मेलन ने कार्रवाई कार्यक्रम को कारगर बनाया है ताकि इसे एक नई दिशा और तत्कालिकता दी जा सके। भारत ने विज्ञान प्रौद्योगिकी केन्द्र तथा गुट-निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के लिए एक अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली की स्थापना की दिशा में जो पहल कदमियां की थी इससे उनके क्षेत्र का विस्तार हुआ है।

(घ) भारत इन निर्णयों के विशेषकर एक स्थायी समिति की स्थापना किए जाने और आर्थिक सहयोग के लिए कार्रवाई कार्यक्रम पर हुए निर्णय को क्रियान्वित कराए जाने के लिए अन्य गुट-निरपेक्ष देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

हरारे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति

754. **श्री आनंद सिंह :**

श्री उत्तम राठौड़ : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया सरकार पर, बहुसंख्य काले लोगों के साथ भेदभाव की अपनी रंगभेद नीति का त्याग करने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से गुट-निरपेक्ष देशों के आठवें शिखर सम्मेलन में कठोर 'आर्थिक प्रतिबन्ध' पारित किए गए थे जिन्हें दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लागू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक प्रतिबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में विभिन्न बड़ी शक्तियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) हरारे शिखर सम्मेलन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के अन्तर्गत दक्षिणी अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाए जाने की आवश्यकता की पुन: पुष्टि की और इस प्रयोजन से सुरक्षा परिषद की शीघ्र बैठक बुलाने की मांग की। इसके अलावा एक अन्तरिम उपाय के रूप में शिखर सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय

समुदाय द्वारा अपनाये जाने और क्रियान्वित किए जाने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट उपायों की जानकारी और समर्थन दिया :

(क) दक्षिण अफ्रीका को प्रौद्योगिकी के अन्तरण पर निषेध;

(ख) दक्षिण अफ्रीका को निर्यात, तेल की बिक्री अथवा ढुलाई और दक्षिण अफ्रीका के तेल उद्योग के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग की समाप्ति;

(ग) दक्षिण अफ्रीका अथवा नामीबिया में आगे निवेश और वित्तीय ऋण दिये जाने और जातिवादी सरकार को ऋणों की किसी भी प्रकार की सरकारी बीमा गारण्टी की समाप्ति;

(घ) दक्षिण अफ्रीका के साथ व्यापार में सभी प्रकार के संवर्धन अथवा समर्थन की समाप्ति जिसमें व्यापारिक मिशनों को सरकारी सहायता देना शामिल है।

(ङ) दक्षिण अफ्रीका में ढले सोने के तथा अन्य सिक्कों की बिक्री पर रोक;

(च) दक्षिण अफ्रीका से कृषि उत्पादों, कोयला, यूरेनियम, लोहा और इस्पात आदि के आयातों पर रोक;

(छ) 1974 में नामीबिया के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा नामीबिया के प्राकृतिक संसाधनों को बचाए जाने के लिए बताए गए कानून के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के निर्णय संख्या 1 के अनुसरण में कानून बनाया जाना और अन्य उपायों का अपनाया जाना;

(ज) दक्षिण अफ्रीका में किसी भी प्रकार के वीजा मुक्त प्रवेश प्राधिकार और पर्यटन संवर्धन को रद्द करना;

(झ) दक्षिण अफ्रीका के साथ हवाई और समुद्री सम्बन्धी सम्बन्धों को रद्द करना;

(ञ) दक्षिण अफ्रीका के साथ शैक्षिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और खेलों से सम्बन्धित सभी प्रकार के सम्बन्ध और जातीय पृथग्वासन पर आधारित अथवा पृथग्वासन की विचार धारा रखने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और अन्य निकायों के साथ सम्बन्धों की समाप्ति;

(ट) दक्षिण अफ्रीका के साथ करारों को, जैसे सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग पर करार को रद्द अथवा निराकरण करना।

(ठ) दक्षिण अफ्रीका के साथ दोहरे कराधान सम्बन्धी करारों को रद्द करना;

(ड) बहु-स्वामित्व वाली दक्षिण अफ्रीका की कम्पनियों के साथ सरकारी संविदाओं पर रोक।

2. हरारे शिखर सम्मेलन ने प्रतिबन्धों को लेगाए जाने पर मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया है ताकि दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध व्यापक प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाए जाने के उद्देश्य को समर्थन मिल सके। समिति के सदस्य की हैसियत से विदेश मंत्री ने हाल ही में अमरीका, यू०क०, इटली, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस और यूरोपीय आर्थिक समुदाय, गए जहां समिति ने दौरा किया था।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में पंजीकृत शेयर ब्रोकर

755. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में कारोबार पर एक्सचेंज में पंजीकृत केवल कुछ शेयर ब्रोकरों ने एकाधिकार कर लिया है, जबकि एक्सचेंज में पंजीकृत कम्पनियों की कुल शेयर पूंजी पिछले तीन दशकों में बढ़ कर इस समय कई गुना हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अन्य व्यापारिक केन्द्रों में स्थित स्टाक एक्सचेंजों में पंजीकृत शेयर ब्रोकरों की संख्या और उनमें पंजीकृत कम्पनियों की कुल पूंजी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में विशेष रूप से तथा अन्य व्यापारिक केन्द्रों में सामान्य रूप से, इस क्षेत्र में नये उद्यमियों का पंजीकरण करके इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के सदस्यों की संख्या जो वर्ष 1962 में 107 थी, बढ़कर वर्ष 1986 में 117 हो गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी जो वर्ष 1971 में 260·21 करोड़ रुपए थी बढ़कर वर्ष 1986 में 5125·16 करोड़ रु० तक पहुंच गई है।

(ख) अन्य स्टाक एक्सचेंजों से सूचना इकट्ठी की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज ने [एक्सचेंज की सदस्यता को बढ़ाने के लिए सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। क्रमोवश दूसरे स्टाक एक्सचेंज समय-समय पर अपनी सदस्यता बढ़ाते रहते हैं।

चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना

756. **श्री आनन्द सिंह :**

श्री थम्पन थामस :

श्री उत्तम राठौड़ :

श्री प्रकाश बी० पाटिल :

श्री हरिकृष्ण शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बारे में क्या निर्णय लिए जा चुके हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों को देय पूर्ण बकाया राशि अथवा उसका कुछ भाग उनके भविष्य निधि खातों में जमा किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन पर अंशदायी भविष्य निधि योजना लागू होती है, उनके खातों में केवल कर्मचारियों का हिस्सा ही जमा किया जाएगा और नियोजकों का हिस्सा नहीं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन निर्णयों को लागू करने पर राजकोष पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा; और

(ङ) नए वेतनमानों के फलस्वरूप विभिन्न वस्तुओं और सेवओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) सरकार ने मोटे तौर पर, कुछ संशोधनों के साथ समूह 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणियों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों से संबंधित वेतनमान और भत्तों के मामलों में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इस बारे में जारी किए गए संकल्प और अधिसूचनाओं की प्रतियां अलग से सभा-पटल पर रख दी गई हैं।

(ख) और (ग) विद्यमान आदेशों के अनुसार जनवरी से मार्च, 1986 तक की अवधि के वेतन की बकाया राशि कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा करा दी जाएगी। अंशदायी भविष्य निधि स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में सरकार की ओर से कोई तदनुरूपी अंशदान जमा नहीं कराया जाएगा। उसका कारण यह है कि जो कुछ भी जमा कराया जा रहा है वह कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा कराया जाने वाला सामान्य मासिक अंशदान नहीं है। बल्कि केवल वेतन की बकाया राशि है।

(घ) वेतन आयोग ने 1282 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वार्षिक व्यय का अनुमान लगाया है जिसमें 1983 और 1985 में अन्तरिम राहत की दो किस्तों के लिए सरकार द्वारा पहले स्वीकार की गई प्रति वर्ष 645 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। वेतनमानों के संशोधन, के संबंध में प्रभावी तारीख को आगे बढ़ाने, समूह 'घ' कर्मचारियों के वेतनमानों में वेतन-वृद्धि की दरों में संशोधन करने, संशोधित वेतनमानों में वेतन नियतन पर न्यूनतम लाभों में वृद्धि आदि देकर वेतन आयोग की सिफारिशों में सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के कारण प्रतिवर्ष 165 करोड़ रुपये के अनावर्ती और 139 करोड़ रुपये के आवर्ती अतिरिक्त व्यय की लागत आने का अनुमान है।

(ङ) सरकार की मुद्रा-स्फीति निरोधक नीति में मांग और पूर्ति की प्रभावी व्यवस्था पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, चीनी और

खाने के तेलों को विनियमित मात्रा में जारी करना, वित्तीय अनुशासन लागू करना और प्रणाली में से अत्यधिक नकदी बाहुल्य को समेटना शामिल है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं का विस्तार

757. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान तीर्थयात्रियों को छोड़कर वर्ष-वार कितने घरेलू और विदेशी पर्यटक पर्यटन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश आए;

(ख) क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में औसतन कम वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय इस राज्य में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से एक समयबद्ध योजना तैयार कर रहा है?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) विदेशी पर्यटक आगमनों के आंकड़े अवरोहण कार्डों से अखिल भारतीय आधार पर संकलित किए जाते हैं और इसी कारण से राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों में से लगभग 23.72% ने उत्तर प्रदेश में कम से कम एक रात व्यतीत की।

जहां तक स्वदेशी पर्यटन का सम्बन्ध है, राज्य सरकार से कोई विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) पर्यटन सुविधाओं की आयोजना और विकास करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसा अधिकांशतः सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ मिलकर किया जाता है।

तम्बाकू निर्यात

758. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने तम्बाकू की गुणवत्ता न सुधार पाने के कारण भारत अपने निर्यात बाजार को धीरे-धीरे खोता जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत के तम्बाकू का निर्यात लक्ष्यों के अनुरूप रहा है;

(ग) इस समय तम्बाकू की गुणवत्ता को सुधारने के लिए अनुसंधान पर कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और क्या इस धनराशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) और (ख) तम्बाकू के निर्यात में गिरावट के कारण हैं : धूम्रपान विरोधी अभियान का बढ़ाना, विकसित देशों में तम्बाकू की खपत में मन्द वृद्धि, अफ्रीकी देशों में भुगतान समस्या और कुछ आयातक देशों में तम्बाकू के उत्पादन में वृद्धि।

(ग) और (घ) क्वालिटी और उत्पादकता को सुधारने की दृष्टि से तम्बाकू बोर्ड प्रत्येक वर्ष किसानों के खेतों में प्रदर्शन परीक्षणों के सम्बन्ध में कार्यक्रम आयोजित करता है। 1985-86 के दौरान इन कार्यक्रमों के आयोजन पर खर्च की गई राशि 2.88 लाख रु० थी। तम्बाकू बोर्ड का 1986-87 के दौरान बड़े क्षेत्र में इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है और फलस्वरूप इस राशि को बढ़ाया जा रहा है।

भारत सरकार निम्नलिखित के लिए सहायता अनुदान मंजूर करती रही है :

(i) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आनन्द, आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम तथा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को शुद्ध बीज एवं पौधे के उत्पादन तथा वितरण के लिए; और (ii) निदेशक (सी०टी०आर०आई) राजमुन्द्री और गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के अधीन सी०टी० आर० आई० अनुसंधान स्टेशन, दिनहाट द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए।

इन कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार घाटा व्यय को पूरा करती है। गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित सहायता अनुदान रिलीज किया गया है :

वर्ष	रिलीज किया गया सहायता अनुदान (रु० में)
1981-82	2,33,900
1982-83	1,88,300
1983-84	1,41,600
1984-85	2,49,420
1985-86	2,77,000

[अनुवाद]

स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना

759. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय की घोषणा का क्या परिणाम निकला है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कुल कितना लेखावाह्य धन स्वैच्छा से प्रकट किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर और धनकर अधिनियमों के अन्तर्गत "राजक्षमा" योजना, जो नवम्बर, 1985 से प्रवृत्ति है, प्रोत्साहक रही है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

कम्पनियों द्वारा ऋणों की वापसी

760. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक उद्योगों, कम्पनियों और अन्य संस्थाओं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण उधार लिया है किन्तु वे ऋणों की वापिसी नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन कम्पनियों, जो सम्बन्धित धनराशियां हड़प करके कार्य पूंजीग। ऋणों को चुकाने में निरन्तर चूक कर रही है, के प्रबन्ध मण्डल में परिवर्तन करने पर विचार करने हेतु बैंकों से कहा है; और

(ग) ऋण लेने वाली कम्पनियों के विरुद्ध किस प्रकार कार्यवाही किये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) औद्योगिक एककों के ऋणकर्त्ता और अन्य ऋणकर्त्ता कभी-कभी विभिन्न कारणों से राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रति अपनी बकाया रकमें नहीं चुका पाते। औद्योगिक एककों के मामले में ये चूकें, प्रायः एकक विशेष की रुग्णता अथवा किसी उद्योग विशेष में बड़ी संख्या में एककों की रूग्णता के कारण हो जाती हैं। ऐसे मामलों में एकक या तो बंद हो जाते हैं या "न लाभ न हानि" के स्तर से नीचे कार्य करते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उन्हें नकद हानियां होने लगती हैं और वे बैंकों से लिए गए ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी-कभी धनराशियों का कहीं और उपयोग करने, प्रबन्ध खराब होने आदि के कारण ऋणों को चुकौती नहीं की जाती। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निदेश दिया है कि जिन मामलों में बैंकों के पास ऐसा विश्वास करने के कारण हों कि एककों के प्रबन्धक कदाचारों में लिप्त हैं जैसे वे रकमें निकाल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों के ऋणों को चुकाने में लगातार चूक की जा रही है तो उनमें कार्यशील पूंजी की सहायता रोक ली जाए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे इस बात पर भी विचार करें कि क्या ऐसे मामलों में प्रबन्ध में परिवर्तन करना जरूरी होगा। बैंक अपने हितों की रक्षा करने के लिए अनुनय-विनय, प्रतिभूतियों के लागू करने, गारंटियों की मांग करने और कानूनी उपचारों का सहारा लेने जैसे उपाय करते हैं।

सोवियत संघ से खाद्य सामग्री का आयात

761. **श्री थम्पन थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ से किन्हीं खाद्य पदार्थों का आयात किया जाता है;

(ख) क्या इन खाद्य पदार्थों में किसी खाद्य पदार्थ विशेषत: डेरी उत्पादों का आयात हाल ही में किया गया है; ओर

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं कि कोई भी ऐसे खाद्य पदार्थों विशेषत: डेरी उत्पादों, जिनमें चेरनाविल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दुर्घटना के परिणाम स्वरूप रेडियो धर्मी के सम्मिश्रण होने की सम्भावना है, का आयात नहीं किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) और (ख) सोवियत संघ से हाल ही में कोई खाद्य पदार्थ आयात नहीं किये गए हैं।

(ग) जिन क्षेत्रों के चेरनोबिल दुर्घटना से प्रभावित होने की सम्भावना है वहां से आने वाले सभी खाद्य पदार्थों के नमूनों की एहतियासी उपाय के रूप में भी परमाणु अनुसंधान केन्द्र में जांच की जा रही है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

762. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी सदस्य नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन बैंकों के नाम क्या हैं जिनमें गैर सरकारी सदस्यों के स्थान रिक्त हैं;

(ग) इस रिक्त स्थानों को कब से नहीं भरा गया है; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सभी 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशकों के स्थान रिक्त हैं।

(ग) इनमें से अधिकांश स्थान जनवरी 1985 से खाली हुए हैं।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक मनोनीत करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाने का काम चल रहा है और इस काम को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग की रिपोर्ट

763. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग ने अपने निदेश पदों के अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकों से सम्बन्धित 30 रिपोर्टें प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन्हें प्रकाशित कर दिया है तथा सभी को सभापटल पर रख दिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना संभव सीमा तक एकत्र की जा रही है और उसे सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिक

764. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और भारत में रहने वाले ब्रिटिश राष्ट्रिकों और नागरिकों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(ख) प्रति वर्ष भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों और ब्रिटेन जाने वाले भारतीय नागरिक की औसत संख्या कितनी है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) अनुमान है कि यू०के० में 4,03,500 भारतीय राष्ट्रिक रहते हैं। भारत में रह रहे ब्रिटिश राष्ट्रिकों और नागरिकों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) सूचना का पता लगाया जा रहा है।

कपिलवस्तु के विकास की योजना

765. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपिलवस्तु और उसके आसपास के क्षेत्र के और विकास की किसी योजना को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां तो उक्त योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वियन के लिए कितनी कृषि भूमि को अधिग्रहण करने का विचार हैं; और

(घ) क्या इस प्रस्तावित अभिग्रहण के बारे में भूमि के मालिकों ने इसका विरोध किया है ?

पर्यटन मन्त्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकार के परामर्श से बौद्ध तीर्थ-स्थानों के विभिन्न केन्द्रों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है परन्तु इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय आर्थिक सेवा की स्थिति में सुधार करने का उपाय

766. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की सेवा की शर्तों और उनकी नियुक्ति तथा प्रोन्नति के अवसरों में सुधार करने के लिए उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन पर सरकार ने क्या कार्यवाई की है;

(ख) क्या उनके द्वारा आनी मांगों के समर्थन में की जा रही भूख हड़ताल के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेवा को समाप्त करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों का एक वर्ग अपनी वृत्ति में पदोन्नति की संभावनाओं में सुधार किए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का सहारा लेता रहा है। इन मांगों पर कुछ समय से सरकार विचार कर रही है।

भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्ननति की संभावनाओं में सामान्यतः सुधार करने के लिए पिछले कुछ एक महीनों में विभिन्न निर्णय लिए गए हैं।

(i) ग्रेड I और II में सीधी भर्ती समाप्त कर दी गई है।

(ii) उन्हें सचिवालय में नियुक्तियों के लिए अब अन्य सभी श्रेणी के अधिकारिओं के बराबर माना जा रहा है।

(iii) ग्रेड III के 44 पदों का स्तर बढ़ाकर उनको ग्रेड II में परिणत कर दिया गया है।

इनकी सेवा से सम्बन्धित चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर अन्य श्रेणी I की समस्त सेवाओं के परिपेक्ष्य में ही निश्चय किया जाएगा।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है।

नियंत्रित कपड़े के बारे में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की सिफारिशें

768. श्री मूलचन्द डागा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय को नियंत्रित कपड़े के बारे में राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद से कोई रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो यह रिपोर्ट कब मिली;

(ग) इस रिपोर्ट की क्या आवश्यकता थी;

(घ) इस रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद को कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ङ) इस रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद की कितनी सिफारशें अभी तक क्रियान्वित की गई हैं; और

(च) नियंत्रित कपड़े के इस कुवितरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इसके क्या परिणाम निकले ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी हां।

(ख) पूरी रिपोर्ट 10-2-85 को प्राप्त हुई।

(ग) यह अध्ययन कन्ट्रोल कपड़ा योजना के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बीच अन्तरालों का पता लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

(घ) इस रिपोर्ट के लिए एन०सी०ए०ई०आर० को 8.86 लाख रु० की राशि का भुगतान किया गया।

(ङ) इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष ये थे :

(i) कन्ट्रोल कपड़ा योजना की प्रमुख लाभ भोगी शहरी जनता रही है जिसने कि अखिल भारतीय स्तर पर कन्ट्रोल के कपड़े की लगभग 71% खरीद की तथा ग्रामीण जनता यद्यपि कुल जनसंख्या के लगभग 76% के बराबर है लेकिन कन्ट्रोल कपड़े की खरीदारियों में उसका भाग केवल 29% बैठता है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में बेचे गए कन्ट्रोल के कपड़े में से 67% खरीद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ने की। शहरी क्षेत्रों में उनका अंश कम रहकर 54% था। राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासन जो कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण के लिए मूल रूप से उत्तरदायी है से इस प्रकार के कपड़े की वितरण व्यवस्थाओं को सुव्यस्थित तथा सुदृढ़ करने के लिए, अनुरोध किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर इस योजना के दायरे में लाया जा सके।

(च) कन्ट्रोल के कपड़े के कुवितरण के उन मामलों को जो सरकार के ध्यान में आये हैं जांच के लिए उचित प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं।

व्यापार असंतुलन

768. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात-निर्यात के वर्षवार आंकड़ों सहित वर्ष 1980-81 से 1985-86 तक व्यापार असंतुलन कितना था और 1986-87 में कितना व्यापार असंतुलन होने का अनुमान है;

(ख) आयात उदार बनाने का भुगतान शेष पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन वस्तुओं का निर्यात स्थिर रहा है अथवा उनके निर्यात में गिरावट आई है; और

(घ) निर्यात संवर्धन तथा आयात प्रतिस्थापन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) 1980-81 से भारत के निर्यात, आयात और व्यापार शेष की स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :

भारत का विदेश व्यापार

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	निर्यात	आयात	व्यापार का शेष
1980-81	6710.71	12549.15	—5838.44
1981-82	7805.91	13607.55	—5801.64
1982-83	8803.37	14202.74	—5489.37
1983-84	9770.71	15831.46	—6060.75
1984-85	11855.15	17173.25	—5318.10
1985-86*	11005.91	19622.27	—8616.36
अप्रैल, जून, 1986*	2790-30	4414.16	—1623.86

* अनन्तिम और संशोधन के अध्यधीन

* जून, 1986 के प्रेस नोट के अनुसार स्रोत—डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता ।

(ख) भुगतान शेष स्थिति कई बातों पर निर्भर करती है जिनमें आयात और निर्यात का निष्पादन भी शामिल हैं। अत्यावश्यक कच्चे मास, मशीनरी आदि का आयात करके हमारे घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने तथा साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे उत्पादों की प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से हाल में आयात नीति सम्बन्धी उपाय किए हैं। हाल के नीति सम्बन्धी इन उपायों को अपना प्रभाव दिखाने में यद्यपि कुछ समय लगेगा किन्तु आशा की जाती है कि इनके परिणाम स्वरूप अधिक निर्यात अर्जन होगा और व्यापार घाट कम होगा तथा इससे हमारे भुगतान शेष की स्थिति दृढ़ होगी ।

(ग) 1983-84 की अपेक्षा 1984-85 और 1984-85 की अपेक्षा 1985-86 के दौरान भारत के निर्यात की जिन प्रमुख वस्तुओं में कमी हुई है उनमें शामिल हैं अविनिर्मित तम्बाकू तथा

तम्बाकू अपशिष्ट, चीनी एवं चीनी से तैयार वस्तुएं, खलियां, मानव निर्मित फाइबर के कपड़े तथा धातु विनिर्माण (लोहा तथा इस्पात को छोड़कर)

(घ) व्यापार घाटे को कम करने के लिए हाल में विगत में जोरदार संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें शामिल हैं हमारे निर्यात बढ़ाना, प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में मशीनरी एवं कच्ची सामग्री की अधिक सुगम प्राप्ति, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, हमारी औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन और समय-समय पर उनका संशोधन आदि। सातवीं पंच वर्षीय योजनावधि के दौरान विशेषत: बल्क आयतों के क्षेत्र में आयात योग्य वस्तुओं के हमारे स्वदेशी उत्पादन को, बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में अगस्त 1986 के आरक्षण आदेशों का प्रतिकूल प्रभाव

769. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि 5 अगस्त, 1986 को जारी हथकरघा आरक्षण आदेशों का हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) विद्युत करघा और मिल हितों से प्राप्त अभ्यावेदनों और हथकरघा (उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत पुनर्गठित परामर्श दात्री समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अगस्त, 1986 में एक संशोधित अधिसूचना जारी की है जिसमें हथकरघा क्षेत्र में पूरी तरह से उत्पादन के लिए 22 मदों का आरक्षण किया गया है। अगस्त, 1986 की नयी आरक्षण अधिसूचना में जो परिवर्तन किए गए हैं, वे मुख्यत: उन रेशम मदों और 100% पालिस्टर/ब्लेंडिड फैब्रिक्स से सम्बन्धित हैं, जिनका हथकरघा क्षेत्र में अधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता।

जायफल और जावित्री पर आयात शुल्क में कमी

770. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जायफल और जावित्री पर आयात शुल्क घटाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसका केरल के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिक्री कर को समाप्त करना

771. **श्री विनेश सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की बिक्री कर के उन्मूलन/सरलीकरण के बारे में राज्य सरकारों से हुई बातचीत में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) किए गए प्रयासों से अभी तक राज्यों में मतैक्य प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

सस्ते रेशम का आयात

772. **श्री श्रीकांत दत्त नर सिंह राव वाडियर** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ते रेशम के आयात में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो कब से और किन-किन देशों से;

(ग) क्या सस्ते रेशम के आयात से देश में रेशम उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है;

(घ) यदि हां, तो रेशम उद्योग में संकट समाप्त करने हेतु सस्ते रेशम के आयात में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी नहीं । तथापि आयात-निर्यात नीति की अग्रिम लाइसेंसिंग योजना तथा प्रतिपूर्ति योजना के अधीन निर्यातकों द्वारा सिल्क यार्न के आयात की अनुमति है तथा रेशम के सामान के निर्यातों को बढ़ाने के उद्देश्य से चालू आयात निर्यात नीति (अप्रैल, 1985 मार्च, 1988) की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत 100% प्राकृतिक रेशम के सामान के सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति प्रतिशतता को 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत निर्यातकों को किसी भी देश से रेशम का आयात करने की अनुमति है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रबड़ की खपत और आयात

773. **श्री श्रीकांत दत्त नर सिंह राव वाडियर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1984-85 और 1985-86 में रबड़ का कुल कितना उत्पादन खपत और आयात हुआ; और

(ख) भारतीय रबड़ उत्पादक संघ और इस क्षेत्र में संलग्न अन्य अभिकरणों द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए रबड़ के उत्पादन और खपत के सम्बन्ध में लगाये गये अनुमानों के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, खपत और आयात नीचे दिये अनुसार हैं :

		मात्रा मे० टन में
	1984-85	1985-86
उत्पादन	186,450	200,465
खपत	217,510	235,440
आयात	32,408	38,538

(ख) भारतीय रबड़ उत्पादक संघ द्वारा अनुमानित अनुसार उत्पादन, खपत के आंकड़े ये हैं :

उत्पादन	230,000 मे० टन
खपत	245,000 मे० टन

रबड़ बोर्ड के उत्पादन और खपत के नवीनतम अनुमान ये हैं :

उत्पादन	220,000 मे० टन
खपत	254,000 मे० टन

शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम

774. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने शहरों में रहने वाले निर्धन लोगों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम की नई योजना के बारे में अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 1 सितम्बर, 1986 से आरम्भ किए गए शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त पत्र से है। इस पत्र में मुख्य सुझाव यह दिया गया है कि बैंकों को; अंचल-वार/शाखा-वार लक्ष्यों को ध्यान में रखे बिना, शहरी गरीबों के स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति का ऋण आवेदन नामंजूर नहीं करना

चाहिए । ऋण-आवेदन के फार्मों के वितरण के बारे में ऐसी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है । अलबत्ता, भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को हिदायतें जारी की हैं जिनसें यह शर्त रखी गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में वित्तीय सहायता के लिए आवेदन फार्मों का वितरण 30 सितम्बर, 1986 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए ।

राजनयिकों द्वारा सोने की तस्करी

775. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान कितने मामलों में राजनयिक डाक थैले के माध्यम से देश में सोने की तस्करी का पता लगा और प्रत्येक मामले में पकड़े गये सोने का मूल्य क्या है;

(ख) उन विदेशी मिशनों के नाम क्या हैं जिनके राजनयिक इस देश में सोने की तस्करी में शामिल थे; और

(ग) सरकार द्वारा मामले में क्या कार्यवाही की है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 1986 के दौरान, राजनायिक डाक थैले के माध्यम से सोने की तस्करी किए जाने की किसी घटना का पता नहीं चला ।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान (सितम्बर तक), दो मामलों में, दो अलग-अलग देशों के दो राजनयिकों को 130.86 लाख रुपये मूल्य के सोने की तस्करी करने में ग्रस्त पाया गया था । लोक हित में यह बताना उचित नहीं होगा कि ये व्यक्ति किन देशों के हैं ।

(ग) सरकार ने सम्बन्धित देशों को अपनी गंभीर चिन्ता से अवगत करा दियां है तथा ये राजनायिक पहले ही देश छोड़कर जा चुके हैं ।

नई निवेश जमा खाता योजना के प्रति जनता की प्रतिक्रिया

776. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में आरम्भ की गई 10 प्रतिशत वार्षिक के सम्भरण ब्याज पर नई निवेश जमा खाता योजना 1986 की शर्तें क्या हैं;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत जनता ने अब तक कितना निवेश किया है; और

(ग) सरकार को इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी जमा राशि प्राप्त होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भतः माननीय सदस्य सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए उद्यमों द्वारा करमुक्त बांडों के निर्गम की योजना का उल्लेख कर रहे हैं । सरकारी क्षेत्र के इन बांडों पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर तक ब्याज दिया जाएगा और इनकी परिपक्वता अवधि 10 वर्ष की होगी । 10 प्रतिशत वार्षिक तक की ब्याज दर वाले इन बांडों से ब्याज के रूप में होने वाली आय पर आय कर और धनकर नहीं लगेगा ।

(ख) और (ग) ऐसे बांडों का कोई भी निर्गम अभी तक पूरा नहीं हुआ है और प्रत्येक वर्ष इस योजना विशेष के अन्तर्गत जुटायी जाने वाली सम्भावित राशि को आंकसकना भी सम्भव नहीं है।

"रिपोर्ट लैक्स रिफ्रेंश टु लीबिया" शीर्षक समाचार

777. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 सितम्बर, 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "रिपोर्ट लैक्स रिफ्रेन्स टु लीबिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि सम्मेलन के निवर्तमान चैयरमैन के रूप में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए भाषण में लीबिया में हुई हाल ही की घटना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) हरारे में आयोजित आठवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये भाषण में लीबिया का कोई जिक्र नहीं था।

राज्य व्यापार निगम द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी का निर्यात

778. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उत्पादों और निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत के राज्य व्यापार निगम ने उच्च प्रौद्योगिको निर्यात क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोई योजना निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम में किसी सरकारी क्षेत्र उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्धारित योजना का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्य व्यापार निगम ने कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे ज्ञापनों के ब्यौरे प्रकट करना निगम वाणिज्यिक हित में नहीं है।

देशी शराब की बिक्री में कमी

779. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में देशी शराब की बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई है क्योंकि अधिकांश व्यक्ति इसकी बजाए आयुर्वेदिक टॉनिक, (मृतसंजीवनी सुरा) जिसमें अल्कोहल की मात्रा अधिक होती है, का इस्तेमाल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप आबकारी और नशाबन्दी विभाग को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो कितना।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची से सम्बन्धित है। आबकारी आयुक्त, दिल्ली ने सूचित किया है कि देशी शराब की बिक्री में मामूली-सी कमी हुई है तथा इसके लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों में से एक कारण आयुर्वेदिक टॉनिक अर्थात् मृत संजीवनी सुरा का उपयोग हो सकता है।

(ख) और (ग) आबकारी आयुक्त, दिल्ली ने सूचना दी है कि इससे राजस्व में कुछ कमी आई है परन्तु इस कमी की मात्रा नहीं आंकी जा सकती चूंकि देशी शराब की खपत में कमी के लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं।

कच्ची लाख का उत्पादन

780. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्ची लाख के उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत तीन दशकों में देश से कच्ची लाख का उत्पादन 40,000 टन से घटकर 13,000 टन हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो कच्ची लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) जी हां। लाख उपजकर्त्ताओं द्वारा प्राप्त की जा रही कीमत लाभकारी समझी जाती है।

(ख) जी हां, तथापि कच्ची लाख का उत्पादन अब बढ़ रहा है। 1985-86 के लिए उत्पादन 17,175 मे० टन (अनुमान) थे तथा 1986-87 के लिए फसल का अनुमान 20,000 मे० टन का है।

(ग) कच्ची लाख का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और इनमें शामिल हैं, लाख की खेती के उन्नत तरीकों के बारे में लाख उपजकर्त्ताओं को शिक्षित करने के लिए "विभिन्न राज्यों में लाख की खेती के लिए विस्तार कार्य तथा पैकेज कार्यक्रम" की केन्द्रीय योजना का कार्यान्वियन तथा उन्हें उपयुक्त प्रदर्शनों और ब्रूड लाख, छटाई औजार, नाशिकीट आदि के रूप में भी प्रोत्साहन देकर कच्ची लाख के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपजकर्त्ताओं को प्रेरित करना। यह योजना बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता लाख उपजकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए गहन प्रचार अभियान चला रहा है और जरूरतमंद लाख उपजकर्त्ताओं को ब्रूड लाख का भी मुक्त रूप से वितरण कर रहा है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों का बन्द होना

781. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों को बन्द करने का निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मिलों के कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा और उन्हें बेरोजगारी से बचाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

वस्त्र मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). अभी तक किसी एन० टी० सी० मिल को बंद करने का कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में अनुसूचित बैंकों के साथ धोखाधड़ी

782. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुछ अनुसूचित बैंकों के साथ करोड़ों रुपए की भारी धनराशियों की धोखाधड़ी की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इन मामलों की जांच का काम सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो धोखाधड़ी का ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इन मामलों की जांच के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

टोरंटो से भारत विरोधी प्रसारण

783. **श्री पी० एम० सईद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओटावा (कनाडा) में हमारे दूतावास से उस देश में टोरंटो और अन्य स्थानों से भारत विरोधी प्रसारण के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या यह पता चला है कि इन रेडियो कार्यक्रमों को किन संगठनों द्वारा समर्थन और धन दिया जा रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख)और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, टोरंटों क्षेत्र में एक रेडियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका वित्त पोषण विश्व जिस संगठन द्वारा किया जाता है, और विश्व जिस संगठन के साथ निकट के सम्बन्ध रखने वाले लोगों द्वारा वेनकुंवर क्षेत्र में दो रेडियो और एक टी० वी० कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका रूस भारत विरोधी है। कुछ अन्य प्रसारण केन्द्र मध्यमार्गी सिसदलों द्वारा चलाये जा रहे हैं। आवश्यक होने पर पक्षपात पूर्ण और गलत प्रसारणों के मसले को लेकर भारतीय हाई कमीशन कनाडियाई अधिकारियों और रेडियो स्टेशनों के मालिकों के साथ सम्पर्क करता रहा है।

बकाया ऋण

784. **श्री मुरली देवरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा कुल कितने बकाया ऋण वसूल किए जाने हैं ;और

(ख) उन बैंक ऋणों, जिनकी वसूली की जानी है, से सम्बन्धित नियमों में अनियमितताओं और खामियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, दिसम्बर 1985 के अंत में सरकारी क्षेत्र के बेंकों (भारतीय परिचालन) के कुल 49902 करोड़ रुपये के अग्रिम बकाया थे।

(ख) वसूली के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र के बेंकों के कार्यनिष्पादन पर बराबर नजर रखी जा रही है। बेंकों से कहा गया है कि वे ऋणों के मूल्यांकन और पर्यवेक्षण के तरीके सुधारें ताकि रकमों के अतिदेय होने को कम से कम किया जा सके। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बेंकों को बकाया रकमें वसूल करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करें। भारतीय रिजर्व ने बेंकों से कहा है कि वे प्रत्येक शाखा की वसूली के कार्य पर नजर रखें और ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दें जहां वसूली मांग के 50 प्रतिशत से कम हो।

राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का भंडार

785. **श्री मुरली देवरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1986 को राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का कितना भण्डार था ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो त्यौहार के दिनों में इन तेलों की जनता की भारी मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) राज्य व्यापार निगम के पास 1-10-86 तक आयातित खाद्य तेलों का स्टाक (भंडार और पारगमन दोनों में) लगभग 3,38,780 मी० टन था।

(ख) और (ग) घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की समग्र कीमतों में सितम्बर, 1986 तक सामान्य वृद्धि रही तथापि, हाल ही में खाद्य तेलों की कीमतों में सामान्यतया गिरावट का रुख रहा है सरकार आवश्यकताओं, घरेलु उत्पादन, उपलब्ध विदेशी मुद्रा तथा अन्य संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रख कर खाद्य तेलों के आयात की व्यवस्था करती है।

पूंजीगत माल उद्योग पर आयात का प्रभाव

786. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान के आयात से पूंजीगत माल उद्योग पर अत्याधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पूंजीगत माल के सम्बन्ध में आयात नीति की पुनरीक्षा की है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) पूंजीगत माल के आयात की, जो कि खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत नहीं आता है, स्वदेशी दृष्टिकोण से ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद ही अनुमति दी जाती है। कतिपय पूंजीगत माल के आयात की अनुमति खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। इन मदों का उत्पादन या तो देश में नहीं होता है अथवा इस मामले में टैरिफ के रूप में आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

तथापि, आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि घरेलू उद्योग के हित में सुधारात्मक उपाय किये जा सकें।

भारत-रूस वार्ता

787. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूयार्क में सितम्बर, 1986 के अन्तिम सप्ताह में भारत रूस वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बातचीत हुई; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) बातचीत में अनेक द्विपक्षीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसले शामिल थे।

(ग) इस बातचीत से सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करने का मौका मिला तथा आपसी हित के कुछ मसलों पर एक दूसरे को और अधिक समझा गया है।

वियना सम्मेलन में भारत द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अधिसूचना में सैनिक परमाणु अड्डों में हुई दुर्घटनाओं को शामिल करने की मांग

788. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 29 सितम्बर, 1986 को वियना में आयोजित अन्तरष्ट्रीय परमाणु एजेंसी सम्मेलन में यह मांग की थी कि सैनिक परमाणु अड्डों में होने वाली दुर्घटनाओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय अधिसूचना में शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग कहां तक की गई और इस पर परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी समिति की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि नाभिकीय अस्त्र वाले राज्यों ने नाभिकीय अस्त्रों तथा अन्य गैर-शान्तिपूर्ण नाभिकीय प्रतिष्ठानों को नाभिकीय दुर्घटनाओं की शीघ्र अधिसूचना सम्बन्धी अभिसमय की परिधि में शामिल करना स्वीकार कर दिया था इसलिए यह मांग की गई थी । इसके फलस्वरूप नाभिकीय हथियारों वाले राज्यों ने सार्वजनिक रूप से ऐसे वक्तव्य दिए जिनमें यह पुष्टि की गई कि वे सभी दुर्घटनाओं को अधिसूचित करेंगे जिनमें नाभिकीय हथियारों अथवा परीक्षणों से होने वाली दुर्घटनाएं शामिल हैं, हालांकि परीक्षणों को अभिसमय में विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है ।

भुगतान शेष की स्थिति

789. **श्री कृष्ण सिंह :**

श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहां भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985-86 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कम से कम 5 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है, वहां 1985-86 में 7,951 करोड़ रुपए के बहुत अधिक व्यापार असन्तुलन को ध्यान में रखते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भुगतान शेष की स्थित का पुर्नविलोकन करने के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के भुगतान शेष के वास्तविक आंकड़े क्या हैं, और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए भुगतान शेष की स्थिति का पुर्नविलोकन करने का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान व्यापार असन्तुलन के सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां । इस बात का उल्लेख सरकार द्वारा प्रतिपादित आर्थिक समीक्षा में भी कर दिया गया था कि अन्तिम तीन वर्षों में सातवीं आयोजना की अवधि में भुगतान शेष की स्थिति कठिन रहेगी ।

(ख) सबसे हाल के तीन वर्षों की भुगतान शेष की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) वर्ष भर में क्षेत्रानुसार घटनाओं की समीक्षा करते हुए योजना आयोग ने वर्ष 1985-86 के भुगतान शेष की स्थिति पर भी विचार किया । विदेशी व्यापार के क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसने इस बात पर जोर दिया कि सातवीं आयोजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप, निर्यात में तेजी से वृद्धि करके, व्यापारिक घाटे की रोकथाम करने के लिए सतत और दृढ़ प्रयास किए जाने जरूरी हैं । सातवीं आयोजना के सम्बन्ध में पूर्वानुमानित व्यापारिक घाटा 1984-85 की कीमतों के आधार पर 34,700 करोड़ रुपए आंका गया ।

विवरण

भारत का समग्र भुगतान शेष

(करोड़ रुपए)

मदें	1982-83 जमा	1982-83 नामे	1982-83 निवल	1983-84 जमा	1983-84 नामे	1983-84 निवल	1984-85 जमा	1984-85 नामे	1984-85 निवल
I. चालू खाता									
1. माल	9137·1	14913·2	5776·1	10168·5	16039·3	5840·3	11959·2	18680·3	6721·1
2. अदृश्य प्राप्तियां	6102·1	2622·4	3479·7	6892·7	3284·3	3608·4	8263·1	4394·4	3868·7
3. चालू खाते का जोड़	15239·2	17535·6	2296·4	17061·2	19323·6	2262·4	20222·3	23074·7	2852·4
II. पूंजी खाता									
1. गैर सरकारी	454·4	237·0	217·4	963·2	266·3	696·9	1467·0	375·2	1091·8
2. बैंकिंग	418·2	349·8	68·4	396·0	214·4	181·6	366·6	560·0	193·4
3. शासकीय	2834·8	2295·7	539·1	3598·7	2290·4	1308·3	4065·9	1573·0	2491·9
4. पूंजी खाते का जोड़	3707·4	2882·5	824·9	4957·9	2771·1	2186·8	5899·5	2509·2	3390·3
III. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	1892·9	0·0	1892·9	1410·5	72·0	1338·5	216·8	152·4	64·4
IV. एस० डी० आर० का आवंटन	0·0	0·0	0·0	0.0	0·0	0·0	0·0	0·0	0·0
V. भूल चूक			203·1			400·0			323·6
VI. प्रारक्षित निधि और मौद्रिक सोना	479·7	1104·2	624·5	805·4	1578·3	772·9	1453·5	2379·4	925·9

चीनी के अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पादन शुल्क की छूट

790. श्री कृष्ण सिंह : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष गन्ने की शीघ्र पेराई शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने और चीनी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष 1986-87 के मौसम के पहले दो महीनों के दौरान चीनी के अतिरिक्त उत्पादन पर प्राथमिक उत्पादम शुल्क की पूर्णत: छूट दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप इस वर्ष के पेराई के मौसम के पहले दो महीनों के दौरान चीनी उत्पादन में गत दो वर्षों की इसी अवधि की तुलवा में कितनी वृद्धि होने की संभावना है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। एक अक्तूबर से 30 नवम्बर, 1986 की अवधि के दौरान किसी फैक्ट्री में उत्पादित अतिरिक्त चीनी पर पिछले दो चीनी वर्षों की इन्हीं अवधियों की तुलना में मूल उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(ख) चीनी उत्पादन में वृद्धि कितनी मात्रा में होती है यह बहुत से परिवर्तणीय पहलुओं पर निर्भर करता है जिसमें गन्ने की उपलब्धता और वसूली की प्रतिशतता भी शामिल है। पेराई मौसम की प्रारंम्भिक अवधि में, केवल उत्पादन शुल्क से छूट के रूप में दिए गए प्रोत्साहन के कारण कितनी चीनी का अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावना है इसका विश्वसनीय अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, यह पाया गया है कि उन अवधियों के दौरान, विगत में जब उत्पादन शुल्क से छूट दी गयी थी, सामान्यत: सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया था।

चाय उद्योग को रियायतें

791. श्री कृष्ण सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए अभी हाल में चाय उद्योग को कुछ रियायतों की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रियायतों के परिणाम-स्वरूप चाय निर्यात के कितना बढ़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी) : (क) से (ग) : विगत हाल में चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में शामिल हैं मूल्यवर्धित चाय पर नकद मुआवजा सहायता, बल्क चाय के निर्यात पर 50 पैसे प्रति किग्रा० की उत्पादन शुल्क छूट, पैकेट चाय के निर्यात पर उत्पादन शुल्क की पूरी छूट, टी-बैगो पर उत्पादन शुल्क की छूट, टी-बेगों के बनाने में प्रयोग किए जाने वाले फिल्टर पेपर पर सीमा शुल्क की छूट आदि।

इन रियायतों से चाय के निर्यात बढ़ेंगे।

'मिनी कोच' की खरीद का प्रस्ताव

792. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

प्रो० के० वी० थामस : क्या पर्यटन मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पैरम्बीकुलम और नैयार वन्य जीवन अभ्यारण्यों में उपयोग के लिए मिनी कोचों की खरीद का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) क्या स्वीकृति दे दी गई है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) : जी हां। केरल राज्य सरकार ने चार मिनी बसों यथा पेरम्बीकुलम और नैयार वन्य जीव अभ्यारण्यों में प्रयोग के लिए दो-दो मिनी बसों को खरीद करने के वास्ते 14·60 लाख रुपए की वित्तीय सहायता हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।

(ग) राज्य सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

केरल में वन लाज का प्रस्ताव

793. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वन लाज के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उनका प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया है ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) से (ग) : परम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य में 17,19,250 रु० की अनुमानित लागत पर एक वन गृह का निर्माण करने के बारे में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव इस विभाग में प्राप्त हुआ है तथा उस पर अनुकूल रूप से विचार किया जा रहा है।

केरल में समुद्र-तटों के विकास सम्बन्धी परियोजना प्रतिवेदन

794. **श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने कतिपय समुद्र तटों के विकास सम्बन्धी कोई परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा चुने गए समुद्र तटों के नाम क्या हैं और उनका समुद्र तट पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास करने सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है और यदि नहीं, तो इन्हें शीघ्र स्वीकृत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन मंत्री (मुफ्ती मोहम्मद सईद) : (क) और (ख) कोजीकोड, कालीकट के पास कप्पड़ समुद्र तट, त्रिवेन्द्रम जिले में वर्कला समुद्र तट, क्विलान जिले के थिरूमुल्लावरम और कन्नानोर जिले में मुभप्पीलगढ़ का विकास करने की राज्य सरकार की योजनाएं हैं। तथापि, अभी तक 55·00 लाख रु० की अनुमानित लागत पर कप्पड़ समुद्र तट का विकास करने के बारे में ही एक स्कीम केन्द्रीय पर्यटन विभाग को प्रस्तुत की गई है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है और राज्य सरकार से कुछ मदों के बारे में अतिरिक्त सूचना भिजवाने को कहा गया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

795. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्री सैयद मसूदल हुसैन :

श्री कट्टूरी नारायण स्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों की, राज्यवार, कुल कितनी संख्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा राशि, राज्यवार/वर्ष वार, कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विभिन्न राज्यों में कितनी राशि निवेश की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिनांक 31 मार्च, 1986 को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या और गत तीन वर्षों में दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को जमा राशियों और बकाया अग्रिमों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 1986 को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की कुल शाखाओं की संख्या और गत तीन वर्षों में दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों की जमा-राशियों और बकाया राशियों का राज्यवार विवरण।

(करोड़ रुपये)

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	31-3-86 की स्थिति के अनुसार शाखाओं की संख्या	1983 जमा राशि	1983 बकाया राशि	1984 जमा राशि	1984 बकाया राशि	1985 जमा राशि	1985 बकाया राशि
आंध्र प्रदेश	2926	3232	2293	3937	3053	4516	3449
असम	595	638	269	752	381	890	464
बिहार	2381	2592	1033	3112	1199	3599	1343
गुजरात	2752	4122	2117	4650	2552	5280	2867
हरियाणा	869	1051	777	1267	886	1499	1019
हिमाचल प्रदेश	451	361	155	432	186	519	215
जम्मू व कश्मीर	232	296	114	346	134	425	149
कर्नाटक	2519	2789	2239	3285	2776	3767	3275
केरल	1475	1753	1146	2102	1430	2606	1630
मध्य प्रदेश	2277	2044	1175	2404	1405	2931	1723
महाराष्ट्र	3954	9765	8966	11434	10832	14489	12139
मणिपुर	41	22	12	26	16	31	22
मेघालय	86	85	19	103	26	119	33
नागालैंड	56	42	18	58	22	73	28

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	958	715	525	819	642	969	774
पंजाब	1844	3162	1440	3717	1816	4425	2013
राजस्थान	1498	1308	896	1563	1088	1878	1240
सिक्किम	19	25	2	37	5	45	10
तमिलनाडु	2695	3371	3023	3930	3785	4578	4316
त्रिपुरा	58	52	31	63	39	78	46
उत्तर प्रदेश	4263	5957	2618	6761	3033	7831	3523
पश्चिम बंगाल	2466	5802	3331	6641	3717	7822	3753
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	14	14	4	17	6	20	8
अरुणाचल प्रदेश	38	24	5	31	7	163	8
चण्डीगढ़	103	438	720	517	1011	609	1364
दादर और नगर हवेली	6	4	3	5	3	5	5
दिल्ली	956	5307	3629	6280	3669	7669	4183
गोवा, दमन और दीव	250	509	176	600	211	711	227
लक्षदीप	5	3	—	3	1	4	1
मिजोरम	17	18	4	23	5	29	5
पांडिचेरी	52	83	48	93	53	115	63

सड़कों के निर्माण हेतु चीन और अमरीका के बीच समझौता

796. **श्री एम० एस० गुरुपडी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान के दो निकटतम विदेशी सहयोगी चीन और अमरीका द्वारा प्रमुख सड़कों के निर्माण में सहायता देने को सहमत होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सड़कों से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि यह सड़कें भारत और पाकिस्तान की सीमा को छूती हुई बनाई जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या चीन का पहले सीमावर्ती क्षेत्र के पार भी सड़कें बनाने का विचार था; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का निर्माण करने के लिए अमरीका और चीन के बीच किसी करार के बारे में कोई पुष्ट सूचना नहीं है ।

(ग) विगत में चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कराकोरम हाईवे के निर्माण में पाकिस्तान की मदद की थी ।

(घ) भारत सरकार ने चीन की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के समक्ष कराकोरम हाईवे के निर्माण पर बार-बार विरोध प्रकट करने के साथ अपनी यह बात स्पष्ट कर दी कि इस मामले में चीन और पाकिस्तान में से किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और दोनों देशों ने अलग से अथवा संयुक्त रूप से इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की है, वह गैर कानूनी और अस्वीकार्य है ।

13 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

797. **श्री बसुदेव आचार्य** :
श्री सोडे रमैया :
श्री आर० एम० भोये : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई की उन 13 रुग्ण कपड़ा मिलों के राष्टीयकरण में विलम्ब करने के क्या कारण हैं जिनका सरकार ने अक्तूबर, 1983 में प्रबन्ध ग्रहण कर लिया था; और

(ख) इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जाएगा ?

वस्त्र मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) अभी तक बम्बई की 13 मिलों का राष्ट्रीयकरण इसलिए नहीं किया जा सका है क्योंकि कारंवाई के विभिन्न वैकल्पिक उपायों के बारे में विस्तार से विचार करना आवश्यक है ।

(ख) कोई निश्चित समय निर्दिष्ट करना संभव नहीं है ।

आयात लाइसेंसों का दुरुपयोग

798. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की निर्यात नीति के विरुद्ध हाटरोल्ड कालों का भारी मात्रा आयात करने की अनुमति नहीं दी जा रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्पात पाइप और ट्यूब उद्योग की अनेक यूनिटें और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हाटरोल्ड कॉयलों के अनुपूरक आयात लाइसेंसों के लिए और गत वर्ष उन्हें जारी किए गए अनुपूरक लाइसेंसों को फिर से चलाए जाने के लिए आवेदन कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस्पात पाइपों और ट्यूबों के अनेक विनिर्मातिओं ने, जो एक करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात करते है, इस सुविधा का अनुचित लाभ उठाते हुए वर्ष 1986 में अनुपूरक लाइसेंस जारी किए जाने के लिए आवेदन किया है; और

(घ) क्या ऐसे कुछ मामलों का पता चला है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) आयात नीति, 1985-86 के अन्तर्गत पात्र निर्यातक औद्योगिक एककों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अनुपूरक आयात लाइसेंस के पुनरावर्तन के लिए अतिरिक्त सुविधा की अनुमति दी गई है। कुछ एककों ने पुनरावर्तन तथा नये अनुपूरक लाइसेंस दोनों के लिए आवेदन किया है। नए अनुपूरक लाइसेंस पर विचार करते समय पुनरावर्तन की सुविधा को ध्यान में रखने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार दो एकक अर्थात मैं० जैनिथ पाइप्स तथा मैं० अम्बिका स्टील ने एच० आर० कायलस के लिए पुनरावर्तन तथा अनुपूरक लाइसेंस दोनों प्राप्त किए हैं। भविष्य में उनकी आयात हकदारी को निर्धारित करते समय इन पर विचार किया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस

799. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वर्ष 1985-86 के लिए केवल 15 दिन के वेतन के समान तदर्थ बोनस दिए जाने के क्या कारण हैं जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष तेइस से बत्तीस दिन के वेतन की अदायगी की गई थी;

(ख) क्या सरकार को राशि कम करने तथा इसे कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में डालने के निर्णय के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सरकार ने अपने पहले के निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए अब लेखा वर्ष 1985-86 के लिए उन

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 23 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस का नकद भुगतान करने की घोषणा की है जो उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते। इसी प्रकार सरकार ने ऐसे विभागों के बारे में जहां उत्पादकता से जुड़ा बोनस पहले लागू था, 1984-85 में प्रचलित फार्मूले के आधार पर लेखा वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस का नकद भुगतान करने की घोषणा की है।

उक्त निर्णय पिछले लेखा वर्ष से संबंधित निर्णयों के समान है।

12·00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय कल मैंने राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव की ओर से अध्यक्ष श्री अग्रवाल के माध्यम से बहुत से निमन्त्रण पत्र प्राप्त किए हैं। महोदय, ये हिन्दी में मुद्रित हैं, जिसे हम नहीं जानते हैं। महोदय, कार्ड प्राप्त करने के बाद हमने उन्हें पढ़ा है ······**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण गलियारे में खड़े मत होइये। यह आपको शोभा नहीं देता है।

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय ये पूर्ण रूप से हिन्दी में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : वास्तव में वे हिन्दी थोप रहे हैं।

डा० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : कल प्रधानमन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था। आज वे इस प्रकार की चीजें भेज रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है ?

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति की गलती से ऐसा हुआ है, मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : हम यह मालूम नहीं कर पाए हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य को पूरा नहीं किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया गलियारे में खड़े मत होइये। यह आपको शोभा नहीं देता।

(व्यवधान)

डा० एस० जगतरक्षकन : यह एक राष्ट्रीय उत्सव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : संसद सदस्य होने के नाते आपसे गलियारे में खड़े होने की आशा नहीं की जाती। मैं आपको आश्वासन दे चुका हूँ कि किसी व्यक्ति की गलती से ऐसा हो सकता है। हम इसे ठीक कर देंगे। हम इसे करेंगे।

श्री पी० कुलनवईवेलू : मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। महोदय आपको यह कार्य कराना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे ठीक करवा दूंगा ; किसी पर भी कोई चीज थोपी नहीं जा रही है।

डा० एस० जगतरक्षकन : हम हिन्दी नहीं जानते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले भी आपसे गलियारे में न खड़ा होने के लिए अनुरोध कर चुका हूँ।

डा० एस० जगतरक्षकन : लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। नाम भी केवल हिन्दी में ही लिखा है।

श्री पी० कुलनवईवेलू : इस प्रकार निमन्त्रण भेजने का क्या फायदा है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि मैं इसे करूंगा।

(व्यवधान)

डा० एस० जगतरक्षकन : क्या यह उत्तरी भारत का सांस्कृतिक कार्यक्रम है?

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता मत कीजिए मैं इसे करूंगा।

श्री पी० कुलनवईवेलू : हम इसे फाड़ देंगे। इसका क्या लाभ है?

अध्यक्ष महोदय : यह किसी व्यक्ति की गलती है। ऐसा मत कीजिए।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव में कर्नाटक संगीत को क्यों नहीं रखा गया? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। भारतीय खाद्य निगम ने उप-भण्डारों को बन्द कर दिया है और इसके कारण राशन की सप्लाई में विघ्न पड़ा है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित रूप में दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से मेरा समय बरबाद करते हैं। आप मेरे पास आ सकते हैं।

श्री थम्पन थामस : मैंने एक नोटिस भी दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात कार्यवाही में शामिल नहीं करवा रहा।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री थम्पन थामस : मैंने एक नोटिस दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत आप उस पर सभा में चर्चा कर सकते हैं। इस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं है।

श्रीमती ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, 'राज से स्वराज' में नेता जी सुभाषचन्द्र बोस की भूमिका दिखाई गई है······(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदया, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, बैंकों द्वारा 'रिलायन्स' उद्योगों को ऋण देने से संबंधित मेरा प्रश्न पहुंचा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार यह मान चुकी है कि काफी अनियमितताएं थी।··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं हैं। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इसको कार्यवाही में क्यों नहीं शामिल किया जा सकता?

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यों कर रहे हैं।

(व्यवधान)

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह सच है। परन्तु आप यह क्यों कहते हैं कि इसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैं कहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करना आपका अधिकार और कर्तव्य है और इसकी जांच करना मेरा अधिकार है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : परन्तु इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कराना मेरा अधिकार है ......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, क्योंकि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जयपाल रेड्डी : महोदय यदि आपकी व्यवस्था का प्रश्न उचित होता तो मैं आपको अनुमति दे देता परन्तु व्यवस्था का यह प्रश्न वैध नहीं है।

[हिन्दी]

आपको क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है......

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में अपना निर्णय नहीं दूंगा। यह मेरा विशेषाधिकार है और मैं इसे रखूंगा और मैं यह निर्णय करूंगा कि मुझे किस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देनी है। लेकिन मैं इस बारे में निर्णय दूंगा ...

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : जो कुछ मैं कहना चाहता हूं आप मुझे कहने दीजिए। आप प्रत्येक व्यक्ति को अनुमति दे रहे हैं......

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने उन्हें भी अनुमति नहीं दी है। जो कुछ उन्होंने कहा था यदि आप भी वही कहना चाहते हैं तो उसे भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। यह बहुत सरल है। उनकी बात को कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने मेरी अनुमति नहीं ली है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल सम्भव है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, व्यवस्था की कोई बात नहीं है। इस व्यवस्था के प्रश्न में कुछ नहीं है। किस नियम का उल्लंघन किया गया है जिसके लिए आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है······

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने के लिए कहा था परन्तु मैं आपको रोक भी सकता हूं। अब श्री दत्ता सामन्त, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कम से कम उस मुद्दे तक मुझे अनुमति दी गई थी मेरी बात को कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री सामन्त, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं पहले ही यह सूचना दे चुका हूं कि महाराष्ट्र में सारा फिल्म उद्योग बन्द पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं अब आपको अनुमति नहीं दूंगा। कुछ नहीं। नहीं, अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)**

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं······

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था की कोई बात नहीं।

[हिन्दी]

उसका फायदा क्या होगा ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया उनकी व्यवस्था की बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : यहां किसी व्यवस्था के प्रश्न पर बातचीत नहीं हो रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपा करके उनकी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही उनकी बात सुन ली है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी परन्तु जो बात मैंने कही थी उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इसमें नियम विरुद्ध व्यवस्था की कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने आपको अनुमति नहीं दी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उनका व्यवस्था का प्रश्न भिन्न था।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया उनकी बात सुनिये।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न बनाने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, उन्होंने जिस मुद्दे को उठाया वह एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित था। मैंने उन्हें बताया था कि वह मेरे पास विचाराधीन है। न इससे कम न इससे अधिक।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने कहा है कि जो बात मैंने कही है उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यही कहते हैं तो न तो मैं 'हां' कहूंगा और नहीं 'ना' कहूंगा। मैं केवल यही बात कहता हूं कि यह मेरे विचाराधीन है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं आपको 'हां' कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जो अनुरोध कर रहा हूं वह यह है कि मेरे अनुरोध की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप शायद सदन का समय बरबाद करना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रत्येक बात को कार्यवाही से निकाल देने की प्रथा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन के एक माननीय सदस्य हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपने मुझे बोलने की अनुमति दी थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं...

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कार्यवाही से प्रत्येक बात को निकालने की इस असंसदीय प्रथा की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं निकालता...

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं आपसे इस विनिर्णय के बारे में बातचीत करना चाहता हूं किस बात को सदन की कार्यवाही से निकाला जा सकता है और किस बात को नहीं...।

श्री वासुदेव आचार्य : जो कुछ उन्होंने बोला है उसे कार्यवाही में शामिल किया जाना चाहिए । (व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : साधारणतया उन बातों को रिकार्ड से हटाया जाता है जो असंसदीय होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी बात को नहीं निकालता महोदय आप इस बात को नहीं समझते । मैं कार्यवाही को नहीं निकालता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते है कि उन्होंने नोटिस दिया है··· ।

अध्यक्ष महोदय : उस अंश तक बात ठीक है । जब उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया तो मैंने उस आपत्ति को रद्द कर दिया । यस साधारण बात है । न कुछ अधिक न कम । मैं नहीं हटाता । मैं कभी नहीं हटाऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने यह कहा कि सभी बातों को रिकार्ड से हटा दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : केवल असंसदीय शब्दों को निकाला जाता है । बस ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : असंसदीय शब्द क्या थे ?

अध्यक्ष महोदय : जब मैं कहता हूं कि "आपको बोलने की अनुमति नहीं है ।" मेरी अनुमति नहीं है । बात खत्म हुई ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अनुमति देना या न देना यह आपका अधिकार है । हमें नोटिस देना चाहिए··· ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : रबड़ उत्पादकों व इलाइची उत्पादकों के बारे में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है, जो बहुत कम कीमतों के कारण आन्दोलन पर हैं । दो लाख श्रमिक प्रभावित हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है परन्तु इसमें व्यवस्था कोई प्रश्न नहीं है । मैं इस पर चर्चा कर सकता हूं, मैं इस पर विचार कर सकता हूं । परन्तु सभा में मैं "हां" या "न" नहीं कह सकता ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या आप इस पर विचार करेंगे ? इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में सभा में चर्चा करने का यह तरीका नहीं है ।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप इस बात पर विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदैव विचार करता हूँ और आपका स्वागत है। मैं 'न' कभी नहीं कहता। मैं कभी नहीं कहता कि आप एक अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है परन्तु उपलब्ध समय के अनुसार ही मैं इसे कर सकता हूं। श्री रामस्वरूप राम, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण सूचना आपके पास दी है जिसमें श्री लंका के रेडियो से चार महीने से भारत के विरुद्ध जो प्रचार किया जा रहा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कर रहे हैं।

हम पहले ही इसे कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइगे।

[हिन्दी]

अगर आपने अपने मित्रों से कंसल्ट कर लिया होता तो आप को पता होता कि

[अनुवाद]

हमने उस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया है। बैठ जाइये।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : दिल्ली में जूनियर रेजिडेन्ट डाक्टर हड़ताल पर है...

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात मुझे लिखित रूप में दे सकते हैं। यह कार्य करने का उचित तरीका नहीं है। यह बहुत सरल बात है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरुप : वे कर्नाटक संगीत के बिना एक राष्ट्रीय उत्सव कैसे आयोजित कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं ?

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करौल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से

यह कहना चाहती हूं कि हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है ·· **(व्यवधान)** ·· और हिन्दी हमारी मातृभाषा है ·· **(व्यवधान)** ·· हमारी हिन्दी भाषा है और रहेगी।

अध्यक्ष महोदय : तो किसने रोका है आपको ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। कृपया बैठ जाइये। मैं स्थिति स्पष्ट करूंगा। कृपया देखिए।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है ··

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रामस्वरूप जी, मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : यह राष्ट्रभाषा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हर आनरेबल मेम्बर यहां पर खड़े होकर राष्ट्रभाषा के खिलाफ बोलते हैं ·· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है। सवाल इतना पैदा है कि किसी आदमी को काम कैसे करना है और किसी ने गलती की है तो उसको ठीक करवा देंगे। हमें किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करनी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी इस हठ धर्मी ने सारा काम बिगाड़ रखा है। बैठ जाइए आप।

[अनुवाद]

सरकार की यही नीति है। कुछ नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे प्रोटोगोनिस्ट्स ही खराब करती हैं। हिन्दी बेचारी कब की जन्म गई होती अगर ऐसे लोग नहीं होते। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे अपने कर्त्तव्य का पता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे भी उतने ही अच्छे हैं हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। हिन्दी को अपनी स्थिति प्राप्त है। अंग्रेजी को अपनी हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है।

श्री माधव राव सिंधिया

12.14 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों, ऋण पत्रों की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (दूसरा संशोधन) नियम, 1986, जो 11 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1076 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्ध-पत्र, जो 21 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1155 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986, जो 17 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1091 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्ध पत्र, जो 21 अक्तूबर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1156 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3141/86]

(2) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 43 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 804 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 27 सितम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 734 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 3142/86]

(3) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क के अन्तर्गत जारी की गई साधारण बीमा (पर्यवेक्षी, लिपिकीय तथा अधीनस्त कर्म-

चारियों के वेतनमानों तथा सेवा की अन्य शर्तों का युक्तिकरण और पुनरीक्षण) संशोधन योजना, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 3 अक्तूबर 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 729 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3143/86]

(4) रिलायस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों/ऋण-पत्रों की प्रतिभूति पर कतिपय उधार लेने वालों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3144/86]

वार्षिक योजना 1986-87 योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं वार्षिक योजना, 1986-87" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3146/86]

वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली का 1985 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन विवरणों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

वस्त्र मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1985 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कार) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1975 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 3145/86]

12.15 म० प०

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेल), 1986-87

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : मैं वर्ष 1986-87 के बजट (रेल) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

रेलों की वित्तीय स्थिति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री माधव राव सिंधिया) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन् सदन को स्मरण होगा कि 1986-87 के बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय तत्कालीन परिवहन मंत्री बंशी लाल ने चालू वर्ष के लिए राजस्व अर्जक माल यातायात के प्रारम्भिक लदान का लक्ष्य 267 मिलियन टन रखा था। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सितम्बर, 1986 के अन्त तक रेलों ने 128.4 मिलियन टन राजस्व अर्जक यातायात की ढुलाई की है जो इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से लगभग एक मिलियन टन अधिक है। यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 8.4 मिलियन टन प्रारम्भिक यातायात की वृद्धि दर्शाता है। यदि ढुलाई के लिए कुछ कार्यक्रमबद्ध थोक यातायात कम मात्रा में प्राप्त न हुआ होता तो लदान और भी अधिक होता। मुझे पूर्ण आशा है कि संगठित प्रयास करके रेलें वित्तीय वर्ष के अन्त तक कम से कम 270 मिलियन टन राजस्व अर्जक यातायात की ढुलाई करेंगी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 मिलियन टन तथा लक्ष्य से 3 मिलियन टन अधिक होगी। यात्री तथा अन्य कोचिंग यातायात के रुख में भी सुधार हो रहा है और मुझे आशा है कि शुद्ध यातायात से प्राप्तियां बजट अनुमानों से लगभग 106 करोड़ रुपए अधिक होंगी।

परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करके रेलों की उत्पादकता में वृद्धि करने पर लगातार बल दिया जा रहा है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि अगस्त, 1986 के अन्त तक मुख्य कुशलता सूचकांक, अर्थात् प्रति माल डिब्बा प्रतिदिन शुद्ध टन किलोमीटर (बड़ी लाईन) पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 1189 की तुलना में बढ़कर 1260 हो गई है।

संचालन व्यय

यद्यपि ढोये गये यातायात की स्थिति तथा रेलों की उत्पादकता काफी सन्तोषजनक है लेकिन बजट के बाद कर्मचारी खर्च में हुई वृद्धि के कारण संचालन व्यय पर काफी बोझ पड़ा है। केवल वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप ही लगभग 462 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ने का अनुमान है। सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 1986 से स्वीकृत महंगाई भत्ते की किस्त के कारण दायिता में 25 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। उत्पादकता सम्बद्ध बोनस के रूप में रेल कर्मचारियों को लगभग 33 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया है। इन तीनों कारकों की वजह से साधारण संचालन व्यय के अंतर्गत 520 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है।

पेंशन निधि में अंशदान वर्ष 1985-86 में 260 करोड़ रुपए की तुलना में चालू वर्ष के बजट में बढ़ाकर 280 करोड़ रुपए किया गया था। तथापि, पेंशन नियमों के उदारीकरण के कारण भुगतान में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर, रेल अभिसमय समिति ने इस अंशदान में वृद्धि करके इसे चालू वर्ष में 350 करोड़ रुपए करने की सिफारिश की है। अत: पेंशन निधि में अंशदान के रूप में 70 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करना आवश्यक है।

इस प्रकार, भविष्य में महंगाई भत्तों में होने वाली किसी वृद्धि को, जो चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत की जा सकती है, हिसाब में लिए बिना ही रेल कर्मचारियों की लागत में बजट अनुमानों से 590 करोड़ रुपए की वृद्धि होने की संभावना है।

1986-87 के प्रत्याशित वित्तीय परिणाम

इस प्रकार, सदन को पता चलेगा कि अधिक यातायात की ढुलाई से प्राप्त होने वाली 106 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रत्याशित आमदनी के बावजूद, रेलों की वित्तीय स्थिति पर लगभग 484 करोड़ रुपए का विपरीत प्रभाव कायम रहेगा जिसके परिणामस्वरूप बजट के समय दर्शाये गए 69 करोड़ रुपये के अधिशेष की तुलना में 415 करोड़ रुपए की कमी रहेगी। सदन इस बात से सहमत होगा कि यह स्थिति उन कारणों से मुख्यत: वेतन आयोग की सिफारिशों के कारण कर्मचारी लागत में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप, उत्पन्न हुई है जो रेलों के नियंत्रण से बाहर हैं।

मितव्ययिता

मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम राजस्व की वृद्धि पर कोई विपरीत प्रभाव डाले बिना राजस्व व्यय को यथासंभव कम से कम करने के लिए पहले से ही बहुत गहन उपाय करने में लगे हुए हैं। चालू वर्ष में, यातायात ढुलाई को बढ़ाने के सभी प्रयासों के कारण, रेलों को अतिरिक्त यातायात से 1985-86 में प्राप्त आमदनी की तुलना में 421 करोड़ रुपए अधिक मिलने की प्रत्याशा है। इस स्तर का यातायात ढुलाई प्रयास करने के लिए साधारण संचालन व्यय में लगभग 300 करोड़ रुपये की सामान्य वृद्धि होगी। तथापि, राष्ट्रीय हित में हमने विनिश्चय किया है कि बढ़ी हुई अधिकांश लागत को आत्मसात करने के लिए रेलों द्वारा उत्पादकता तथा मितव्ययिता में और अधिक वृद्धि करके सर्वोत्कृष्ट प्रयास किए जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईमानदारी से तथा सच्चे प्रयास किए जा रहे हैं।

बहरहाल, चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, कर्मचारी खर्च में लगभग 462 करोड़ रुपए की वृद्धि होगी। तदनुसार, रेलों की वित्तीय स्थिति में भारी परिवर्तन हो गया है और अब सामान्य राजस्व को पूरे लाभांश का भुगतान करने के बाद वर्ष के अंत में रेलों का 415 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा रहने की संभावना है।

अधिक घाटे से बचने की आवश्यकता

सदन को यह भी ज्ञात है कि सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा को न्यूनतम रखने की उत्सुक है। रेल प्रणाली पर किसी भी भारी घाटे का प्रभाव समग्र रूप से देश की घाटे की वित्त व्यवस्था की मात्रा में वृद्धि के रूप में प्रकट होगा। इस पृष्ठभूमि में, इस समय रेल दर-सूची में कुछ समायोजन करने का प्रस्ताव करना जरूरी हो गया है ताकि कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाये जा सकें और सामान्य बजट पर भार को कम करने में सहायता मिले।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, रेल भाड़े की दरें टेलिस्कापिक किस्म की है, अर्थात निश्चित

लागतों के हिस्से में कमी को देखते हुए दूरी में वृद्धि होने से भाड़ा दरें कम होती जाती है। इस क्रमिक कमी को मात्रा की यातायात के रुख, तकनीक में परिवर्तन तथा परिचालन की लागत के परिप्रेक्ष्य में समय-समय पर समीक्षा करना आवश्यक हैं। अतः मैंने भाड़े में इस क्रमिक कमी को थोड़ा सा समतल बनाने का प्रस्ताव किया है जिससे चालू वर्ष में 313 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा तथा रेलों पर भाड़ा संरचना को युक्तिसंगतिबनाने का प्रयोजन भी सिद्ध होगा। मेरा प्रस्ताव पार्सल और सामान यातायात के भाड़े की दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का है। इससे लगभग 7 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। ये प्रस्ताव 1-12-1986 से लागू होंगे।

सदन को स्मरण होगा कि चालू वर्ष के बजट अनुमानों मे भाड़े की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। यात्री यातायात के मामले में लगभग 90 प्रतिशत यात्रियों के लिए किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी। मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरें दर्जे के यात्रियों के मामले में मामूली सी तथा ऊंचे दर्जे के यात्रियों के मामले में अधिक वृद्धि की गयी थी। चूंकि रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करने वाले 98 प्रतिशित यात्री निम्न और मध्यम आय वर्ग के होते हैं, इसलिए मैंने उनकी कठिनाई को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया है कि यात्री किराये में कोई वृद्धि नहीं की जाय।

इन प्रस्तावों के कार्यान्वियन से चालू वर्ष में रेलों को 320 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी और इस प्रकार 95 करोड़ रुपए का अंतर रह जायेगा। प्रस्तावों के ब्यौरे से सम्बन्धित एक ज्ञापन माननीय सदस्यों में प्रसारित किया जा रहा है। हमारा सतत प्रयास होगा कि इस अन्तर को चालू वर्ष की अवधि में और अधिक गहन यातायात उपायों के जरिए यथासम्भव अधिकतम मात्रा में पूरा किया जाये।

माल भाड़ा संरचना और पार्सल तथा सामान की दरों में समायोजन के प्रस्तावों का ज्ञापन

1-12-1986 से लागू

माल भाड़ा संरचना

रेल राज्य मंत्री के वक्तव्य में बताये गए कारणों से 1-12-1986 से एक नया युक्तिसंगत माल भाड़ा संरचना लागू करने का प्रस्ताव है।

माल भाड़ा संरचना की पिछली पुनरीक्षा, रेल दर जांच समिति की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में 1-4-1983 से की गयी थी। यद्यपि, रेल दर जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि माल भाड़ा दरों की पुनरीक्षा वर्ष में एक बार की जानी चाहिए ताकि वे रेल परिवहन के उत्पादन की प्रमुख साधन सामग्रियों के मूल्यों के अनुरूप रहें किन्तु विगत तीन वर्षों में माल भाड़ा दरों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि 15-4-1985 से 500 कि०मी० से अधिक दूरी के माल यातायात पर (नमक को छोड़कर) 10 प्रतिशत पूरक प्रभार लागू किया गया था। बहरहाल, वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन से अब रेलों पर भारी बोझ पड़ गया है, जिसके फलस्वरूप माल भाड़ा संरचना में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है।

रेलों की माल भाड़ा दरें टेलिस्कोपिक किस्म की है, अर्थात निश्चित लागतों के हिस्से में कमी को देखते हुए दूरी में वृद्धि होने से माल भाड़ा दरें क्रमिक कमी की मात्रा की यातायात, के स्वरूप, तकनीकी परिवर्तनों, परिचालन लागत आदि के संदर्भ में समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह क्रमिक कमी, फिलहाल, बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए, 2500 कि०मी० के लिए प्रति टन प्रति किलोमीटर दर, 100 कि० मी० के लिए लागू दर की केवल 44 प्रतिशत होती है। हालांकि लम्बी दूरी के यातायात के लिए कुछ कमी औचित्यपूर्ण है, लेकिन इस क्रमिक कमी को समतल बनाये जाने की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी वस्तुओं की श्रेणी दरों की क्रमिक कमी को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव हैं :

श्रेणी दरों की क्रमिक कमी में संशोधन

दूरी किलोमीटर में	प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर दर का सूचकांक	
	वर्तमान क्रमिक कमी	प्रस्तावित क्रमिक कमी
100	100	100
200	77	80
300	68	73
400	64	69
500	61	69
600	64	69
700	62	69
800	60	67
900	58	66
1000	57	66
1100	55	64
1200	55	63
1300	54	63
1400	54	62
1500	53	62
1600	52	61
1700	51	60
1800	50	59
1900	49	58
2000	48	57
2500	44	52

क्रमिक कमी में परिवर्तन अनुबन्ध में दिए गए ग्राफ में दिखाया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3159/86]

दरों का परिकलन निम्नलिखित दूरी ब्लाकों के लिए किया जाता रहेगा :

किलोमीटर	
1-100	एक ब्लाक
101-250	5 किलोमीटर ब्लाक
251-800	10 किलोमीटर ब्लाक
801-2400 से अधिक	50 किलोमीटर ब्लाक

पार्सल तथा सामान 1-12-1986 से पार्सलों और सामान की दरों में 15 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

12.20 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दूर संचार विभाग के इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : मैं संचार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर आकर्षित करता हूँ। और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें।

"दूर संचार विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा निरन्तर किए जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही।"

12.21 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, जूनियर इन्जीयर दूर संचार संघ ने एक नोटिस दिया था और 16-10-86 से "नियमानुसार काम" आंदोलन का सहारा लेते आ रहे हैं। इससे दूरसंचार सेवाओं और विशेषकर लम्बी दूरी की सेवाएं काफी प्रभावित हुई हैं। खराबियों को ठीक करने में विलम्ब हुआ और किसी भी समय दोषयुक्त सर्किटों की संख्या सामान्य से अधिक 50 से 100 प्रतिशत के बीच हो गई। इससे ट्रंक कालों को लगाने, एस० टी० डी० और टेलेक्स तथा टेलिप्रिंटर सेवाओं पर प्रभाव पड़ा।

दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर उच्च वेतनमान (चौथे वेतन आयोग से पहले के 425-800 रु० के वेतनमान की तुलना 550-900 रु० का वेतनमान) की मांग कर रहे हैं। वे यह महसूस करते हैं कि अन्यत्र ऐसे ही कार्यों की तुलना में उनके काम में काफी उच्च तकनीकी क्षमता और उत्तरदायित्व शामिल है। इस सेवा में आने के लिए शैक्षणिक योग्यता भी ऊंची रखी गई है तथा अन्तिम नियुक्ति मिलने पूर्व उन्हें गहन प्रशिक्षण दिया जाता है।

विभाग को उनकी मांगों के प्रति हमदर्दी है लेकिन इन मांगों को स्वीकार करने से पूर्व सभी पहलुओं पर वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जाना था। इस मामले पर वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया गया और 1983 में वित्त मन्त्रालय की सलाह पर मामले को चौथे वेतन आयोग को भेज दिया गया।

चौथे वेतन आयोग ने जूनियर इंजीनियरों की मांगों के साथ-साथ दूरसंचार विभाग की सिफारिशों पर विचार किया। उन्होंने भी स्वीकार किया कि दूरसंचार क्षेत्र की टैक्नालाजी में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है और विभाग के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वह अपेक्षित योग्यता के प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी तैयार करे। तथापि, उन्होंने महसूस किया कि उच्च वेतन का जो सुझाव है, वह वास्तव में विभिन्न पदों से सम्बन्धित कार्यभार की योग्यता का निर्धारण करने के लिए कार्य का मूल्यांकन करने सम्बन्ध रखता है। उन्होंने अनुभव किया कि इस कार्य को करना उनके लिए सम्भव नहीं था। सरकार ने वेतन आयोग की इन सम्बन्ध में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है।

दूरसचार के जूनियर इंजीनियरों ने चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त बाद जुलाई, 1986 में आन्दोलन किया था। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श किया गया और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मन्त्रालय द्वारा इस मामले को विभिन्न स्तरों पर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा किया भी किया गया था लेकिन वेतन आयोग के सुझाव अनुसार, इस मामले का आगे उचित अध्ययन किए बिना समूचे काडर के वेतनमान को बढ़ाने सम्बन्धी मांग को सीधे स्वीकार करना सरकार के लिए संभव नहीं हो पाया। कुछ हद तक मांगों को पूरा करने के लिए इस बात पर सहमति हो गई थी काडर में 65 प्रतिशत पदों को पदोंनति ग्रेड दे दिया जाए। साथ ही, यह निर्णय लिया गया था कि इस मामले पर आगे अध्ययन करने लिए एक अन्तर-विभागीय ग्रुप का गठन किया जाए।

अन्तर-विभागीय समिति की अनेकानेक बैठकें हुई लेकिन समिति के अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यथा गठित समिति मामले का हल नहीं निकाल सकी और कि वास्तविक कार्य का मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

यद्यपि इस मामले पर आगे विचार किया जा रहा था लेकिन चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय की घोषणा हो जाने से दूरसंचार विभाग के जूनियर इंजीनियर संघ ने नोटिस देकर पुनः अपना आन्दोलन शुरू कर दिया। इस मामले का समाधान करने का प्रयास किया गया। इस सम्बन्ध में सदस्य (कार्मिक), सचिव (दूरसंचार) और मंत्री स्तर सहित विभिन्न स्तरों पर सीधे और मुख्य श्रम आयुक्त के तत्वावधान में विचार विमर्श किया गया। इस मामले

की सचिवों की समिति ने भी जांच की थी। यह निर्णय लिया गया था कि अन्तर विभागीय समिति का पुनर्गठन किया जाए और उसे कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सलाहकार रखने की विशेष शक्तियां देते हुए उच्च अधिकार दिए जाये। उच्च ग्रेड में 65 प्रतिशत पदों के लिए चयन प्रक्रिया निश्चित करने का एक विशेष प्रस्ताव भी संघ को विचार करने के लिए दिया गया था। उन्हें उच्च-स्तरीय समिति के गठन के बारे में भी बताया गया था और उनके आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया गया था। इन विचार-विमर्शों के दौरान माननीय सदस्य श्री पी०आर० कुमारमंगल, मंत्री, सचिव (दूरसंचार) और मुख्य श्रम आयुक्त से भी मिले और उन्हें स्थिति की विस्तृत जानकारी दी गई थी।

संघ के प्रतिनिधियों ने विभाग की स्थिति को समझते हुए भी यह निवेदन किया कि वे अपना आन्दोलन समाप्त करने की स्थिति में नहीं हैं और इस मामले को निपटाने में हो रहे दीर्घ विलंब को देखते हुए कर्मचारी कोई भी बात मानने को राजी न हों। उन्होंने सचिव (दूरसंचार) और संचार मन्त्री से यह अनुरोध किया है कि वे उनके सर्किल सचिवों सहित कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाये। उनकी यह बात मान ली गई है। यह बैठक आज दोपहर को होनी निश्चित हुई है।

स्थिति यह है कि 425-700 रु० के संबद्ध वेतनमान में लगभग दो लाख कर्मचारी हैं और बिना उपयुक्त अध्ययन व मूल्यांकन किए बिना उनमें से किसी सेक्शन को उच्च वेतनमान देना संभव नहीं है। इस अध्ययन एवं मूल्यांकन कार्य को करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है। समिति से अपनी सिफारिशें यथा सम्भव शीघ्र व किसी भी हालत में महीने के भीतर देने का अनुरोध किया गया है। निरन्तर चले आ रहे आंदोलन से जनता को असुविधा हो रही है और परिणामस्वरूप आर्थिक हानि भी हो रही है। आंदोलन कर रहे कर्मचारियों से मेरी यह अपील है कि वे अपना आन्दोलन वापस ले लें और सेवाओं सामान्य बनाएं तथा इस मामले को सुलझाने में उच्च अधिकार प्राप्त समिति के साथ सहयोग करें। इस सम्बन्ध में, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार को अनिवार्य सेवा सुरक्षा अधिनियम के अधीन शक्तियां प्राप्त हैं। फिर भी, मुझे विश्वास है कि कर्मचारी समझदारी और सद्भावना से काम लेंगे तथा अनिवार्य सेवा सुरक्षा अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय, यह एक निराशाजनक वक्तव्य है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् इस वक्तव्य से मुझे थोड़ा आश्चर्य और खुशी हुई क्योंकि यह जानकर दुःख होता है कि विषय को घुमा-फिरा कर कहा गया है। पहले जब विषय की पूरी तरह से मेरे सामने स्पष्ट किया गया तो मैंने बहुत सहानुभूमि तरीके से समझने की कोशिश की और सभा के प्रतिनिधियों ने भी विभाग की स्थिति की प्रशंसा और तर्क दिया कि वे हड़ताल को वापस लेने की स्थिति में नहीं हैं।

शुरू में ही मैं कहना चाहूंगा कि यह ठीक नहीं है क्योंकि यह मामला आज का नहीं है

वर्ष 1980 में जब यह स्वर्गीय श्री सी० एम० स्टीफन संचार मंत्री थे तब उन्होंने यह मामला अपने हाथ में लिया था।

1983 में यह मामला फिर लिया गया। तब इसको संचारमंत्री श्री वी० एन० गाडगिल ने अपने हाथ में लिया था कि और फिर दुबारा यह मामला भूतपूर्व संचार मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा द्वारा 1986 में लिया गया सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इस विभाग की हमारे साथ सहानुभूति है। वे कहते हैं कि मांग अनुचित व गलत नहीं हैं और यह मांग सात वर्ष पुरानी है मांग केवल इस तथ्य पर आधारित नहीं हैं कि हम तकनीकी रूप से श्रेष्ठ हैं। यह स्वयं सिद्ध है। मांग का आधार यह भी है कि जो लोग जूनियर केडर में है अर्थात वह केडर जिस से लोग जूनियर इन्जीनियर की पदोन्नति प्राप्त करते हैं। वे उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे है। दूसरे शब्दों में जब आर० एस० ए० एस० प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेते हैं तो वे उच्च वेतनमान से निम्न वेतन में आ जाते हैं जबकि उनका पद वरिष्ठ हो जाता है। इस प्रकार की अनियमितता एक या दो वर्ष से नहीं बल्कि छः वर्षों से लम्बित है। एक मंत्री के दूसरे मन्त्री मामला अपने हाथ में लेते हैं क्या होता है ? समितियों के बाद समितियां नियुक्त होती है। अगर अभी तक कोई मूल्यांकन न होता तो मैं समझ गया होता बंगलौर में बहुत प्रसिद्ध भारतीय प्रबन्ध व्यवस्था को, जो बहुत प्रसिद्ध और लोक प्रिय है, इस कार्य के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में लगाया गया था। विभाग द्वारा डाक तार विभाग के अध्ययन को युक्ति संगत बनाने और विश्लेषण पर विभाग द्वारा लाखों रुपये खर्च कि गए थे। उन्होंने जूनियर इंजीनियर और तकनीशियनों के पक्ष में रिपोर्ट दी है और कहा है कि प्रौद्योगिकी की उन्नति हो रही है। आपको उच्च शैक्षणिक योग्यता चाहिए। यह सच है कि आज कल जूनियर इन्जीनियर की कम से कम शैक्षणिक योग्यता विज्ञान में या इन्जीनियरंग में स्नातक की उपाधि है तकनीशियनों के लिए इन्जीनियरी में डिप्लोमा चाहिए। लेकिन उन्हें दूसरे विभाग मैट्रिक स्तर से कम समझा जाता है आप तकनीकी उन्नति साथ 21वीं सदी में जाने की आशा करते हैं जबकि इन तकनीकी कार्मिकों का वेतन बहुत कम है। जबकि एक और आप जूनियर आकडरस अधिकारी और सीमा शुल्क अधिकारी को भुगतान करते हैं तो कोई भी उसे समझ सकता है। दान घर से ही शुरू होता है लेकिन क्या यह घर पर ही समाप्त होता है यह प्रश्न है अगर जूनियर लेख पाल अधिकारियों और उत्पाद शुल्क इन्स्पेक्टर को वेतन देने के इच्छुक हैं क्योंकि वे वित्तविभाग से सम्बन्धित है तो फिर तकनीकी कर्मचारियों के साथ न्याय क्यों नहीं किया जाता।

प्रश्न यह नहीं है कि यह विषय पहले नहीं आया और मंत्रियों द्वारा सहम नहीं दी गई। दोनों मन्त्रियों ने लिखित एवं मौखिक रूप से कहा है, हां जी, आपका मामला न्यायसंगत हैं। हम कोशिश करेंगे आपको देंगे। निश्चय ही हम आपके लिए इस मामले में संघर्ष करेंगे। लेकिन क्या हुआ ? सच्चाई यह है कि इस सरकार में मन्त्रियों की आंखों पर पट्टी बांधने की कला नौकरशाहों ने सीख ली है कर्मचारियों को देर से न्याय देना की कला उन्होंने सीख ली है। वे एक समिति नियुक्त करते हैं एक मूल्यांकन के बाद दूसरा मूल्यांकन करते हैं जिसके कार्य की कई वर्षों तक समाप्ति नहीं होती है।

इस समय मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि यह नियमानुसार कार्य करने का आंदोलन

न केवल जूनियर इन्जीनियरों द्वारा किया जा रहा है, वर्ग III के तकनीशियन भी आंदोलन कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। उनकी शैक्षणिक योग्यता इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा है, इसके बावजूद भारत सरकार में अन्य किसी तकनीशियन की तुलना में उनका वेतमान सबसे कम है। दूसरे तकनीशियन मैट्रिक हो सकते हैं लेकिन उनका वेतनमान 1200 रुपये और 1400 रुपये है जबकि ये तकनीशियन 925 रुपए प्राप्त हैं। जब कभी इस विषय को उठाया जाता है। जब यह वेतन आयोग को गया तो वेतन आयोग नें कहा—तकनीकी मूल्यांकन करना पड़ेगा। भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया गया। इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था जैसे कि यह रिकार्ड में है ही नहीं। इसे बिल्कुल नहीं दिखाया जाता है और उसकी कोई रिर्पोट नहीं है।' बहुत निष्कपटता से वे कहते हैं 'नहीं हम आपकी मांग को पूरा करना चाहते है। फिर भी 2 लाख कर्मचारियों में मतभेद करने के लिए हमें मूल्यांकन करना चाहिए मूल्यांकन के बारे में क्या हुआ? इससे पहले के मूल्यांकन का क्या रहा?

ठीक है, मन्त्रियों के एक समूह ने एक समिति नियुक्त की हैं। समिति की अध्यक्षा कार्मिक विभाग की संयुक्त सचिव श्रीमती खोसला थी। वह एक महीने तक रही। फिर वह त्यागपत्र दे देती हैं। वह यह नहीं कहती कि वह निस्सहाय थी और इस मूल्यांकन के लिए उन्हें कुछ विशेषज्ञों की की सलाह चाहिए थी वह इस्तीफा दे देती है और कहती है—नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हूं तब आप कुछ समय तक चुप रहते हैं आप दूरसंचार के सेवा निवृत सचिव श्री अग्रवाल के साथ एक अन्य समिति नियुक्त हैं और उस समिति में आप इस अध्यक्ष श्रीमती खोसला को ले लेते हैं। जिन्होंने यह कहते हुए त्यागपत्र दिया था कि "मैं इस विषय को सुलझाने में समर्थ नहीं हूं। कितने और कब तक कर्मचारियों को मूर्ख बनाया जायेगा, उसकी सीमा क्या है? अगर आप अपने प्रयासों की साख स्थापित करना चाहते हैं उसका कुछ आधार होना चाहिए कर्मचारियों को यह कहना कि मुझे आपके विषय से सहानुभूति है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते पर्याप्त नहीं है इसके लिए कुछ कार्यवाही होनी चाहिए। इन समितियों को मैंने आरम्भ से ही देखा है और मैं अकसर कहता हूं कि यह समितियां एक मजाक है यह सरकारी समितियां और उप-समितियां एक अतिसार के समान है। दोनों ही मामलों में उनकी रिपोर्ट बनती है और दोनों ही मामलों में बैठकें होती है, दोनों ही मामलों में सामग्री को छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक समिति के साथ यही होता है और समय के लिए शान्ति का एक रास्ता है। यह शान्ति एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि संचार के मामले में छः बार खरीदी गई है। प्रत्येक बार एक समिति नियुक्त की जाती है आज दूरसंचार के कर्मचारी उस अवस्था में पहुंच गये हैं जहां उन्होंने कहा है—हमें और अधिक समितियां नहीं चाहिए। आप कहते हैं, हमारी मांग अनुचित है। इसे खिड़की से बाहर फैंक दीजिए हम इसका सामना करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से बताइये कि हमारी स्थिति क्या है? कई समितियां और कई रिपोर्ट हमारे पक्ष में हैं, कोई भी रिपोर्ट हमारे विपक्ष में नहीं है, इसे लीजिए स्वीकार कीजिए या वापस कीजिए। लेकिन कृपया भगवान के लिए और समिति न नियुक्त कीजिए। हम समिति नहीं चाहते हैं। कर्मचारियों का यही कहना है चाहे वे तकनीशियन हों या वे जूनियर इन्जीनियर हों। अगर भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर, जो एक स्वायत है, जहां प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नये पाठ्यक्रम के लिए मंत्री और नौकरशाह

जाते हैं······(व्यवधान)

हैदराबाद में भी एक संस्थान है, बंगलौर का भी नाम है। अगर वे मंत्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए काफी अच्छे हैं तो मेरे विचार से उनका प्रतिवेदन मूल्यवान होना चाहिये और सरकार को उसे मान्यता देनी चाहिए। सरकार को उस पर विश्वास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विशेष मामले में इसके बावजूद कि एक समिति के बाद दूसरी समिति स्थापित की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा है। आज सच यह है कि न तो जूनियर इंजीनियर और न ही तकनीशियन किसी अन्य समिति के स्थापित किये जाने के नाम पर अपना आंदोलन वापिस ले सकते हैं क्योंकि वे अपने सदस्यों को ही सन्तुष्ट नहीं कर पायेंगे उल्टे निश्चित रूप से अधिकतर जनता उन पर हंसेगी और मैं समझने में असमर्थ हूं कि जब एक स्वीकृत तथ्य है कि त्रुटियां दुगनी हो गई है सरकार यह महसूस क्यों नहीं करती कि उनको इस पर निर्णय लेना आवश्यक है। नौकरशाही हावी है। ऐसा क्यों है? उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं युनियन से चुपचाप हड़ताल वापस लेने का अनुरोध करूं तो···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट लेना चाहूंगा। यह महत्वपूर्ण है पूरे देश में टेलिफोन और दूरसंचार व्यवस्था धीरे-धीरे बिल्कुल खराब हो रही है। यह केवल ध्यानाकर्षण का मामला नहीं हैं। यह एक गम्भीर मामला है जहां मांग पर विचार किया है। केवल स्वीकृत किया है—वे कहते हैं कि उनकी सहानुभूति है। लेकिन वे इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और एक समिति के बाद दूसरी समिति की नियुक्ति कर रहे हैं। एक बहाने के बाद दूसरा बहाना दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आन्दोलनकारियों से आन्दोलन वापिस लेने तथा सामान्य वातावरण बनाने की साथ-साथ यह लगभग एक अपील है—यह घोषणा की गई है कि 'इसमा' के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। वास्तव में उहोंने 4 नवम्बर को 'इसमा' को लागू किया है।

श्री थम्पन थामस : 'मीसा'

श्री पी० आर० कुमारमंगलम् : यह मीसा नहीं है, यह केवल इसमा है। यदि उनकी मांगे और आन्दोलन ठीक है तो ऐसा क्यों? जब यह स्वीकार किया जाता है कि यह विषय तक टाला जाता रहा है जब कर्मचारी आन्दोलन करते हैं तो उनका मुंह बन्द करने या गला घोंटने के लिए 'इसमा' जैसे कठोर कानून का प्रयोग किया जाता है क्या सरकार की यही भूमिका है। हमें न्याय चाहिए हर बार कर्मचारियों द्वारा यही आवाज उठाई जाती है, हम अन्याय नहीं चाहते, क्या उनको इसका दिखाया जाना है? इस देश में क्या हो रहा है। क्या हम पर जनता के प्रतिनिधियों ने या नौकरशाही ने शासन करना है यही विषय है। उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि हम सब नौकरशाहों को पत्र लिखते हैं। एक सांसद की हैसियत से मैं जानता हूं कि एक सामान्य और बहुत विनम्र शब्दों में उत्तर आता है 'अस्वीकृत' नौकरशाहों द्वारा कितने मामलों का निपटरा होता है उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वे किसी को जवाबदेह नहीं है। लेकिन फिर भी वे सोचते हैं कि वे इस देश पर शासन करते हैं। अकसर, मजाक में कहता हूँ कि सांसद अस्थायी कर्मचारी और मंत्री

आकस्मिक कर्मचारी और वे अपने आपको इस राष्ट्र का स्थायी कर्मचारी समझते है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि देश में नौकरशाही हावी है और वास्तविक न्याय नहीं मिल रहा है।

अन्त में, मैं यह कहकर समाप्त करूंगा कि श्रमिक वर्ग को डराया नहीं जा सकता। हम अन्याय नहीं होने देगें हम तर्कसंगत होगे। हम बातचीत व समझौता करते के लिए इच्छुक है। यदि जे० ई० ट० ए० यूनियन कहती है कि मन्त्री और सचिव कार्यकारिणी को सम्बोधित करें तो ऐसा वे इसलिए कहते है कि वे मन्त्री और सचिवों से मिलना चाहते हैं क्योंकि वे यह आभास नहीं देना चाहते कि मंत्रियों से या सचिवों से मिलने की बात में रुकावट डाली जा रही है या कि हम राजनीति का प्रयोग कर रहे है। हमारा उद्देश्य समस्या को आपस में मिलाकर शांति से सुलझाना है यदि सरकार आगे बढ़ती है तो हम समझौता करने के लिए बहुत इच्छुक है। लेकिन, फिर भी यदि सरकार इस प्रभाव में रहती है कि 'इसमा' की धमकी या 'इसमा' का इस्तेमाल करके कर्मचारियों की इस कार्यवाही को दबायेंगे तो मैं बिना किसी अपव द और राजनीतिक रंग के यह कहूंगा कि कर्मच‚री वर्ग विद्रोहकरेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि यदि इसमा का प्रयोग किया जाता है तो इस देश में कोई काम नहीं होगा यदि कठोरता से दबाया गया तो हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इसके विरुद्ध नहीं है। मैं संचार मंत्री वित्त मन्त्री अपने प्रिय नेता प्रधानमन्त्री को प्रार्थना करता हूँ कि वे नौकरशाहों के बहकावे को छोड़कर वास्तविकता को देखें। आगे बढ़े और इस मामले को निपटाए।

हम श्रमिक वर्ग हैं जो शुरू से अन्त तक आपके साथ हैं। लेकिन कृपया आप स्वयं नौकरशाहों के हाथों में कठपुतली न बने, जिनके दिलों में गरीबों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, किसी भी संस्था के कर्मचारियों के प्रति, कोई स्थान नहीं है। वे केवल एक वर्ग से सम्बन्धित हैं और वे उसी का हित चाहते हैं।

डा० चिन्तामोहन (तिरुपति) : महोदय आरम्भ में ही मेरी दूरसंचार के हड़ताली जूनियर इन्जीनियरों के साथ सहानुभूति है और इसके साथ-साथ मैं सरकार के रवैया का भी विरोध करता हूं हर बार वे अनिवार्य सेवाओं का सहारा लेकर उनको दबाते हैं। अब इस तरह का रूख भारत सरकार को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। जब कर्मचारी लम्बी अवधि से हड़ताल पर है तो सरकार के दोषी होने की संभावना है जब भारत सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर है तो इसका मतलब सरकार का दोष है।

सरकारी सेवाएं मुख्य रूप में उत्पादकता, कार्यक्षमता तथा सरकारी कर्मचारियों के जीवन-यापन के स्तर पर निर्भर है। जब हम स्वतन्त्रता से पहले के दिनों के मूल्यों की आज के मूल्यों से तुलना करते हैं तो महंगाई छः गुना बढ़ गई है। यह सब सरकार की गलत योजनाओं के कारण है।

12.45 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

35 वर्ष से अधिक कांग्रेस शासन के बावजूद, देश और कांग्रेस-आई की कोई स्पष्ट धारणा या विचारधारा नहीं है। उन्होंने छः पंच वर्षीय योजनाएं पूरी की हैं और हम सातवीं पंचवर्षीय

योजना में आ गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने लगभग दो वर्ष पूरे किए हैं और आपने 7वीं पंच वर्षीय योजना का परिव्यय लगभग 1,87,CC0 करोड़ रुपए का लगाया है। इसमें से आप मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं। आप सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 42 हजार करोड़ रुपये की योजना बना रहे हैं किंतु सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति आजकल अस्तव्यस्त है। सार्वजनिक क्षेत्र के सम्बन्ध में कहते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की 'सेल' जैसी अधिकांश इकाइयों को प्रतिदिन एक करोड़ रुपये की हानि हो रही है। इस स्थिति में हम मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं कर सकते सरकार की कोई स्पष्ट धारणा नहीं है और हमें हानि हो रही है। खर्च 22,220 करोड़ रुपये है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हमारे बजट में 35,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। **(व्यवधान)** मथाई आयोग की नियुक्त के साथ 1974 में हमने कर ढांचे में संशोधन किया है। व्यापार में लगभग 9,000 करोड़ रुपये का घाटा है। ऐसा होते हुए भी मैं कहता हूं कि सातवीं योजना एक भारी असफलता है। मैं कहता हूँ कि वर्तमान वित्तमन्त्री की नीतियां खतरे में है।

इन सारी बातों के बावजूद मैं हड़ताल के लिए संचार मंत्री को दोष नहीं देता हूं। मैं वित्त मंत्री को दोष देता हूं जो मूल्य वृद्धि की वर्तमान स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं और साथ ही दूर संचार कर्मचारी की आज हड़ताल पर हैं। आज लगभग 2 लाख लोग, और कल कुछ अधिक लोग आएंगे और मजदूरी में वृद्धि करने की मांग करेंगे। वास्तव में उन्हें 225.700 रुपये का मूल वेतन मिल रहा है। किंतु उनकी मांगे सच्ची हैं। रेडियो तकनीशन और प्रयोगशाला तकनीशन को उससे अधिक मिल रहा है जो उन्हें इस समय मिल रहा है। मान लीजिए लोक सभा सदस्य को एक हजार रुपये मिल रहे हैं और राज्य सभा सदस्य को डेढ़ हजार मिल रहा है। स्वाभाविक है कि मुझे स्वाभाविक है कि मुझे चिन्ता होगी। मैं मांग करूंगा और उत्तेजित होकर किसी प्रकार की हड़ताल करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री कुमारमंगलम कह रहे थे कि छ: वर्षों से किसी भी संचार मंत्री ने इन समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया। वह कह रहे हैं कि वह समस्याओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही वह कहते हैं कि वह इसका अध्ययन कर रहे हैं इससे सामान्य जनता को लाभ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस प्रकार की चालबाजी से अलग रहना चाहिए। केवल वेतन तथा वेतनमान बढ़ाने से किसी विशेष सरकारी कर्मचारी का जीवन स्तर नहीं बढ़ जाएगा। यदि वेतन राशि मुख्यत: मदिरा और लाटरी पर खर्च की जाए तो इससे जीवन स्तर नहीं बढ़ेगा। आज एक व्यक्ति को एक हजार रुपए मिल रहे हैं। यदि आप लगभग 1,500 रुपये तक वेतन बढ़ायेंगे तो रहन सहन का स्तर तनिक नहीं बदलेगा। मान लीजिए, आज एक कर्मकार बीड़ी पीता है, तो कल वह अवश्य सिगरेट पीने लगेगा। केवल उसके सिगरेट पीने से आप नहीं कह सकते हैं कि उसकी जीवन स्तर बढ़ गया है। इसके लिए हमें एक उदाहरण पेश करना चाहिए। मालिकों को एक उदाहरण पेश करना चाहिए। केवल ऐसा करने से ही नौकर भी इसका पालन करेंगे। दुर्भाग्य से, मन्त्रालयों के स्वामी, जो वहां बैठे हैं, पांच-तारा संस्कृति में रहते हैं। जब वे पांच तारा संस्कृति में रहते हैं तो आप कैसे इस बात की आशा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी संतुष्ट हैं क्योंकि उनका ध्यान मूल्य वृद्धि की ओर होता है। **(व्यवधान)**

सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपने 1730 करोड़ रुपये दिए हैं······ **(व्यवधान)**

सातवीं पंचवर्षीय योजना परिव्यय में, संचार मन्त्रालय के सम्बन्ध में आपने इस संचार विभाग की व्यवस्था में संतुलित विकास के सम्बन्ध में कहा और आपने और प्रौद्योगिकी के शीघ्र आधुनिकीकरण और उत्पादकता की मात्रा के बारे में आश्वासन दिया है। मैं समझता हूं कि इन सभी चारों बातों को सहराना करने का कोई कारण नहीं है। इसके साथ, मैं सरकार के दृष्टिकोण की निन्दा करता हूं और कर्मकारों की हड़ताल का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, वास्तव में देश में दूर संचार मन्त्रालय के दूर-संचार विभाग लगभग 22 हजार कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा नियमानुसार काम करने संबंधी आन्दोलन से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हुई है। मंत्री द्वारा यहां दिए गए वक्तव्य को पढ़कर जो हमें थोड़ी पूर्व दिया गया, मैं यह आशा कर रहा था कि आज मध्याह्न पश्चात इस गम्भीर समस्या का समाधान होगा और स्वाभाविक है कि इससे सब चैन की सांस लेंगे। किन्तु अपने माननीय मित्र श्री कुमारमंगलम की बात सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूं, क्योंकि वक्तव्य पृष्ठ 3 पर अंतिम पैरा से पूर्व पैरा में इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है :

> "सभी संगठनों के प्रतिनिधियों में विभाग की स्थिति को समझते हुए यह दलील दी कि वे आंदोलन को समाप्त करने की स्थिति में नहीं है और इस मामले को सुलझाने में अधिक विलम्ब को ध्यान में रखते हुए सामान्य कर्मचारी हड़ताल समाप्त करने की बात नहीं करेंगे। उन्होंने सचिव द्वारा दूर संचार तथा संचार मंत्री के साथ उनकी कार्यकारी समिति की बैठक की मांग की जिसमें उनका सर्कल सचिव भी होगा। यह स्वीकार किया गया। बैठक आज मध्याह्न पश्चात होने वाली है।"

आपने श्री कुमारमंगलम की सुन ली जो इस मामले में पूरी तरह से दिलचस्पी ले रहे हैं, कि स्थिति ऐसी नहीं है। अत: स्थिति और भ्रमपूर्ण बन गई है।

महोदय, श्री अर्जुन सिंह ने हाल ही में इस मंत्रालय का भार संभाला है। वह मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हैं। श्री सन्तोष मोहन देव उनकी राज्य मंत्री के रूप में सहायता कर रहे हैं। वे बिलकुल नए हैं चलते ही इस मंत्रालय में आ गए। वास्तव में मेरा विचार है कि इस आंदोलन ने ही उनको इस मंत्रालय में बुलाया है। हमें मंत्री की योग्यता पर विश्वास है। श्री अर्जुन सिंह संकट समाप्त करने वाले माने जाते हैं। अत: जो भी परेशानी की स्थिति होगी, मुझे पूरी आशा है कि इसका समाधान होगा और इस समस्या का शीघ्र ही समाधान होगा।

एक बात मैं समझ नहीं पाया। आप जानते हैं यह आज की ही समस्या नहीं है। यह अनेक वर्षों से चली आ रही एक पुरानी समस्या है। वर्ष 1983 में, वित्त मंत्री की सलाह पर यह मामला चौथे वेतन आयोग को भेजा गया था। इन मांगों को उस समय से अब तक संचार मंत्रालय के प्रभारी चार मंत्रियों का नैतिक समर्थन प्राप्त हुआ है और इन सब चीजों के बावजूद यह मांग जिसको न्यायसंगम समझा गया है, जिसको मन्त्रालय के सभी मंत्रियों का नैतिक समर्थन मिला है, अभी तक यह मांग पूरी नहीं की गई है ? अब······के बीच एक संघर्ष चल रहा है।

सभापति महोदय : में इसमें क्या कर सकता हूं नियम के अनुसार केवल पांच मिनट किए जा रहे हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं केवल मुद्दे बता रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि संचार मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय के बीच एक प्रकार का टकराव चल रहा है। में जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्रालय अथवा वेतन आयोग ने इस ग्रेड और इसके बराबर वाले ग्रेड के कर्मचारियों के अन्य वर्गों को प्रत्यक्ष रूप में ऐसी रियायतें दे दी। उन्होंने अब यह मामला कार्य मूल्यांकन की दलील पर विभाग पर ही छोड़ दिया है जब कार्य मूल्यांकन एक जानी मानी संस्था इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट बंगलौर तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके अध्ययन के लिए बार-बार समितियां क्यों नियुक्त की जा रही हैं। स्वभावतया इससे उन लोगों का रोष और भी बढ़ जाएगा और वे नाराज हो जाते जो लोग अपनी सच्ची मांगों के लिए बहुत समय से लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वभावत: अधिक वेतनभावों की मांग की है जो अन्य विभागों में उनके साथी ले रहे हैं। वेतन आयोग ने भी यह स्वीकार किया है कि यह काम अधिक तकनीकी किस्म का है।

मैं अब एक विषय के सम्बन्ध में बात करता हूं। कार्य मूल्यांकन पहले ही इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट द्वारा बंगलौर में हुआ था। फिर एक और समिति नियुक्त की गई थी। खोसला समिति के विचारार्थ विषय क्या थे ? उन्होंने त्यागपत्र क्यों दे दिया ? सिविल कर्मचारी का यह किस प्रकार का रवैया है ? जब उन्हें कोई विशेष काम सौंपा गया है उन्होंने उस जिम्मेवारी से मुंह फेरा है। फिर एक समिति नियुक्त की गई है। यह नाटक कब तक चलेगा ? स्वभावत: जनता को हानि हो रही है आज दिल्ली तथा अन्य भागों के बीच कोई भी टेलीफोन लाइन कार्यरत नहीं है। समाचार पत्रों की दशा भी ठीक नहीं है क्योंकि दूर-संचार लाइनों निष्क्रिय हो गई हैं। हाल ही में "सार्क" सम्मेलन बंगलौर में हो रहा है। यदि यह हड़ताल शीघ्र समाप्त नहीं हुई तो क्या होगा ? हालात बहुत ही बिगड़ जायेंगे।

जब मंत्री समझते हैं कि मांगें सही और उचित हैं तो अफसर शाही बीच में कैसे आ रही है ? लोकतन्त्र में राजनीतिक नेता हालात तथा नियमों और विनियमों के स्वामी माने जाते हैं; वे नियमों और विनियमों में बंधे नहीं रहना चाहिए। यदि कोई नियम आड़े आता है, तो इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और इस कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री कुमारमंगलम ने जो कुछ कहा है, उसमें काफी बल है। मांगें उचित हैं। कार्य मूल्यांकन तो भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा पहले ही किया गया है। विभाग ने भी सिफारिश की है। अत: उनकी मांगें स्वीकार करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए और इस प्रकार इस समस्या का एक सुखद तथा सम्मानपूर्ण समाधान होना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में चिन्ता उत्पन्न कर रही है।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, में इस मामले पर कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं। मैं इस मामले को तीन दृष्टिकोणों से प्रस्तुत करना चाहूंगा; एक उपभोक्ता के रूप में दूसरे मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता के रूप में और तीसरे संसद सदस्य के रूप में आज स्थिति

ऐसी है कि देश में दूर-संचार व्यवस्था इस हड़ताल के कारण पूरी तरह से ठप्प हो गयी हैं। वास्तव में मंत्रालय इस मामले पर पिछले पन्द्रह दिन से चुप है।

जो समाचार आज मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से प्राप्त हुआ है वह यह है। मेरे चुनाव क्षेत्र तिरुवल्ला में एक अस्पताल हैं जहां शव रखे जा रहे हैं और वह खाड़ी के देशों से मृतकों के संबंधियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सामान्यत: शव शीतागार में रखे जाते हैं, किंतु चूंकि शवगृह में शव रखने की कोई जगह नहीं है इसलिए में शव नाहट रखे जाते हैं और इसलिए सारे क्षेत्र में दुर्गन्ध आती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मृतकों के जो संबंधी खाड़ी देशों में हैं उन्हें संदेश नहीं मिलते हैं, और इसलिए वे शवसंस्कार के समय उपस्थित नहीं हो सकते हैं। इस हड़ताल के कारण मेरे चुनाव क्षेत्र में यह स्थिति है। यह मलयालय के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मुझे यही समाचार प्राप्त हुआ है।

एक और बात है। अहमदाबाद में नगर के महापौर ने टेलीफोन पर माल्यार्पण किया और इसे दफना दिया।

देश में यह स्थिति है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार किस प्रकार मामले को निपटाएगी। यह सरकार इस सदन में यह दिखा रही है कि यह एक ऐसी सरकार है जो काम कर रही है, किंतु मैं कहता हूं कि यह एक ऐसी सरकार है जो समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देती हैं और यह अच्छी तरह से सिद्ध हो गया है, क्योंकि आपका इन दिनों इस मामले को मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों के साथ का कोई विचार नहीं है। मजदूरों द्वारा उठाई गई मांगें सही हैं। निश्चित रूप से इस मामले को देश के सभी श्रमजीवी वर्गों का समर्थन प्राप्त हैं क्योंकि यह उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित है और उनमें भी जो लोग एक ही कार्यकर रहे हैं भेदभाव है।

1.00 म० प०

वे समान वेतन चाहते हैं जोकि एक और स्वाभाविक मुद्दा हैं। आप इसे हल करने के लिए व उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं इसी कारण स्थिति यहां तक पहुंच गई है।

एक उपभोक्ता की हैसियत से मैं कहता हूं कि 14 अक्टूबर के बाद कोई किराया या टेलिफोन शुल्क नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इन श्रमिकों ने हड़ताल आरम्भ कर दी थी। अन्यथा हम शुल्क न देने के लिए एक सविनय आन्दोलन आरम्भ कर देंगे।

सभापति महोदय : माननीय संसदस्य अब दोपहर के भोजन बाद भाषण जारी रखेंगे। अब सभा दोपहर के भोजन लिए स्थगित की जाती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

---

2 06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.06 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

दूर संचार विभाग के जूनियर इंजीनियरों द्वारा आन्दोलन [जारी]

[अनुवाद]

श्री डी० एन० रेड्डी (कड़प्पा) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैंने आज ही आपका नियन्त्रण पत्र प्राप्त किया है आपके विवाह के अवसर पर आपको तहे दिल से बधाई और मंगल कामनाएं।

अनेक माननीय सदस्य : हम सभी की ओर से बधाई।

श्री डी० एन० रेड्डी : में सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई व्यक्ति भावी तिथि में आज शादी कर सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मैं अपने सभी मित्रों से मद्रास आने का अनुरोध करता हूँ। यह मेरा अनुरोध है। श्री थम्पन थामस।

श्री थम्पन थामस : उपाध्यक्ष महोदय, यदि यही स्थिति जारी रहती है तो मैं 14 अक्टूबर से आगे के समय के लिए ग्राहकों के अदायगी के दायित्व का उल्लेख कर रहा था। मैं समझता हूं कि भारत वर्ष में कोई भी ग्राहक 14 अक्टूबर के बाद के समय के शुल्क की अदायगी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि कोई प्रतिकर नहीं है। वे हमारे लिए कोई सेवा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और बिना कोई सेवा प्रदान किए वे हमसे पैसा नहीं ले सकते। एक उपभोक्ता की हैसियत से मैं समझता हूं कि भारत में टेलिफोन के उपभोक्ताओं को यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि वे विभाग को धन राशि की अदायगी करेंगे। मैं समझता हूं कि यह गांधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के उपदेशों के अनुसार है। उसके अनुसार जहां लोगों के साथ अन्याय किया जाता है वहां उन्हें अदायगी नहीं करनी चाहिए।

फिर एक श्रमिक संग्रहकर्त्ता की हैसियत से मैं उन मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि इस आन्दोलन से उभरा है और जो यह दर्शाता है कि चतुर्थ वेतन आयोग ने श्रमिकों की समस्याओं का कहा तक समाधान किया है और उसके कारण कैसे असंगतियां पैदा हुई हैं। भारत में श्रमिक संगठन समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग कर रहे हैं उन्होंने वही बात जूनियर इन्जीनियरों पर लागू क्यों नहीं की जोकि तकनीकी कार्य करते हैं ? वे भी तकनीकी कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनका ध्यान नहीं रखा गया। उन्हें वह वेतन नहीं दिया जा रहा है जोकि संभवत किसी सार्वजनिक क्षेत्र

के उपक्रम में एक सफाई कर्मचारी को मिल रहा है। उनकी यह स्थिति है। सफाई कर्मचारी न ऐसे ही अन्य सुविधाओं के रूप सें अधिक धनराशि मिल रही हैं। यदि स्थिति इस प्रकार है तो यह वांछनीय और स्वाभाविक बात है कि वेतन आदि के संबंध में श्रमिकों की मांगों पर विचार किया जाना चाहिए व उनको निपटाया जाना चाहिए। यह एक बहुत समय के लम्बित पड़ा मसला है। यह वह मसला जिस पर आप उनके साथ बातचीत कर सकते थे और अन्तत: उनके साथ निपटा सकते थे। परन्तु आपने वैसा नहीं किया है।

श्रमिकों द्वारा उठाए गए मुद्दे स्वाभाविक हैं और उन्हें हमारा समर्थन चाहिए और नैतिक रूप से समर्थन देना चाहिए।

परन्तु उपभोक्ताओं को कठिनाई में डालने की कार्यवाही करने का जो रास्ता उन्होंने अपनाया है वह परेशानी में डालने वाला है। उसके स्थान पर उन्हें अन्य श्रमिक संगठनों से विचार विमर्श करके पूर्ण रूप से हड़ताल करनी चाहिए थी और सरकार उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती। खैर में इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। परन्तु इस मुद्दे को अतिशीघ्र निपटा देना चाहिए।

मुझे यह भी मालूम हुआ है कि संचार-प्रणाली के लिए आप जो प्रौद्योगिकी अपना रहे हैं, वह पूर्णतया विफल है।

आप उन संचार प्रणाली के बारे में बता रहे थे जो आप विदेशों से आयात कर रहे थे विभिन्न प्रकार प्रौद्योगिकी जिनको आप विदेशों से आयात कर रहे हैं। अब तक पूर्णत: या विफल सिद्ध हुई है। 'क्रास.बार प्रणाली' अथवा 'सी० एल० टी०' जो भी हो, कुछ नए तकनीकी व्यक्तियों के कारण जो उनकी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण राष्ट्र में गतिरोध उत्पन्न हो गया है।

यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जिस प्रौद्योगिकी का आप विदेशों से आयात कर रहे हैं वह घटिया है जिन्हें अन्य देशों द्वारा अस्वीकृत किया गया हैं जिसमें फ्रेंच प्रणाली भी शामिल है। जब आप ऊंची कीमत पर इसका आयात कर रहे थे तभी भी सम्बन्धित इंजीनियरों द्वारा इसकी आलोचना की गई थी और एक बड़े समाचार के रूप में यह बात समाचार-पत्रों में भी आ चुकी है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि भारत सरकार व दूर संचार मंत्रालय को उन स्वदेशी तरकों का पता लगाना चाहिए जो हमारे देश के लिए उचित हैं। उस प्रणाली का विकास किया जाना चाहिए जो हमारे देश के अनुकूल है परन्तु अब तक इस दिशा में कोई कोशिश नहीं की गई है।

दूरसंचार विभाग में रोजगार की शर्तें भी चिन्ताजनक हैं। आप अब भी 'आर० टी० पी० (रिजर्व ट्रेनिंग पूल) का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत कम मजदूरी पर आप आर० टी० पी० के रूप में लोगों को लगा रहे हैं और उनकी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। बहुत से रिक्त स्थान हैं जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है। बहुत बार इस सदन में जो उत्तर दिया गया वह यह है कि कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं और इस कारण विभाग लोगों को नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है और वित्त

[श्री थम्पन थामस]

मंत्रालय ने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसके कारण विभाग में विद्यमान रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा रहा है। परिणामस्वरूप मजदूर, आर० टी० पी० और अन्य ऐसी ही श्रेणियों का शोषण हो रहा है। आपको उपयुक्त व्यक्तियों को नियुक्त करके और उचित प्रौद्योगिकी का विकास करके इस प्रकार के शोषण को रोकना चाहिए और उपभोक्ताओं को इन कठिनाइयों से बचाना चाहिए।

आज यह बात मेरे ध्यान में लाई गई है कि आप प्रत्येक टैलेक्स मशीन के लिए प्रैस में 10,000 रुपया ले रहे हैं। यदि वे अपने दिल्ली स्थित कार्यालयों में 'टेलीप्रिंटर्स' लगाना चाहते हैं तो आप बिना ब्याज के उनसे 10,000 रुपया ले रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आप इस प्रकार इस राशि को क्यों ले रहे हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि आप प्रेस को टेलीप्रिंटर्स द्वारा समाचार देने में रुकावट डाल रहे हैं। इससे तो केवल उपभोक्ताओं को परेशानी होती है।

यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि आज उस प्रकार की यह स्थिति हैं जो अपने आपको एक 'कार्यशील' सरकार सिद्ध करना चाहती है: मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि श्रमिक संघों के साथ बातचीत करके इस मामले को निपटाया जाना चाहिए। और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि मंत्री महोदय ने आज दोपहर बाद जो वक्तव्य दिया है उसमें यह बताया गया है कि आप श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय व विभाग से इस मामले पर रचनात्मक रवैया अपनाने और देश की जनता के हित के लिए इसे निपटाने का अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं समझता कि इस आन्दोलन जिन उद्देश्य के लिए हुआ है उसका औचित्य सिद्ध हो चुका है। इस आन्दोलन के माध्यम से वे जिस बात को सिद्ध करन चाहते थे वह पर्याप्त रूप से सिद्ध हो चुकी है। काफी हद स्वाभाविक है कि देश की जनता, जो इस आंदोलन के कारणों को जानने की इच्छुक हैं, को भी पता लग गया हैं और आज भारतीय संसद लोकसभा में भी इस विषय कर चर्चा हो रही है।

अब इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए कोई साहसिक कदम उठाया सरकार का कार्य है। मैं आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी वे पक्ष में नहीं हूं। बहुत समय ही श्रमिक संघों के आंदोलन ने इस आवश्यक सेवा अधिनियम की अवधारणा का पूरी शक्ति से विरोध किया है। जिन लोगों से आवश्यक सेवा अधिनियम का पक्ष लिया था उन्होंने यह सोचा था कि आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की धमकी से शायद हड़ताल होने से बच जायेगी परन्तु इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। यदि मजदूर ईमानदारी से यह अनुभव करते है कि उनकी कुछ उचित मांगें हैं तो उन्हें ऐसी धमकियों से डराया नहीं जा सकता। मैं केवल एक मुख्य बात कहना चाहता हूं कि जिस सन्दर्भ में ये सभी बातें हो रही हैं उसे एक व्यापक संदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। ये सभी बातें उसी नई प्रौद्योगिकी के आगमन से सम्बन्धित है जिनकी प्रधानमंत्री विशेष रूप से, इतनी दृढ़ता से पक्ष ले रहे है कि देश में अपनी सभी सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करके स्थापित किया जाना चाहिए। अब केवल दूर संचार में

ही यह सब नहीं हो रहा है। मैं जानता हूँ परन्तु मैं अन्य क्षेत्रों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव है। दो बातें सामने आती है। एक बात तो परम्परागत नौकरशाहों प्रौद्योगिकी विदों के हितों के बीच संघर्ष की है। यह बात यहां भी सच है, क्योंकि आप प्रौद्योगिकी को उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्तियों के बिना नहीं चला सकते, जिन्हें इस नए उपकरण को चलाने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकीय प्रशिक्षण दिया गया हैं। महोदय, इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में काम करने वाले व्यक्ति इस 'को-एक्सीलंकेवल उपकरण व अन्य नए उपकरणों को सम्भाल रहे हैं जो अब आ रहे हैं व भविष्य में आयेंगे। हमारे यहां बहुत समय से कम से कम ब्रिटिश काल से जिस सामान्य प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है वह यह है कि प्रत्येक बात को केवल वारिष्ठता के आधार पर देखा जाना चाहिए। केवल वरिष्ठा ही एक ऐसा अच्छा माध्यम है जिसमें से होकर प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुरूप यही होगा या आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकताओं की पूर्ति इससे नहीं होगी। समस्या यह है। इसलिए स्वाभाविक रूप ये जो व्यक्ति तकनीकी दृष्टि से दक्ष हैं, जो इन जटिल उपकरणों को संभाल रहे हैं वे अवश्य ही यह अनुभव करते हैं कि उन्हें जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अपेक्षाकृत बड़ी आयु के लोगों की ओर से कुछ विरोध हो सकता है, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि केवल मैट्रिक पास व इतनी ही योग्यता वाले व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दे दी गई है और जो इन लोगों से वरिष्ठ हैं, जो अधिकांश पिछले पांच या छः वर्षों में भर्ती किये गये हैं। इस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी रूप से दक्ष लोग कनिष्ठ है। इस प्रकार यह संघर्ष न केवल यही पर बढ़ेगा अपितु मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में भी हमारी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी यह संघर्ष बढ़ेगा। जब तक इस मामले को उचित ढंग से हल नहीं किया जाएगा, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मामले पर बहुत से झगड़े व आंदोलन भी हो सकते हैं। प्रांसगिक रूप से दक्ष व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा और यदि उपकरणों को उचित प्रकार से चलाया नहीं जाएगा तो उपकरण भी हो सकते हैं। इन कीमती उपकरणों को चलाने वाले योग्य व्यक्ति ही होने चाहिए। हमारे देश में अब तक ऐसे व्यक्तियों की कमी हैं। अब हमें उनकी तकनीकी योग्यता व प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना है। इन इन्जीनियरों की मांगें प्रत्येक व्यक्ति और सरकार द्वारा सहानुभूति पूर्वक समझी गई है। मेरा विश्वास है कि आपके अपने वक्तव्य के अनुसार कुछ वर्षों पहले एक सरीन समिति गठित की गई थी। उस सरीन समिति ने भी यह मान लिया था कि इन लोगों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारी व संवर्ग के साथ उजित व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें उचित पारिश्रमिक व प्रगति के अवसर मिलने चाहिए।

यह बात अनुभव की गई है कि वेतन आयोग कार्य मूल्यांकन के प्रश्न की जांच नहीं कर सका, इस बात को उन्हीं पर छोड़ दीजिए परन्तु इसने कहा है कि उनके लिए अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिए। मैं यह कहूंगा कि आप आज दोपहर बाद कुछ बातचीत करने जा रहे हैं मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। श्री कुमारमंगलम ने कहा हैं। वह उससे निपटने में दक्ष है। कुछ प्रश्न उठेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि इन संशोधित वेतनमानों को स्वीकार कर किया जाता है तो आप इन्हें कब से लागू करने के लिए तैयार हैं। वेतन आयोग ने सिफारिश 1 अप्रैल, 1986 से लागू करने की बात कही है। अब स्थिति यह है कि सरकार ने इसे 1 जनवरी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कर दिया है, परन्तु जहां तक इस लोगों का सम्बन्ध है मैं यह अनुरोध करूंगा कि उनके मामले में योग्यता, प्रशिक्षण व उनके सेवा काल के आधार पर क्या उन्हें कुछ और पहले से लागू करने पर विचार किया जा सकता है ।

अब महोदय, प्रश्न यह है कि आप यह कह रहे हैं कि हम इस कार्य मूल्यांकन के काम को एक दिन में समाप्त नहीं कर सकते । इसके लिए समय की आवश्यकता है । किसी उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की है । मैं नहीं जानता हूं और जानना चाहता हूं कि इस तथाकथित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य कौन है । मैं मानता हूं कि वे मुख्यत: नौकरशाह हैं, मंत्रालय के अधिकारी आदि । वे निश्चित रूप से इस कार्य को नहीं कर सकते । उन्हें सम्भवत: कुछ तथाकथित परामर्शदाता या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना पड़ेगा, यह मैं नहीं जानता कि किन लोगों को आप हमें इस बारे कोई सूचना देते हैं तो हम इस बारे में अधिक विवेक पूर्ण होंगे ।

इस क्षेत्र में परामर्शदाता प्राय: निजी क्षेत्र के लोगों में ले लिए जाते हैं और मैं इस बात को भली प्रकार नहीं जानता कि किस प्रकार से वे इन दूरसंचार इन्जीनियरों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे । इस प्रकार की बातों का सामान्य समय व गति के अनुसार अध्ययन नहीं किया जा सकता । स्वाभाविक रूप से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं हो सकती कि यह कार्य किस प्रकार व कितने समय में किया जायेगा, यह कब समाप्त होगा और यदि समाप्त हो गया तो क्या इसे स्वीकार किया जायेगा और क्या यह लागू करने योग्य होगा । इन सभी बातों के बारे में कुछ भी निश्चय नहीं है । कठिनाई यह है कि इतने लम्बे आंदोलन में लगे लोग समझौता चाहते हैं जिसके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है ।

मैं नहीं जानता कि क्या यह संभव है मैं कहते हुए झिझकता हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि श्री कुमारमंगलम की प्रतिक्रिया क्या होगी । जल्दी समझौता के लिए मैं नहीं जानता कि क्या यह सरकार के लिए संभव है कि इन लोगों के नए न्यूनतम व अधिकतम वेतनमानों को स्वीकार कर लिया जाए और फिर इस कार्य मूल्यांकन को स्थगित रखकर जिसे एक निश्चित समयवधि में अवश्य ही किया जाना चाहिए, वेतनमान में प्रत्येक व्यक्ति का वेतन वास्तविक रूप से निर्धारित किया जा सकता है । कार्य मूल्यांकन के अनुसार उसमें किसी सीमा तक कुछ भिन्नता होगी । परन्तु वे जिस न्यूनतम व अधिकतम वेतनमानों की मांग कर रहे हैं उसको अब निर्धारित करके उसकी घोषणा की जानी चाहिए । क्यों नहीं ?

श्री थामस की बात ठीक थी । मुझे ज्ञात हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में संभवत: एक चपरासी अथवा एक सफाई कर्मचारी की कुल परिलब्धियों इन जूनियर इन्जीनियरों की कुल परिलब्धियों से कम नहीं होंगी । यह एक बेतुकी बात है जो दुर्भाग्यवश हमारे इस देश में परम्परा से प्राप्त हुई है । एक इन्जीनियर को एक सफाई कर्मचारी अथवा एक चपरासी से कम वेतन मिल सकता है वेतन आयोग के समक्ष उनकी मांग सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वेतन के समान करने की थी । इस बात को वेतन आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है । अब आपकी एक विचित्र स्थिति है जिसमें लोग साथ-साथ एक ही जगह काम कर रहे हैं । एक 'खलासी', रेलवे

लोकोयार्ड में काम कर रहा है, दूसरा खलासी एक इस्पात संयंत्र के माशलिगयाई में काम कर रहा है। दूसरा खलाती एक इस्पात संयंत्र का कर्मचारी है।

मैं श्री अर्जुन सिंह को यह बता सकता हूं कि कुछ वर्ष पहले भिलाई इस्पात संयंत्र के मार्शलिंगयार्ड में ऐसा हुआ है इस्पात संयंत्र में कर्मचारी खलासी है और मालडिब्बों का शंटिंग आदि करने के लिए रेलवे के खलासी हैं जोकि उनके साथ-साथ कार्य कर रहे थे। बाद के कर्मचारी रेलवे कर्मचारी हैं और दोनों की परिलब्धियों के बीच का अन्तर 300 रु० या 400 रु० के बीच प्रतिमाह है, क्योंकि एक व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र का कर्मचारी है इसलिए वह वही कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति से बहुत अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है लेकिन वह रेलवे विभाग का कर्मचारी है। ये असंगतियां पहले से चलती आयीं हैं। मैं कहूंगा कि इस मामले में भी ऐसे इन्जीनियरों जो इन सभी नए उपकरणों और उच्च प्रौद्योगिकी से कार्य करते हैं, साथ नए सिरे से कुछ किया जाना चाहिए। एक नए ढंग से उनकी स्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। यदि ये व्यक्ति कल के भारत का निर्माण करने वाले हैं तो उसके साथ उसी पुराने ढंग को नहीं अपनाया जा सकता जोकि हम पहले अपनाते आए हैं।

इस प्रकार ये मेरे सुझाव है, एक भूत लक्षी प्रभावों के बारे में है कि उनके बारे में कुछ आगे विचार किया जाना चाहिए। दूसरे, मेरा सुझाव है कि इस कार्य-मूल्यांकन को स्थगित करके मैं समझता हूँ कि उसके बिना-सरकार किसी बात पर सहमत नहीं होगी किस प्रकार का कार्य मूल्यांकन मैं नहीं जानता वे नए वेतनमान की मांग कर रहे हैं अर्थात् एक संशोधित वेतनमान हूं। न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान के साथ उसकी वेतनमान की घोषणा की जा सकती है। उस वेतनमान में इन्जीनियरों की नियुक्ति को तदर्थ समझौता हो सकता है। जब कार्य-मूल्यांकन का काम पूरा हो जाता है तो इसे अन्तिम रूप दिया जा सकता है। में नहीं जानता कि क्या वे इस बात पर सहमत हैं अथवा नहीं।

अन्त में मैं यह कहूंगा, मैं भी एक प्रकार से श्रमिक संघ का कार्यकर्त्ता हूं, निश्चित रूप से अपने मित्र से थोड़ा अधिक पुराना कार्यकर्त्ता। मुझे दुख है कि ये लोग आंदोलन शुरू करने से पहले व बाद में, हमारे समर्थन के लिए हम में से किसी के पास कभी नहीं पहुंचे।

वह भी दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संघ से सम्बन्ध रखते हैं। वे हमारे पास कभी नहीं आए, अपनी मांगों के साथ न्याय करने के लिए हमसे कभी नही कहा और हमें समर्थन देने के लिए भी कभी नहीं कहा। कम से कम मैं यह कह सकता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से सामने आ जाता।

श्री थम्पन थामस : मैं भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु उन्होंने वैसा नहीं किया। ठीक है, वह उनका अधिकार हैं। वे ऐसा कर सकते हैं और नहीं भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते जैसा भी वे करना चाहते हैं। मैं उन्हें कोई कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। परन्तु मैं एक बात कहूँगा कि उन्हें एक बात पर विचार करना चाहिए। मैंने यह कहते हुए अपना भाषण आरम्भ किया था कि उनके आन्दोलन

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

से उनके उद्देश्य का औचित्य सिद्ध हो गया है। वे भली भांति संगठित हैं, एक हैं और उन्होंने अपने कार्यों से यह दिखा दिया है कि वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की एक सजीव कड़ी को प्रभावशाली ढंग ठप्प कर सकते हैं। वे ऐसा कर चुके हैं। अब मैं समझता हूं कि उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या अन्तिम समझौते को स्थगित करके अन्तरिम कदम उठाया जा सकता है जिससे कम से कम इस प्रकार कार्य ठप्प करने की जांच की जा सके।

सौभाग्यवश या दुर्भाग्य वश आजकल श्रमिक संघ भी अपने अनुभवों से यह सीख रहे हैं कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्हें जनता का समर्थन व सहानुभूति चाहिए। उसके बिना, जनता को विरोधी बनाकर, श्रमिक वर्ग के लिए अपनी मांगों को मनवाना अत्यन्त कठिन है। अब किसी व्यक्ति ने कहा है कि अगर मजदूर संघ लोगों का साथ देना छोड़ देंगे तो लोग भी मजदूर संघों में विश्वास करना छोड़ देंगे। दुर्भाग्य से, इस देश में मजदूर संघ आन्दोलन को बदनाम करने वाले लोग मजदूर संघों को यह कहकर बदनाम करते जा रहे हैं "आपका सम्बन्ध केवल अपनी आर्थिक मांगों से है; आपको कितना और अधिक धन मिल सकता है; आप किसी और बात की चिन्ता नहीं करते हैं।" लेकिन जब कुछ मजदूर संघ अन्य बातों की तरफ ध्यान देने लगते हैं तो हमें कहा जाता है, "आप उन बातों की चिन्ता क्यों कर रहे हैं? आपका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है; आप अपनी चिन्ता रोजी रोटी तक सीमित रखिये।" फिर भी, हम वहीं करेंगे जो हमें ठीक लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं उन्होंने एक संघर्ष किया है जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति और अपनी एकता को सिद्ध कर दिया है और इस बातचीत में उन्हे इस भावना से जाना चाहिए और कोई सम्मानजनक समझौता करने का प्रयास करना चाहिए। किसी हड़ताल अथवा संघर्ष में क्या हमारी शत प्रतिशत जीत होती है। सर्वप्रथम, सरकार को उन्हें धमकाना नहीं चाहिए। यह मुख्य बात है। अगर आप उन्हें डरायेंगे और इस हड़ताल को बाहरी कर्मियों की सहायता से तोड़ने के प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक ही, श्री कुमारमंगलम इसे चाहे या न चाहें हमें भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार की बात आज उनके लोगों के साथ हो रही हैं कल यह किसी और के साथहोगी। अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे इस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर नकरें तथा ऐसा कोई सूत्र तैयार करें का जिससे कोई समझौता हो सकेऔर इस संघर्ष और विवाद को समाप्त किया जा सके जिससे जनता को इतना कष्ट हो रहा है।

पिछले पांच दिनों सेमें कलकत्ता में अपने परिवार को टेलीफोन करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि वहां पर कोई बीमार है। मुझे न तो 'ट्रंक बुकिंग' मिल सकी, न ही 'एस० टी० डी', 'नोडिले डिमांड' और न ही 'लाइटनिंग काल' मिल सकी; कुछ भी नहीं हर चीज अस्तव्यस्त है। अत:, अन्य लोग भी परेशानी उठा रहे हैं। व्यवसायिक समुदाय क्यों चुप है, मुझे नहीं मालूम; इसमें कुछ संदेह है। मुझे आशा थी कि बड़े व्यापारी इसके बारे में अधिक शोर मचायेंगे, इससे स्पष्ट है कि उनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत वह अपना कार्य चला रहे हैं; हम ऐसा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वर्ष समाप्त हो रहा है और पैसा एकजित करने के लिए व्यापारियों से मांग बहुत अधिक हो सकती हैं । अत: उनके लिए चुप्पी सांधना बेहतर हैं अन्यथा ऐसा करना संभव नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उनके पास सब जगह अन्य सेवायें भी उपलब्ध हैं । मुझे बस यही कहना है और मैं माननीय मंत्री से सुनना चाहूंगा कि इस विषय से निपटनें के लिए वह क्या सोच रहे हैं ।

संचार मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन बातों के कारण ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हो रही है मैं उनके बारे में भली प्रकार से अवगत हूं और इस बारे में मैं सभा के वरिस्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त के साथ केवल अपनी सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं तथा देश के उन लाखों लोगों के साथ सहानुभूति व्यक्त कर सकता हूं जो विभाग की सेवाओं को लेते हैं । मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक सरकार की किसी गतिविधि में अथवा जनोपयोगी सेवा में मुख्य रूप से लोगों का हित ध्यान में रखना होता है । अत:, जब श्री इन्द्रजीत गुप्त कहते हैं, यद्यपि सभा के दोनों पक्षों द्वारा बहुत कुछ कहा गया हैं, हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमें कहां सीमा रेखा खींचनी चाहिए ताकि इस देश के नागरिकों को उतनी असुविधा न हो कि वे असहनीय हो जायें ।

मुझे विश्वास है कि न केवल मैं बल्कि मेरे विचार में इस सभा के सभी वर्ग इस प्रस्ताव से सहमत होंगे ।

जैसाकि श्री कुमारमंगलम ने कहा है, यह एक छ: वर्ष पुराना मामला हैं । उन्हें इसका बहुत अधिक अनुभव है, जो वह कहते हैं मुझे मंजूर हैं । उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है कि कब क्या हुआ है और किसी समय मामलों पर फैसला क्यों नहीं हो पाया । इस बारे में भी मैं उनके कथन को उचित कहूंगा यद्यपि इसके विपरीत कुछ जानकारी हो सकती है । मैं सभा से दो या तीन मूल बातों पर विचार करने के लिए कहूंगा जिनके बारे में मैं समझता हूं आप भी मुझसे सहमत होंगे और उन पर कोई विवाद नहीं है । एक है, इस समस्या पर कितनी समितियों बैठ चुकी हैं तथा सिफारिशें दे चुकी हैं । आपने कई नाम बताये हैं और मैं समझता हूं कि एक दो नाम हैं जब मामले को लिया गया था और मैं फिर गुप्त से सहमत हूं कि समस्या वेतनमान की नहीं है लेकिन यह उसका ही परिणाम है । इस समय हमारे सामने समस्या का मूल कारण है तथा रहेगा है कि हमें उच्च प्रौद्योगिकी कार्यकरण के साथ तालमेल बैठाना है । न केवल उन कर्मचारियों के लिए जो इन मशीनों को चलायेंगे बल्कि हमारे लिए भी, जो उन्हें प्रयोग करेंगे, और यह तालमेल, मेरे विचार से एक कारण है जिसकी वजह से यह खिंचाव आया है । मैं हमेशा इस बात का समर्थक रहा हूं कि नये तकनीशनों को जो हमारी मशीनों तथा प्रणालियों को चलायेंगे, न केवल सम्मान मिलना चाहिए बल्कि बनको मिलने वाला वेतन तकनीकी व्यक्ति के स्तर के अनुरूप मिलना चाहिए और मुझे विश्वास हैं कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य की पीछे यही भावना है, जब उन्होंने इस देश के विकास में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए आह्वान किया था, जिससे विकास की गति और तेज होती जाये ।

[श्री अर्जुन सिंह]

साथ ही मैं और इस सभा का कोई भी सदस्य इस बात से बेखबर नहीं है कि कतिपय प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से हम इस समय कार्य कर रहे हैं तथा आने वाले कुछ समय तक हमें उसी प्रणाली में कार्य करना है। अत:, हम कितने ही उतावले हो जायें, हम कितने ही नाराज हो जाए, मैं आपकी एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर वक्तव्य से यह धारणा बनी हैं, कि श्री कुमारमंगलम मेरे पास या किसी अन्य के पास आए थे और हम उन्हें संतुष्ट नहीं कर सके, तो मैं यही कह सकता हूं, कि वह मेरे पास आए थे और मैंने यह प्रयास किया था लेकिन वह जितने गुस्से से आए थे उससे भी अधिक गुस्से के साथ लौट गए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह एक श्रमिक संघ के नेता हैं।

श्री अर्जुन सिंह : यह ठीक है। लेकिन मेरे विचार से उन्होंने इस पर एतराज किया है, लेकिन मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसी मंशा कभी नहीं थी। लेकिन तथ्य यही है कि उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था जो मेरे विचार से ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं।

इस मामले में बात यह है कि वेतन आयोग के नियुक्त होने से पहले इस मामले को लिया गया था और यद्यपि मैं यह कहना नहीं चाहूंगा, यह एक स्पष्ट वक्तव्य है लेकिन मेरे पास जो जानकारी हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन आयोग को हवाला दिया गया था जिसकी जानकारी श्रम संघ के लोगों तथा सेवाओं को थी। फिर भी वेतन आयोग ने संपूर्ण केन्द्रीय सरकार की सेवाओं पर ध्यान दिया है और इसका प्रतिवेदन आ चुका है।

सभी वेतन आयोगों के प्रतिवेदनों से सदैव कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। यह पहली दफा नहीं हुआ है। आप किसी भी वेतन आयोग के प्रतिवेदन को देखें, तो वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के बाद समस्याएं खड़ी होती रही हैं क्योंकि यह सापेक्षता का प्रश्न है, यह कई अन्य समानताओं का प्रश्न है और यह सब बातें होती हैं और स्स्वभावतः कुछ लोग महसूस करते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं किया गया है और वे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आने के तुरन्त बाद संघर्ष शुरू कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह समझकर चलता है कि एक बार वेतन आयोग का प्रतिवेदन आ जाता है तो कम से कम अगला वेतन आयोग नियुक्त होने तक कोई सुनवाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस मामले में भी कनिष्ठ अभियन्ताओं ने महसूस किया कि जो वेतन आयोग ने जो उनके लिए कहा, वह उनके प्रति उचित नहीं है। वेतन आयोग ने भी जहां तक इन लोगों का संबंध है अपनी सिफारिशें अन्तिम रूप से नहीं की है। उनका मामला विशेष रूप से विचार करने योग्य बताते हुए तथा अपनी इसमें असमर्थता व्यक्त करते हुए, वेतन आयोग ने कार्य मूल्यांकन के किसी आधार का सुझाव दिया है। अब, जैसा कि रिकार्डों से पता चलता है, मेरे विचार से वेतन आयोग की इस टिप्पणी का असर यह हुआ था कि प्रथम खोसला आयोग नियुक्त किया गया था। मैं यह भी नहीं कह सकता कि आप इससे ससमंत हैं अथवा नहीं, लेकिन कम से कम मौन स्वीकृति अवश्य थी, अगर सहमति नहीं। अगर मौन स्वीकृति थी तथा श्रीमती खोसला के त्यागपत्र देने की दुर्भाग्य-

पूर्ण घटना न हुई होती तो, मेरे विचार से, यह समस्या उत्पन्न न हुई होती क्योंकि यथासमय पर उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया होता और उस प्रतिवेदन पर, अच्छे या बुरे के लिए जो भी होता, विचार किया जाता तथा कार्यवाही की जाती। उन्होंने क्यों त्यागपत्र दिया और उसके पीछे क्या कारण थे मैं उनमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा वास्ता उससे नहीं है। उनके त्यागपत्र से यह संदेह उत्पन्न हुआ था कि शायद सरकार इस मामले के साथ खिलवाड़ करना चाहती है तथा इस मामले पर निर्णय नहीं लेना चाहती है। जैसी बात चल रही है, ऐसी स्थिति में, कतिपय परिस्थितियों में शायद ऐसा संदेह करना न्यायोचित हैं, कतिपय परिस्थितियों में यह बिल्कुल ही उचित नहीं होगा। परन्तु मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूं। मैं कहूंगा कि अगर कार्य मूल्यांकन के लिए समिति बनाने की बात को सिद्धांत रूप से स्वीकार किया अथवा मौन स्वीकृति प्रदान की थी तो वेतन आयोग द्वारा यह टिप्पणी करने के बाद, मेरे विचार से, समिति नियुक्त करने के सिद्धांत पर ऐसी स्थिति में एतराज नहीं करना चाहिए था। हमेशा ध्यान में रखने वाली बात यह होती हैं कि निर्णय को टालने के लिए समिति को बहाना नहीं बनाना चाहिए। मैं इस बात से इन्कार नहीं करूंगा कि कतिपय परिस्थतियों में समिति की नियुक्ति स्थिति को टालने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और उस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति सहमत भी होता है कि ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि कतिपय स्थितियों में यह आवश्यक होता है कि वर्तमान स्थिति को ठीक किया जाये और उसके बाद उस पर दुबारा से विचार किया जाए। मेरे विचार से मैं इस बात को पूर्णतया रद्द करना चाहूंगा कि श्री अग्रवाल की अध्यक्षता में जो दूरसंचार सचिव थे, नियुक्ति की गयी कार्य मूल्यांकन समिति एक ऐसी समिति नहीं थी जिसे केवल मामले को टालने अथवा लटकाने के लिए गठित किया गया हो। मैं समिति से निवेदन करूंगा मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा — कि वह अपनी सिफारिशें अपना कार्य शुरू करने के एक माह के अन्दर दे दें और 10 दिसम्बर, 1986 तक निश्चित रूप से दे दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समिति के सदस्य कौन हैं ? क्या वे सभी अधिकारीगण हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : सदस्य ये हैं :

श्री एस० एम० अग्रवाल — चेयरमैन

श्री वी० देवराजन — सदस्य वित्त तथा अतिरिक्त सचिव,

दूरसंचार विभाग — सदस्य

श्री बी० सी० वर्मा, संयुक्त सचिव वित्त मन्त्रालय

श्रीमती खोसला, संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग

श्री एन० के० माथुर — डी० डी० जी० (आई०) दूर संचार विभाग

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : क्या दिसम्बर के अन्त तक प्रतिवेदन आ जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने पहले ही आश्वासन दिया है कि यह 10 दिसम्बर से पहले आ जाएगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमती खोसला को, जिन्होंने एक समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, इस नयी समिति में एक सदस्य के रूप में फिर से कैसे ले लिया गया है ? उस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : हमें दूसरी बार प्रयास करना चाहिए । मूल्यांकन का प्रश्न और यह कैसा किया जाए यह मुद्दा भी उठाया गया था । भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर द्वारा पहले से ही किये गए मूल्यांकन का जिक्र किया गया था । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह समिति आई० आई०एम० द्वारा पहले से किए गए मूल्यांकन पर भी विचार करेगी और उस मूल्यांकन में जो भी सिफारिशें हैं, वे उन पर भी विचार करेंगे और यह देखने का भी प्रयास करेंगे कि उनकी सिफारिशों के लिए उसको कहां तक उपयोग में लाया जा सकता है । उसको छोड़कर और भी परामर्शदाता होंगे, मेरा मतलब जाने-पहचाने परामर्शदाता । मैं समिति के लिए निर्णय नहीं ले सकता, इसलिए मैं इसमें जाना नही चाहता किन्तु इस सम्बन्ध में मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं ।

जो दूसरा मामला माननीय श्री गुप्त द्वारा उठाया गया था वह यह था कि वेतनमानों से सम्बन्धित ये सिफारिशें किस तारीख से प्रभावित होंगी । इस मामले में माननीय वित्त मन्त्री से मेरी बातचीत हुई थी और सदन को यह सूचना देते हुए मुझे प्रसन्नता है कि माननीय वित्त मन्त्री सहमत हो गये हैं । कि इनको 1-1-1986 पूर्णमासी तारीख से लागू किया जायेगा ।

अब मैं एक बात कहना चाहता हूं । अपने अधिकार जताने का प्रश्न, विशेषकर मज़दूर संघ आंदोलन में स्पष्ट है और यह वह एक अधिकार जिसे कभी चुनौती नहीं दी जा सकती और कभी दी भी नहीं जानी चाहिए । भारतीय मजदूर आंदोलन का एक बहुत उल्लेखनीय इतिहास है और इस देश के विकास के लिए, इस देश के मजदूर आंदोलन और श्रम शक्ति ने एक विशेष भूमिका अदा की है और यह भूमिका अदा करते रहेंगे । यह हमारा पक्का विश्वास है । इसके साथ-साथ यहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए । जैसाकि माननीय श्री गुप्त ने कहा है, अब इसके कार्यान्वयन के लिए एक रास्ता ढूंढना है । यह सब कुछ छोड़ दिया गया है । इस समय मैं मजदूर संघ आंदोलन के नेताओं और विशेषकर इन कनिष्ठ अभियन्ताओं के संघों को अनुरोध करता हूं कि अब उनका सम्बन्ध निश्चित तौर पर उनके उचित अधिकार से और उसका हम आदर करते हैं और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि जहां तक संभव हो सके उनके हितों को पूरा किया जाये तथा उनकी रक्षा की जाये । इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि वे इस बात पर विचार करें कि जिस क्षेत्र में वे कार्यरत है, वह ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसका सम्बन्ध देश के किसी एक भाग से हो, लोगों के एक वर्ग से हो और कुछ ऐसे हितों से हो जिनकी, अगर यहां पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है तो कुछ समय के लिए अवहेलना की जा सकती हो ।

सदन इस बात से सहमत होगा कि दूर संचार के माध्यम एक देश की ताकत नसें और नाड़ियां हैं और मैं नहीं सोचता कि इसको किसी भी तरह उचित ठहराया जा सकता है कि उनको अपनी किसी ऐसी बात को मनवाने के लिए या हित की पूर्ति हेतु ठप्प किया जाए, जो अपने आप में न्यायोचित ठहराया जा सके । अब वह स्थिति आ गई है जिसके और आगे बढ़ने से देश की वह

ताकत, नसें व धमनियां निश्चित तौर पर ठप्प हो जायेंगी और सदन इस बात से सहमत होगा कि ऐसी स्थिति को होने से रोका जाये और मुझे पक्का विश्वास है कि जिस भावना से मैं अनुरोध कर रहा हूं उसी तरह इसे सुना जाएगा और अनुकूल कार्यवाही की जाएगी। किन्तु सरकार की बहुत अधिक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि दूर संचार के माध्यम, जैसाकि मैंने कहा है व्यवहारिक रूप से हमारी सुरक्षा और प्रत्येक राष्ट्रीय पहलू को प्रभावित करते हैं। इस मामले में हम स्थिति को डांवाडोल होने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर राष्ट्रीय हित ऐसी मांग करते हैं तो हमारे पास ई० एस० एम० ए० लागू करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं होगा। और मैं ई० एस० एम० ए० को एक समाधान नहीं समझता। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ कि इस देश के मजदूर आंदोलन को इसका सामना करना पड़े। किन्तु इसके साथ-साथ मैं अपने कर्तव्य के असफल रहूंगा अगर मैं सदन को इस बात का स्मरण नहीं कराता कि कुछ हालातों में जब राष्ट्रीय हित में इसकी आवश्यकता होगी तो उस समय इसे लागू करने के सिवाय और कोई भी चारा नहीं होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी और जिस तरह इस मामले को सभी माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में उठाया गया है उससे उन लोगों को समझौता करने में सहायता मिलेगी जो अपने उद्देश्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

अब यह एक महीने का ही प्रश्न है। मैं नहीं सोचता कि अगर एक महीने के पश्चात वे यह महसूस करते हैं कि जो वे चाहते हैं कुछ हद तक वह उन्हें मिल गया है, तो इससे कुछ अनर्थ हो जाएगा। जब तक हम ऐसे अवसरों के लिए तैयार नहीं होते तो मैं नहीं सोचता कि हम इस देश के या मजदूर आन्दोलन के हितों को पूरा कर रहे हैं। मुझे बस यही कहना है।

— — — —

2.46 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 10 नवम्बर, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा।

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) दिल्ली अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा विधेयक, 1986 पर विचार तथा पारित करना

(3) निम्नलिखित पर चर्चा और मतदान :

(क) 1986-87 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (रेल)

(ख) 1986-87 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)

(4) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :

(क) परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक, 1986

(ख) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986

(ग) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में बालक श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) विधेयक, 1986

(5) श्री लंका में तमिल जातीय संबंधी समस्या के बारे में नियम 193 की अधीन चर्चा।

[हिन्दी]

श्री कम्मोदीलाल जाटव (मुरैना) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की लोकसभा कार्यवाही में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने की कृपा करें :

मान्यत: मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भारतवर्ष में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा प्रदेश हैं, किन्तु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यन्त पिछड़ा हुआ है, क्योंकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 40 वर्ष की अवधि के उपरान्त भी इसका सुनियोजित, प्रगति तथा विकास नहीं हो सका। अन्य प्रदेशों की तुलना में मध्यप्रदेश में जो विकास कार्य सम्पादित किये गये हैं, वे नगण्य हैं।

मध्यप्रदेश की प्राकृतिक, भौगोलिक तथा वन सम्पदा के दोहन की स्थितियों को दृष्टिगत करते हुए इसके समग्र तथा अविलम्ब विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएं बनाया जाना तथा उनका क्रियान्वयन किया जाना परमावश्यक है। अत: शासन से निवेदन है कि योजना आयोग को आदेशित किया जाए कि इस क्षेत्र का घनीभूत सर्वेक्षण करवाकर इसके विकास के लिए तुरन्त विभिन्न योजनाएं बनवाएं ताकि यह प्रदेश भी अन्य विकसित प्रदेशों के समकक्ष पहुंच सकें।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाये :

अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी स्थापना के बाद कई वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। उनमें से कुछ अब भी सरकार के विचाराधीन हैं। किन्तु सदन से उन पर कभी भी चर्चा नहीं हुई।

हाल ही में भूतपूर्व प्रधानमन्त्री द्वारा जारी किये गए तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री द्वारा दोहराये गये 15 सूत्री निर्देशों के प्रकाश में राष्ट्रीय एकता समिति ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा की।

डा० गोपाल सिंह के अधीन उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है और मंडल आयोग की रिपोर्ट में भी अल्पसंख्यकों में पिछड़े वर्गों के पक्ष में कई सिफारिशें हैं।

इसलिए आने वाले सप्ताह में अल्पसंख्यकों के कल्याण पर मैं सदन में एक चर्चा कराने का प्रस्ताव करता हूं।

पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति व जन जाति और अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय संघ ने दिल्ली में 1 से 9 अक्तूबर 1986 तक सप्ताह भर का सत्याग्रह किया। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग की सिफारिशों को तुरन्त लागू करवाने हेतु जोर देने के लिए देश के सभी भागों से एक लाख स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :

चीन के साथ सीमा विवाद के बारे में पिछले सात दौर की बातचीत के दौरान उस देश द्वारा अपनाई गई ढुलमुल नीति के प्रकाश में तिब्बत के मामले में सरकार की नीति की समीक्षा/पुनरीक्षा।

[हिन्दी)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, दरअसल प्रशासनिक ढांचे की खरीद सरकारी सेवायें होती हैं। ढांचे की मजबूती और दृढ़ता इन सेवाओं के स्वास्थ्य पर ही निर्भर हैं। सरकारी सेवायें ही समाज की महत्वकांक्षाओं और न्यायसंगत आवश्यकताओं को पूरा करने का माध्यम बन सकती है और बनी हुई है। परन्तु जाहिर है कि नौकरशाही की मौजूदा शक्ल काफी धूमिल है। प्रशासन तन्त्र सुस्त, ढीला और गैर जिम्मेदार होता जा रहा है और इस कारण राज्य सरकार को संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देने में असमर्थ तो नहीं, परन्तु कठिनता अनुभव कर रहा है। इसलिए किस प्रकार इस प्रशासन को चुस्त और भ्रष्टाचार से मुक्त किया जाए और इसके लिए यदि कानूनों में आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करना हो तो किया जाये।

इस विषय पर अगले सप्ताह के कार्यक्रम में चर्चा उठाने के लिए अवसर दिया जाये ताकि समूचे तन्त्र के बारे में कोई संगठित और व्यापक परिकल्पना सामने आये।

[अनुवाद]

डा० चिन्तामोहन (तिरुपति) : मैं अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषय को शामिल किये जाने का अनुरोध करता हूं। आन्ध्र प्रदेश, आसाम और देश के अन्य भागों में मस्तिष्क ज्वर फैला हुआ है जहां इस ज्वर ने लगभग 350 व्यक्तियों की जानें ली हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों चितरुनेलोर से हाल ही में इस बीमारी की सूचना मिली है। आंध्रप्रदेश में लगभग 561 मामलों की सूचना मिली है जिसमें से 171 बच्चों की जानें चली गई हैं। रक्त नमूनों में विषैले कण गये हैं। आंध्रप्रदेश की राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता के लिए 10 लाख मस्तिष्क ज्वर के टीके आयात करने के लिए कहा है। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं इस विषय को अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

श्री शान्ताराम नायक (प्रणजी) : मैं अगले सप्ताह भी कार्य सूची में निम्न विषय को शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

बहुत सी सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया है। भारत सरकार ने बार-बार निर्णय लिया है कि हम कोई आणविक बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस के साथ-2 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बलपूर्वक और ठीक ही कहा है कि हमारे पास और विकल्प भी इसलिए यह उचित समय है कि हम विकल्प का उपयोग करें। मैं सदन को अगामी सप्ताह की कार्यवाही में अणुबम बनाने चाहिए या नहीं, इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा के लिए सुझाव देता हूं।

दूरदर्शन के आगमन के बावजूद सिनेमा हाल के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन अधिक शक्तिशाली प्रचार माध्यम है। इस माध्यम की पूर्णतया उपेक्षा की गई है और सरकार की भूमिका मनोरंजन कर की वसूली और सेंसरशिप तक सीमित हो गई है। जहां तक फिल्म उद्योग का सम्बंध है, मैं महसूस करता हूं कि सरकार को और अधिक भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए सदन को इस मामले की पूर्णतया चर्चा कर एक नीति बनानी चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : मैं अगले सप्ताह के लिए सदन की कार्यसूची में निम्न विषय को शामिल किए जाने का अनुरोध करता हूं।

दक्षिण उड़ीसा के तटीय क्षेत्र साथ-साथ डी०ए०ई० के परमाणु खनिज विभाग (आटोमिक मिनरल डिवीजन) द्वारा भूतकाल में भू-वैज्ञानिक की जांच के दौरान उड़ीसा में छतरपुर के पास बड़े पेमाने पर रेत के भंडार जिनमें इलमेनाइट, रूटाइल जरकोन, मोनजाइट गारनेट और सिलिमेनाइट खनिज प्राप्त हुए हैं। इस पट्टी में लगभग 2300 लाख टन कच्ची रेत की आशा की जाती है जिसमें 20-25 प्रतिशत भारी खनिज मिले हुए हैं जिनकी लगभग 100 वर्षों तक चलने की आशा है। इन प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए इंडियम रेयर अर्थ लि० छतरपुर के दक्षिण में मटिखालों गांव के नजदीक 50 करोड़ की लागत से एक एकीकृत औद्योगिक काम्पलेक्स का जो उड़ीसा सेंडस काम्पलेक्स के नाम से है, निर्माण कर रही है। इस काम्पलेक्स ने अपने सभी संयत्रों सहित निर्धारित कार्यक्रम 1982 में पूरा कर के उत्पादन करना था। लेकिन यह बहुत दुःख की बात है कि आज तक वास्तव में इसके दो संयत्र चालू नहीं हो पाये है। यह एक गम्भीर त्रुटि है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त नियमित रूप से धन की उपलब्ध के बावजूद इस संयंत्र को पूरा करने में बहुत अधिक देरी होने की छानबीन की जानी चाहिए और इसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जानी चाहिए निर्माण के सम्बन्ध में भी गम्भीर आरोप हैं। इंडियम रेयर अर्थ लि० का यह काम्पलेक्स परमाणु ऊर्जा विभाग के सरकारी उपक्रम के अधीन है जो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसका भविष्य अच्छा है। परमाणु ऊर्जा की इस महत्वपूर्ण परियोजना को किसी भी ऊर्जा मंत्री ने अभी तक नहीं देखा। परमाणु ऊर्जा के वर्तमान प्रभार मंत्री कृपया इस काम्पलेक्स में जितनी जल्दी हो सके आये और इस क्षेत्र में इसकी प्रगति देखें। यह बात वहां ठीक प्रबन्ध करने में बहुत सहायक होगी।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : महोदय, मैं आगामी सप्ताह की कार्य सूची में

निम्न विषय को शामिल किए जाने का अनुरोध करता हूं। में नागपुर के लोगों की पीड़ा की ओर सरकार का ध्यान आर्कषित करना चाहूंगा। नागपुर की टेलीफोन व्यवस्था पूर्णतया अपर्याप्त है। मुख्य एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची बहुत बड़ी है स्थिति यह है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के मामलों जैसे गम्भीर हृदय रोगी को भी चिकित्सीय आधार पर टेलीफोन नहीं प्राप्त हो सकता। नागरिकों और संगठनों की काफी चीख पुकार के बाद तत्कालीन मंत्री श्री आर०एन० मिर्धा ने नागपुर के लिए प्रथम विद्युत चालित एक्सचेंज की घोषणा की थी। पिछले दो वर्षों से भवन नक्शे, अनुमानित राशि सभी कुछ तैयार और मंजूर पड़ा है और पुर्जों की इन्तजार की जा रही है लेकिन इस विद्युत-चालित एक्सचेंज के उपकरण कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज कल टेलीफोन विलासिता की वस्तु नहीं है बल्कि एक आवश्यकता है इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस संयत्र को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित करायें और उच्च अधिकारियों से कहें कि वे माल सप्लाई करने वालों की शीघ्रता करने के लिए कहें ताकि विद्युतचालित एक्सचेंज लगाये जा सकें और इस क्षेत्र के विकास की गतिविधियों को बढ़ाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की अनुमति से निवेदन करना चाहता हूं कि निम्नलिखित विषय को आगामी सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

(एक) मध्य प्रदेश में 16,700 पावरलूम हैं जिनमें 3,800 सहकारिता क्षेत्र में हैं। पावरलूम उद्योग राज्य के 20 जिलों में फैला हुआ है जिसमें अधिकांश पावरलूम बबलपुर बुरहानपुर, उज्जैन, सिवनी एवं ग्वालियर जिलों में स्थित हैं। अधिकांश पावरलूम आर्थिक दृष्टि से कमजोर, अल्पसंख्यक बुनकर जाति के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(दो) अत: पावरलूम उद्योग के संरक्षण हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता जारी रखी जाये। बुनकरों की आर्थिक स्थिति पर्याप्य कार्यशील पूंजी विपणन व्यवस्था एवं उनके पुराने पावरलूमों की अक्षमता के कारण गिरती जा रही है। यदि पावरलूम सेक्टर में प्रस्तावित अनुदान योजनाएं छोड़ दी जाती हैं तो कमजोर वर्गों के बुनकरों के हितों की सुरक्षा प्रदान करने के शासन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी।

(तीन) जबलपुर में ग्रे-वस्त्र उत्पादन हेतु प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं जबलपुर के पावरलूम बुनकरों की विशेष कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए उनके निराकरण हेतु रखी गयी हैं क्योंकि जबलपुर में प्रारम्भ से ही रंगीन साड़ी का उत्पादन पावरलूम एवं हथकरघा बुनकर करते जा रहे हैं। बड़े-बड़े पावरलूम पर रंगीन वस्त्र उत्पादन होने से हथकरघा के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस कारण भारत शासन ने इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया है। जबलपुर में इस प्रतिबन्ध का कार्यान्वियन सम्भव नहीं हो सका क्योंकि संबंधित हजारों बुनकरों को वैकल्पिक रोजगार देना

[श्री अजय मुशरान]

सम्भव नहीं था । ग्रे वस्त्र के उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं रंगीन वस्त्र उत्पादन को उत्पादन कर विमुक्त करने हेतु विशेष योजना वर्ष 1984-85 में कार्यान्वित की गयी है जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं । मिल के पावरलूम एवं असंगठित पावरलूमों को बराबर मान्य करने की टैक्सटाइल नीति में की गयी अनुशंसा के विपरीत सातवीं पंचवर्षीय योजनाकाल में पावरलूम बुनकरों को वित्तीय मदद जारी रखना हथकरघा बुनकरों के हितों में भी आवश्यक है ।

3.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैं सदन में निम्न विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जो 10-11-86 से शुरू हो रही है, शामिल किये जाने का अनुरोध करता हूं । हमारे देश के बच्चे, प्राकृतिक रूप से प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त करने से पहले ही पोलियों, क्षयरोग, चेचक, डिपथीरिया, कूकरखांसी और टेटनेस के शिकार हो जाते हैं । जिसे वे पूरे जीवन भर सहन करते हैं और दिमागी खतरा, लकवा, फेफड़ों की बीमारी, विकृत अंग, बहरापन, अन्धापन आदि कई घातक रोग होते हैं ।

इन पीड़ा सहने वालों में से पोलियों से प्रभावित बच्चों की दैनिक औसत संख्या 500 बच्चे हैं । इसी प्रकार 25 हजार बच्चे प्रत्येक वर्ष टेटनेस और नव प्रसव से मरते हैं बहुत से चेचक या कु-पोषण से मरते हैं प्रत्येक वर्ष ढाई लाख बच्चे टी०बी० से मरते हैं, 10 हजार बच्चे कूकरखांसी से मरते हैं । यद्यपि वर्ष 1978 में शिशु जनसंख्या प्रतिरक्षा का विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य 1990-91 तक कुल बच्चों व शिशुओं की 85% तक पूरा करना था । किन्तु उपलब्ध बहुत कम है ।

यह अत्याधिक महत्वपूर्ण विषय आगामी सप्ताह की कार्य सूची में शामिल करने की आवश्यकता है ।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए ।

बिहार राज्य के गया, पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों में विधि-व्यवस्था बहुत ही खराब हो गई है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस विषय पर राज्य सरकार को उचित आदेश दें कि भविष्य में गरीबों पर अन्याय नहीं हो सके और इस विषय पर सम्मानित सदन में भी चर्चा हो ।

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्यों ने जो टिप्पणियां वक्तव्य दिए हैं, उनके लिए मैं आभारी हूं । मैं सलाहकार समिति के सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा ।

3.02 म० प०

किशोर न्याय विधेयक

[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा डा० (श्रीमती) राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा 5 नवम्बर 1986 को प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपने विचार करेगी :

"कि उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देख-रेख, संरक्षण, आचार, विकास और पुनर्वास का तथा अपचारी किशोरों से संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन का और उनके आवाक्षा देश का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री के० आर० नटराजन बोलेंगे।

3.03 म०प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए]

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कणगम की ओर से मैं किशोर न्याय विधेयक, 1986 का समर्थन करता हूं जिसमें सारे देश में समान किशोर न्याय प्रणाली की व्यवस्था करने का व्यास किया गया है। इसमें किशोर अपराध के निवारण और उपचार के प्रति विशिष्ट रवैये की व्यवस्था की गई है।

इसमें विभिन्न वर्गों के बच्चों की देख-भाल, सुरक्षा, इलाज, विकास तथा पुनर्वास के लिए कार्य प्रणाली आधार मूत ढांचे की व्यवस्था है। इस बात का भी प्रस्ताव है कि उपेक्षित किशोरों के लिए संप्रेक्षण गृह, किशोर गृह, और अपचारी किशोरों के लिए विशेष गृह स्थापित किए जाएं।

विभिन्न एजन्सियों ने सर्वेक्षण किए और किशोर उपचार के कारणों का पता लगाया गया है। मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

1. अकिंचनता
2. आवारागर्दी
3. अकर्मण्यता
4. सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान
5. हठ
6. बुरी संगत
7. अस्वास्थ्यकर और अश्लील वातावरण में रहना

8. आर्थिक अस्थिरता
9. शिक्षा का अभाव
10. कामुकता से पूर्ण फिल्में और साहित्य
11. आवास सुविधाओं का अभाव
12. अपर्याप्त सुधारालय
13. बेरोजगारी
14. आय न होना
15. कोई काम न होना
16. अनैतिक तस्करों और प्रतिषेध अपराधियों आदि द्वारा किशोरों का शोषण
17. माता-पिता द्वारा उपेक्षा
18. जेलों अथवा सुधार गृहों से किशोरों के आने के पश्चात् पर्याप्त अनुगामी कार्यवाही न किया जाना।

विधेयक में दिए गए उद्देश्यों तथा कारणों को प्राप्त करने के लिए पहले ही बहुत से कानूनी उपाय किए गए हैं।

1, अवयस्क बच्चों और विकृत मानस लोगों के बच्चों के सम्पति अधिकार की सुरक्षा के लिए संरक्षक और प्रतिपालय अधिनियम, 1890।
2. हिन्दू अप्राप्तवयता और दत्तक अधिनियम 1956।
3. केन्द्रीय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम. 1963।

तमिलनाडु सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं और अधिनियम पारित किए गए हैं।

1. तमिलनाडु बोर्स्टल विद्यालय अधिनियम
2. तमिलनाडु बालक अधिनियम
3. तमिलनाडु अपराधी परिवीक्षा अधिनियम
4. तमिलनाडु किशोर अपराधी अधिनियम आदि
5. सुधार विद्यालय अधिनियम।

वर्तमान विधेयक इन सभी अधिनियमों को समेकित करता है और इनको पूरे भारत में लागू करता है।

इस विधेयक में उपेक्षित किशोरों के लिए आवास, रखरखाव और शिक्षा की व्यवस्था, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास और उसके चरित्र तथा गुणों के विकास की व्यवस्था की गई है और उसके व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए और उसको नैतिक खतरे अथवा पोषण से बचाने के

लिए आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस विधेयक में उपचारी किशोरों के लिए ऐसी ही सुविधाओं वाले विशेष गृहों की व्यवस्था है। पूछताछ के दौरान किशोरों को अस्थाई तौर पर रखने के लिए संप्रेक्षण गृहों की व्यवस्था की गई है। पपूचातवर्ती देखरेख संगठनों की भी व्यवस्था है। विशेषज्ञों का विचार है कि इन उपायों से केवल अपराधों में कमी होगी पर पूर्ण रूप से उपचार अन्त नहीं होगा। इलाज से परहेज बेहतर है। इस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। वस्तुत: इन वर्गों को जो अधिकार मिलने चाहिए उन अधिकारों का न देना जैसे : (1) आवास अधिकार न मिलना, (2) शिक्षा का अधिकार न मिलना, (3) काम का अधिकार न मिलना, (4) रोजगार अधिकार का न मिलना, (5) भोजन का अधिकार न मिलना, (6) वस्त्र का अधिकार न मिलना, (7) प्रतिक्षित जीवन का अधिकार न मिलना, (8) अनैतिक व्यक्तियों द्वारा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, और (9) धनाढ्य लोगों के यौन के शिकार बनने के विरुद्ध अधिकार आदि। हम उन्हें इस धरती के राजा —"इंडियार एल्लूरम इन नट्टू मन्नरगाले" कहते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में हमें भारत के संविधान के अध्याय चार में दिए गए तत्वों को कार्यान्वित करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को—विशेष कर अनुच्छेद 38, 39, 39 का, 41, 42, 43, 45, 46 और 47 को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि वर्तमान राजीव सरकार राज्य के इन नीति निदेशक तत्वों को निष्ठा पूर्वक कार्यान्वित करेगी और इस प्रकार की अकिंचनता और आवारागर्दी आदि को रोकेगी और समाज को एक प्रतिष्ठित जीवन देंगे।

श्री सोमनाथ रथ (आसका) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। जब यह विधेयक अधिनियम बन जाएगा तो यह राष्ट्रीय कानून बन जाएगा और यह इस देश की मानव सम्पदा से सम्बन्धित है। जहां तक किशोर अपचारियों का सम्बन्ध है। इस समय कानून-पुस्तक में कानूनों की कमी नहीं है। बालक अविनियम 1960, अपराधी निषेध अधिनियम, 1956 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 भी इस बात की परिकल्पना करता है कि इन किशोर अपराधियों पर मुकद्दमा चलाने के लिए एक विशेष न्यायालय होना चाहिए। किंतु इस विधेयक में उपेक्षित किशोरों को सम्मिलित करके एक नया आचार्य प्रदान किया गया है। अत: इस विधेयक का नाम किशोर न्याय अधिनियम उचित है। जब तक इस विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरी ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा इस देश में विरोध प्रकट होता रहेगा।

महोदय, विधेयक यह ठीक ही कहा गया है कि ये किशोर अपराधी अथवा ऐसे बच्चों को जो अपराधि मामलों में फंसे हुए हैं, पुलिस स्टेशनों अथवा जेलों में बन्द नहीं किया जाएगा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा की जांच से पता चला है कि किशोर अपराधियों जेलों में उग्र अपराधियों के साथ विचाराधीन कैदियों के रूप में वर्षों तक रखा जाता है। दोषी सिद्ध होने के पश्चात भी उनको उन्हीं कारावासों में रखा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज के समय से किशोर अपराधियों के लिए अलग से कारावास है। सेन्ट्रल जेल में भी अलग वार्ड हैं जहां बच्चों को रखा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि दंड निधारक नहीं होना चाहिए। यह सूचनात्मक होना चाहिए और बच्चों को पुन: इस प्रकार का अपराध करने का अवसर नहीं देना चाहिए। यदि वे जेलों में

[श्री सोमनाथ रथ]

उग्र अपराधियों के साथ रहेंगे और उनके सम्पर्क में आएंगे, तो वे अवश्य ही कठोर अपराधी बनें जो विधेयक में कहा गया है उन पर अन्य अपराधियों के साथ मुकद्दमा नहीं चलाया जाएगा जो किशोर नहीं हैं। किए गए अपराध पर विचार किए बिना जमानत बहुत जरूरी है। उनको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और उन्हें माता-पिता के साथ अथवा घरों में रखा जाएगा। किन्तु इसमें एक कमी है। विधेयक में ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है जिनके लिए मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास की सजा है। अत: यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए कि ऐसे अपचारी किशोरों का क्या होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत अथवा अन्य अपराध हैं जिसके लिए अधिकतम सजा मृत्यु अथवा आजीवन कारावास का दंड हो। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री स्थिति को स्पष्ट करेंगे। हम जानते है कि बच्चों का अपहरण किया जाता है और उन्हें भीख मांगने के लिए अंधा बनाया जाता है। इस विधेयक में ऐसे किशोरों का भी ध्यान रखा गया है। भीख मांगने पर रोक लगायी गयी है। यदि कोई व्यक्ति बच्चों को भीख मांगने के लिए प्रयोग करता है, तो उसको भी दंड दिया जाता है।

महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान विधेयक के कुछ खंडों की ओर दिलाऊंगा खंड 11 में लिखा है :

> "राज्य सरकार किसी किशोरों के बारे में इस अधिनियम के अधीन जांच लम्बित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए उतनी संख्या में संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेंगे और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों।"

जो खंड इस समय इस विधेयक में हैं, वे इसके पारित होने के पश्चात् धाराएं बन जाएंगी। यह राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, विधेयक को उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक राज्य सरकारें बड़े स्तर पर आगे नहीं आयेंगी।

विधेयक में उन लोगों की तरफ भी ध्यान दिया है जो नशीले पदार्थ अथवा मद्य पदार्थों को किशोरों को बेचते हैं। उन्हें भी दंड देने की व्यवस्था की जा रही है लेकिन जो सजा रखी गयी है वह केवल तीन वर्ष की है, जो बहुत ही कम है। इस अपराध के लिए और ही कम है। इस अपराध के लिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए ताकि जो बदमाश लोग किशोरों को अपने नशीले पदार्थ तथा शराब बेचने के धन्धे में प्रयोग करते हैं वे हत्तोसाहित हों और किशोरों को गलत रास्ते पर डालने की घटनाओं में कमी आएगी। माननीय मंत्री महोदय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

हमारे पास अभी भी गृह हैं। अमरीका से बूढ़े लोगों के लिए, जिन्हें उनके बच्चे नहीं रखते हैं, गृह है। चीन में भी उन्हें गृहों में रखा जाता है। अपने देश में विभिन्न राज्यों में बच्चों के लिए कुछ गृह हैं। खंड 9 (3) इस प्रकार हैं :

"हर किशोर-गृह, जिसे कोई उपेक्षित किशोर इस अधिनियम के अधीन भेजा जाए, किशोर

के लिए वास-सुविधा, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा, अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की व्यवस्था भी करेगा और उसे इस बात के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देगा कि वह नैतिक खतरों या शोषण से अपना संरक्षण करे, और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा जो विहित किए जाएं।"

इसे क्रियान्वित करना होगा। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसे क्रियान्वित कैसे किया जाता है केवल तभी इसे बनने वाले राष्ट्रीय कानून से लम्बे समय से इच्छित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा।

माननीय सदस्य हमें बता सकते हैं कि खंड 9, उपखंड (3) और (4) को कैसे क्रियान्वित किया जाये। अगर हम इसे लागू करने में असफल हो जाते हैं तो इस विधेयक को पारित करने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह केवल कानून की किताब में दर्ज होकर रह जायेगा। उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी और हमें सिर्फ इस बात से संतोष करना पड़ेगा कि हमने विधेयक पारित कर दिया है।

इस समय हमारी कई योजनायें गरीबी हटाओं कार्यक्रम तथा बाल विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत भी देश के कुछ प्रखंडों में चल रही हैं। इन सुविधाओं को इन बच्चों को भी उपलब्ध कराया जा सकता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों के लिए हमें देखना होगा कि उनका इलाज किया जाता है तथा उन्हें समाज द्वारा स्वीकार करके उन्हें रोजगार दिया जाता है।

प्रश्न यह है कि उन्हें रोजगार कैसे दिया जाये। उन्हें अन्य सुविधायें देना ही पर्याप्त नहीं है; इसके अलावा हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया तो, कुछ समय तक सुधार गृहों में रहने के पश्चात् जब वे बाहर निकलेंगे तो उन्हें निराशा हाथ लगेगी और वे पुनः अपराध करना शुरू कर देंगे। इन प्रशंसनीय उद्देश्यों का कोई फायदा नहीं है अगर इनको प्राप्त नहीं किया जाता है।

अतः, इस विधेयक को लाने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर सच्ची भावना से अमल किया जायेगा।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, इस विधेयक के विचारों को पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो बच्चे उपेक्षित हुए हैं और जो बच्चे अपराधी हैं उन्हें जेलों में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर आप विधेयक के पूरे मसौदे को पढ़ें तो आप देखेंगे कि सिद्धांत रूप से यह अच्छा है। इसी प्रकार से, बाल श्रम उन्मूलन विधेयक लाया जा रहा है, जो इससमय इस देश के लगभग 1,70,000 बच्चों पर लागू होगा। यह एक सामाजिक आर्थिक विषय का मामला है।

अगर हम इस पर सिर्फ सैद्धान्तिक रूप से चर्चा करके इसका खूब प्रचार करते हैं तो मेरे विचार से हम उनके साथ कोई न्याय नहीं करते। मुझे 1976 की एक रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा

[डा० दत्ता सामन्त]

गया है कि किशोर अधिनियम के मूलभूत कानूनों को देश के 370 जिलों में से 197 जिलों में बिलकुल भी क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। देश में किशोर न्यायालयों की संख्या 80 है जबकि बाल गृहों की संख्या मात्र 90 है और उनकी कुल क्षमता 15,000 है। अपराधी बच्चों की संख्या 1,50,000 है। अगर हम उपेक्षित बच्चों की संख्या को भी गिने तो यह संख्या 3 से 4 लाख से भी अधिक होगी। दो वर्षों में, अर्थात् 1981-82 और 1982-83 में, ऐसे बच्चों की संख्या में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सड़कों पर लाखों बच्चे घूम रहे हैं। बम्बई में अगर आप सन्ताकुज़ हवाई अड्डे से बाहर निकले तो आप पायेंगे कि हजारों बच्चे भीख मांग रहे हैं।

देश की आर्थिक स्थिति बहुत गम्भीर है। देश में तीन लाख ऐसे गांव है जहां पर प्राथमिक विद्यालय तथा पेय जल उपलब्ध नहीं हैं। मैं खुले रूप से इस सरकार से पूछ रहा हूँ क्या वह इन गृहों में ये सभी सुविधायें जिसके लिए आपको करोड़ों रुपये की आवश्यकता है उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। आप इसके लिए कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। वित्तीय ज्ञापन में केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए मात्र 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि इस समय देश में इन सभी श्रेणियों में कितने बच्चे हैं। मुझे बताया गया है कि बुनियादी किशोर अधिनियमों को लगभग 11 राज्यों में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। दक्षिण दिल्ली में दो किशोर विद्यालय हैं और सरकारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि वहां पर बच्चों को पूरा आहार नहीं मिलता तथा वे बच्चे बिना कपड़ों और जूतों के है। अगर दिल्ली में किशोर बालकों की उपेक्षा होती है तो उन राज्यों में जिनके लिए आप कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं उनकी हालत क्या होगी। इसके अतिरिक्त इसको क्रियान्वित करते समय आप राज्य सरकारों से परामर्श क्यों नहीं कर रहे हैं। अब सैद्धान्तिक रूप से, कोई वित्तीय उपबन्ध किए बिना तथा राज्यों पर स्थिति को छोड़कर आप कह रहे हैं कि आपको ये कार्य करने चाहिए। अतः मेरा कहना है कि हम सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

अब यह मानकर कि आप इन सभी बातों को लागू करेंगे तो उस स्थिति में किशोर विद्यालयों से बाहर आने पर आप इन किशोरों के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस समय अपने देश में सात करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाये हैं। तो बाद में आप इन किशोरों के लिए क्या करेंगे। अतः मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि वह ऐसे कानून न बनाये जबकि देश की सामाजिक आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और करोड़ो बच्चों को गरीबी की वजह से काम करना पड़ रहा है। अगर इस विधेयक को लागू करना हो तो 100 करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत होगी जबकि आप कोई भी प्रावधान नहीं कर रहे हैं। आपका कहना है कि राज्य सरकारें धनराशि उपलब्ध करायेगी। मैं बताऊं कि 10 राज्यों में बुनियादी कानून को ही क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है कि बच्चे को उचित आहार मिलना चाहिए, उचित व्यवहार मिलना चाहिए, आदि लेकिन आप देखते हैं कि बम्बई में लाखों बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अतः मेरा कहना है कि ऐसे विधेयक को नहीं लाया

जाना चाहिए। चूंकि सरकार कोई वित्तीय प्रावधान नहीं कर रही है तो यह कानून केवल एक सैद्धांतिक चर्चा बनकर रह जायेगा।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, जुवीनाइल जस्टिस बिल 1986 का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे मंत्रीजी यह एक एतिहासिक बिल लेकर हमारे सामने आये हैं। अपचारी और उपेक्षित बच्चों की संख्या इस देश में 40 लाख 40 हजार है और खतरनाक धन्धों में जो बच्चे लगे हुए हैं उनकी संख्या दो करोड़ के करीब है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आखिर यह बच्चे अपचारी क्यों बनते है. इनमें 90 प्रतिशत गरीबों के बच्चे हैं जो गन्दी बस्तियों में रहते हैं क्योंकि उनको सही माहौल नहीं मिल पाता है और वह गलत-सलत रास्तों पर चले जाते हैं। आप नेक इरादे से इस बिल को लाए हैं, लेकिन जब तक आपका प्रोपर विजिलेंस नहीं रहेगा मैं सोचता हूं आप इसको जब एक्ट बनायेंगे तो आपको ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा तब तक। आप किसी भी जेल में चले जायें छोटे-छोटे बच्चों को भी खतरनाक कैदियों के साथ रखा जाता है, क्रिमिनेलिटी की ट्रेनिंग उनको वहीं से मिलती है, फिर आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि वह बच्चे जब जेल से छूटेंगे तो अच्छे नागरिक बनेंगे। 14 बरस के बच्चे को कभी भी जेलों में नहीं रखते, बल्कि उसके लिए अलग से सुधार गृह बनाये जायें। हालांकि आपने हर जिले में एक रिमाण्ड होम का प्रावधान किया है, लेकिन इसमें भी बच्चों का शोषण होता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और समाज की भावनाओं को टच करता है। जो पोवर्ती लाइन के बच्चे हैं उनके लिए राज्य सरकारों को आपको पाबन्द करना चाहिए। आप एक जिले में सुधार गृह बनायें तो इससे काम नहीं चलेगा; क्योंकि इनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि आप उसमें ऐसे सुधार नहीं ला सकते। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप हर खण्ड में एक सुधार गृह बनायें, यह समाज में एक कोढ़ के समान है अगर इसका शुरू में ही इलाज नहीं हुआ तो हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। बच्चे देश का भविष्य हैं। आप जी० टी० रोड पर होटलों में चले जाइये वहां आप देखेंगे कि अपचारी बच्चों को किस प्रकार से यातनायें दी जाती हैं। स्टोन्स और चिप्स की खानों में जाकर देखें कितना बड़ा उनका शोषण होता है। आप यह भी देखेंगे कि देहातों से बच्चों को पकड़कर यहां लाया जाता है और उनको अपंग और ब्लाइंड बना दिया जाता है फिर उनसे भीख मंगवाई जाती है। सरकार को यह देखना चाहिए कि ऐसी कौन-कौन सी जगह हैं जहां पर इनको अपंग करके इनको भीख मांगने का धन्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। आपके जो सुधार गृह और अनाथालय बने हुए हैं वहां पर जाकर आप इनकी स्थिति पर नजर डालें तो आपको साफ पता चल जायेगा कि इनकी स्थिति कैसी है। इससे आपको सीख लेनी चाहिए। आपके सुधार गृहों में प्रोपर देखभाल नहीं होती, वहां पर एक प्रकार से अपराधी बनने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने इन बच्चों के सुधार के लिए किशोर कोड और किशोर न्यायालय बनाया है, इसकी स्थापना हर जिले में करनी चाहिए। राज्य सरकारों को निर्देश दें कि इस वर्ष के अन्त तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक किशोर न्यायालय अपचारी बच्चों के लिए जो किसी जुर्म में पकड़े जाते हैं उनको अलग से न्याय देने की व्यवस्था करें। आपने किशोर कल्याण बोर्ड बनाया है, लेकिन इन दोनों में टकराव न हो इसलिए इनको अलग से डिफाइन करना चाहिए कि किशोर न्याय कैसा

होगा। आपने प्रोहिबिश आफिसर्स रखे हैं लेकिन उनके कोड आफ कन्डक्ट को आपने डिफाइन नहीं किया जिसकी वजह से नौकर की वह नियुक्ति करके चले जायेंगे और उनका तो भरण-पोषण हो जायेगा, लेकिन अपचारी बच्चों के सुधार की कार्यवाही क्या कर पायेंगे, यह हमें बतायें। इसलिए मैं आपसे पुन: अनुरोध करूंगा कि इसमें चुने हुए आदमी समाज सेवी संस्थाओं के लोगों में से ही पिकअप करना चाहिए। इसके लिए कोड आफ कन्डक्ट बनाया जाये तभी आपके नेक इरादे पूरे होंगे। बच्चे अपचारी न बनें इसके लिए आपको अधिक से अधिक रिमाण्ड होम बनाने चाहिए।

———

3.26 म० प०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

24 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेंगे। श्री सुमन।

श्री राम प्यारे सुमन (अकबर पुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 ननम्बर 1986 को सभा में पेश किए गए गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 नवम्बर, 1986 को सभा में पेश किए गये। गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 24 वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

———

3.27 म० प०

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री रहीम खां (फरीदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुन: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

* दिनांक 7-11-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रहीम खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

श्री रहीम खां (फरीदाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री रहीम खां : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.28 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 310 का लोप, आदि)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 7-11-86 भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उपदान संदाय अधिनियम 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद दिघे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— — — —

3.29 म० प०

लोक उपद्रव पीड़ितों हेतु प्रतिकर विधेयक*

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोक उपद्रव, दंगा अथवा उत्तेजना के दौरान आई चोट और सम्पत्ति ली हानि के लिए नागरिकों अथवा उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर संदाय के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक उपद्रव दंगा अथवा उत्तेजना के दौरान आई चोट और सम्पत्ति की हानि के लिए नागरिकों अथवा उनके आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिकर संदाय के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

— — — —

3.30 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 347 के स्थान पर नये अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

* दिनांक 7-11-86 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शाहबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31 म० प०

विदेशवासी भारतीय राष्ट्रजन (संसद में प्रति निधित्व) विधेयक*

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशवासी भारतीय राष्ट्रजनों को संसद में प्रति निधित्व प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशवासी भारतीय राष्ट्रजनों को संसद में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक*

(धारा 2 में संशोधन आदि)

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संसोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बोनस संदाय अधिनियम, 1965 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय विश्वास : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 7-11-86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

3.33 म० प०

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक *

(नई धारा 4 का अन्तःस्थापन)

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशन गंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3 34 म० प०

राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक*

(धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शान्ताराम नायक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.35 म० प०

विधवा पेन्शन विधेयक

(जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा पुरःस्थापित विधवा पेंशन विधेयक पर आगे चर्चा शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक पर चर्चा करने में दो घण्टे 41 मिनट

* दिनांक 7-11-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खंड 2, में प्रकाशित।

का समय पहले ही लग चुका है, इस प्रकार इसके लिए निर्धारित समय समाप्त हो चुका है। चर्चा के अन्त में मन्त्री महोदया श्रीमती मारग्रेट अल्वा इस विधेयक पर बहस में हस्तक्षेप कर रही थी। इसलिए हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए 30 मिनट का समय और बढ़ा सकते हैं। मुझे आशा है कि सभा सहमत है।

कुछ माननीय सदस्यगण : हां हम समहत हैं।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए 30 मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय मुझे आशा है कि इतना समय बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस विधेयक के सम्बन्ध में उचित तर्क मेरे साथी द्वारा पहले ही पेश किये जा चुके हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि जो कुछ वे पहले कह चुकी है उसके अतिरिक्त भी कुछ कहा जा सकता हैं। महोदय, वास्तव में यह विधेयक सरकार की नीति की प्रकृति के विपरीत है। मानव संसाधन विकास का सार विकास है, दान नहीं। मेरी स्वयं की भावना यह है कि जैन महोदय, जो पुरानी पीढ़ी से सम्बन्धित हैं युवा पीढ़ी की औरतों की आकांक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। अतः, मैं और वे पुराने हो सकते हैं, परन्तु क्योंकि मेरे पास यह विभाग है, मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं। वे मेरी बात सुन सकते हैं तथा विधेयक को वापस ले सकते हैं। महोदय, हम वास्तव में औरतों को सक्षम बनाना चाहते हैं। हम उनकी सक्षमता बढ़ाना चाहते हैं ताकि वे समाज के लिए रचानात्मक सिद्ध हो सकें। हम 18 वर्ष की आयु से ही उन्हें खैरात बांटना नहीं चाहते। मेरी दृष्टि में यह अनुचित बात है। अतः यह बात मानव संसाधन विकास की नीति के ही विपरीत है। हमें क्या करना चाहिए, इस नीति के अन्तर्गत भविष्य में हमें जो कुछ करना चाहिए वह औरतों की दक्षता में विकास करना है, औरतों की सक्षमता में विकास करना है। इसलिए मैं श्रीमन जैन को यह बताना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें तथा नीति के अनुरूप ही कोई बात सामें। उन्हें दूसरा विधेयक लाना चाहिए जो नीति के अधिक अनुरूप हो तथा उस विधेयक पर टिप्पणी करने में मुझे बहुत खुशी होगी। यदि कोई उपयोगी बात है तो मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। परन्तु इस विधेयक के अधीन हम सरकार की समस्त नीति को नकार रहे हैं। महोदय मुझे खेद है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वे इसे वापस ले लें।

सभापति महोदय : श्रीमान जैन।

[हिन्दी]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसे आप वापस ले लीजिए न ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेरी) : क्यों, मैं वापस नहीं लेता।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : फिर क्या बात रहे हैं। आप तो पुरानी पीढ़ी की बात करते हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : सभापति जी, यह विधवा पेंशन बिल, जो मैंने प्रस्तुत किया है, इसके सम्बन्ध में मेरे जितने मित्रों ने इसमें भाग लिया उन सबने श्री मूल चंद जी डागा को छोड़कर, इस विधेयक का समर्थन किया है ।

श्री मूलचंद डागा जी ने भी जो अमेंडमेंट्स प्रस्तुत किए है, उनसे यह मालूम होता है कि वे भी इस बिल की भावना को एप्रीशिएट करते हैं ।

अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो विचार प्रस्तुत किए कि हम पुरानी पीढ़ी के हैं और हमारे विचार नई पीढ़ी के विचारों से मेल नहीं खाते हैं । मेरा पुराना अनुभव है, और मैं जब विधवाओं की स्थिति को देखता हू तो मुझे भी दया आती है । यह प्रश्न कोई डोल का नहीं है । लोक-सभा के सदस्य और विधान-सभाओं के सदस्य जब सदस्य नहीं रहते हैं तो उनको भी पेंशन मिलती है, बार-विडोज को भी पेंशन मिलती है, गवर्नमेंट सर्वेन्ट की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को भी पेंशन मिलती है, तो मैंने जो पेंशन का बिल प्रस्तुत किया है, उसके पीछे कतई भी डोल भी भावना नहीं है ।

मैंने जो अपने विचार पहले व्यक्त किये थे, मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं विधवा के पुनर्विवाह के पक्ष में हूं । मैं चाहता हूं । कि विधवा महिलाये कार्य करें, उनको उद्योगों में लगाया जाये, उनको सर्विसेज में, एम्पलायमेंट में भी प्रायर्टी दी जाये । मैं यह भी चाहता हूं विधवाओं को उनकी एज का रिलैक्सेशन करके भी सर्विस दी जाये ।

पेंशन शब्द का आप डोल से सम्बन्ध न लगायें । मैं चाहता हू कि विधवा महिलाओं का का सम्मान रहे । उनके सम्मान की रक्षा के लिए ही मैंने यह पेंशन का बिल यहां रखा है । पेंशन मिलने के बाद यह कोई प्रश्न नहीं है कि वह कोई धन्धा न करें, उद्योग में सम्मिलित न हों । यह कभी भी मेरा उद्देश्य नहीं है । इसीलिये मैंने स्पष्ट कहा है कि पेंशन उसके लिये एक सहायक होगी और उसकी तरक्की व उन्नति में भागीदार होगी । इसी दृष्टिकोण से मैंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और इसके पीछे उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न है ।

अपने देश में हमने अभी तक सामाजिक सुरक्षा के प्रश्न को नहीं लिया है । अभी भी जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा था किशोर न्याय के बारे में, तो उनको भी सामाजिक सुरक्षा हम प्रदान नहीं कर सके हैं अभी हम वृद्धों व अपंगों को भी सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सके हैं और वृद्ध महिलाओं के सम्बन्ध में ही अभी इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं कि उनको हम समझते हैं कि वह हमारे समाज के लिये एक बर्डन हैं, बोझ हैं । इस दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि अगर विधवा महिला किसी कार्य में हमारे सामने आ जाये तो उसे खराब शगुन मानते हैं । यह भावना अभी भी हमारे यहां घुसी हुई है । अभी भी यह भावना है कि पुत्र की शादी में वह सम्मिलित नहीं हो सकती, तिलक नहीं कर सकती । यह वास्तविक परिस्थितियां हैं ।

ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं कि उनके लिये कोई सहारा नहीं होता है तो वह नौकरानी का काम और बर्तन मांजने का काम करती हैं । वह ऐसा काम भी करती हैं जिससे वह अपमानित होती हैं, जिससे उनके चरित्र पर भी प्रभाव पड़ता है ।

मैं चाहता हूं कि जब हमनेपोलिटिकल और फ्रीडम फाइटरी के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था की है ताकि फ्रीडम फाइटरी का जीवन ऐसा हो जिससे वह कष्टमय जीवन व्यतीत न करें, एम० एल० ए० और एम० पी० न होने पर भी उसका सम्मानजनक जीवन हो। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि विधवा महिलाओं का भी जीवन सम्मानजनक हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह बिल प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही मैंने यह बिल लाने से पहले इस पर काफी सोच-विचार किया है और कहा है कि अगर किसी विधवा की इनकम 1200 रुपये सालाना से ऊपर होती है तो वह पेंशन का लाभ नहीं उठा सकेगी या उसके पास अपनी कोई पैतृक सम्पत्ति है जिससे कि उसे अच्छी आय होती है, या उसकी अपनी कोई सर्विस है तो वह इस पेंशन का लाभ नहीं उठा सकती है। अगर कोई अनुचित तरीका अपना कर फर्जी तरीके से भी पेंशन लेने की कोशिश करेगी तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान किया है। यह सब प्रिकॉशन लेकर मैंने यह बिल तैयार किया है।

इस बिल पर विचार करते समय काफी सदस्यों ने अपनी-अपनी राय भी दी है। हमारे डागा जी ने 200 रुपये माह पेंशन देने की बात कही है। किसी-किसी ने 300 और 500 रुपये तक पेंशन देने की बात कही है। मैंने बहुत सोच समझ कर 75 से लेकर 125 रुपए तक पेंशन देने की बात कही है ताकि उस विधवा महिला को एक सहारे के रूप में पेंशन राशि मिल सके।

अभी भी इस देश में कुछ ऐसी प्रथायें हैं जिसके कारण विधवा महिला का पुर्नविवाह नहीं हो पाता है। इस कारण से उसे बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। वह नौकरी पाने के लिए बहुत प्रयास करती है लेकिन वह उसे नहीं मिल पाती है। वह समाज में सम्मानजनक जीवन जीना चाहती है, लेकिन वह भी उसे नहीं मिल पाता है। आपने कास्टीट्यूशन और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में राइट टू वर्क का प्रावीजन भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी उसे सर्विस नहीं मिल पाती है। आज हमारे समाज का जो ढांचा है, उसको देखते हुए ही मैंने यह बिल प्रस्तुत किया है। मैंने इस पर बहुत गहराई से मनन किया है और अपने मित्रों की भी इसमें राय ली है। हम सामाजिक सुरक्षा के नाम पर ही इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं अभी भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस बारे में आप पुर्नविचार करें। ऐसा हो जाने पर हम विधवाओं के साथ न्याय कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं चाहता हूं कि वह विधेयक को वापस ले लें। जो भी लाभ दायक और उपयोगी विचार उभरे हैं उन पर हम उसके साथ विचार करेंगे। अगर कोई बात दुबारा लानी है जो नीति के अनुसार है और औरतों को अधिमान्य आधार पर कुछ रियायतें भी देती है तो मैं उसके लिए तैयार हूं। किन्तु यह विधेयक इसके वर्तमान रूप में अस्वीकार्य है।

सभापति महोदय : आपके इस बारे में क्या विचार हैं ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि निराश्रित विधवाओं को पेंशन का संदाय करने

के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि निराश्रित विधवाओं को पेंशन का संदाय करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : में विधेयक को वापस लेता हूं।

3.50 म० प०

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद 311 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एनाउन्स होने के बाद भारत देश के केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अन्दर काम करने वाले नौकरों के मन पर एक आघात पहुंचा। इसके कारण से कई सरकारी नौकरी करने वालों के यूनियन संघर्ष करके, मेमोरेंडम सबमिट करके इस फैसले से उन्होंने असहति प्रकट की है और साथ ही साथ इस लोक सभा में इसके बारे में कई बार चर्चा भी हो चुकी है। हम जानते हैं, सरकार की ओर से जितने भी लोग यहां पर वक्तव्य दिए हैं या बाहर वक्तव्य दिए हैं चाहे वे सरकार की तरफ बैठने वाले हों या विरोधी दल के हों सब इस फैसले के खिलाफ हैं और इस फैसले के आधार पर पुन: संविधान को बदलने का संशोधन करने की बात उन्होंने कही है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कौन-सी तारीख का जजमेंट है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : बताऊं आपको ? आपके कुमार मंगलम साहब और ललित माकन साहब ने वक्तव्य दिया है···

श्री मूल चन्द डागा : कौन-सा जजमेंट है ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : आर्टिक 311 (2) (बी) के प्रोविजो के बारे में है···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपको भी अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : डागा जी मेरी परीक्षा करना चाहते हैं। अगर वह ऐसे ही बीच-बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे अपनी बात कह सकता हूं ?

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : अपीलकर्त्ता और प्रतिवादी कौन-कौन हैं ? और निर्णय क्या था ?

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : बताएंगे भाई। बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : निर्णय देने की क्या तारीख थी ?

श्री सी० जंगा रेड्डी : 11 जुलाई, 1985।

श्री मूल चन्द डागा : मैं चाहता हूं कि वह निश्चित तारीख बताएं। निर्णय कब दिया गया था और याचिकादाता कौन था ? उसने निर्णय का जिक्र किया है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : बोल रहा हूं, डागा जी सुनिए तो···(**व्यवधान**) खाना खाने से पहले उसकी रुचि आप जानना चाहते हैं तो कैसे बताएं ? अभी तो खाना परस रहे हैं, उसमें नमक मिर्च डाल रहे हैं ···(**व्यवधान**)···यह जजमेंट 11 जुलाई, 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने किया था तुलसीराम पटेल के केस में जो आडीटर थे डिफेंस में और जबलपुर में काम रहे थे। उनका एक इन्क्रीमेंट बिना नोटिस के स्टाप किया। उसका कारण रीजनल आफिसर से पूछा तो उन्होंने गुस्से में आकर इनकार किया, उनका सिर फोड़ डाला। बाद में कोर्ट में केस हुआ। उसका फैसला हुआ और सजा हुई। बाद में सेशन कोर्ट ने उनको रिहा किया। बाद में बिना नोटिस के 311 (2) (बी) के आधार पर उनको निकाल दिया गया तो उन्होंने उसके बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाकर रिट किया कि उनका कम्पलसरी रिटायरमेंट क्यों किया गया, यह उन्होंने 226-227 के तहत रिट किया। और वह स्वीकृत हो गया। चिंगप्पन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में जो फैसला किया था उसके आधार पर हाई कोर्ट ने उनको नौकरी में लेने का रिट स्वीकार किया।

सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को पांच जजों के साथ यह फैसला कर दिया कि आर्टिकल 311(2)(बी) में बिना किसी कारण से केवल अपने रिकार्ड पर कारण बताकर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जा सकता है। इसी प्रकार एक फैसला 1975 में आर्टिकल 14 के तहत चलप्पन केस में श्री कृष्णा अय्यर और श्री फाजिल अली, जजों द्वारा फैसला किया, उसको रुल्ड-आउट करके यह फैसला किया गया। इसीलिए इसमें संशोधन करने की मांग लोकसभा में आई है

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

और ट्रेड यूनियन कांग्रेस में जो काम करने वाले एमपीज हैं, उन्होंने भी इसका साथ दिया है। इसमें संशोधन करने के लिए सरकार से मांग की है। इसलिए इसमें संशोधन करने से पहले हमको एक बार सोचना होगा कि प्रजीडेंट, गवर्नर सरकारी नौकरी में कैसे आ गए। हम जानते हैं कि हमारा संविधान ब्रिटिश इत्यादि से लेकर बनाया गया है। उससे पहले यहां पर राजा के नौकर थे, तो राजा चाहे किसी को निकाल सकता था और किसी को रख सकता था। सरकारी नौकर राजा के नौकर नहीं है, बल्कि पब्लिक सर्वेन्ट हैं। इसलिए आर्टिकल 310 में स्पष्ट रूप से बताया गया है।

"इस संविधान द्वारा स्पष्टतापूर्वक उपबंधित अवस्था को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जो प्रतिरक्षा सेवा या संघ की असैनिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है, अथवा प्रतिरक्षा से सम्बन्धित किसी पद को अथवा संघ के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है तथा प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है अथवा राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करता है, राज्य के राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पद धारण करता है।

(2) इस बात के होते हुए भी कि संघ या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल प्रसार-पर्यन्त पद धारण करता है कोई संविदा, जिसके अधीन कोई व्यक्ति, जो प्रतिरक्षा सेवा या अखिल भारतीय सेवा अथवा संघ या राज्य असैनिक सेवा का सदस्य नहीं है, ऐसे किसी पद को धारण करने के लिए इस संविधान के अधीन नियुक्त होता है, यह उपबन्ध कर सकेगी कि यदि यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति की सेवा को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझता है तो यदि करार की हुई कालावधि की समाप्ति से पहिले उस पद का अन्त कर दिया जाता है अथवा उसके द्वारा किए गए किसी अवचार से असंबद्ध करणों के लिए उससे पद रिक्त करने की उपेक्षा की जाती तो उसे प्रतिकर दिया जाएगा।"

[हिन्दी]

आर्टिकल 310 में हमको यह प्रावधान दिया गया हैं कि प्रेजीडेन्ट और गवर्नर जैसा चाहें वह कर सकते हैं। इस पर लगाय लगाने के लिए आर्टिकल 311 में स्पष्ट से कहा गया है:

[अनुवाद]

"जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असंमिक पद को धारण करता है, वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा अथवा पद से नहीं हटाया जाएगा।

(2) उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक पदच्युत नहीं किया जाएगा, अथवा पद से नहीं

हटाया जाएगा, अथवा पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके बारे में प्रस्थापित की जाने वाली कार्यवाही के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर उसे न दे दिया गया हो....।"

4 00 म० प०

इसमें हमको यह स्पष्ट बताया है कि आर्टिकल 311(2) में किसी सरकारी नौकर को नौकरी से निकलने के लिए अपोरचूनिटि देनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए और उसके बाद ही उनको निकाल सकते हैं। 42वें संशोधन से पहले जो हमारा कांस्टीट्यूशन था, उसको पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संविधान के निर्माता लोगों ने इसके बारे में सोचा था। संविधान को बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश से कुछ लिया होगा। फिर भी उन्होंने इसमें यह स्पष्ट दिया है :

[अनुवाद]

"उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक न पदच्युत किया जाएगा, न पद से हटाया जाएगा और न पंक्तिच्युत किया जाएगा, जब तक ऐसी जांच, जिसमें उसे अपने खिलाफ दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो न कर ली जाए और जहां ऐसी जांच के पश्चात् उस पर ऐसी कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापता हो वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए किन्तु उक्त अभिवेदन ऐसी जांच के दौरान दिए गए साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा।"

4.02 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

यहां पर अपोरचूनिटीज देने की बात कही गई है इमर्जेन्सी में संविधान का जो 42वां एमेंडमेंट हुआ, उससे पहले स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि जांच करते वक्त उसको अपोरचूनिटी देनी चाहिए, इंक्वायरी करते वक्त उसको बतलाना चाहिए कि उसके खिलाफ चार्जेज क्या हैं, उसकी गलती क्या है और किस प्रकार का उसने सरकार नुकसान किया है। इसकी अपोरचूनिटी उसको दी जाती थी। सफाई देने के बाद अगर एम्पलायर को डिस्सिपलिनरी एक्शन लेने वाले को अगर जवाब पसन्द न आए, तो सजा देने के वक्त यह कहा जाता था कि चार्जशीट का जवाब पसन्द नहीं है, इसलिए फलानी सजा देने के लिए क्रम विचार कर रहे हैं, इसकी सैकेण्ड अपरिचूनिटी उसको देनी चाहिए और शो-काज नोटिस देनाचाहिए पनिशमेंट का। इससे साफ पता चलता है कि 42 वे संशोधन से पहले, जो हमारा संविधान था, उस संविधान में संविधान का निर्माण करने वाले लोगों ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सरकारी नौकर को नौकरी से निकालने से पहले दो अपोरचूनिटीज देनी चाहिए। इससे यह साफ है कि सरकारी नौकर को नौकरी से निकालने से पहले शो-काज नोटिस की जरूरत है और छोटी से छोटी सजा देने के लिए भी जांच करते वक्त और

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

सजा देने के पहले उसको अपोरच्यूनिटी देनी चाहिए। इस प्रकार की भावना थी। अब यह जो इसमें 'प्लेजर' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेजीडेंट आफ इन्डिया या गवर्नर जो मन में आया, वह करे। ब्रिटेन में पहले वहां पर यह फैसला कर दिया कि **'वि किंग केन नोट डू रोंग'**। वह थ्योरी पहले वहां पर चली मगर बाद में वहां पर भी सरकारी नौकर को अपोरच्यूनिटी दी गई। हमारी सरकार बोलती है कि हम गणतंत्र सरकार हैं, डेमोक्रेटिक कन्ट्री हैं और डेमोक्रेटिक कन्ट्री होते हुए भी हम इस तरह के कानून को लागू करें, यह कहां तक सही है। प्रेसीडेंट आफ इण्डिया, जिसे हम राजा समझते हैं, उनके नाम पर ऐसा करें, यह ठीक नहीं है। हमारा गणतन्त्र राज्य है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसलिए हमको किसी भी सरकारी नौकर को, किसी भी सरकारी नौकरी में रहने वाले को निकालने से पहले अपोरच्यूनिटी देनी चाहिए। हमारे कांस्टीट्यूशन में इमर्जेन्सी से पहले जो पोजीशन थी, उसको मैं पढ़ चुका है और बाद में जो (बी) के बारे में इन्टरप्रिटेशन दिया है, उसको आप देखें। चंगप्पन के केस में 311, प्रोविजोए के तहत क्रिमिनल केस में छूटने बाद भी उसको नौकरी से निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद, नेचुरल जस्टिस के तहत, आर्टिकिल 14 के तहत उसको फिर नौकरी में रखा गया। उनके लिए ओपच्यूनिटी का होना आवश्यक है। इतना ही नहीं पुराने जमाने में, अंग्रेजों के राज में भी जो कानून थे उन कानूनों में स्पष्ट रूप से कर्मचारियो को अपोरयूनिटी थी। 1935 का जो एक्ट है, उसकी धारा 96-बी को पढ़ने से हमको स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सरकारी कर्मचारियों को उस जमाने के राज में भी अपोरच्यूनिटी दी जाती थी। लेकिन, आज जनतंत्र रहते हुए भी, हमारी कन्ट्री डेमोक्रेटिक रहते हुए आजकल सरकारी काम करने वालोंको हम गुलाम समझते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : यह 'गुलाम' शब्द अनपार्लियामेंटरी है। इसे एक्सपंज कर दिया जाए।

श्री सी जंगा रेड्डी : व्यास जी तो लेबर यूनियन में काम करते हैं। लेबर यूनियन में काम करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले को राज का गुलाम समझते हैं। सरकारी गुलाम समझा जाता है।

सभापति महोदय : इसको मैं देखकर के अपनी रूलिंग दूंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अगर अनपार्लियामेंटरी होगा तो सभापति जी उसको देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़े-बड़े केसिज में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिये थे, वे रिपील हो गये, रिवोक हो गये। हमको यह समझना चाहिए कि देश में 12 मिलियन सरकारी कर्मचारी हैं। आपके कांग्रेस के नेता लोग भी इसका विरोध करते हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिये लेट ललित माकन जी का स्टेटमेंट।

[अनुवाद]

भूतपूर्व संसद सदस्य श्री ललित माकन ने कहा था :

"निर्णय ने 120 लाख सरकारी कर्मचारियों को संकट में डाल दिया। यह कौन

निश्चित करेगा कि क्या पदच्युत करना जनता के हित में है ? कर्मचारियों को नौकरशाही की दया पर निर्भर रहना होगा।''

[हिन्दी]

इसको पूरा देखा जाए। लापके हर जर्नलिस्ट, तमाम न्यूजपेपर वाले इसके खिलाफ हूं। इसको आपको समझना चाहि। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इससे कर्मचारियों का नुकसान होता है। इतने लोगों के कहने पर भी हमारे मन्त्री महोदय कहते कि यह पैरामीटर हमें सुप्रीमकोर्ट ने दिया है। हमें यह जानना चाहिए कि यह पैर मीटर कितना लम्बा है। इसमें जो (बी) है इसको निकालना चाहिए, इसको विदड्रा करना चाहिए। (बी) में बताया गया है :

[अनुवाद]

अनुच्छेद 311 (2) :

"उपर्युक्त प्रकार का कोई व्यक्ति तब तक न पदच्युत किया जाएगा, न पद से हटाया जाएगा और न पंक्तिच्युत किया जाएगा, जब तक ऐसी जांच, जिसमें उसे अपने खिलाफ दोषारोपों से अवगत करा दिया गया हो और उन दोषारोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो, न कर ली जाए और जहां ऐसी जांच के पश्चात उस पर ऐसी कोई शास्ति आरोपित करने की प्रस्थापना हो वहां जब तक उसे प्रस्थापित शास्ति की बाबत अभिवेदन करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाए, किन्तु उक्त अभिवेदन ऐसी जौच के दौरान दिए गए साक्ष्य के ही आधार पर हो सकेगा।

परन्तु यह खंड वहां लागू न होगा—"

[हिन्दी]

उन्होंने यह तो बता दिया मगर यह तीन जगह लागू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

"(क) जहां कोई व्यक्ति ऐसे आधार के आधार पर पदच्युत किया गया या हटाया गया था पंक्तिच्युत किया गया हो जिसके लिए दण्ड-दोषारोप पद वह सिद्ध दोष हुआ हो।"

[हिन्दी]

यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि क्रिमनल केस में अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट एन्वाल्व होता है तो उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, एम्प्लायर उसको निकाल सकता है चाहे वह किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हों, लेकिन वहां पर भी सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में जहां पर उसको सजा दी जा रही है, वह अपनी बात कह सकता है, वकील रख सकता है, आर्गूमेंट दे सकता है कि मैं इस क्रिमिनल केस में एन्वाल्व नहीं हूं, इस तरह का प्रावधान है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि जो प्रावीजन 'ए' है, उसके तहत अगर सजा मिलती है तो बना कारण बताए उसको नौकरी से मिकाला जा सकता है, इसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन सजा पाने से पहले कोर्ट में उसको आर्गूमेंट करने का मौका मिलता है, वकील रखने का मौका मिलता है, पेशियां होती हैं और वह अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है कि यह गलती मैंने नहीं की, वह अपनी बात बताने की कोशिश करता है अगर फिर भी सजा होती है तो ऐसा हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर भी स्पष्ट रूप से एक तरह से 'ए' और 'बी' में भी उनको चांस मिल रहा है—

[अनुवाद]

"(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति

[श्री ~~अनिल मासन~~]

> रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि किसी कारण से जो इस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है कि ऐसी जांच की जाए।"

यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति अपने आफिसर से ठीक व्यवहार नहीं करता है तो उसको रातों रात नौकरी से निकाला जा सकता है। रात को फाइल में लिख दिया और सुबह उसको छुट्टी मिल गई, जाओ घर और मजे में रहो, तुम्हारी सरकारी नौकरी अब नहीं है तो इससे क्या होगा। अगर 15 दिन की अपारच्यूनिटी मिल जाए तो क्या होगा, क्या दुनिया डूब जाएगी, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर किसी को फांसी लगाते हैं तब भी कोर्ट में उसको अपनी बात कहने का मौका मिलता है, समय मिलता है, लेकिन 'बी' में ऐसा प्रावधान है कि रात को आफिसर ने सोचा कि इसने मुझे गाली दी है, मेरे सामने सिग्रेट पी है, कुर्सी पर बैठा है और कुछ भी कारण फाइल पर लिखा, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है और उसको नौकरी से निकाला जा सकता है। हम तो इसीलिए चाहते हैं कि कोन्फीडेंशल रिपोर्ट के प्रोसीजर को भी बदलना चाहिए, इसके लिए भी उसको शोकाज नोटिस देना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी दो तीन रीजन बताकर उसको नौकरी से निकाल सकते हैं। किसी ने शाम को 5 बजे तक काम किया, लेकिन उसको छुट्टी दी जा सकती है, नौकरी से निकाला जा सकता है, फ़ाइल में क्या लिखा है यह भी नहीं बताया जाएगा क्योंकि :

[अनुवाद]

"कोई भी कारण पेश करने की आवश्यकता नहीं है कृपया अपना भाषण जारी रखें।"

[हिन्दी]

फिर भी अगर वह नहीं गया तो पुलिस को बुलाकर उसको वापिस भेजा जा सकता है। यह गणतंत्र राज में नहीं होना चाहिए, राजाओं के राज में ऐसा हो सकता है। यह सरकारी मुलाजिम को अपने हाथ में रखने का, उससे लीगल या इल्लीगल काम कराने का एक तरीका होगा। अगर वह बड़े अफसरों का कहना नहीं माना तो कुछ न कुछ रीजन देकर उसको निकाला जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रेलवे एम्प्लाई श्री सी० रामाराव ने अपने अफसरों के खिलाफ मिनिस्टर को शिकायत की कि इन्होंने इस इस तरह से घपले किए हैं। एक दिन श्री सी० रामाराव 15 मिनट लेट आ गए तो उनको ससपेंड कर दिया गया, लेकिन असली कारण यह नहीं था, असली कारण यह नहीं था, असली कारण यह था कि उन्होंने बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की थी। क्या इस तरह से अनुशासन रह सकता है, क्या इससे डिसीप्लेन रह सकता है। इससे तानाशाही बढ़ेगी, ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी और बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करेंगे इसकी गुंजाइश बढ़ेगी। इस फैसले से यह प्रूव हो गया है कि ब्यूरोक्रेदस जिसके खिलाफ जो चाहे कर सकते हैं।

अगर किसी ने गलत काम किया उसको पन्द्रह दिन का मौका दिया, शो-काज नोटिस भी दिया तो उससे दुनिया डूबने वाली नहीं है। आपके पास डिसीप्लीनरी प्रोसीजर है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं और शो-काज़ नोटिस दे सकते हैं। फाइलों में दस्तखत करने से उल्टा-पुल्टा आर्डर्स निकालता है तो उसको घर भेज सकते हैं। यह कौन सा प्रजातन्त्र है। प्रजा के हित में संविधान नहीं होगा तो उसको बदलना होगा। अपने लिए बनाया हुआ संविधान है कोई गिफ्ट का नहीं है। अनुभव के तौर पर इसको बदलने की जरूरत है। इस संसद को हर तरह से उस कानून को बदलने की जरूरत है। यह कानून बारह मिलियन सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं है। हमारे कृष्णा अय्यर साहब ने बता दिया कि यह डैथ सेन्टेन्स विदआउट वारन्ट है। इकोनोमिक डैथ सेन्टेन्स है। ......(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम आपके सारे बिल सुनते हैं। हमारा एक बिल आ गया तो आपको सुनने में क्या आपत्ति है। आप बड़े अनुभवी हैं।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन : प्रस्ताव पेश करने वाले को कितना समय दिया जाएगा ?

सभापति महोदय : उसको स्पष्ट करने दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं यह याद दिलाना चाहता हूँ कि सेना में काम करने वाला अगर कोई इनडिसीप्लीन करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। जहां पर सिक्योरिटी और देश की रक्षा आधारित है, वहां पर भी उनको मौका दिया जाता है। यहां पर केवल अपनी ब्यूरोक्रेसी को निभाने के लिए अपना दवाव रखने के लिए, अपनी बोली हुई बात को मनाने के लिए सरकारी नौकर को निकालना ठीक नहीं है। मैं केवल इतना ही संशोधन करना चाहता हूं कि ए, बी और सी में से "बी" को निकाल दिया जाए। ए और सी को रखा जाए। यह छोटा सा संशोधन है कोई बड़ी बात नहीं है आर्टिकल 311 (2) बी को विदड्रा करना चाहिए और रीनम्बर करना चाहिए। ए और सी को रखना चाहिए इतना ही मेरा संशोधन है। जितने भी यहां सदस्य उपस्थित हैं, वे इसका समर्थन करें और साथ ही साथ सरकार से भी मैं इस बिल को पास करने के लिए आग्रह करूंगा। सरकारी कर्मचारियों में जो अशांति पैदा हो गई है, उसको दूर करने के लिए जो आपने एकजीक्यूटिव इंसट्रक्शंस दिए हैं उससे काम नहीं चलेगा। ये इंसट्रक्शन्स तो ब्यूरोक्रेसी पर आधारित रहते हैं। मैं मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा कि बारह मिलियन सरकारी कर्मचारियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको दूर करने की कृपा करें और इस संशोधन को स्वीकृत करें तो ठीक होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर माननीय श्री मूलचंद डागा द्वारा दी गई संशोधनों की सूचना को लिया जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 20 फरवरी, 1987 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० जी० एस० राजहंस।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, जंगा रेड्डी साहब जो अभी यहां बिल लाये हैं वह कई अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर किसी न किसी रूप से पिछले साल भर से खासकर जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, बहस होती रही है। इस समस्या के दो पहलू हैं, केवल इसलिए कि कोई सरकारी मुलाजिम हो जाए और उसकी नौकरी नहीं जाए इस पर हमें सोचना है या वह सरकारी मुलाजिम हो अथवा किसी प्राइवेट अण्डरटेकिंग में काम करता हो उसके साथ भी वही कानून हो इस पर हमें सोचना है। दूसरा हमें सोचना है यह बात ठीक है कि एक करोड़ बीस लाख सरकारी मुलाजिमों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें डर है कि उनके अफसर बिना किसी कारण के उन्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। जहां तक में समझता हूं यह नियम खुद उन अफसरों पर भी लागू होता है, यदि मैं ठीक हूं, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, किसी भी राज्य में ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखकर कर बोलिये क्या 50 प्रतिशत कर्मचारी भी ईमानदारी से काम करते हैं और जो काम करते भी हैं क्या वह अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं मुझे अपना अनुभव है इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं। बैंकों में या सरकारी दफ्तरों में लोग बाध्य करते हैं मैनेजर्स को, अफसरों को कि हमने काम नहीं करना हमें ओवर टाइम दो और काम निकालना है इसलिए ओवर टाइम देना पड़ता है। वह बाध्य करते हैं कि वह काम अफसर करे जो उनको करना है। ठीक है इस देश के समाचार पत्रों ने बड़े कसकर इमेर्जेसी को गाली दी, विपक्ष के लोगों ने भी बड़ी गाली दी, परन्तु जनता के पास आप जाइये, जनता आज भी कहेगी कि इमेर्जेसी ठीक थी, यह मेरा मत नहीं है, मैं जनता की बात कह रहा हूं। लोग क्यों कहते हैं उनको राहत हुई थी अस्पतालों से काम होता था, रेलें ठीक समय से चलती थी ·· पोस्ट आफिसेज में ठीक से काम होता था। अभी टेलीकम्यूनिकेशन की बात आपने सुनी, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मेरा भाई बिहार में बहुत सख्त बीमार है, कई दिनों से लाइटनिंग काल मैं कर रहा हूं लेकिन नहीं मिल रही है, क्यों नहीं ऐसे आदमियों को बर्खास्त किया जाए। क्या हम यही कहें कि सरकार सरकारी मुलाजिमों से कोई काम नहीं ले और घर बैठे उन्हें तनख्वाह दे दे। इस देश में सरकारी मुलाजिमों ने जबर्दस्ती 12 महीने काम करके 13 महीने की तनख्वाह ली, हमने दी। हम चाहते हैं उनके साथ न्याय हो, उनको बेवजह नहीं निकाला जाए, हम इसके पक्ष में हैं···

लेकिन सरकारी कर्मचारी आज जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वे दिल पर हाथ रख

कर बता दें कि क्या वह उचित है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि देश में नेशनल कन्सैन्सस हो। यह ठीक है कि बिना कारण उसको नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए परन्तु जहां एक मछली सारे तालाब को गंदा करे, वहां उस मछली को निकाल फेंकने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम एक तरफ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इक्कीसवीं शताब्दी की ओर ले जाना चाहते हैं मौडनाईज करना चाहते हैं और दूसरी तरफ हमारी टांगें खींची जा रही हैं। हमारे सामने यह विचारणीय प्रश्न है कि जब प्राईवेट सैक्टर में इन-सीक्योरिटी ऑफ जौब है तो गवर्नमेंट सैक्टर में भी इन-सीक्योरिटी ऑफ जौब हो। मैं आपको छोटी सी बात कहता हूं कि प्राईवेट सैक्टर में मालिक डण्डा उठाता है और कहता है कि :

[अनुवाद]

यदि कल तक आप यह काम नहीं करते तो मैं आपको निकाल दूंगा।

[हिन्दी]

उसके कारण, इस देश में और विदेशों में कितनी एफीशिएंसी है, कितना प्रोडक्शन है, कितना काम हो ा है परन्तु पब्लिक सैक्टर में या सरकारी नौकरी में जब किसी की नौकरी पक्की हो जाती है तो वह चैलेंज देकर कहता है कि किस की हिम्मत है जो मुझसे काम ले चाहे वह आई० ए० एस० हो, आई० पी० एस० हो, आई० एफ० एस० हो या अदना सा क्लर्क हो, वे सब कैसे पौलिटीशियन्स और मिनिस्टर्स का मजाक उड़ाते हैं, यह वहां जाकर देखिये। इस देश में कहने के लिए संविधान बना हुआ है परन्तु असली मलकियत, असली बागडोर इलैक्टिड रिप्रेजेंन्टेटिव के हाथों में नहीं है। यूरोप में तो इलैक्टिड रिप्रेजेंन्टेटिव को कूड़ा समझा जात है, कहते हैं कि यह तो कैजुअल वर्कर हैं, आज है कल चला जाएगा। हमारे देश में हर जगह लोग आई० ए० एस, आई० पी० एस० और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स की उसी तरह खुशामद करते हैं, और मैंने मिनिस्टरों तक को ब्यूरोक्रेट्स की खुशामद करते हुए देखा है। इस देश को यदि कोई खा गया तो ब्यूरोक्रेटस ही खा गया। अब वक्त आ गया है कि हम इस ब्यूरोक्रेसी को चेंज करें अन्यथा ब्यूरोक्रेसी हमें समाप्त कर देगी। आज हालत यहां तक पहुंच गई है कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी इलैक्टिड रिप्रेजैन्टेटिव की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। जब एक आई० ए० एस० अधिकारी क्लैक्टर बनता है, एडीशनल क्लैक्टर बनता है, एस० डी०. ओ० बनता है या कोई आई० पी० एस० अधिकारी एस० पी० बनता है एडीशनल एस० पी० बनता है तो वह बादशाह की तरह रहता है। पता नहीं कानून में ऐसा लिखा हुआ है या वह जबर्दस्ती करता है कि उसको 25-25 अर्दली मिल जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से तो उसके पास सैकड़ों अर्दली हैं। जहां वह जाता है, एक मुगल बादशाह की तरह से चलता है और उसे लोग झुक-झुक कर सलाम करते हैं।

मैंने पहले भी कहा है कि हमारा देश दो भागों में बंटा हुआ है : एक भाग इण्डिया है और दूसरा भारत। इण्डिया वह है जहां लोग मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलते हैं और जहां के लोग अपने बाल बच्चों को पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं और फिर उनको भी आई० ए०एस० या आई० पी० एस० बनाते हैं, जहां आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अपने को बादशाह समझते हैं तथा दूसरा हिस्सा भारत वह है जो दरिद्र है, लाचार है, जिसके लिए पीने के पानी तक का इन्तजाम नहीं है,

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

और जिसकी तकदीर में लिखा हुआ है कि इन ब्यूरोक्रेटस के हाथों से कोड़े खाना, उनकी सेवा करना। यदि हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे, यदि हम सच्चाई को नहीं सुनेंगे तो इस देश की जनता हमें कब तक बर्दाश्त करेगी। यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह मामला ऐसा है, यदि हम पार्टी के लेबल से ऊपर उठकर देखें कि क्यों मुट्ठी भर अंग्रेजी बोलने वाले ब्यूरोक्रेटस शेष भारत पर राज कर रहे हैं और हम ऐसा क्यों होने दें, यदि उनकी नौकरी में इन-सीक्योरिटी हो, उन्हें पता हो कि यदि वे गलती करेंगे तो उन्हें भी उसी तरह से निकाला जा सकता है...... जैसे प्राईवेट सेक्टर के मैनेजर्स को निकाला जा सकता है; तो वे रास्ते पर आ जायेंगे। मैं आपको बताऊं आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, यह एक रहस्य की बात है जिसे मैं आपको बता रहा हूं, हर आई०-ए० एस० और आई० पी० एस० ने स्टेट कैपीटल में पचास-पचास लाख की कोठी बनाई है। है कोई सरकार जो इसकी ईमानदारी से जांच कराए और बताए?

हम आपस में, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, लेकिन जो हमें बेवकूफ बना रहा है, जो हमारा खून चूस रहा है, जो हमें लड़ा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? ब्यूरोक्रेट्स की बिरादरी इतनी तेज है और उनमें अपनापन है, उतना किसी में नहीं है। आप लाख बात कहें, समाजवाद की आप लाख बात कहें ट्वेंटी पाइंट प्रोग्राम को लेकिन उन पर कोई असर नहीं। जो उनके मन में है, वही करेंगे। आप जितने भी इलेक्टिड रिप्रेजेंटेटिव यहां पर हैं, वे सब अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलिए कि कितने ब्यूरोक्रेटस आपके प्रोग्राम को सक्सेफुल होने देते हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम उन ब्यूरोक्रेट्स को बतावें कि तुम देश की जनता को गुमराह कर सकते हो, देश की जनता ने हमें वोट दिया है, हम ही मार्गदर्शन करेंगे, तुम मार्गदर्शन करने वाले कौन हो, हम तुम्हें मार्गदर्शन नहीं करने देंगे। यदि तुम्हें जॉब इनसिक्योरिटी है, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम यह भी चाहेंगे कि एक ब्यूरोक्रेट जिसने पचास लाख रुपए का मकान बनाया है, उसकी हाईकोर्ट के जज से इन्क्वायरी हो, यदि उस इन्क्वायरी में उसे दोषी पाया जाए, तो उसे निकाला जाए। उसके प्रति हमदर्दी न बरती जाए।

महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बिहार में, अभी दस दिन पहले सारे देश के अखबारों में, मोटे-मोटे अक्षरों में आया कि एक आई० पी० एस० अफसर ने सामान की खरीद में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है। ऐसे आई० ए० एस० अफसर जिनको कि मैडल मिला है, जिन को तगमा दिया गया है एफीशियेंसी और आनेस्टी का, ऐसे अफसर उसमें करोड़ों रुपया खा गये। आपको यह सुनकर और भी आश्चर्य होगा कि एक लेडी आई० पी० एस० अफसर ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, मैं तो नई आई हूं, मुझ से तो क्लर्क लोगों ने दस्तखत करा लिए।

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि अब वक्त आ गया है जब आप इन बातों को टालते नहीं जायेंगे आपको कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, अब देश की जनता ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती है। यह ठीक है, आप ब्यूरोक्रेसी के हिमायती होंगे, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी किस तरह से कंट्री पर हावी है, इस बात को सोचना चाहिए। वे दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और खुद मजे

लूटते हैं। इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम बात करें, तो हमारी अकाउंटेबिलिटी है, हमारी कान्स्टीट्यूएंसी में है, हमारी स्टेट में है, हमारी एकाउंटेबिलिटी पूरे देश में है और ये आई० पी० एस० आफिसर, जिन ने करोड़ों का गोलमाल किया, वे आज भी बिहार में बड़े ऊंचे-ऊंचे पद पर हैं। न हिम्मत हैं बिहार के मुख्य मंत्री की, न हिम्मत है केन्द्र की, जो इनके ऊपर एक्शन न ले सके।

आज इन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० आफिसर्स ने अपनी एसोसिएशन बना ली है। आप इनके खिलाफ कुछ भी कीजिए तो इनकी एसोसिएशन सामने आ जाएगी। क्या ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते हो ? चाइना में बेअरफूट ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, तो इंडिया में बेअरफूट ब्यूरोक्रेट् क्यों नहीं हो सकते हैं ?

आज किसी भी स्टेट में बाढ़ हो, सूखा हो, कितने अकसर और सब-डिवीजनल अफसर उस जगह पर जाते हैं ? एक लूट मची हुई है, उसमें सभी शरीक हैं। हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक दौर में हैं।

[अनुवाद]

हम इतिहास के एक बहुत ही नाजुक दौर में है।

[हिन्दी]

यदि हमने अभी से ब्यूरोक्रेसी को कन्ट्रोल नहीं किया तो ब्यूरोक्रेसी हमें समाप्त कर देगी और वह देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय होगा।

मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्वेन्ट जो एक राटेन सैलरी के नीचे हैं उनको तो सर्विस में थोड़ी सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट जो ऊपर हैं, उनकी सही तस्वीर देश में लोगों को पता होनी चाहिए और उन्हें जाब-सिक्योरिटी किसी भी हालत में नहीं मिलनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : सभापति महोदय, हमारा संविधान संसार में सर्वोत्तम है। पंडित नेहरू, श्री वल्लभ भाई पटेल व डा० अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा यह कई वर्षों में तैयार किया गया था। संसार के संविधानों के सर्वोत्तम अंश इसमें शामिल हैं।

उन्होंने सोचा था कि हमारी एक बहुत कार्य कुशल नौकरशाही होनी चाहिये। इसलिए उन्होंने इसकी सुरक्षा की व्यवस्था की थी। इस देश में सिविल सेवा के सदस्यों की सुरक्षा की व्यवस्था धारा 311 में निहित है। आज उनकी संख्या लगभग कुछ लाख है। वे हमारे प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी हैं और यही वे लोग हैं जो सामाजिक आर्थिक प्रगति के सम्बन्ध में हमारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इन सभी वर्षों में हम यह कहते रहे हैं कि हम कार्यान्वयन में असफल हुये हैं क्योंकि प्रशासन

[श्री वाई० एस० महाजन]

कुशल नहीं हैं। उससे भी अधिक प्रशासन न केवल अकुशल है अपितु भ्रष्ट भी है। मेरे से पहले वक्ता डा० राजहंस ने भ्रष्टचार के उदाहरण दिये हैं। प्रतिदिन ऐसे ही उदाहरण हमारे सामने आते हैं परन्तु हम उन्हें हटा नहीं सकते। एक विभागाध्यक्ष भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नहीं हटा सकता क्योंकि वह जिला न्यायालय में अपील करता है फिर उच्च न्यायालय में और अन्तत: सर्वोच्च न्यायालत में। न्यायालय अभागे व्यक्ति का पक्ष लेते हैं और निलंबन अवधि के अन्तर्गत उसे जो वेतन नहीं मिला था उसकी उसे पूरी अदायगी के साथ पुन: नियुक्त कर दिया जाता है।

इसी कारण पिछले कई वर्षों में हमारी सामाजिक व आर्थिक वृद्धि की दर कम हो गई है। विधेयक यह कहता है अनुच्छेद 311, 2 (ख) केवल यह कहता है कि जहां जांच करना सम्भव अथवा व्यवहारिक न हो वहां सम्वन्धित अधिकारियों को कारण बताने चाहिए और तब सम्बन्धित अधिकारी को बखास्त करना चाहिए या उसका पद कम कर देना चाहिए। यह केवल एक बात है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह सुझाव दूंगा कि सम्बन्धित अधिकारी को कारण बता देने चाहिए। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। यदि इसकी व्यवस्था की गई है। यदि इसकी व्यवस्था की गई होती तो मैं समझता हूं कि उच्चतम न्यायालयों के निर्णयों में निहित अधिकतर आपत्तियां दूर हो जाती। मैं समझता हूं कि हमने इस देश में सुरक्षा को एक दकियानूसी सिद्धांत बना लिया है। सरकारी कर्मचारी की अत्यधिक सुरक्षा उसकी कार्यकुशलता के रास्ते में रुकावट बनी है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि किसी एक विशेष व्यक्ति ने बहुत सा धन कमा लिया है। उसका वेतन 2000/रु० प्रतिमाह हो सकता है परन्तु वह 50 लाख, एक करोड़ या दो करोड़ की सम्पत्ति का मालिक है। हम कुछ नहीं कर सकते, हम न्यायालय में नहीं जा सकते, हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि कानून हमेशा यह कहता है कि विश्वसनीय सबूत के बिना आप एक व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं कर सकते।

भ्रष्टाचार से सम्बन्धित नियम, अपराधी कानूनों का एक अंग है। इसलिए एक भ्रष्ट व्यक्ति के अपराध को पूर्णतया सिद्ध करना संभव नहीं है और इसलिए वह बच जाता है। यदि आप पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं जैसा श्री रेड्डी ने कहा है तो आप देश का विनाश कर देंगे।

यह मेरा विचार है। इसलिए सुरक्षा का जो पहलू अब हमारे सामने है वह पर्याप्त हैं। किसी भी स्थिति में धारा को हटाया नहीं जायेगा जैसा कि श्री जंगा रेड्डी ने सुझाव दिया है। हम कह सकते हैं कि यदि कोई कारण हैं तो लिखित में संबंधित व्यक्ति को उनसे अवगत कराया जाए।

महोदय, मुझे हैरानी है कि विरोधी दलों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर आपत्ति है क्योंकि हमारे से अधिक वे लोग कहते हैं कि प्रशासन अकुशल व भ्रष्ट है। प्रशासन को ईमानदार और कुशल बनाकर उन्हें देश की प्रगति में सहायता करनी चाहिए और इस बात को समझना चाहिए। यदि आप अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं तो हमारी सामाजिक आर्थिक प्रगति की सभी योजनाओं को आप नष्ट करते हैं। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि पूर्ण रूप से ऐसी कोई स्थिति

नहीं है जिसमें अनुच्छेद 311 पर पुन: विचार किया जा सके अथवा जैसा श्री जंगा रेड्डी ने सुझाव दिया है कि 311 (2) (ख) को समाप्त कर दिया जाए ।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इस बात के लिए श्री जंगा रेड्डी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्मानित सभा के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत किया है क्योंकि 1·20 करोड़ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का इस विधेयक से संबंध है ।

हम देखते है संसद के बाहर बहुत सी राज्य सरकार के कर्मचारी अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क) (ख) को संविधान से हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं । अनुच्छेद 310 व 311 भारतीय संविधान पर कलंक है । मैं समझता हूँ कि श्री जंगा रेड्डी राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए इन कलंकों को संविधान से मिटाना चाहते हैं लाखों सरकारी कर्मचारी यह अनुभव कर रहे हैं कि सदा उनके सिर पर खतरा मंडराता रहता है और उन्हें इस काले उपबन्ध द्वारा हटाए जाने का सदैव डर रहता है ।

उच्चतम न्यायायथ के नवीनतम निर्णय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक समस्याएं उत्पन्न कर दी है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने उसी सर्वोच्च न्यायालय के पहले के निर्णय में संशोधन कर दिया है । सन 1974 में चेल्लपन मुकद्दमे में अपना निर्णय दिया कि सरकारी कर्मचारियों को सजा की मात्रा को जानने का अवसर मिलना चाहिए ।

महोदय, 1973 में लोको कर्मचारी आंदोलन पर थे और लगभग ग्यारह से बारह लाख लोको कर्मचारियों को रेलवे कानून की धारा 14 (2) के अन्तर्गत हटा दिया गया था । अन्त में रेलवे के लोग उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में चले गए । श्री चेल्लप्प उच्चतम न्यायालय में चले गये और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि रेलवे के प्राधिकारियों ने प्रावधान का अनुपालन किया था और उन्हें इस बात की सूचना देनी चाहिए थी कि कर्मचारियों को कितनी सजा दी गई है । इस प्रकार सभी मुकद्दमों को खारिज कर दिया गया और उन कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया ।

सरकार फिर उच्चतम न्यायालय में गई । उच्चतम न्यायालय के सबसे अन्तिम निर्णय ने पांच न्यायाधीशों की न्यायापीठ ने चेल्लप्पन मुकद्दमे के निर्णय को संशोधित कर दिया और कहा कि सजा की मात्रा के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं थी और यही सारी समस्या का सार है ।

उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय से स्वाभाविक न्याय का सिद्धांत छीन लिया गया है । निर्णय का परिणाम यह है कि नौकरशाही को कर्मचारियों को बिना कारण बताओ नोटिस के पद से हटाने की असीमित शक्तियां दे दी गई हैं और प्रतिशोध की भावना से कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों से अपना बदला लेंगे । यह कर्मचारियों को आतंकित करने में व सरकारी कर्मचारियों की सभी श्रमिक संघों की गतिविधियों को निष्फल करने में शासक वर्ग की और सहायता करेगा ।

[श्री अजय विश्वास]

समस्या निर्णय की नहीं है, समस्या सरकार की नीयत की हैं। सरकार क्या करना चाहती है ? पहले उच्चतम न्यायालय का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में था। अब यह कर्मचारियों के विरुद्ध चला गया है। परन्तु मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनकी क्या करने की नीयत है यदि सरकार इस काले प्रावधान को संविधान में रखना चाहती है तो वह एक अलग बात है परन्तु यदि सरकार इस प्रावधान को हटाना चाहती है और देश में प्रजातन्त्र का वातावरण उत्पन्न करना चाहती है तो यह एक अलग बात है.। इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 311 (2) (ख) में संशोधन करना है, किन्तु मैं तो अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क) (ख) और (ग) के भी खिलाफ हूं। यह इसलिए है क्योंकि ये अनुच्छेद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 310 को अनुच्छेद 311 (क), (ख) और (ग) से अलग नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद प्रसन्नता के सिद्धान्त पर आधारित हैं।

अगर आप संविधान सभा के वाद विवाद को देखें तो आप पायेंगे कि ये अनुच्छेद भारत सरकार अधिनियम, 1935 की प्रतिकृति हैं। 1935 का अधिनियम क्या था ? यह ब्रिटेन के संविधान और परम्पराओं के आधार पर बनाया गया था। ब्रिटेन के संविधान और परम्पराओं के अनुसार, सरकारी कर्मचारी राजा या रानी का एक सेवक होता है.। जैसा कि राजा या रानी कोई भी गलती नहीं कर सकते और राजा या रानी तथा कर्मचारी के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, इसलिए रोजगार राजा या रानी की आज्ञानुसार होना चाहिए। ब्रिटिश कानून का यही सिद्धांत था। यह शासक का एक विशेषाधिकार है और इसे हमारे संविधान में बनाये रखा गया है। यह उपनिवेशीय शासन की एक देन है।

महोदय, विशेष तौर पर मैं माननीय मन्त्री से विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस ब्रिटिश देन को हमारे संविधान में जारी रखने की इच्छुक है या यह इस असंगति को दूर करने और हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए एक लोकतांत्रिक वातावरण बनाने के लिए इच्छुक है। यही मुख्य प्रश्न है। समस्या यह है कि उस अधिनियम के अनुसार, राजा या रानी किसी भी कर्मचारी को पदच्युत कर सकते हैं और यह केवल इसी अधिनियम की प्रतिकृति है। एक मात्र भिन्नता यह है कि यहां पर राष्ट्रपति या गवर्नर बिना कोई कारण बताये किसी भी कर्मचारी को पदच्युतत कर सकते हैं। किन्तु असलीयत में ऐसा कार्य राष्ट्रपति या गवर्नर नहीं करते हैं। हमारे संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 311 (क), (ख) या (ग) के अधीन कोई भी अधिकारी एक कर्मचारी को पदच्युत कर सकता है उसको फाईल में सिर्फ यह दर्ज करना होता है कि इसे कहीं भी अनावृत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार देश की सम्पूर्ण मशीनरी और सम्पूर्ण सरकार अधिकारी वर्ग पर निर्भर करती है।

महोदय, अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) की विषय वस्तु को भारतीय अधिनियम 1935 से पूरा-पूरा ले लिया गया है। एक-मात्र परिवर्तन यह हैं कि राजा या रानी की बजाय केन्द्रीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में यहां पर राष्ट्रपति हैं तथा राज्य के कर्मचारियों के संबंध में गवर्नर है किन्तु वही स्वामी सेवक सम्बन्ध अब भी हैं और इस तरह का सम्बन्ध हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप नहीं है। सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या यह स्वामी सेवक सम्बन्ध

हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के अनुरूप है । क्या वे महसूस करते हैं कि यह सम्बन्ध जारी रहे ? यह एक उपनिवेशीय देन और दृष्टिकोण है, जिसे समाप्त किए जाने की जरूरत है ताकि हमारे संविधान को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके । मैं यहां पर उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूं । आप क्या कर रहे हैं ? आपका क्या कर्त्तव्य है ? यह ही मुख्य प्रश्न है । इस महान संस्था ने इस सामन्तवादी शाही और असभ्य धारणा को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए ।

मैं सरकार को एक भी ऐसा उदाहरण दिखाने के लिए चुनौती दे रहा हूं जिसमें एक कर्मचारी की भी वास्तव में छटनी कर दी गई हो क्योंकि वह राज्य की सुरक्षा के खिलाफ काम कर रहा था । क्या वे यह सिद्ध कर सकते हैं कि जो भी फाइल में दर्ज किया गया था वह सत्य है । आप इस बात को सिद्ध करने में सक्षम नहीं होंगे आप एक भी मामले में इसे सिद्ध नहीं कर सकते । आप यह कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते कि कर्मचारियों की छटनी इसलिए कर दी गयी है क्योंकि वे देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अनुसार अगर कर्मचारी की गतिविधियां देश की सुरक्षा के विरुद्ध हैं, तो उसे पदच्युत कर दिया जाता है । यहां पर यह जिक्र किया जा सकता है कि माननीय श्री सुकुमोल सेन को जो राज्य सभा के सदस्य हैं, अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन बरखास्त कर दिया गया था क्योंकि ऐसा कहा गया था कि वह राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा था । और अब जनता ने उन्हें चुन लिया है । उनको राज्य सभा के लिए निर्वाचित कर लिया गया है और अब वह संसद के एक सदस्य हैं । मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं । त्रिपुरा में एक अध्यापक श्री विवेकानन्द भौमिक को अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन बरखास्त कर दिया गया क्योंकि उसकी गतिविधियों को राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध घोषित कर दिया गया था । वह मंत्री बने । राज्य की सुरक्षा के खिलाफ उनकी गतिविधियों के कारण जिस राज्यपाल ने उनको पदच्युत किया था उन्होंने ही उनको शपथ दिलायी । इस प्रकार यह अन्तर्विरोधों से परिपूर्ण है जो आप कह सकते हैं वह यह है कि सरकार के लिए इस उपबन्ध की राज्य की सुरक्षा बनाये रखने के लिए आवश्यकता है । सिर्फ यही मुख्य बात नहीं है ।

महोदय, मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर के संविधान में एक 126 (ख) धारा है और वह भी अनुच्छेद 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) की एक प्रतिकृति है । आपातकाल के दौरान लगभग 14 कर्मचारियो को पदच्युत कर दिया गया था और श्री शाह के शासन के दौरान इस अधिनियम के अधीन उन्होंने 9 कर्मचारियों को पदच्युत किया गया था । इस प्रकार, आपने उन लोगों को पदच्युत कर दिया जो देश की अखंडता के लिए लड़ रहे थे । और आपने उस सरकार का समर्थन किया । इस प्रकार, इन 310 और 311 (2) (क), (ख) और (ग) अनुच्छेदों का उपयोग हमेशा सरकारी कर्मचारियों के लोकतांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन को कुचलने के लिए किया गया । इसका उपयोग भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कभी भी नहीं किया गया । इसका उपयोग देश की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए कभी भी नहीं किया गया । जो माननीय श्री राजहंस कह रहे थे वह बात नहीं है । सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों के आचरण से निर्देशित होते हैं । भ्रष्टाचार के लिए किसी को हटाने के लिए उनके पास काफी शक्तियां हैं । वे किसी को भी किसी भी अपराध के कारण हटा सकते हैं । भ्रष्ट अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है ।

[श्री अजय विश्वास]

पश्चिमी बंगाल में, 1971 में सिद्धार्थ शंकर राय के शासन के दौरान, 14 कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया था। वो लोग कौन हैं? अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन पदच्युत किये गए सभी लोग, राज्य सरकार के कर्मचारियों के आंदोलन के मेता थे। पश्चिमो बंगाल में आपातकाल के दौरान 28 कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन पदच्युत कर दिया गया था। आपातकाल के दौरान, त्रिपुरा में जो एक छोटा सा राज्य है, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध गतिविधियां करने के कारण, अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन, राज्य सरकार के 31 अध्यापकों और कर्मचारियों को पदच्युत कर दिया गया था और ये सभी 31 कर्मचारी नेता लोग थे, आपकी सरकार भी कठोर थी, अर्थात् सबसे पहले उनको "मीसा" के अधीन गिरफ्तार किया गया और फिर उनको जेल में डाल दिया गया। उनके पदच्युत के आदेश जेल में ही दिये गये। आपातकाल के दौरान देश में, सिर्फ श्रमिक संघ आंदोलन और सरकारी कर्मचारियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने के लिए बरखास्तगी के आदेश पुलिस की सहायता से जारी किए जाते थे। 1977-78 में, पश्चिमी बंगाल तथा त्रिपुरा में वामपंथी मोर्चा सरकार सत्ता में आयी। उन्होंने अनुच्छेद 311 (2) (ग) के अधीन बर्खास्त सभी कर्मचारियों को पुन: नियुक्त कर दिया।

5.00 म० प०

आप क्या करते हैं? वे राष्ट्र विरोधी नहीं हैं। अब उनकी गतिविधियां देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं हैं। उसी राज्यपाल ने उन कर्मचारियों को पुन: नियुक्त किया। इस प्रकार, इसका सम्बन्ध राज्य की सुरक्षा या आपके द्वारा दी गई दलीलों से नहीं है। आप इन उपबन्धों और काले कानूनों को इसलिए चाहते हैं। ताकि देश में श्रमिक संघ और लोकतांत्रिक आंदोलनों को कुचलने के लिए अपने आपको मजबूत कर सकें।

यही एक बात नहीं है। आपने, पहले से ही इस महान सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पारित किया है। आप एक श्रमिक संघ सम्बन्ध विधेयक लाने का प्रयास कर रहे है, जो इस वक्त के दौरान मजदूरों द्वारा प्राप्त किये गये सभी अधिकारों को छीन लेगा। आप सभी अधिकारों को छीनना चाहते हैं। आप इस महान सदन में उस विधेयक को लाने का प्रयास कर रहे हैं।

गत वर्ष भी मैंने माननीय मन्त्री को पत्र लिखा था। मेरे पत्र के जवाब में उन्होंने कहा: "नहीं, हमने सभी विभागों को निर्देश दे दिये हैं कि किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने से पहले उस व्यक्ति को सूचना दी जाये। अन्यथा, कोई भी बर्खास्तगी आदेश नहीं दिया जा सकता।" किन्तु इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

राज्य तथा केन्द्र सरकार के एक करोड़ बीस लाख कर्मचारी संगठित है। वे चाहते हैं कि इन काले कानूनों को विधान से हटा लिया जाए वर्ष 1968 में और फिर 1973 में राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया था। उनमें से हजारों दिल्ली में आये। वर्ष 1984 में देश भर में, राज्य सरकारों के कर्मचारियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की। राज्य सरकारों के कर्मचारी संघ ने—मैं भी इससे सम्बन्धित हूँ—फैसला किया है कि इन कठोर

उपबन्धों के खिलाफ 24 नवम्बर 1986 को यह संघ राज्य सरकारों के कर्मचारियों के 40 लाख हस्ताक्षर करवायेगा; और इन 40 लाख हस्ताक्षरों को प्रधानमन्त्री के सामने पेश किया जायेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के रोष की सीमा है। आपको इस पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारी दिल्ली में आयेंगे और बोट क्लब पर प्रदर्शन करेंगे।

आगे, मैं सरकार तथा माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि े औचित्य को देखें। किसी भी बात को नजरअंदाज न किया जाए। आप तर्कसंगत ढंग से अपनी दलीलें रखें आपको सरकारी कर्मचारियों के बीच अच्छे वातावरण के निर्माण का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे इन उपबंधों को हटाने तथा इस देश में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अधिकारों का संरक्षण करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति महोदय, पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे निर्णय हुए हैं जिनसे न केवल सम्बन्धित पक्षों को बल्कि हम सभी लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हुई है। एक तो शरियत के झमेले में हुआ। उसके बारे में जो कुछ कहा जाना चाहिए था या नहीं कहा जाना चाहिए थाउसके विषय में सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का दूसरा निर्णय आर्टिकल 311 के बारे में। इसके बारे में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदला है, संविधान के अनुच्छेद 311 (2 बी) के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्टर प्रीटेशन दिया है उससे निश्चित तौर पर हम लोग भी सम्बन्धित हैं। इससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों का हित जुड़ा हुआ है।

मैं समझता हूँ कि हमारा जो संविधान है वह देश का ऐसा डाकुमेंट है जो कमजोर वर्गों को संरक्षण देने का काम करता है, ताकतवर के खिलाफ संरक्षण देने का काम करता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जो ताकतवर है, जिससे न्याय नहीं मिलने की उम्मीद में संविधान के निर्माताओं ने कुछ गारंटीज सरकारी कर्मचारियों को दी थी, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया है। सर्विस कंगीशंस के विषय में इसका मिसयूज किया जा सकता है, इसकी खुली छूट बड़े-बड़े अधिकारियों को दे दी गई है। जुलाई 1985 में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वह न केवल सरकारी कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि मैं यह समझता हूं कि यह नेचुरल जस्टिस जो है, जो मूल सिद्धांत है, उसके भी खिलाफ जाता है।

5·07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संविधान के मूल अधिकारों, आर्टिकल 14, 19, 21 के भी खिलाफ जाता है। माननीय मंत्री जी को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इस विषय में एक से अधिक बार कर्मचारी संगठन न केवल मांग या प्रदर्शन कर चुके हैं, बल्कि अपनी शक्ति का भी इजहार कर चुके हैं जो उनके पास है और यदि हम कर्मचारियों और सरकार तथा अधिकारियों के बीच में खाई बढ़ाते हैं तो यह किसी भी रूप में किसी के लिए भी हितकर नहीं है और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि धारा 311 (2) 'बी' में जो संशोधन माननीय जंगारेड्डी साहब ने दिया है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे कोई बहुत बड़ा अन्तर मूलत: आने वाला नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने जहाँ धारा 311 (1) में सरकारी कर्मचारियों को अधिकार दिए हैं, वहीं पर धारा 311 (2) 'बी', ए, बी, सी में उन सारी कंडीशंस को भी उन्होंने स्पष्ट किया है जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी को

[श्री हरीश रावत]

निकाला जा सकता है और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जरूरत से ज्यादा आगे जाकर के इस चीज का निर्णय दिया है और उससे सरकारी कर्मचारियों के मन में एक असुरक्षा की भावना आई है और यह भावना साधारणतः किसी की भी समझ में आ सकती है। माननीय राजहंस जी ने और कुछ अन्य साथियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं और जो ऐसे लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए सरकार पूरे तरीके से सक्षम है, वरिष्ठ अधिकारी पूरे तरीके से सक्षम है, संविधान में इसके लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है जब किसी अधिकार का मिसयूज होता है। इस निर्णय के बाद अधिकारियों को प्राप्त अधिकारों के मिसयूज की संभावना बन गई है। इससे कर्मचारियों में अस्थिरता और असुरक्षा की भावना पैदा हुई है, यह भावना न केवल कर्मचारियों के हित के बल्कि हमारे हित के और संविधान की मूल भावना के विपरीत जाती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जंगारेड्डी साहब जो संशोधन लाए हैं, उसको मान लेना चाहिए। वैसे तो बी० जे० पी० के लोग कोई नेक काम नहीं करते हैं, पहली बार ये इन्होंने नेक काम किया है जो इस प्रकार का बिल लेकर के आए हैं और उसके अधीन हमको भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया है। इसको नाममात्र इस रूप में नहीं लेना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी गड़बड़ी करते हैं तो उनको दण्डित किया जाए, इसको इस रूप में लेना चाहिए कि इससे सविधान की जो मूलभावना है, उस पर किस तरीके से कुठाराघात हो रहा है, इसको इस रूप में रखने का काम हम करें। आज कर्मचारी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को जो दिक्कतें थीं उनको सर्विसेस ट्रिब्यूनल बनाकर और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। उसमें सुनवाई के लिए अधिकारियों को ही रखा गया है। जो अधिकारी पहले निर्णय देंगे, दूसरे अधिकारी उसको कैसे बदलेंगे। मैं समझता हूं कि इससे सरकारी कर्मचारियों को जो सुरक्षा की गारंटी संविधान निर्मात्ताओं ने दी थी, उसमें कमी आई है, उस पर कुठाराघात हुआ है। इस लिए इस संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि इसके वर्डिंग्स इस रूप में स्वीकार्य नहीं है तो उनको दूसरे रूप में रखा जा सकता है। अगर 311 (2) बी को डिलीट कर दिया जाए तो कोई बहुत बड़ा आसमान टूटने वाला नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि नौजवान मंत्री हैं, इसको स्वीकार करेंगे। (इति)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : डिप्टी स्पीकर सर, श्री जंगा रेड्डी जी ने जो कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया है, मैं इस पर अपने चन्द शब्द जाहिर करना चाहता हूं। मुझ से पहले जो सदस्य इस विषय पर बोल चुके हैं, उनसे ऐसा लगता है कि वह ऐसा समझते हैं कि सरकारी मुलाजिम किसी न किसी अनुशासनहीनता और किसी न किसी गैर कानूनी काम में जुटे हुए हैं। मैं उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसा काम करते हुए पकड़े जाते हैं।

वैसे मैं कानून जानने वालों में से नहीं हूं, लेकिन ऐसा समझता हूं कि आर्टिकल 311 (2) में जो बात कही गई है कि रीजनेबल अपरच्युट्जि दी जायेंगी, उसके बाद अगर कोई ऐसा केस किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ साबित हो जाए तो उस पर पेनेलटी का रूल लागू होगा। इसके साथ ही सब-क्लास 2 (ए) में कहा गया है कि:

[अनुवाद]

जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शक्ति रखने

वाला कोई प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है। कि किसी कारण से जो उस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, कि ऐसी जांच करना युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं हैं।

[हिन्दी]

इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह स्पैसिफिक क्रिमिनल चार्ज है और उसके बाद बी और सी फोलो होता है। हर चीज को क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि पंजाब पुलिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो टैरारिस्टों के साथ मिली हुई है। वह उनको पूरी इनफर्मेशन देती है और वायरलैस के जरिए यह काम करती है। जब कोई बैंक लूटा जाता है तो उसमें भी यही कहा जाता है कि कुछ बैंक कर्मचारी उसमें इनवाल्व था। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर के बारे में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। वहां पर मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट और इस्लामिक स्टडी सर्कल और कुछ ऐसी आर्गेनाइजेशन्स हैं जहां पर ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं और तकरीबन इनटैलक्चुअल तबके के लोग हैं। यह फंड मोबलाइज करते हैं, बाहर से फंड मंगाने के लिए भी कहते हैं और लोगों को हिन्दुस्तान के खिलाफ उकसाते भी हैं।

अगर किसी केस में सरकारी कर्मचारी का इनवाल्वमेंट एस्टैबलिश हो जाता है तो उनके लिए आप कहते हैं कि उनको कोई चांस दो। 30 कांस्टीट्यूशन बिल में ए, बी और सी प्रावीजन है में ऐसा समझता हूं कि वह ठीक है। हमारे देश की कांस्टीट्यूशन के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह बहुत ज्यादा नरम हैं। कोई मामूली सी बात होती है तो उसमें फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेते हैं।

कई ऐसी चीजों का सहारा लेकर जितने भी एंटी नेशनल, एंटी सोशल, कम्यूनल और सेसेशनिस्ट एलीमेंट्स हैं वे नाजायज फायदा उठाते हैं। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो आप यह बिल लाए हैं हर सरकारी मुलाजिम तो ऐसा होता नहीं है, उनके लिए मैं समझता हूं कि जस्टिस मिलती है क्योंकि एन्क्वायरी बगैरह जैसी आर्टिकल 311 (2) में कहा गया है वह होती है और वहां उनकी प्रापर सुनवाई होती है, उसके दौरान कोई ऐसी चीज उनके खिलाफ एस्टैब्लिश हो जाए तब आगे जाकर दूसरी बार मौका नहीं दिया जाएगा। लिहाजा जो आप यह अमेंडमेंट लाये हैं मैं तो नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जान है इस बिल के बारे में मैं यही कहूंगा कि जो कांस्टीच्यूशज में प्राविजन है वह रहना चाहिये खासकर के आजकल के जो मुल्क के हालात हैं उनको देखते हुए जो भी कोई ऐसे एलीमेंट ऐसे एक्ट के दायरे में आते हैं जिसको क्रिमिनल एक्ट कहते हैं उनके लिए ऐसा प्राविजन होना चाहिये। हर शख्स को क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी अफसर की कोई बात नहीं मानता है तो उसको क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता। उसके अगेंस्ट जरूर डिसिप्लिनरी ऐक्शन होगा। नान-कम्पालयेंस आफ आर्डर के लिए कार्यवाही होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस नहीं हो सका। क्रिमनल तो उसे ही कहा जा सकता है जैसे कोई मर्डर करे। आप देख लीजिए हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी का एसेसिनेशन हुआ उस शख्स ने दिन दहाड़े गोली चलायी और रंगे हाथों पकड़ा गया। आज तक उसका ट्रायल चल रहा है। क्यों इतनी लम्बी ट्रायल चल रहा है ? ऐसे केसेज में कोई सबूत की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। रंगे हाथों पकड़ा गया बन्दूक चलाते हुए। तो ऐसे केसेज में जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक हमारे देश में अमन नहीं हो सकता है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं जो जंगा रेड्डी साहब अमेंडमेंट बिल लाए हैं मैं उनका साथ नहीं दे सकता हूँ। उसका विरोध करता हूं।

شری پی نام گیال (لداخ) : ڈپٹی اسپیکر، شری جگما ریڈی جی نے سوکانسٹی چیوشنل
امینڈمینٹ بل پرستوت کیا ہے۔ میں اس پر اپنے چند شبد ظاہر کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے پہلے
جو سدسیہ اس وشیہ پر بول چکے ہیں ان سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ سرکاری
ملازم کسی نہ کسی انوشاسن ہینتا اور کسی نہ کسی غیر قانونی کام میں جٹے ہوئے ہیں۔ میں اُن کی اس
بات سے پوری طرح سہمت نہیں ہوں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کہ ایسا
کام کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔

ویسے میں قانون جاننے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن ایسا سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل ۳۱۱
(۲) میں جو بات کہی گئی ہے کہ ریزن ایبل اپرچونیٹیز دی جائے گی اس کے بعد اگر کوئی ایسا کیس
کسی سرکاری ملازم کے خلاف ثابت ہو جائے تو اس پر پینلٹی کا رول لاگو ہوگا۔ اس کے ساتھ
ہی سب کلاز ۲ (اے) میں یہ کہا گیا ہے کہ

"(b) where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is reasonably practicable to hold such inquiry;"

اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسپیسفک کرمنل چارج ہے اور اس کے بعد
ہی اور سنی خالو ہونا ہوتا ہے۔

ہر چیز کو کرمنل نہیں کہا جا سکتا ہے، ہم روز اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ پنجاب پولیس
میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹیرارسٹوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ان کو پوری انفارمیشن دیتے
ہیں اور وائرلیس کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے، جب کوئی بینک لوٹا جاتا ہے تو اس میں بھی یہی کہا
جاتا ہے کہ کچھ بینک کرمچاری اس میں انوالو تھے۔ اس پرکار جموں و کشمیر کے بارے میں بھی
آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوگا۔

وہاں پر مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ اور اسلامک اسٹڈی سرکل اور کچھ ایسی ہی
آرگنائزیشنز ہیں جہاں پر زیادہ تر سرکاری کرمچاری ہیں اور تقریباً انٹلیکچول طبقہ کے
لوگ ہیں، یہ فنڈ موبلائیز کرتے ہیں، باہر سے فنڈ منگوانے کے لئے بھی کہتے ہیں اور لوگوں کو
ہندوستان کے خلاف اکساتے بھی ہیں۔

اگر کسی کیس میں سرکاری کرمچاری کا انوالومینٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اُن کے لئے آپ کہتے ہیں کہ ان کو کوئی چانس دو، اس سبسٹی ٹیوشن بل میں ہے، بی اور سی پروویژن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، ہمارے دیش کی کانسٹی ٹیوشن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم ہے، کوئی معمولی سی بات ہوتی ہے تو اس میں فنڈامینٹل رائٹس کا سہارا دیتے ہیں، کچھ ایسی چیزوں کا سہارا لے کر جتنے بھی اینٹی نیشنل، اینٹی سوشل کمیونل اور سب نیشنل ایلیمنٹس ہیں وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ یہ بل لائے ہیں ہر سرکاری ملازم تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اُن کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس ملتی ہے، کیوں کہ انکوائری وغیرہ جیسا آرٹیکل ۳۱۱ (۲) میں کہا گیا ہے وہ ہوتی ہے اور وہاں اُن کی برابر سنوائی ہوتی ہے اس کے دوران کوئی ایسی چیز ان کے خلاف اسٹیبلش ہو جائے۔ تب آگے جا کر دوسری بار موقع نہیں دیا جائے گا۔ لہٰذا جو آپ یہ امینڈمنٹ لائے ہیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی جان ہے۔

اس بل کے بارے میں، میں یہی کہوں گا کہ جو کانسٹی ٹیوشن میں پراویژن ہے وہ رہنا چاہیئے، خاص کر آج کل کے جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے جو بھی کوئی ایسے ایلیمنٹس ایکٹ کے دائرے میں آتے ہیں، جس کو کرمنل ایکٹ کہتے ہیں ان کے لئے ایسا پراویژن ہونا چاہیئے۔ ہر شخص کو کرمنل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری کرمچاری کسی افسر کی کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اس کو کرمنل نہیں کہا جا سکتا اس کے اگینسٹ ضرور ڈسپلنری ایکشن ہوگا۔ نان کمپلائنس آف آرڈر کے لئے کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے اگینسٹ کرمنل کیس نہیں ہو سکتا۔ کرمنل تو اسے ہی کہا جا سکتا ہے، جیسے کوئی مرڈر کرے، آپ دیکھئے ہمارے لیٹ پرائم منسٹر اندرا جی کا ایسیسی نیشن ہوا اس شخص نے دن دہاڑے گولی چلائی اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ آج تک اس کا ٹرائل چل رہا ہے، کیوں اتنی لمبی ٹرائل چل رہی ہے، ایسے کیسز میں کوئی ثبوت کی بھی زیادہ آوشیکتا نہیں ہے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بندوق چلاتے ہوئے۔ تو ایسے کیسز میں جب تک سختی نہیں ہوگی تب تک ہمارے دیش میں امن نہیں ہو سکتا ہے۔

ان شبدوں کے ساتھ میں جو جنگا ریڈی صاحب امینڈمینٹ بل لائے ہیں میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، اس کا ورودھ کرتا ہوں۔

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, यह संविधान संशोधन विधेयक जो जंगा रेड्डी जी लाए हैं उसका मैं समर्थन करता हूं । सब से पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

ने दो ऐसे फैसले किए थे जिससे हमारे देश में एक तहलका मच गया था। एक तो फैसला हुआ जो उन आम महिलाओं के पक्ष में जाता था तो सरकार ने घबराकर इसी सदन में उस फैसले को खत्म कर दिया और एक यह फैसला हुआ है जिससे 1 करोड़ 20 लाख आदमी असुरक्षित और अस्थिरता में जी रहे हैं और वे आदमी कौन हैं--वह जो इस सरकार की एक यूनिट के जाते हैं, जो इस सरकार को चलाने वाले हैं। तो वह एक करोड़ 20 लाख आदमी जो हैं अगर आप यह समझ लीजिए कि 5 ही आदमी एक-एक पर आश्रित हैं तो पांच आदमियों के हिसाब से ही 6 करोड़ आदमी इस से प्रभावित हो रहे हैं। इसको आप को देखना है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि यह संशोधन संविधान में करने से देश को बहुत बड़ा खतरा पहुंचेगा बल्कि इससे काम करने वाले लोगों के मन में जो एक घबराहट है वह घबराहट तो कम से कम दूर हो जाएगी।

और एक चीज आप ने कही, कुछ माननीय सदस्यों ने तर्क दिया है कि यह जो विरोधी बेंच की तरफ से कहा जाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यह प्रशासन भ्रष्ट है तो प्रशासन का मतलब ये 1 करोड़ 20 लाख आदमी ही नहीं हैं। प्रशासन का मतलब जो है उसमें जो उस बेंच पर बैठे हुए हैं वह वे भी प्रशासन के अन्दर ही आते हैं। तो यह भ्रष्टाचार की जो आवाज बार-बार उठायी जाती है इधर से या उधर से यह तो रुकने वाली नहीं है कोई आदमी जो कानून बनाता है वह उस का पालन नहीं करता है तो जो नीचे के लोग हैं वे उसका कितने तहे दिल से पालन करेंगे? अगर ये लोग इतनी बड़ी सम्पत्ति बना लेते हैं भ्रष्टाचार से तो हमारे ऐसे लोग भी बना लेते हैं तो उसको कैसे कह सकते हैं? तो हम कानून बनाने वाले हैं।

हम को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। ये गन्दी चीजें हममें भी आ गई हैं। तो फिर यह घबड़ाहट क्यों है। ऐसी घबड़ाहट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सरकार से यह कहूंगा कि यह संशोधन उसको मान लेना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ एक आंदोलन हो रहा है। मजदूरों को जो हक मिला है, उसने बहुत कुर्बानियां देकर अपने हक को प्राप्त किया है। सरकार उस हक को छीन रही है। न्याय की बात तो यह थी कि जो दो फैसले हुए थे, उसमें एक फैसले को लागू कर दिया और दूसरे फैसले को लागू नहीं किया क्योंकि इस बात की घबड़ाहट थी कि एक धर्म के लोग हम से अलग-थलग हो जाएंगे। लेकिन आप यह समझ लीजिए कि यह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आप इसको मान लीजिए तो बेहतर होगा। इससे जो हमारे 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, भाई हैं, उनमें घबड़ाहट आ गई है। इनको शो-काज नोटिस दिये बिना हटाना कितनी गलत चीज है। जब कोई आदमी कोई कसूर करता है, तो उससे पूछना चाहिए कि उसने क्या कसूर किया है और किस स्थिति में कसूर किया है और अगर उसकी सफाई सही नहीं जंचती हो, तो उसको तुरन्त निकाल देना चाहिए और जरा भी लिहाज नहीं करना चाहिए लेकिन बिना पूछे निकाल देना, ठीक नहीं है। मैं कहूंगा कि इसको आप मान ले, और यह आवश्यक भी है और इसको आपको मान लेना चाहिए। आज आप इसको न मानिए, क्योंकि आप बहुमत में हैं लेकिन आज या कल इसी सदन में यह चीज पास होगी चाहे आप इधर रहें और चाहे आप उधर रहें। इसको पास होना है और इसको कोई नहीं रोक सकता।

5.22 म० प०

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कांस्टीट्यूशनल (एमेंडमेंट) बिल, 1985, श्री जंगा रेड्डी ने पेश किया है, उसका न तो मैं समर्थन करता हूं और न विरोध करता हूं क्योंकि यह ऐसा मसला है, जिस पर हमारी सरकार को बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

एक प्रश्न तो यह है कि जिन कर्मचारियों को हमने कांस्टीट्यूशन के तहत गारेन्टी दी है, उनको बिना किसी कारण के नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और उनको पूरी अपोरचूनिटी दी जाएगी सुनवाई की और दूसरी तरफ ऐसे मामले भी हैं, जिनमें बिना पूरी सुनवाई किये हुए, अधिकारियों को और सरकार को ऐसा अधिकार है कि वह किसी भी कर्मचारी को बिना अपोरचूनिटी दिये हुए, डिसमिस कर सकती है।. ये दो तरह के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के ऊपर हमको बहुत गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे कम्युनिस्ट भाई ने और अभी जो बोल रहे थे, उन्होंने यह बात कही कि 1 करोड़ 20 लाख ऐसे लोग हैं और इनके डिपेन्डेंट्स को भी अगर लें, तो यह करीब 6 करोड़ के आसपास होता है मगर इस देश की जितनी भी आमदनी है, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग ये केवल 6 करोड़ लोग ही करते हैं और इस देश के जो 38 परसेन्ट या 40 परसेन्ट लोग अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। जब तक हम ऐसी व्यवस्था न कर लें इस देश में कि हर एक आदमी को सुख और सुविधाएं उपलब्ध हों। हाथ को काम, पेट को रोटी, तन ढकने को कपड़ा, रहने को मकान बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में व्यवस्था, प्रत्येक व्यक्ति को यह जब तक उपलब्ध न करा दें। तब तक केवल इन 6 करोड़ लोगों के लिए हम अपने देश के सारे धन को खर्च करते रहें तो निश्चित तरीके से जो कुछ और व्यवस्थाएं हैं जिनको मजबूत बनाना आवश्यक है उनको हम मजबूत नहीं बना सकेंगे।

मेरे कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की सिक्योरिटी, हर प्रकार के साधन और हर प्रकार सुविधाएं इनको दी जा रही है। दूसरे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक आवश्यक सुख-सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। इसलिए हमें ऐसा कोआरडिनेशन बिठाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि देश के तमाम लोगों के लिए आवश्यक सुख-सुविधाएं जुटायी जा सकें।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप इसे मानें या न माने। दुनियां में बहुत सी कन्ट्रीज हैं जहां पर कि लोगों को कान्ट्रेक्ट बेसिस पर काम पर रखा जाता है। बड़े बड़े अधिकारियों को खास तौर पर रखा जाता है क्योंकि छोटे कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि उनसे कांट्रेक्ट पर काम लिया जा सके। लेकिन जो उच्च अधिकारी है उनको अगर कांट्रेक्ट बेसिस पर एम्प्लाएमेंट दिया जाए तो उनके दिल और दिमाग में यह भय रहेगा कि अगर देश की व्यवस्था सुधारने में

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

उन्होंने काम नहीं किया तो उनका कांट्रेक्ट कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अगर यह भय उच्च अधिकारियों के दिमाग में रहता है तो आज जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसमें काफी सुधार आ सकता है।

अभी माननीय सदस्य राजहंस कह रहे थे कि हमारे देश में कितना करप्शन है। बड़े-बड़े लोगों में इतना करप्शन होते हुए भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। क्योंकि करप्शन को दूर करना मुश्किल काम है, बिल्कुल नामुमकिन है। किसी आदमी ने नाजायज तरीके से कहीं से भी पैसा ले लिया मगर उसके खिलाफ कोई एवीडेंस नहीं। ऐसी हालत में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। अगर कांट्रेक्ट बेसिस पर हम किसी अधिकारी को रखते हैं तो निश्चित तरीके से अगर वह काम नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इससे उसके दिल और दिमाग पर भय बना रहेगा। इस बारे में हमारी सरकारी सोचे कि अगर वह इस तरह की व्यवस्था को अपनाती है तो उससे क्या लाभ हो सकता है और किस तरीके से हमारा प्रशासन चलेगा।

आज हमारे माननीय सदस्य कहते हैं कि इस देश में ब्योरोक्रेटस ने तमाम व्यवस्थाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इस व्यवस्था ने उनकी मुट्ठी से भी छुटकारा मिल सकेगा और देश को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस प्रकार की व्यवस्था से देश का बड़ा लाभ होगा।

इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि रेड्डी जी ने कहा कि 311 (2 बी) के प्रावधान को हटा देना चाहिए, बहुत से ऐसे मसले हैं जिनमें हमें कोई एवीडेंस नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ कोई रिप्राकांसप्रेसी करता है और यह मालूम होता है कि वह कांस्प्रेसी कर रहा है लेकिन उसके खिलाफ एवीडेंस न मिलने से कार्यवाही करना मुश्किल हो जाता है। एक उच्च अधिकारी को किसी के बारे में यह पता है कि वह बड़े किसी कांड में लगा हुआ है, किसी कांस्प्रेसी में शामिल है, लेकिन उसके खिलाफ एवीडेंस न मिलने से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। यही एक प्रावधान है जिसमें कि कार्यवाही की जा सकती है।

ऐसी हालत में अगर इस व्यवस्था को हटा दिया जाता है तो फिर इनके खिलाफ किस तरीके से कार्यवाही की जाएगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है, जिस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आमतौर पर हमारी सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखती है, किसी को डिस-मिस करने का सरकार का इरादा नहीं रहता, कोई अधिकारी किसी से शत्रुता के कारण किसी को नौकरी से नहीं निकालता, लेकिन ऐसे सरकमस्टेंसेस में किस तरह से निर्णय लिया जाए, यह विचारणीय विषय है। अगर यह प्रावधान हटा दिया जाता है तो फिर कोई रास्ता नहीं रहता है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का और आप जानते हैं कि करप्शन के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कांस्पीरेसी के मामले में या अन्य प्रकार की हरकतों में सेशेसनिष्ट मूमेंट में जो लोग पर्दे में रहकर काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई एवीडेंस नहीं होता, ऐसी हालत में उनके खिलाफ कैसे कार्यवाही की जाए। यह एक प्रावधान है जिसके तहत इन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।

मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। यह प्रजातांत्रिक देश है और श्री जंगा रेड्डी जी ने अपने भाषण में इस बात की बहुत पैरवी की है तो क्यों न हम सारे प्रजतांत्रिक अधिकार सारे लोगों को दे दें। कर्मचारियों को भी कांट्रेक्ट बेसिस पर रखा जाएं, जब तक वे काम करना चाहें करें, जब छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। प्रज'तांत्रिक आधार पर उनको वोट देने के साथ-साथ चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए, जिससे उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाए और जैसा कि माननीय जंगा रेड्डी जी ने कहा है कि सरकार उनको घटिया तरीके से देखती है, कर्मचारी ऐसा न सोच सकें, क्यों कि हम सब बराबर हैं। जो भी इस देश में पैदा हुआ है उसको समान अधिकार है, तो इन लोगों को भी इस प्रकार का अधिकार देना चाहिए कि वे चुनाव में खड़े हो सकें और इन व्यवस्थाओं में अपना पूरा योगदान कर सकें, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अन्दर इस व्यवस्था को भी किया जा सकता है, इस प्रकार के कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, इस बारे में निश्चित तरीके से सोचना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्थाएं मजबूत बननी चाहिए। डा० राजहंस ने बिल्कुल ठीक कहा है कि बहुत ने कर्मचारी और अधिकारी भ्रष्ट हैं। आज बैंकों की क्या हालत है, फाइनांशियल इन्स्टीट्यून्स की, कोर्ट की, सिविल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्टस की व्यवस्थाएं कैसे चल रही हैं और उनमें जो लोग काम करते हैं वे तनख्वाह को तो अपना अधिकार ही समझते हैं और बालबच्चों को खिलाने-पिलाने के लिए धन कमाने के लिए और तरीके अपनाए जाते हैं। दिल्ली में देखें बड़े-बड़े अधिकारी सुबह तो दफ्तर आ जाते हैं लेकिन शाम को उनका लंच और डिनर साहब, मेम-साहब और सारे बच्चों का किसी फाइव-स्टार होटल में होता है। उनको महीने भर में जितनी तनख्वाह मिलती है उतना वे एक ही दिन में खर्च कर देते हैं, यह पैसा कहां से आता है। इन सारी व्यवस्थाओं को अगर आप ठीक तरीके से देखें तो आपको अंदाज होगा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से इस देश में काम कर रहे हैं और इसमें सुधार लाने की नितांत आवश्यकता है। यह सुधार 311 (।) के रहते कभी नहीं आ सकते। इसलिए इनके लिए इस प्रकार के प्रावधान की जरूरत है कि कांट्रेक्ट बेसिस पर इनको सर्विसेस में रखा जाए। जैसे हम राजनीति में काम करने वाले लोग जो हैं वे 5 साल के लिए चुनकर आते हैं और 5 साल में भी बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वह पीरियड भी कम हो जाता है, इसी तरीके से इनको भी आप हमारे बराबर करें ताकि इनको भी महसूस हो कि हमारे ऊपर भी डेमोक्रेसी की तलवार लटक रही है और वह कभी भी गिर सकती है और हमारा काम तमाम हो सकता है। यह व्यवस्था निश्चित तरीके से की जाए ताकि सारा काम काज ठीक प्रकार से हो और डेमोक्रेसी की गाड़ी जो रेंग रही है वह तेजी से आगे बढ़ सके, तेज गति से विकास हो। इसीलिए मैंने कहा कि न मैं इसका विरोध करता हूं और न ही इसका समर्थन करता हूं।

इसलिए यह कहा गया है कि जिन लोगों को अधिकार दिया गया है उनकी सर्विस किसी कारण से न हटायी जाए। यह बिल्कुल उचित है। जब तक किसी के खिलाफ कोई केस साबित न हो जाए तब तक उसे नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है। यह चीज हमारे देश के हित में है।

इस कारण में फिर यही कहूंगा कि मैं न तो इस बिल का विरोध करता हूं और न ही इसके पक्ष की बात करता हूं। अन्त में मैं यही कहूंगा कि मैंने जो भी सुझाव दिये हैं उस पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से बिचार करके सही निर्णय ले।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो जंगा रेड्डी जी ने अमेंडमेंट बिल रखा है मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पहली बात यह है कि इसमें जो प्वाइन्ट रखे हैं मैं ऐसा समझता हूं कि वह उचित नहीं हैं। हमारे यहां विधान में पहले से ही ऐसी प्रावीजन हैं जो कि काफी अच्छी भी हैं और उसके द्वारा हम उस पर ऐक्शन भी लेते हैं। आज सबके ऊपर समान कानून लागू हैं। इस प्रकार हमारा सारा काम ठीक प्रकार से चल रहा है। यह जी० जे० पी० के लोग अपनी अनुशासनहीनता की बात तो करते नहीं हैं। मालूम नहीं ऐसी बात उनके मन में कैसे आ गई? हमने देखा है कि यहां सदन में भी इनका 1-2 ही मैम्बर बैठा रहता है। समझ में नहीं आता है कि वह देश का भला कैसे करेंगे?

श्री जंगा रेड्डी : हमारे तो कम से कम 50 परमेंट सदस्य बैठे हैं। आपके तो 50 परसेंट भी नहीं बैठे हैं।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं जंगा रेड्डी जी से पूछना चाहूंगा कि क्या इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में कभी सोचा? मालूम नहीं जंगा जी को इनका कैसे ध्यान आ गया। इस तरह से मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो बिल लाये हैं यह अच्छा नहीं हैं। आपको चाहिए कि आप इसको वापिस ले लें। हमको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। आज देश में सब काम काफी अच्छी तरह से चल रहा है। चाहे भारत सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के कर्मचारी हों, सब बहुत ईमानदारी के साथ सारा काम कर रहे हैं। हमारे यहांदोषी कर्मचारी को सजा देने का प्रावीजन है। कानून के मुताबिक हम उनके खिलाफ ऐक्शन भी ले सकते हैं। अत: इसको यहां लाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से इस बिल को पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं। मेरे ख्याल में हमारे जो बाकी साथी हैं वह भी इसका विरोध करेंगे। अत: अब जंगा रेड्डी जी इस बिल को वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : डिप्टी स्पीकर सर, हम इस बिल के लिए जंगा रेड्डी जी को बधाई देंगे। मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद देती हूं। बिल की जो मंशा है, उसको भी मैं सपोर्ट करूंगी लेकिन ऐसा लगता है कि यह बिल पोलिटिकल है। राजहंस और व्यास जी ने इस बारे में जो कुछ कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। अभी हमारे देश में कुछ लोगों में पैरोकिअल काम कर रहा है। यही वजह है कि श्रीमती गांधी की हत्या की गई और राजीव गांधी की राजघाट पर और पंजाब के पुलिस कमिश्नर रिबेरो की हत्या करने की कोशिश की गई। ऐसी बहुत सी एंटी नेशनल एक्टीविटि्ज इस देश में हो रही है। कुछ लोग इस देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। आर्टिकल 311 ए०, बी०, सी० ठीक है। यह और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे जंगा रेड्डी जी यह बिल वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

हम लोग भी ट्रेड यूनियन में बिलीव करते हैं। हम लोगों को वर्कस की फीलिंग मालूम है। हमने कई जगह यह भी देखा है कि मैनेजमेंट इस पावर को मिस-यूज कर सकता है। गवर्नमेंट को इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए।

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने जो निकाला है वह ठीक ही बात है। 1 करोड़ बीस लाख लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों के वर्कर्स हैं उनके मन में यह फीलिंग्स हैं कि

सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वह हम लोगों के खिलाफ नहीं जायगा। एन० टी० पी० सी० में देखिए जैसे कि बताते हैं कि 20 हजार स्टाफ सरप्लस हो गया। वर्कर लोग रिटेंच होंगे। लेकिन मैनेजमेंट जो मिसमेनज कर रहा है उन लोगों का कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

केवल एन० टी० सी० में ही नहीं, परन्तु प्रत्येक जगह यह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त है परन्तु केवल श्रमिकों और श्रम संगठनों का ही शोषण हो रहा है। अव्यवस्था पहले की भांति ही व्याप्त है।

[हिन्दी]

तो क्या होना चाहिए कि गवर्नमेंट को यह मालूम होना चाहिए कि कोई वर्कर जो है उसका रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। कोई टर्मिनेशन उसका होगा तो उस को सेल्फ डिफेंस के लिए बोलना होगा कि किस चीज के लिए उसको निकाला है ? गवर्नमेंट को तो पावर है, प्रेसीडेंट.को पावर है। जो एण्टी नेशनल ऐक्टिवटीज करते हैं उनको सजा देने के लिए उनके पास पावर है।

सी० पी० एम० तो अभी नहीं है। वह तो अभी भागा है। लेकिन हम उनको बोलना चाहते हैं, वे बोलते हैं कि इण्डियन कांस्टीच्यूशन ब्रिटिश लीगेसी है, कालोनिअलिज्म है, रेशियलिज्म है। हमारा कांस्टीच्यूशन वर्ल्ड में सबसे बढ़िया कांस्टीच्यूशन है। सबसे बढ़िया चीज उसमें डाली गई है। जो खराब है हम लोग उसको कम्बैट करते हैं। क्या हम लोग पार्टी के अन्दर उसको क्रिटि-साइज नहीं कर सकते हैं ? यह 311 ए० बी० सी०, ये वर्कर्स के लिए हो ही नहीं सकता है। इसका मिसयूज नहीं हो सकता है। यह गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि यह मिसयूज नहीं होना चाहिए। जो टेररिस्ट हैं, ऐंटी नेशनल हैं उनके बारे में यह लागू होता है। लेकिन जो वर्कर्स हैं उनके साथ मैनेजमेंट गड़बड़ करेगा तो क्या मैनेजमेंट उसको शो काज का मौका नहीं देगा ? तब तो यह उसके लिए डेंजरस हो जायेगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश लीगेसी है। क्या लीगेसी है ? अभी तो वे लोग यहां नहीं है नहीं तो मैं उनसे कहना चाहती थी। बंगाल में एक स्माल इन्डस्ट्री का मैनेजर जो था, सी पी एम के वर्कर लोग उसको डंडा मारकर ब्राड डे लाइट में पीटे हैं यह केवल एक केस नहीं है। आज चार माह से जो जूनियर इंजीनियर्स की एक ही आर्गेनाइजेशन सेटो है, उन लोगों ने हड़ताल की है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि तुम लोगों ने स्ट्राइक किया है, तुम लोगों की चाभी हम ले लेंगे, तुम को जेल भेजेंगे, तुमको प्रोमोशन नहीं देंगे और वर्कर्स फीलिंग की बाय ये लोग बोलते हैं। ये कहते हैं चाइना हमारे लिए डेंजर नहीं है। पाकिस्तान को फालो कीजिए।

ये सी पी एम के लोग देश के बाहर जा कर कांसपिरेसी करते हैं और यहां पार्लियामेंट में केवल पब्लिसिटी के लिए बात बोलते हैं। लेकिन बंगाल में चले जाइए, त्रिपुरा में चले जाइए, आसम में चले जाइये, तो देखेंगे कि ये लोग कैसे प्रचार करते हैं। जूनियर डाक्टर लोग वेस्ट बंगाल में मूवमेंट कर रहे हैं तो उनको डंडा लेकर पीटते हैं। और यहां ये इस प्रकार की बात करते हैं :

[अनुवाद] -

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कलकत्ता विश्व विद्यालय के कुलपति विश्वविद्यालय के परिसर में घुसने से डरते हैं; तथा वे अपने निवासीय परिसर से ही कार्य कर रहे हैं। वे विश्व-विद्यालय में नहीं आ रहे हैं। ऐसा दो महीने से हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई न्याय नहीं है। ऐसा भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कारण हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में कोई भी सरकार की आलोचना कर सकता है। और श्रमिकों के कल्याण के लिए अनुरोध कर सकता है। वे कहते हैं कि कांग्रेस शासन के अधीन अंग्रेजी परम्परा चल रही है। यह कतई गलत है।

मैं चाहती हूं कि श्रीमान् जंगा रेड्डी अपना विधेयक वापस ले लें, परन्तु सरकार का इस विषय पर अवश्य सोचना चाहिए क्योंकि यह श्रमिकों के हितों से सम्बन्धित है। श्रमिकों के हितों की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडेय (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जंगा रेड्डी जी द्वारा जो बिल लाया गया है वह मुख्यतः संविधान की धारा 311 के आधार पर ही लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट हुआ है उससे श्री जंगा रेड्डी जी यह बिल लाए हैं। बातें कुछ ऐसी हैं कि जो कुछ कड़वी हैं और कड़वी बातें सुनने में थोड़ा कष्ट होता है। सबसे पहली बात यह है कि जो 12 मिलयन लोगों के लिए एक व्यवस्था से सम्बन्धित बात थी उसके लिए आप यह बिल लाए हैं लेकिन साढ़े सात सौ मिलयन लोग जिनके ऊपर यह 12 मिलियन की आबादी शासन के दृष्टिकोण से बराबर कार्यरत रहती है उसके विषय में तो आज तक रेड्डी जी कोई बिल नहीं लाए।

हालांकि हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं और बराबर खेतहर मजदूरों की बात करते हैं और खेती की बात करते हैं लेकिन उनको कोई दूसरे किस्म का बिल लाना चाहिए था, जिससे भारत वर्ष की 80 प्रतिशत आबादी को लाभ होता। खैर, यह उनका मामला है। एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह है कि हमने बीस सूत्री आर्थिक और समाजिक कार्यक्रम बनाया है। दोनों ही हमारे कार्यक्रम में और उसमें जो हमारा 20 वां प्वाइन्ट है, वह है संवेदनशील एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऐसी व्यवस्था को जनता के प्रति संवेदनशील हो और इस आधार पर हम यह बात स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि आज ट्रेड यूनियन के नाम पर जो बातें की जा रही है, वे ठीक नहीं है। हम यह कहना इसलिए चाहेंगे कि ट्रेड यूनियन लगभग हर जगह पर विराजमान है। छोटे से छोटे एम्प-लाइज भी अगर पब्लिक सेक्टर में हैं, तो वे भी अपनी यूनियन बना लेते हैं और अपनी खुशी के आधार पर आज ट्रेड यूनियन का काम चल रहा है। हमारी ट्रेड यूनियनों के वर्क्स खराब नहीं हैं और भारत वर्ष में जो काम करने वाले हैं यह जो सरकारी या गैर-सरकारी संस्थाओं में जो हमारे वर्क्स कार्यरत हैं, वे बड़े रेस्पोन्सीबिल हैं और उनके खिलाफ में कुछ नहीं करना चाहता। उन्होंने अपना वर्क शो किया है और जब भी भारतवर्ष पर आपदाएं पड़ी हैं, उन्होंने अपनी कार्य कुशलता को बड़ी बेखूबी प्रस्तुत किया है। ये जो ट्रेड यूनियनें यदि ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो इसमें ज्यादातर जो हमारे नेता ट्रेड यूनियनों के हैं, वे रेस्पोन्सीज हैं और एक बड़ी अच्छी बात माननीय

इन्द्रजीत गुप्त ने कही कि जो स्ट्राइक हो रहे हैं, उससे जनता का क्या घाटा हो रहा है। वे इस को नहीं समझ रहे हैं और अपनी बात को सरकार से मनवाने के लिए सारी जनता को ताक पर रख कर आज ट्रेड यूनियन का काम चलाया जा रहा है। इससे परेशानी किस को हो रही है, यह भी सोचने की बचत है। यह सामाजिक मुद्दा है। आप ने समय कम दिया है वरना मुझे बोलना बहुत ज्यादा था लेकिन दो चीजों की तरफ में सिर्फ इशारा करना चाहता हूं। आज हम लोग अस्पतालों की जो हालत है, उसके लिए डाक्टरों को भी गाली देते हैं और दूसरे लोगो को भी गाली देते हैं। आप जानते हैं कि में भी प्रोफेशन से एक डाक्टर हूं और डाक्टरों की कुछ अपनी जिम्मेदारी है। उसके अलावा वहां जो दूसरे लोग कार्यरत हैं, क्लास 3 और क्लास 4 से जो एम्पालाइज हैं, उन की अपनी जिम्मेदार है। अपरेशन थयेटर की हालत आप जा कर देखिए और वार्डों की हालत जा कर देखिए, तो आप को मालूम होगा कि कितनी खराब हालत है। अगर संवेदनशील ट्रेड यूनियन आप बनाएं, तब तो आपकी मांगों को माना जा सकता है लेकिन ट्रेड यूनियन सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से बनाए जाते हैं, सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में अपने आप लाभ उठाने के लिए बनाए जाते हैं। जब ऐसी स्थिति है, तब में श्री जंगा रेड्डी के बिल का समर्थन शायद नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही मुझे कहना था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री महोदय।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० चितम्बरम) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ी उत्सुकता से सुना है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : में सभा की अनुमति लेना चाहता हूं। दो घंटे चर्चा पहले ही हो चुकी है। मंत्री महोदय अब हस्तक्षेप कर सकते हैं, वे उत्तर दे रहे हैं। हम सभा का समय आधा घंटा बढ़ा देते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम् : में 10 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय वह बात जो श्रीमान जंगा रेड्डी कहना चाहते थे और अन्य माननीय सदस्यों की टिप्पणियां मेंने बड़े ध्यान पूर्वक सुनी हैं।

प्रारम्भ में में इस बात पर बल देना चाहता हूं कि विधेयक केबल अनुच्छेद 311 (2) के दूसरे परन्तुक की धारा 9 (ख) से सम्बन्धित है। इसलिए मुझे माननीय सदस्य श्री जंगा रेड्डी को धन्यवाद देना चाहिए कि जहां तक दूसरे परन्तुक की धारा (क) और धारा (ग) का सम्बन्ध है, वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हैं यद्यपि धारा (क) तथा धारा (ग) पर कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं, में जानता हूं कि श्री जंगा रेड्डी अन्य माननीय सदस्यों की आशंकाओं से तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर उनकी आलोचना से, निश्चित रूप से सहमत नहीं हैं और फलत: उनका विधेयक केवल दूसरे परन्तुक की धारा (ख) के प्रस्तावित विलोप तक ही सीमित हैं।

[श्री पी० चिदम्बरम]

महोदय एक प्रश्न किया गया था कि यह सरकार सविधान में ऐसे कठोर प्रावधानों का समर्थन क्यों करती है। महोदय, इस बात से यह मालूम होता है कि उनको इन प्रावधानों के इतिहास का अपर्याप्त ज्ञान है। कुछ छोटी-मोटी शाब्दिक भिन्नताओं के सिवाय द्वितीय खण्ड (क), (ख) तथा (ग) संविधान में मूल रूप से विद्यमान है, जिससे इस मामले की विषय्र वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहां तक की मूल संविधान में भी खण्ड (क), (ख) तथा (ग) विद्यमान थे और चूंकि यह वाद-विवाद केवल धारा (ख) तक ही सीमित है, क्या मैं खण्ड (ख) को इसके मूलरूप में पढ़ कर सुना सकता हूं। इसमें कहा गया था :

"जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या उसकी पदावनति करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेम्बबद्ध किया जायेगा, यह युक्तयुक्त रूप में व्यवहार नहीं है कि उस व्यक्ति का कारण दिखाने का अवसर दिया जाए।"

अन्तिम पांच शब्दों "कारण दिखाने का एक अवसर" के सिवाय यह एक समरूप प्रावधान है। यह 1950 में था। 1963 में जब इसके लिए संशोधन किया गया कि प्रस्तावित दंड के विरुद्ध कारण बताओ सम्बन्धी अवसर जिसे दूसरा अवसर कहते हैं" सन्नि विष्ट किया जाए तो खण्ड (क) (ख) तथा (ग) में छोटे-मोटे शाब्दिक परिवर्तन किए गए थे, परन्तु वास्तव में, प्रावधान एक ही थे। मैं 1963 में यथा संशोधित खण्ड (ख) को पढ़कर सुनाता हूं :

"परन्तु यह खण्ड वहां लागू न होगा"—

× × ×

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पदावनित करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि इस कारण से जो उस प्राधिकारी द्वारा लेख बद्ध किया जायेगा, ऐसी जाँच करना उपयुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है।"

1983 में भी यही उपबन्ध है। 1976 में जब संविधान में एक बार फिर संशोधन किया गया तो संशोधन में प्रस्तावित सजा के विरुद्ध दूसरा कारण बताओ नोटिस हटा दिया गया परन्तु खण्ड (क), (ख) और (ग) में कोई संशोधन नहीं किया गया। 1976 में किए गए, संशोधन के पश्चात् खण्ड (ख) को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने के लिए में पुन: पढ़कर सुनाता हूं :

"परन्तु यह खण्ड वहां लागू नहीं होगा"—

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पदावनति करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो आए कि किसी कारण से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जायेगा, उपयुक्त ऐसी जांच करना उपयुक्त रूप से व्यवहारिक नहीं है।"

इसलिए महोदय, हमने खण्ड (ख) में कोई संशोधन नहीं किया है। 1950 से खण्ड (ख) उसी रूप में है और तुलसीराम पटेल वाले मुकद्दमें में दिए गए निर्णय से पहले किसी भी व्यक्ति ने

यह बात नहीं उठाई कि खण्ड (ख) एक कठोर प्रावधान है जिसका दुरुपयोग सैकड़ों हजारों और लाखों सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत करने के लिए किया जा सकता है। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। तुलसी राम पटेल के मामले के निर्णय पूर्व तथा पश्चात् खण्ड (ख) वैसा ही था। वर्ष 1950 और 1985 के बीच के 35 वर्षों में जनता शासन के एक दो वर्ष छोड़कर इस सरकार का यह रिकार्ड रहा है इस प्रकार का कोई शोर नहीं मचाया गया कि सैकड़ों, हजारों, लाखों सरकारी कर्मचारियों को मनमाने ढंग से सेवायुक्त किए जा रहे हैं। क्या मैं आप से पूछ सकता हूं कि आप की जानकारी क्या है और आपके पास क्या ब्यौरा है कि तुलसी राम पटेल के मामले के पश्चात् हम खंड (ख) की अवहेलना कर रहे हैं और सैकड़ों हजारों, लाखों सरकारी कर्मचारियों को सेवामुक्त कर रहे हैं ? यह केवल ऐसा तर्क है जो किसी तथ्य पर आधारित नहीं है। वह फजलू तर्क कर रहे हैं। इस आशंका के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ हुआ है और सरकार ने कुछ किया है और सरकार एक नया उपबन्ध लाई अथवा सरकार ने कोई नई परिभाषा दे दी है जो 1950 से नहीं थी। पुराने रिकार्ड से पता चलता है कि हमने कुछ नहीं किया है। सरकारें बदलती रहे। बहुत से विख्यात व्यक्ति सरकार में अच्छे पदों पर रहे हैं। अढ़ाई साल के लिए हम सत्ता में नहीं थे। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे इस बात को सिद्ध किया जा सके कि इस उपबन्ध का दुरुपयोग हो रहा है। इसके अतिरिक्त तुलसी राम पटेल के मामले के पश्चात् ऐसा कुछ नही हुआ है जिससे यह बात सिद्ध हो सकती हो कि आज हम कूछ ऐसा कर रहें हैं जो यह 1985 से पूर्व नहीं था।

महोदय, फिर चल्लप्पन के मामले का उल्लेख किया गया है। चल्लप्पन के मामले का खंड (ख) पर कोई प्रभाव नहीं है और इससे मेरे माननीय मित्र श्री जंगा रेड्डी सहज ही सहमत होंगे। चल्लपन के मामले में खंड (क) लागू होता था। चल्लपन के मामले में न्यायालय ने अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक खंड (क) की व्याख्या नहीं की। किन्तु रेल सेवा नियम की व्याख्या की, नियम 14 की भाषा अलग प्रकार की थो, अर्थात् इसमें "कन्डीसर" शब्द था। अतः यह कहता हूं कि इस वाद-विवाद में चल्लपन के मामले के उल्लेख उचित नहीं है। में आदर पूर्वक प्रश्न यह है कि यदि तुलसी राम पटेल के मामले से खंड (ख) की व्याख्या का कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं हुआ है तो क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है। कि यह सरकार इसका दुरुपयोग करेगी ? में नम्रतापूर्वक यह कहना च हता हूं कि यह सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करेगी ? इस सरकार ने विगत में इसका दुरुपयोग नहीं किया है और भविष्य में भी यह सरकार इसका दुरुपयोग नहीं करेगी। वास्तव में इस सरकार की नीयत और गम्भीरता तुलसी राम पटेल के मामले के पश्चात् 11 नवम्बर, 1985 और 4 अप्रैल, 1986 को जारी किए गए आदेशों से स्पष्ट हो गई है। इन आदेशों का व्यापक वितरण किया गया है और प्रत्येक कार्यालय, विभाग और मंत्रालय को भेज दिए गए हैं। महोदय, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं इन आदेशों निदेशों का मसौदा तैयार करने पर गर्व कर सकता हूं। वास्तव में मैंने बैठकर इन निदेशों को स्वयं लिखा हैं ताकि कोई व्यक्ति खंड (ख) का अथवा खंड (क) और (ग) का लाभ न उठाए। जहां तक खंड (ख) का सम्बन्ध है, इसमें लिखा है और उच्चतम न्यायालय के निर्णय से भी इसकी पुष्टि हो जाती हैं, और मैंने भी निदेशों में इसे पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि पूर्ववर्ती दो शर्तें पूरी की जानी चाहिए। पहली यह कि जांच कराना पूर्ण रूप से

[श्री पी० चिदम्बरम]

व्यवहार है या नहीं, यह व्यक्ति विशेष को देखकर निर्णय करने का मामला नहीं है। यह निर्णय विषय-परक तथ्यों के आधार पर लिया जाना चाहिए। जैसे कि प्रत्येक वकील जानता है, प्रत्येक न्यायालय जानता है कि विवेकी व्यक्ति परख तो उसके विवेकी दृष्टि कोण से की जाती है। क्या वह यह निर्णय देगा कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ? यही एक परीक्षा है हम नियुक्त करने वाले प्रत्येक अधिकारी की यही परीक्षा होगी और इन निदेशों के लागू करने के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दूसरी पूर्व पूर्ति यह है कि प्राधिकारी को कारण भी नोट करने चाहिए। उसे चाहिए कि यह कारण फाइल में नोट करें। यह एक समकालीन रिकार्ड है अतः ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कारण नोट न करे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है कि अपराधी को निर्णय नहीं बताया जाना चाहिए। अपने निदेशों में हम कहते हैं कि फाइल में कारण लिखना अनिवार्य है। और हम एक कदम आगे निकल गए हैं और कहा है कि इन कारणों को अपराधी तक पहुंचाना ही उचित होगा। निरपवाद रूप से मैं यह आशा करता हूं कि सभी अधिकारी जो खंड (ख) की सहायता न केवल कारण लिखने के लिए परन्तु इन कारणों को अपराधियों तक पहुंचाने के लिए लेते है ताकि उसको यह मालूम हो जाए कि इस मामले में पूछताछ क्यों नहीं की गई है। माननीय सदस्य श्री जंगा रेड्डी के विधेयक में एक अंदरूनी खराबी है, क्योंकि वह अब खंड (ख) को विलोपन कराना चाहता है; किंतु अनुच्छेद 311 (3) का विलोपन नहीं करानाचाहते हैं। आप कृपया इस बात को स्वीकार करेंगे कि खंड (ख) के विलोम किए जाने के पश्चात् अनुच्छेद 311 (3) स्वतः से नहीं रहेगा।

6 म० प०

किन्तु उच्चतम न्यायालय ने सुनिश्चित रूप से कहा है कि अनुच्छेद 311 (3) के बावजूद न्यायालय को इस बात का निर्णय करने से नहीं रोका गया है कि जांच आवश्यक भी है या नहीं। न्यायालय को यह अधिकार था। अतः जब कोई अपराधी न्यायालय में जाता है और यह शिकायत करता है कि उसके मामले में पूछताछ नहीं की गई है तो न्यायालय को कारणों की जांच करने की और यह कहने की शक्ति है कि पूछताछ करनी आवश्यक भी अथवा नहीं।

और भी एक पूर्वोपाय है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अपील का अधिकार और पुनरीक्षा का अधिकार नहीं छीना गया है और अपील और पुनरीक्षा में अपराधी मूल अधिकारी के पूछताछ न करने के निर्णय का विरोध कर सकता है। वह कह सकते हैं कि अब स्थिति बदल गई है। हो सकता है कि पूछताछ करने की व्यवहारता में संदेह हो। आज स्थिति बदल गई है। शान्ति लौट आई है। कृपया आज मेरे विरुद्ध आरोपों की जांच कीजिए। अपीलीय प्राधिकरण और पुनरीक्षा करने वाला प्राधिकरण तर्क को नोट कर सकते हैं और निश्चित कर सकते हैं कि क्या जांच होनी चाहिए या नहीं। उच्चतम न्यायालय थोड़ा आगे जाता है। यदि अपील के स्तर परयही अशान्त स्थिति बनी रहे तो अपराधी को अपील की सुनवाई को स्थगित करने के लिए अधिकार प्राप्त होगा जिससे शांति स्थापित होने पर अपील की सुनवाई हो सके। बहुत से पूर्वोपाय हैं।

इन सभी पूर्वोपायों के साथ में आपको और सभा को आश्वासन दे दूं कि किसी को भी शक्ति के दुरुपयोग के लिए अंकुश के बिना अथवा किसी न्यायिक पुनरीक्षा के बिना मनमाने ढंग से निलम्बित नहीं किया जाएगा।

हम एक कदम आगे निकल गए हैं। 4 अप्रैल, 1986 को जब यह बात मेरे नोटिस में लाई गई कि ऐसा भी संभव था कि कुछ अधिकारी यह समझ लें कि पूछताछ न करने का अर्थ आरोप-पत्र न दिया जाना भी है, मैंने इस बात को नोट किया और पूरक जारी किए है और मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह निदेश पढ़े। हमने उन आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्कर्ष पर पहुंच कर वास्तव में पूछताछ करने की संभावना घटाई जाए। प्राधिकरण को इस बात का पूर्वानुमान नहीं करना चाहिए कि "यदि मैं आज एक आरोप पत्र देने का निर्णय लूं, यदि मैं किसी से स्पष्टीकरण मांगू तो 30 या 50 दिन के पश्चात् ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें पूछ-ताछ नहीं की जा सकती है, अतः मैं आरोप पत्र भी नहीं जारी करूंगा। इसे निकाल दिया गया। हमने पूछताछ के प्रत्येक स्तर पर आरोप-पत्र, स्पष्टीकरण जवानी की पूछताछ, विभाग की ओर से साक्ष्य मांगना, विभाग की ओर से साक्ष्य मांगना, लिखित विचार विमर्श प्रत्येक स्तर पर आपको यह निश्चित करना चाहिए कि क्या पूछताछ जारी रखना वास्तव में व्यवहार है। यदि आरम्भ में कोई कठिनाई नही है हमने कहा है कि आप आरोप पत्र जारी कीजिए और बाद में आप इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि पूछताछ करना व्यवहार नहीं है।

महोदय, 11 नवम्बर, 1985 और 4 अप्रैल, 1986 के आदेश उचित रूप में सरकारी कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा करते हैं। मैं उठाए गए अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में लम्बे वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि 1950 से उपबंध वैसे ही रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने कानून का कोई नया सिद्धांत नहीं बनाया है। सरकार ने कानून अथवा संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं किया है। इसके बदले सरकार ने विस्तृत आवश्यक तथा मार्ग निदेश दिए हैं जिनसे सरकारी कर्मचारियों की अधिक उचित ढंग से सुरक्षा होती है। मैं अत्यन्त नम्रता से श्री जंगा रेड्डी से निवेदन करता हूं कि अपने संविधान संशोधन विधेयक पर बल न दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, आप अगली बार बोल सकते हैं। अब सभा सोमवार 11 बजे म० पू० पुनः समवेत होने तक स्थगित हुई।

6.05 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 10 नवम्बर, 1986 कार्तिक, 1908 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 7 नवम्बर, 1986 । 10 कार्तिक, 1908 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 12, "श्री माधवाराव सिन्धिया" के स्थान पर "श्री माधवराव सिन्धिया" पढ़िये ।

विषय सूची, पृष्ठ (i), पंक्ति 13, "महत्व की ओर" के स्थान पर "महत्व के विषय की ओर" पढ़िये ।

पृष्ठ 8, नीचे से पंक्ति 8, "श्री एव.एन. नन्जे गोडा" के स्थान पर "श्री एच० एन० नन्जे गौडा" पढ़िये ।

पृष्ठ 10, नीचे से पंक्ति 9, "डी० दत्ता सामंत" के स्थान पर "डा० दत्ता सामंत" पढ़िये ।

पृष्ठ 12, पंक्ति 11, "(घ)" के स्थान पर "(च)" पढ़िये ।

पृष्ठ 15, नीचे से पंक्ति 11, "श्री मधु तण्डवते" के स्थान पर "श्री मधु दण्डवते" पढ़िये

पृष्ठ 19, पंक्ति 3, "ग्रत्यर्पण" के स्थान पर "प्रत्यर्पण" पढ़िये और पंक्ति 5, "श्री यशवंत राव गडास पाटिल" के स्थान पर "श्री यशवंत राव गडाख पाटिल" पढ़िये ।

पृष्ठ 20, पंक्ति नीचे से 8, "किया गया" के स्थान पर "किया जाना" पढ़िये ।

पृष्ठ 29, तालिका के नीचे प्रथम पंक्ति "अन्तुलन" के स्थान पर "असन्तुलन" पढ़िये ।

पृष्ठ 39, नीचे से पंक्ति 11, "डिर्विवर्री" के स्थान पर "डिबैंचर्री" पढ़िये ।

पृष्ठ 47, नीचे से पंक्ति 6, "श्री जैनल अवेदन" के स्थान पर "श्री जायनल अबेदिन" पढ़िये ।

पृष्ठ 48, पंक्ति 6 तथा 9 में "विकरागुआ" के स्थान पर "निकरागुआ" पढ़िये ।

पृष्ठ 66, पंक्ति 6, "मुफ़ती मोहम्मद सईद" के स्थान पर "मुफ्ती मोहम्मद सईद" पढ़िये ।

पृष्ठ 98, नीचे से पंक्ति 2, पृष्ठ 99, पंक्ति 2 तथा 6, "सिंयेटिक" के स्थान पर "सिंथेटिक" पढ़िये ।

पृष्ठ 99, नीचे से पंक्ति 10, ‘श्री सलाद्दीन’ के स्थान पर ‘श्री सलाउद्दीन’ पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 4, ‘श्री आर० आनन्दी’ के स्थान पर ‘श्री आर० अण्णानम्बी’ पढ़िये।

पृष्ठ 115, प्रथम पंक्ति, ‘हथकरघा’ के स्थान पर ‘हथकरघा’ पढ़िये।

पृष्ठ 132, नीचे से पंक्ति 12, ‘श्री एम० रगुरा रेड्डी’ के स्थान पर ‘श्री एम० रघुमा रेड्डी’ पढ़िये।

पृष्ठ 145, पंक्ति नीचे से 6, ‘पाटिल’ से आगे ‘(क)’ का लोप करिये।

पृष्ठ 155, अंतिम पंक्ति ‘मंत्रालय’ के स्थान पर ‘मन्त्रालय’ पढ़िये।

पृष्ठ 156, पंक्ति 8, ‘श्री सी० जग्गा रेड्डी’ के स्थान पर ‘श्री सी० जंगा रेड्डी’ पढ़िये।

पृष्ठ 160, पंक्ति 5, ‘डा० डी. एन. रड्डी’ के स्थान पर ‘डा० डी० एन० रेड्डी’ पढ़िये।

पृष्ठ 171, पंक्ति 6, अता० प्र० संख्या ‘740’ के स्थान पर ‘746’ पढ़िये।

पृष्ठ 184, पंक्ति 7, अता० प्र० संख्या ‘714’ के स्थान पर ‘764’ पढ़िये।

पृष्ठ 185, नीचे से पंक्ति 5, अता०प्र० संख्या ‘768’ के स्थान पर ‘767’ पढ़िये।

पृष्ठ 188, नीचे से पंक्ति 3, ‘जायदाद’ के स्थान पर ‘जायफल’ पढ़िये।

पृष्ठ 196, पंक्ति 8, ‘श्री मकेन्द्र सिंह’ के स्थान पर ‘श्री महेन्द्र सिंह’ पढ़िये।

पृष्ठ 198, पंक्ति 6, ‘श्रीमती ममता बनर्जी’ के स्थान पर ‘कुमारी ममता बनर्जी’ पढ़िये।

पृष्ठ 209, पंक्ति 2, ‘अध्दया’ के स्थान पर ‘अध्यक्ष’ पढ़िये।

पृष्ठ 213, नीचे से पंक्ति 12, ‘डा० कृपासिन्धु मोई’ के स्थान पर ‘डा० कृपासिन्धु भोई’ पढ़िये।

पृष्ठ 221, पंक्ति 13, ‘के इंजीनियरों’ के स्थान पर ‘के जूनियर इंजीनियरों’ पढ़िये।

पृष्ठ 249, पंक्ति 12, ‘पीटासीन हुए’ के स्थान पर ‘पीठासीन हुए’ पढ़िये।